लखनऊ महायोजना–2031

(संशोधित कन्वर्जन)

LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY

उत्तर प्रदेश सरकार

लखनऊ विकास प्राधिकरण

सम्भागीय नियोजन खण्ड लखनऊ,

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश

प्राक्कथन

लखनऊ नगर को स्वनामित मण्डल, जिला तथा तहसील का मुख्यालय होने के साथ–साथ प्रदेश की राजधानी होने का भी गौरव प्राप्त है। लखनऊ नगर उत्तर भारत के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक जीवन का केन्द्र है। यह नगर देश के एक बड़े राज्य की राजधानी होने के साथ–साथ सभ्यता, संस्कृति, प्राचीन गरिमा एवं आधुनिक आकांक्षाओं का प्रतीक है। लखनऊ नगर पाँच राष्ट्रीय राजमार्गों, दो प्रान्तीय राजमार्गो, उत्तर रेलवे एवं पूर्वोत्तर रेलवे तथा हवाई मार्ग द्वारा देश के विभिन्न नगरों से जुड़ा हुआ है।

उ0प्र0 नगर नियोजन और विकास अधिनियम 1973 की धारा–3 के अन्तर्गत आवास अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–3923/37–2–4–(डीए)–72. दिनांक 11.09.1974 द्वारा लखनऊ नगर के छावनी क्षेत्र एवं केन्द्र सरकार के स्वामित्व में ऐसी भूमि जो जल, थल एवं हवाई सेना के प्रयोगार्थ हो, को छोड़कर नगर निगम सीमा से 08 कि०मी० तक के क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए लखनऊ विकास क्षेत्र घोषित किया गया। विकास क्षेत्र के सुनियोजित विकास को सुनिश्चित किये जाने के दृष्टिगत शासन द्वारा पूर्व में प्रचलित लखनऊ महायोजना को शासनादेश संख्या 549/9–आ–3–92–8 महा./86, दिनांक 14.02.1992 द्वारा संशोधित लखनऊ महायोजना 2001 को स्वीकृति प्रदान की गयी। लखनऊ महायोजना 2001 की अवधि समाप्त होने के उपरान्त लखनऊ महायोजना 2021 तैयार की गयी, जिसे शासनादेश संख्या–1298/8–03–05 महा./2005, दिनांक 31.03.2005 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी।

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अनुभाग–6 की अधिसूचना संख्या–174/आठ–6–09–01– गठन/04 दिनांक 27 जनवरी, 2009 द्वारा लखनऊ जनपद के 197 नये ग्राम (आरक्षित वन क्षेत्र को छोड़ते हुए) एवं अधिसूचना संख्या–2532/आठ–6–14–10 गठन/2014 लखनऊ दिनांक 19.11.2014 द्वारा आगरा लखनऊ एक्सप्रेस–वे के संरेखन से प्रभावित लखनऊ जनपद के 16 ग्रामों को लखनऊ विकास–क्षेत्र में अधिसूचित किया गया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण की बोर्ड की बैठक दिनांक 11.06.2014 में निर्णय लिया गया कि प्रचलित लखनऊ महायोजना 2021 के अन्तर्गत दर्शित कृषि भूमि एवं विस्तारित क्षेत्र – के ग्रामों की भूमि को सम्मिलित करते हुए संशोधित महायोजना 2031 तैयार की जाये। महायोजना–2031 पर प्राधिकरण बोर्ड की 159वीं बैठक दिनांक 24.10.2016 में अनुमोदन प्रदान किया गया।

शासन द्वारा लखनऊ महायोजना–2031 को जी.आई.एस आधारित तैयार करने का निर्णय लिया गया। जिसे शासकीय समिति की बैठक दिनांक 27.11.2021 में दिये गये सुझावों को समावेशित करते हुये लखनऊ महायोजना 2031 (कन्वर्जन प्रारूप) को प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 22.06.2022 में प्रस्तुत किया गया। बोर्ड की बैठक दिनांक 22.06.2022 द्वारा

लखनऊ, महायोजना 2031 (कन्वर्जन प्रारूप) को जनसामान्य से आपत्ति/सुझाव प्राप्त करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया। लखनऊ विकास क्षेत्र की महायोजना 2031 (कन्वर्जन प्रारूप) पर दिनांक 21.07.2022 से दिनांक 09.09.2022 तक की अवधि में आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये गये। महायोजना (कन्वर्जन प्रारूप) पर कुल 405 आपत्ति/सुझाव प्राप्त हुए। तदुपरांत शासन की नयी ट्रांजिट ओरिएंट डेवलपमेंट (टी.ओ.डी.) नीति को सम्मिलित करते हुए महायोजना संशोधित कन्वर्जन प्रारूप 2031 को पुनः दिनांक 12.12.2022 से दिनांक 26.12.2022 तक की अवधि में आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये गये। शासन द्वारा उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा आपत्तियों/सुझावों को व्यक्तिगत रूप से दिनांक 06.10.2022 से दिनांक 15.10.2022 तक एवं टी.ओ.डी. जोन हेतु दिनांक 16.01.2023 को सुना गया तथा समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार महायोजना को अन्तिम रूप दिया गया है।

अमृत योजना के अंतर्गत जी.आई.एस आधारित लखनऊ महायोजना–2031 (संशोधित कन्वर्जन) को तैयार करने में वी.के. सुप्रीम कंसल्टेंट्स के साथ–साथ लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की लगन एवं कठिन परिश्रम प्रशंसनीय है। मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि प्रस्तुत महायोजना 2031 लखनऊ नगर के भावी विकास के मार्ग को प्रशस्त करने में सफल एवं फलीभूत होगी।

(डॉ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी)
उपाध्यक्ष
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ

डॉ0 रोशन जैकब
आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ

अध्याय–1		1
उद्भव एवं विकास		1
1.1	स्थिति	1
1.2	ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं क्रमिक विकास	1
1.3	क्षेत्रीय स्थिति एवं संपर्क	7
1.4	भौगोलिक स्थिति	10
1.5	जलवायु	10
अध्याय–2		11
महायोजना के पुनरीक्षण की आवश्यकता		11
2.1	महायोजना–2031 के संशोधन/कन्वर्जन/पुनरीक्षण की आवश्यकता	11
अध्याय–3		15
वर्तमान अध्ययन		15
3.1	जनसंख्या	15
3.2	लिंगानुपात	15
3.3	साक्षरता दर	16
3.4	कार्यशील श्रमिकों का श्रेणीवार विवरण	16
3.5	आर्थिक आधार	17
3.6	भौतिक अवसंरचना	18
3.6.1	जलापूर्ति	18
3.6.2	सीवरेज एवं स्वच्छता	19
3.6.3	जलमल निस्तारण	20
3.6.4	ठोस अपशिष्टों का निस्तारण	21
अध्याय–4		23
पर्यावरण रूपरेखा		23
4.1	आपदा प्रबंधन	23
4.2	अन्य आपदायें	25

अध्याय–5	26
वर्तमान भू–उपयोग एवं प्रभावी महायोजना का तुलनात्मक अध्ययन	26
5.1 वर्तमान भू–उपयोग	26
5.2 लखनऊ महायोजना–2021 में किये गये भू–उपयोग परिवर्तन	35
5.3 लखनऊ महायोजना 2031 में किये गये भू–उपयोग परिवर्तन	35
अध्याय–6	38
नियोजन की समस्यायें	38
अध्याय–7	45
महायोजना की अवधारणा एवं उद्देश्य	45
7.1 नगर के भौतिक स्वरूप के अनुरूप प्रस्ताव	45
7.2 यातायात	46
7.3 असंगत भू–उपयोग	47
7.4 सुरक्षा जोन का प्रस्ताव	48
7.5 सामुदायिक सुविधायें, उपयोगितायें एवं सेवायें	48
7.6 पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों के आस–पास कम घनत्व वाले भू–उपयोगों के प्रस्ताव	49
7.7 महायोजना के उद्देश्य	49
अध्याय–8	51
आकड़ों का विश्लेषण एवं प्रक्षेपण	51
8.1 जनसंख्या प्रक्षेपण	51
8.2 जनसंख्या घनत्व	53
8.3 जनसंख्या वृद्धि दर	53
8.4 नगर की भावी जलापूर्ति का आंकलन	54
8.5 नगर हेतु भावी सीवेज व्यवस्था का आंकलन	54
अध्याय–9	56
भू–उपयोग प्रस्ताव	56

9.1 नगर के विकास/विस्तार की दिशा 56
9.2 आर्थिक आधार 59
9.3 भू–उपयोग एवं प्रस्ताव 60
9.3.1 आवासीय 62
9.3.2 निर्मित क्षेत्र 62
9.3.3 व्यवसायिक क्षेत्र 62
9.3.4 औद्योगिक 68
9.3.5 कार्यालय 69
9.3.6 सामुदायिक सुविधाएं/उपयोगिताएं एवं सेवायें 70
9.3.7 यातायात एवं परिवहन 72
9.3.8 मनोरंजनात्मक 76
9.3.9 हरित पट्टी 77
9.3.10 हाईवे फैसेलिटी जोन 77
9.3.11 ग्रामीण आबादी 78
9.3.12 प्रतिबंधित जोन 78
9.3.13 अन्य भू–उपयोग 79
9.3.14 अन्य प्रस्ताव 80
9.3.15 नदी केंद्रित विकास 82
9.3.16 ऐतिहासिक भवनों/क्षेत्रों हेतु प्राविधान 82
9.3.17 सुरक्षा जोन 86
9.4 शासकीय नीतियों का अनुपालन 90
9.4.1 आवास नीति, इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति, हाईटेक टाउनशिप नीति, उ0प्र0 टाउनशिप नीति आवास नीति 90
9.4.1.1 उ0प्र0 टाउनशिप नीति 91
9.4.2 उ0प्र0 पर्यटन नीति 92
9.4.3 सौर उर्जा नीति 92

9.4.4 रेन वाटर हार्वेस्टिंग नीति 93
9.4.5 फिल्म नीति 95
9.4.6 सूचना प्रौद्योगिकी नीति 95
9.4.7 आपदा प्रबंधन नीति 96
9.4.8 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 96
9.4.9 अन्य 97
9.5 नियोजन खण्ड 106
9.6 चरणबद्ध विकास 106
अध्याय–10 110
जोनिंग रेगुलेशन्स 110
10.1 परिचय 110
10.1.1 जोनिंग के उद्देश्य 110
10.1.2 विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों की अनुज्ञा श्रेणिया 110
10.1.3 फ्लोटिंग उपयोग 111
10.1.4 रेन वाटर हार्वेस्टिंग 112
10.1.5 प्रभाव शुल्क (Impact Fee) 112
10.1.6 अनुज्ञा की प्रक्रिया 114
10.1.7 अन्य अपेक्षाएं 114
10.1.8 परिभाषाएं 116
10.2 भू–उपयोग परिसरों/क्रियाओं की परिभाषाएं 116
10.2.1 आवासीय 116
10.2.2 वाणिज्यिक 117
10.2.3 औद्योगिक 118
10.2.4 कार्यालय 118
10.2.5 सामुदायिक सुविधायें, उपयोगितायें एवं सेवायें 119
10.2.6 यातायात एवं परिवहन 122

10.2.7 पार्क, क्रीड़ा/खुले स्थल/मनोरंजनात्मक 123

10.2.8 कृषि 123

10.2.9 अस्थायी क्रियाएं 124

10.3 विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं (**Activities**) हेतु अपेक्षाएं 124

10.4 प्रमुख भू–उपयोग जोन्स में सशर्त अनुमन्य क्रियाओं/उपयोगों हेतु अनिवार्य शर्ते एवं प्रतिबंध 126

अनुलग्नक–1 134

फुटकर उपयोग के दुकानों की सूची 134

अनुलग्नक–1क 136

दैनिक उपयोग के दुकानों की सूची 136

अनुलग्नक–2 137

निर्मित/मिश्रित आवासीय क्षेत्र में अनुमन्य सेवा उद्योगों की सूची (5 हार्स पावर तक) 137

अनुलग्नक–3 138

व्यावसायिक क्षेत्र में अनुमन्य प्रदूषण मुक्त लद्यु उद्योगों की सूची (10 हार्स पावर तक) 138

अनुलग्नक–4 140

प्रमुख भू उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों की अनुमन्यता ज्ञात करने हेतु ग्राफिक प्रस्तुतिकरण के (मैट्रिक्स) उपयोग की विधि 140

अध्याय–11 142

भारत सरकार की ''स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेन्स टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेन्ट–2023–24'' के भाग–3 (अर्बन प्लानिंग रिफार्मस) के अनुपालन की स्थिति 142

11.1 कॉम्प्रेहैंसिव मोबिलिटी प्लान/ट्रांसपोर्टेशन प्लान 143

11.2 इकोनोमिक प्लान 150

11.3 ब्लू एवं ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर 158

11.4 टी.ओ.डी 165

तालिका–सूची

तालिका–1 15

लखनऊ नगर समूह की जनसंख्या वृद्धि (1901–2011) 15

तालिका–2 17

लखनऊ नगर समूह की श्रेणीवार श्रमिक संख्या का दशकवार विवरण वर्ष 2001–2031 17

तालिका–3 18

लखनऊ नगर समूह की श्रमिक संख्या का दशकवार विवरण वर्ष 2001–2031 18

तालिका–4 26

लखनऊ नगर का वर्तमान भू–उपयोग वर्ष 1987 एवं 2004–05 (क्षेत्रफल हेक्टेयर में) 26

तालिका–5 27

लखनऊ विकास क्षेत्र महायोजना–2031 वर्तमान भू–उपयोग (2010–11) 27

तालिका–6 27

जी.आई.एस आधारित लखनऊ महायोजना–2031 वर्तमान भू–उपयोग (2021) 27

तालिका–7 35

लखनऊ महायोजना–2021 में शासन द्वारा किये गये भू–उपयोग परिवर्तन 35

तालिका–8 36

लखनऊ महायोजना 2031 में शासन द्वारा किये गये भू–उपयोग परिवर्तन 36

तालिका–9 37

लखनऊ महायोजना–2031 तथा लखनऊ महायोजना–2031 (संशोधित कन्वर्जन) के भू–उपयोग का तुलनात्मक विवरण 37

तालिका–10 52

जनसंख्या प्रक्षेपण–लखनऊ नगर समूह वर्ष 2001–2031 52

तालिका–11 52

जनसंख्या प्रक्षेपण–काकोरी नगर पंचायत वर्ष 2001–2031 52

तालिका–12 52

जनसंख्या प्रक्षेपण–बक्शी का तालाब नगर पंचायत वर्ष 2001–2031 52

तालिका–13 52

जनसंख्या प्रक्षेपण–लखनऊ विकास क्षेत्र (277 ग्राम) ग्रामीण क्षेत्र वर्ष 2001–2031 52

तालिका–14	53
जनसंख्या अनुमान–लखनऊ विकास क्षेत्र	53
तालिका–15	54
लखनऊ नगर समूह की जनसंख्या वृद्धि (1901–2011)	54
तालिका–16	60
प्रस्तावित भू–उपयोग–2031	60
तालिका–17	109
पर्यवेक्षण समिति	109
तालिका–18	126
अनिवार्य शर्ते एवं प्रतिबंध	126

मानचित्र–सूची

मानचित्र–1	8
लखनऊ महानगर की स्थानिक स्थिति	8
मानचित्र–2	9
उत्तरी एवं पूर्वी राज्यों के मध्य प्रमुख सड़क यातायात मार्ग	9
मानचित्र–3	12
लखनऊ विकास प्राधिकरण का वर्तमान विकास क्षेत्र	12
मानचित्र–4	13
लखनऊ विकास क्षेत्र के अन्तर्गत क्रियान्वित एवं प्रस्तावित प्रमुख योजनायें	13
मानचित्र–5	14
लखनऊ विकास क्षेत्र के अन्तर्गत निर्मित एवं प्रस्तावित बाह्य मुद्रिका मार्ग	14
मानचित्र–6	57
लखनऊ महानगर का भौतिक विकास प्रतिरूप	57
मानचित्र–7	58
नियोजन हेतु उपलब्ध क्षेत्र	58
मानचित्र–8	73
प्रमुख मार्ग	73

मानचित्र–9	75
लखनऊ मेट्रो	75
मानचित्र–10	87
ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्त्व के स्थल	87
मानचित्र–11	88
हेरिटेज जोन	88
मानचित्र–12	89
सुरक्षा जोन्स	89
मानचित्र–13	107
नियोजन–खण्ड	107
मानचित्र–14	149
ट्रांसपोर्ट एंड मोबिलिटी	149
मानचित्र–15	157
इकोनोमिक इन्फ्रास्ट्रक्चर/लेयर	157
मानचित्र–16	162
ब्लू इन्फ्रास्ट्रक्चर/लेयर	162
मानचित्र–17	163
ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर/लेयर	163
मानचित्र–18	164
कंटूर	164

अध्याय–1
उद्‌भव एवं विकास

1.1 स्थिति

लखनऊ नगर $26^0 30'$ एवं $27^0 10'$ उत्तरी अक्षांश तथा $80^0 30'$ एवं $81^0 13'$ पूर्वी देशान्तर पर स्थित हैं। यह नगर स्वनामित मण्डल, जिला तथा तहसील का मुख्यालय होने के साथ–साथ इस नगर को प्रदेश की राजधानी होने का भी गौरव प्राप्त है। नगर की मुख्य आबादी गोमती नदी के दाहिनें तट पर बसी हुई है, जबकि वर्तमान में इसका विकास शहर के चारों तरफ द्रुत गति से हो रहा है।

1.2 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं क्रमिक विकास

लखनऊ नगर उत्तर भारत के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक जीवन का केन्द्र हैं। यह प्राचीन गरिमा एवं आधुनिक आकाक्षाओं का प्रतीक है। देश के एक बड़े राज्य की राजधानी होने के कारण इसकी गरिमा एवं प्रतिष्ठा अलग है यहाँ की सभ्यता, संस्कृति एवं सामाजिक व्यवहार को विशेष गौरव प्राप्त है, इस प्रकार से यह नगर बहुआयामी नगर है।

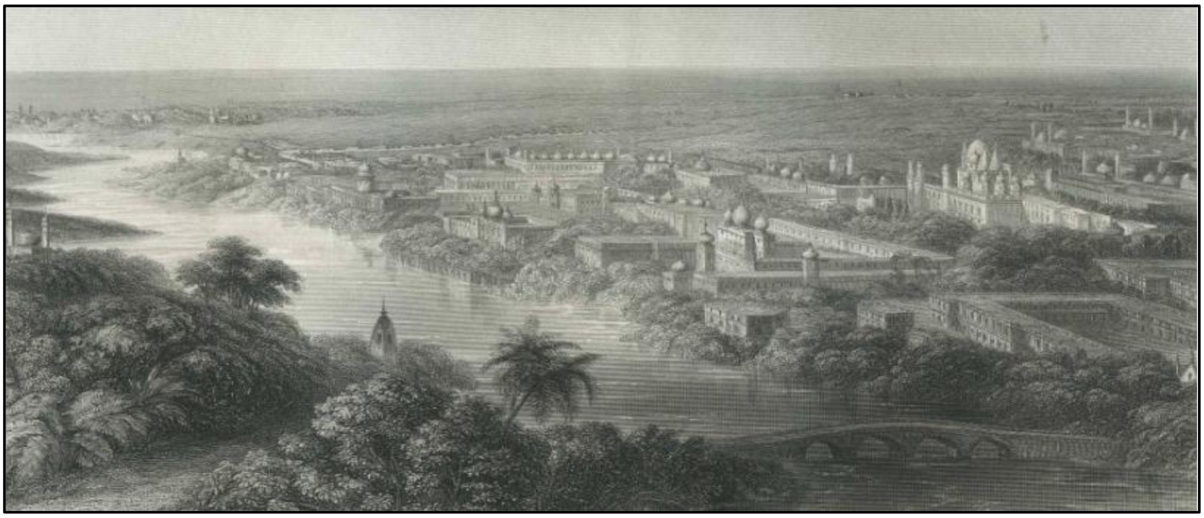

वर्ष 1860 में मोतीमहल का एक दृश्य

लखनऊ के उद्‌भव के सम्बन्ध में कोई ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। एक किवदन्ती के आधार पर श्रीराम के भाई लक्ष्मण ने इसे बसाया था तथा इसे प्राचीन काल में लक्ष्मणपुर ही कहते थे। लक्ष्मणजी ने अपनी राजधानी की सुरक्षा हेतु जिस किले का निर्माण

कराया था उसे लक्ष्मण टीला कहते है जो वर्तमान समय में माँझी भवन का भाग है। कालान्तर में कन्नौज के राजा जयचन्द्र ने यहाँ पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। इसके पश्चात् मोहम्मद गजनबी के आदेश पर सैयद सत्तार मसूद ने इस पर अपना आधिपत्य जमाया। बाद में यहाँ पर राजपूत, शेख, पठानों का आधिपत्य रहा। पठान जमींदारों ने ही भवन शिल्प की शुरूआत की तथा किले का निर्माण करवाया जिसके कारण किले के निर्माणकर्ता लखना के नाम पर ही किले का नामकरण किया गया तथा इसके नाम को लक्ष्मणपुरी से लखनऊ कर दिया गया।

कैसरबाग पैलेस का पश्चिमी द्वार

बड़ा इमामबाड़ा क्षेत्र

मुगल शासन काल में लखनऊ में भवन निर्माण को विशेष गति प्राप्त हुई तथा चौक के दक्षिणी हिस्से में कई मोहल्लों का निर्माण हुआ। सम्राट अकबर को यह स्थान चर्तुदिक स्वच्छ जलवायु, पुष्प, फल तथा विभिन्न किस्मों के चावल की उपलब्धता के कारण काफी प्रिय था। अकबर के शासन काल में पंचमहल का निर्माण हुआ। नवाबों ने अपने शासन काल में चौक, हुसैनाबाद, कैसरबाग, रोमी दरवाजा तथा पेरिस की सेन नदी पर बने पुल की आकृति के आधार पर गोमती नदी के ऊपर पुल का निर्माण कराया जिसे वर्तमान में पक्का पुल के नाम से जाना जाता है। बड़ा इमामबाड़ा, रेजीडेन्सी तथा कई मोहल्लों का निर्माण भी इन्हीं की देन थी। इनके शासन काल में ही जनरल क्लाउड मार्टिन लखनऊ आये थे। इन्होंने लॉ–मार्टीनियर तथा कोठी फरहत बक्श जैसी इमारतें बनवाई थी। आसिफउद्दौला के पश्चात् सआदत अली खॉ ने सआदतगंज, रकाबगंज, गोलागंज, मौलवीगंज मोहल्लों का निर्माण करवाया तथा नवाब गाजीउद्दीन हैदर ने मोतीमहल, छतर मंजिल, शहनजफ एवं बादशाह बाग का निर्माण करवाया। इसके पश्चात् इनके वंशजों ने गणेशगंज, चाँदगंज, आइरन ब्रिज, हजरतगंज व सिकन्दरबाग मोहल्लों का निर्माण करवाया था।

सन् 1856 में नवाबी शासन के अस्त होने तथा ब्रिटिश शासन के अभ्युदय के कुछ समय तक लखनऊ उपद्रव ग्रस्त रहा क्योंकि नये शासकों से जनता असंतुष्ट रही। सन् 1857 के विप्लव में रेजीडेन्सी, माँझी भवन जैसी खूबसूरत इमारतें तथा बगीचे युद्ध स्थल बन गये। ब्रिटिश सत्ता के आधिपत्य में पूर्ण रूप से आ जाने के पश्चात् ब्रिगेडियर जनरल सर राबर्ट नैपियर ने राजधानी की सुरक्षा हेतु योजना तैयार की तथा गोमती नदी की 300 गज की दूरी तक सभी अवरोधों को हटवाया तथा सेना के आवागमन हेतु सीधी सड़कों का निर्माण करवाया। पुराने उपयोगी मार्गो की मरम्मत तथा माँझी भवन से शुरू होने वाले चारों तरफ के मार्गो का भी निर्माण करवाया। इसके लिये नगर को 05 भागों में विभक्त किया गया था। वर्ष 1915 की बाढ़ में लखनऊ का काफी बड़ा भू–भाग जल मग्न हो गया था। बाढ़ की विभीषिका के अनुभव के आधार पर लखनऊ के नियोजन को बल मिला। लखनऊ नगर पालिका ने इस दिशा में नगर नियोजन की योजनाओं हेतु प्रोफेसर पैट्रिक गिड्स को सलाह हेतु आमंत्रित किया जिन्होंने नगर का विस्तृत सर्वेक्षण कराकर नगर से सम्बन्धित पक्षों जैसे–यातायात, संचार, आवास तथा लैण्डस्केपिंग आदि योजनायें बनाई। वर्ष 1920 में लखनऊ इंप्रूवमेन्ट ट्रस्ट की स्थापना हुई जिसके द्वारा तैयार प्रस्तावों के आधार पर नगर के विकास को दिशा प्राप्त हुई।

सन् 1930 में लखनऊ के विकास को पुनः एक नया आयाम मिला जब प्रयागराज से सचिवालय तथा अन्य राजकीय कार्यालयों को लखनऊ स्थानान्तरित किया गया जिससे मॉल एवेन्यू, लाजपत नगर आदि मोहल्ले विकसित हुये। सन् 1947 में भारत के विभाजन के कारण लखनऊ में शरणार्थियों के आव्रजन के फलस्वरूप नगर का अनियंत्रित एवं अव्यवस्थित विस्तार हुआ एवं नगर के पुराने क्षेत्रों तथा बाह्य मार्गो पर सघन आबादी का विकास हुआ।

भूमि के अव्यवस्थित वितरण एवं विकास, भवनों के अनियोजित निर्माण और निम्न स्तर के उपनिवेशों की बढ़ती प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए तथा उपयुक्त योजना के अंतर्गत नगर के विकास एवं विस्तार को नियोजित एवं सुनियोजित दिशा प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत आवास विभाग की अधिसूचना

संख्या 2पी/37–50 एच/57 दिनांक 10.12.1958 के द्वारा लखनऊ विनियमित क्षेत्र घोषित किया गया था।

नगर के सुनियोजित विकास हेतु नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा विनियमित क्षेत्र की महायोजना तैयार की गयी जिसे शासनादेश संख्या–3647/37–35 दिनांक 27–01–1970 द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। आवास अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–3923/37–2–4–(डीए)–72 दिनांक 11.09.1974 के द्वारा छावनी क्षेत्र एवं केन्द्र सरकार के स्वामित्व में ऐसी भमि जो जल, थल एवं हवाई सेना के प्रयोगार्थ हो, को छोड़कर नगर निगम सीमा से 08 किमी. तक के क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए लखनऊ विकास क्षेत्र घोषित किया गया।

1980 के दशक में गोमती नदी एवं कुकरैल के तटबन्धों एवं गोमती बैराज से अयोध्या मार्ग के मध्य सम्पर्क मार्ग के निर्माण/विकास के फलस्वरूप नगर के केन्द्रीय वाणिज्यिक स्थल हजरतगंज से अत्यन्त कम दूरी पर स्थित नये सुरक्षित विकास हेतु उपलब्ध हुए वहीं दूसरी ओर लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद द्वारा रायबरेली, कानपुर, हरदोई एवं सीतापुर मार्गो पर वृहद् स्तर की आवासीय योजनाएं प्रारम्भ की गयी। इन सब परियोजनाओं के क्रियान्वयन से नगर के विकास की दिशा प्रभावित हुई। उपलब्ध हुए नये क्षेत्रों के सुनियोजित विकास को सुनिश्चित किये जाने के दृष्टिगत शासन द्वारा लखनऊ महायोजना को संशोधित कराये जाने का निर्णय लिया गया। संशोधित लखनऊ महायोजना–2001 को शासनादेश संख्या–549/9–आ–3–92–8 महा./86 दिनांक 14 फरवरी 1992 द्वारा स्वीकृत प्रदान की गयी।

सीतापुर एवं अयोध्या मार्गो पर विकास की अपेक्षाकृत तीव्र गति के दृष्टिगत शासनादेश संख्या'–07/9–आ–5–98–21 डी.ए./72 दिनांक 6 जनवरी 1999 द्वारा अयोध्या एवं सीतापुर मार्ग के 16 ग्राम लखनऊ विकास क्षेत्र में सम्मिलित किये गये।

लखनऊ महायोजना–2001 की अवधि समाप्त होने के उपरान्त बढ़े हुए ग्रामों को सम्मिलित करते हुए लखनऊ महायोजना–2021 तैयार की गयी जिसे शासनादेश संख्या–1298/8–3–05 महा./2005 दिनांक 31 मार्च 2005 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी।

लखनऊ महायोजना—2021 लगभग 60800 हे0 क्षेत्र के लिए तैयार की गयी जिसमें नगरीयकरण योग्य प्रस्तावित क्षेत्रफल 41380.00 हेक्टेयर था।

महायोजना—2021 में कुल विकास क्षेत्र के 68.05 प्रतिशत क्षेत्र (43180.00 हे0) पर नगरीय विकास प्रस्तावित था। विकास क्षेत्र का शेष 19420 हे0 क्षेत्र जिसका अधिकांश भाग मैंगो बेल्ट के अन्तर्गत था, को कृषि उपयोग हेतु प्रस्तावित किया गया था। कानपुर, सुल्तानपुर, अयोध्या एवं रायबरेली मार्गो पर स्वीकृत महायोजना में प्रस्तावित नगरीयकरण योग्य क्षेत्र का विस्तार विकास क्षेत्र की सीमा तक था। विकास क्षेत्र के ऐसे क्षेत्र जहॉ पर विकास क्षेत्र की सीमा तक नगरीयकरण योग्य क्षेत्र प्रस्तावित थें, में प्रस्तावित नगरीय उपयोगों के बाहर कोई कृषि/हरित पट्टी के रूप में बफर भूमि शेष नहीं थें तथा सीमा के बाहर संलग्न क्षेत्रों में Parasitic अनियंत्रित/अनियोजित विकास का प्रसार होना प्रारम्भ हो गया था। इस प्रकार हो रहे अनियंत्रित/अनियोजित विकास को नियंत्रित किये जाने हेतु विकास क्षेत्र का विस्तार किया जाना अपरिहार्य हो गया था।

शासन द्वारा नगरीय विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से हाईटेक टाउनशिप विकसित किये जाने हेतु नीति प्रतिपादित की गयी थी। इस नीति के अन्तर्गत लखनऊ विकास क्षेत्र हेतु तीन विकासकर्ताओं का चयन अनुमोदित किया गया था। इन टाउनशिप में से दो टाउनशिप का आंशिक क्षेत्र स्वीकृत महायोजना—2021 के विकास क्षेत्र से बाहर स्थित था, जिसे हाईटेक टाउनशिप नीति के व्यवस्था के अनुसार विकास क्षेत्र का विस्तार कर विकास क्षेत्र की सीमान्तर्गत लाया जाना प्राविधानित था।

लखनऊ का नगरीयकरण योग्य क्षेत्र क्षेत्रीय यातायात की प्रणाली Ring Radial Pattern पर विकसित है। महायोजना में प्रस्तावित रिंग रोड थ्रु—ट्रैफिक को नगर के बाहरी क्षेत्रों तक सीमित रखने के उद्देश्य से प्रस्तावित की गयी थी, परन्तु नगर के विकसित क्षेत्रों के विस्तार के फलस्वरूप महायोजना में प्रस्तावित रिंग रोड अब एक आन्तरिक मार्ग के रूप में हो गयी है।

नगर के आकार के दृष्टिगत एक अतिरिक्त रिंग रोड की आवश्यकता है जिससे थ्रु–ट्रैफिक नगर के आन्तरिक यातायात में बाधक न हो। अतिरिक्त रिंग रोड के संरेखन हेतु भी विकास क्षेत्र में विस्तार आवश्यक हो गया था। (मानचित्र संख्या–5)

उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों के दृष्टिगत विकास क्षेत्र की सीमा के बाहर के अनियोजित विकास को नियंत्रित करने के लिए लखनऊ विकास क्षेत्र की सीमा में विस्तार आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अनुभाग–6 की अधिसूचना संख्या–174/आ0–6–09–01 गठन/04 दिनांक 27 जनवरी, 2009 द्वारा लखनऊ जनपद के 197 नये ग्राम (आरक्षित वन को छोड़ते हुए) लखनऊ विकास क्षेत्र में सम्मिलित किये गये थें।

इन 197 ग्रामों में से 37 ग्राम यू0पी0एस0आइ0डी0ए0 क्षेत्र में भी अधिसूचित है लखनऊ विकास क्षेत्र में 160 नये ग्राम सम्मिलित होने के फलस्वरूप विकास क्षेत्र में (यू0पी0एस0आइ0डी0ए0 क्षेत्र को छोड़ते हुए) कुल 39179 हेक्टेयर क्षेत्र की वृद्धि हुई। अयोध्या एवं देवा मार्ग पर विकास क्षेत्र का विस्तार नहीं किया गया था। शेष सभी प्रमुख मार्गो पर विकास क्षेत्र का विस्तार किया गया है। शासन की अधिसूचना संख्याः 2532/आठ–6–14–10 गठन/2014 लखनऊ दिनांक 19.11.2014 द्वारा आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस–वे के संरेखन से प्रभावित लखनऊ जनपद के 16 ग्रामों को लखनऊ विकास क्षेत्र में अधिसूचित किया गया था।

राज्य सरकार द्वारा सुल्तानपुर मार्ग पर स्थित चक गंजरिया फार्म की भूमि पर आई.टी. सिटी के साथ–साथ अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाएं स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। इस हेतु लखनऊ महायोजना–2021 एवं विस्तारित क्षेत्र में शासन द्वारा भू–उपयोग परिवर्तन किए गये। शासन के पत्र संख्याः 1052 (1)/8–3–13–308 विविध/11 दिनांकः 05.07.2013 द्वारा चक गंजरिया फार्म के अन्तर्गत किए गये भू–उपयोग परिवर्तन को विस्तारित क्षेत्र की महायोजना में समाहित करने हेतु महायोजना प्राधिकरण को वापस प्रेषित की गयी। लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 11.06.2014 में निर्णय लिया गया कि लखनऊ महायोजना–2021 के स्थान पर लखनऊ महायोजना–2031 तैयार की जाए। यह भी निर्णय लिया गया कि प्रचलित लखनऊ महायोजना–2021 के अन्तर्गत दर्शित कृषि भूमि एवं

विस्तारित क्षेत्र के ग्रामों की भूमि को सम्मिलित करते हुए संशोधित महायोजना–2031 तैयार की जाये।

लखनऊ महायोजना 2031 नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा तैयार की गयी, जिसे उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा 10 एवं 11 के अन्तर्गत आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या–1504(1)/8–3–16–308 विविध/2011, दिनांक 19 दिसम्बर 2016 द्वारा लखनऊ महायोजना–2031 को स्वीकृति प्रदान की गयी।

1.3 क्षेत्रीय स्थिति एवं संपर्क

लखनऊ नगर दो एक्सप्रेस–वे एवं तीन राष्ट्रीय राजमार्गो के सन्धि स्थल पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–30 (सीतापुर रोड) द्वारा दिल्ली से, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–27 (कानपुर रोड) द्वारा झाँसी एवं भोपाल से तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–27 (अयोध्या रोड) द्वारा गोरखपुर होते हुए वाराणसी तथा बिहार के नगरों से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–30 से रायबरेली एवं प्रयागराज को जोड़ा गया है एवं सुल्तानपुर को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–731 से जोडा गया है। यह नगर आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस–वे के द्वारा आगरा से एवं पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे के द्वारा आजमगढ़ से जुड़ा हुआ है। लखनऊ नगर दो प्रान्तीय राजमार्गो द्वारा हरदोई एवं मोहान से जुड़ा हुआ है। (मानचित्र संख्या–1 एवं 2) यह नगर उत्तर रेलवे तथा पूर्वोत्तर रेलवे की बड़ी लाईन एवं छोटी लाईन का मिलन बिन्दु है। लखनऊ नगर हवाई मार्ग से दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, बेंगलूरू, कोलकाता, बैंकॉक, शारजहां, रियाद एवं जेद्दा शहर से जुड़ा हुआ है।

मानचित्र–1
लखनऊ महानगर की स्थानिक स्थिति

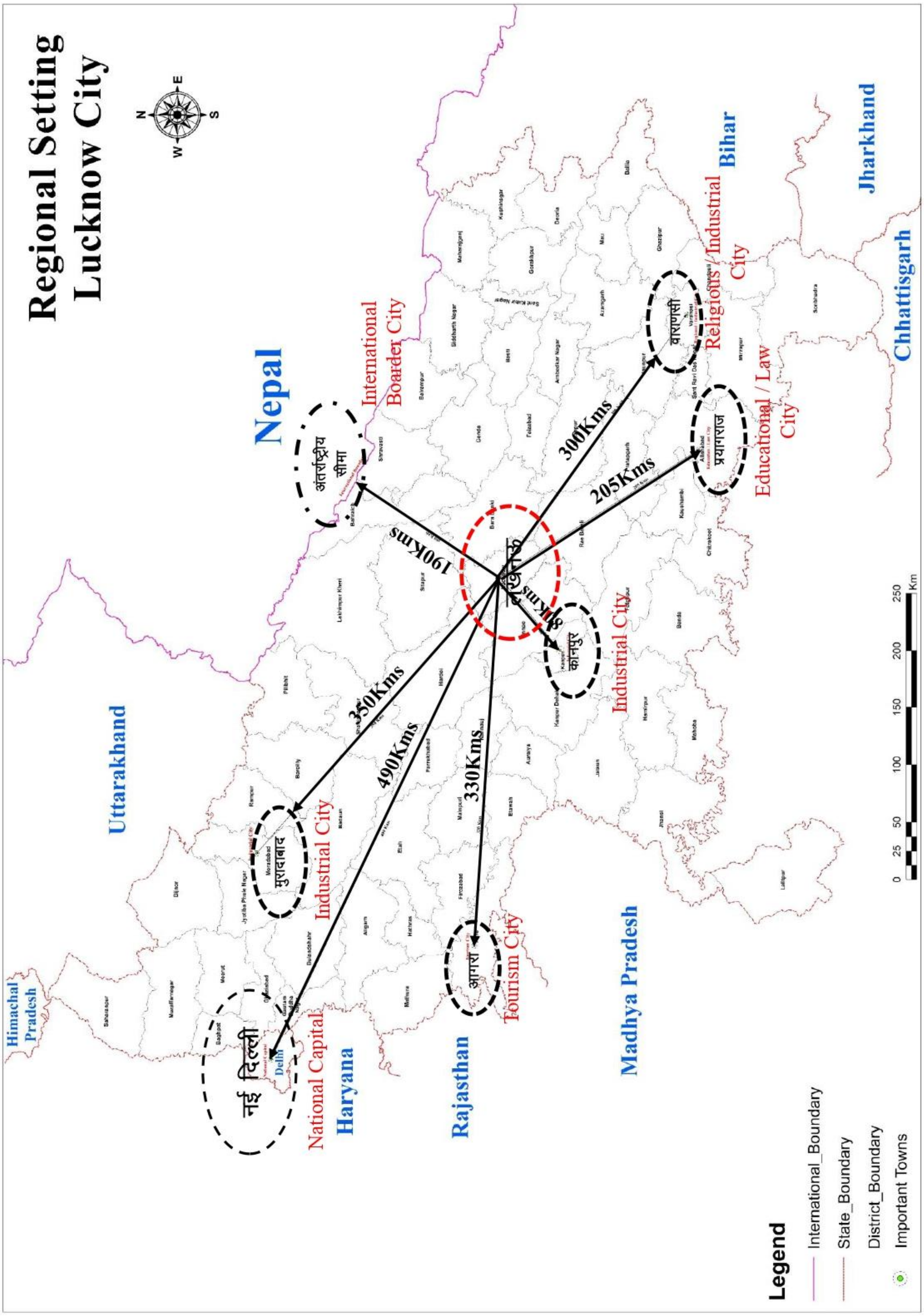

मानचित्र–2
उत्तरी एवं पूर्वी राज्यों के मध्य प्रमुख सड़क यातायात मार्ग

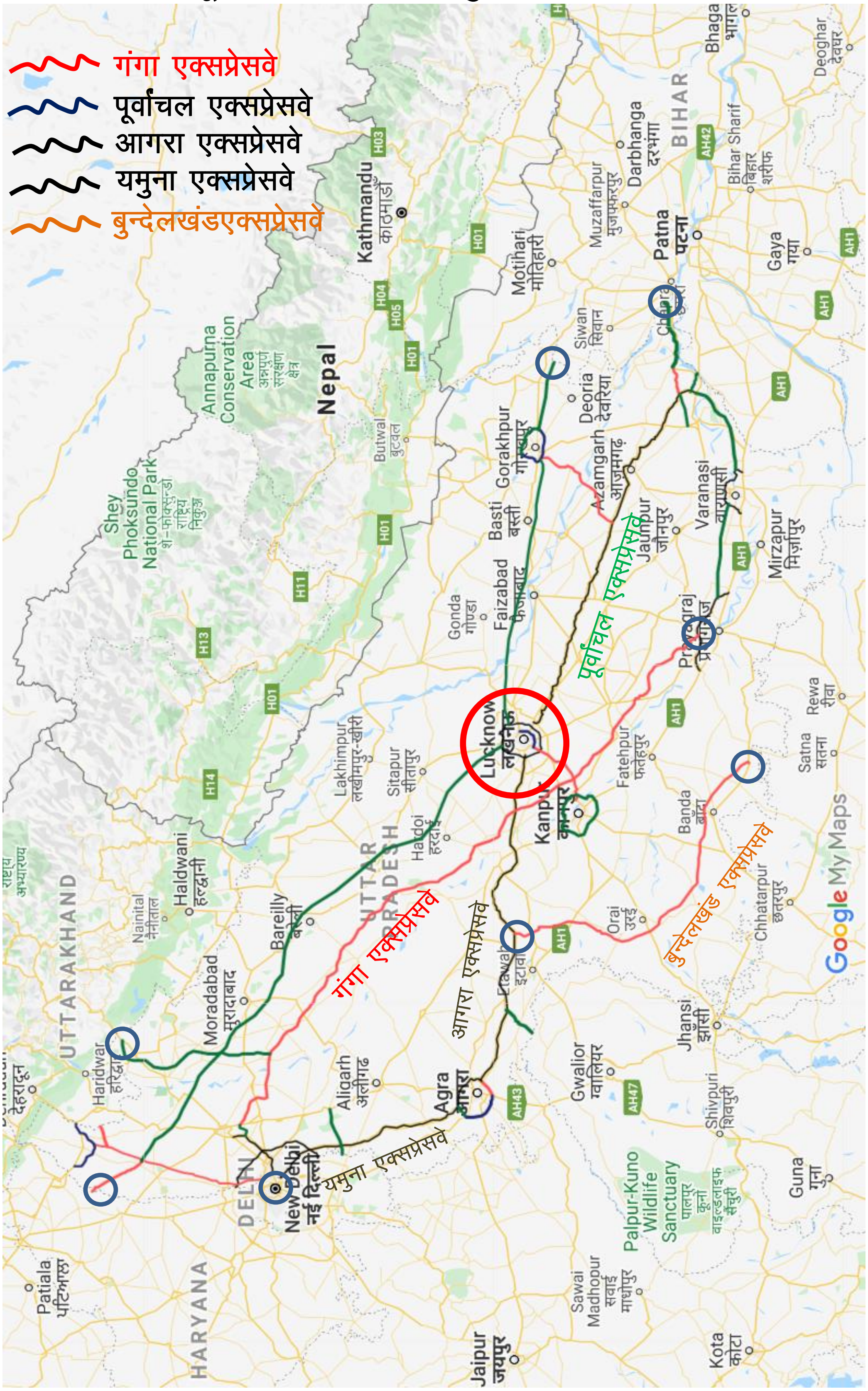

1.4 भौगोलिक स्थिति

लखनऊ नगर का अधिकतम तापमान 48.90^0 सेन्टीग्रेड तथा न्यूनतम तापमान 1.67^0 सेन्टीग्रेड तक पहुॅच जाता है। नगर का जल स्तर सामान्यतः 18 मीटर है। लखनऊ नगर में लगभग सभी सामान्य प्रशासनिक एवं न्यायिक विभागों के राज्य/केन्द्र सरकार के कार्यालय स्थित है, इसके अतिरिक्त राजभवन, सचिवालय, हाईकोर्ट के साथ ही रेडियो एवं दूरदर्शन केन्द्र भी स्थापित है।

1.5 जलवायु

लखनऊ में आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय जलवायु है। शहर में दिसंबर से फरवरी तक ठंडी, शुष्क सर्दियाँ एवं मार्च से जून तक शुष्क, ग्रीष्मकाल रहता है। सर्दियों में शहर का अधिकतम तापमान लगभग 25^0C और न्यूनतम 3^0C रहता है। गर्मियों में अत्यधिक गर्मी होती है जबकि सर्दियों में शहर में दिसंबर के अंत से जनवरी के अंत तक कोहरा छाया रहता है।

शहर में जून के मध्य से सितंबर के मध्य तक वर्षा ऋतु रहती है, जिसमें दक्षिण–पश्चिम मानसूनी हवाओं से औसतन 896.2 मिमी वर्षा होती है, और कभी–कभी शहर में जनवरी माह में भी वर्षा होती है।

लखनऊ शहर में गर्मी के दिनों में तेज हवाऐं चलती है। हवा की औसत गति 4 से 7 किमी प्रति घंटा होती है तथा मार्च–अप्रैल माह में हवा की मुख्य दिशा उत्तर–पश्चिम और मई में पूर्व की ओर होती है। शाम के समय उत्तर–पश्चिमी हवा गर्मी के दिनों में सबसे प्रमुख हवा होती है, हालांकि मई के महीने में पूर्वी हवा की आवृत्ति बढ़ जाती है।

अध्याय–2
महायोजना के पुनरीक्षण की आवश्यकता

2.1 महायोजना–2031 के संशोधन/कन्वर्जन/पुनरीक्षण की आवश्यकता

लखनऊ महायोजना–2021 की अवधि समाप्त होने के समीप थी अतः बढ़ें हुए ग्रामों को सम्मिलित करते हुए, लखनऊ महायोजना–2031 नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा तैयार की गयी, जिसे उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा 10 एवं 11 के अन्तर्गत आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या–1504(1)/8–3–16–308 विविध/2011, दिनांक 19 दिसम्बर 2016 द्वारा लखनऊ महायोजना–2031 को स्वीकृति प्रदान की गयी। लखनऊ विकास क्षेत्र की महायोजना–2031 लगभग 105125.40 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए तैयार की गयी, जिसमें 71220.39 हेक्टेयर क्षेत्र नगरीयकरण हेतु प्रस्तावित था।

वर्ष 2016 में महायोजना के प्रभावी होने के उपरांत शासन द्वारा एक गांव पपनामऊ विकास क्षेत्र में सम्मिलित किया गया। वर्ष 2016 में तैयार की गई महायोजना जी.आई.एस. आधारित नहीं थी। महायोजना–2031 की संरचना के समय एन.एच.ए.आई द्वारा उपलब्ध कराये गए वाह्य मुद्रिका मार्ग के संरेखण को प्रारूप महायोजना–2031 में दर्शाया गया था। परंतु कालांतर में एन.एच.ए.आई द्वारा दिये गये प्रारूप संरेखण एवं अधिग्रहण के उपरांत वास्तविक संरेखण में भिन्नता आ गयी, जिसके दृष्टिगत इस संरेखण को महायोजना में समाहित किया जाना अपरिहार्य हो गया। लखनऊ विकास प्राधिकरण की 162वीं बोर्ड बैठक दिनांक 30 दिसम्बर 2017 के कार्यवृत में राजकीय प्रोजेक्ट्स, टी.ओ.डी. जोन्स, वाह्य मुद्रिका मार्ग इत्यादि के प्रस्ताव को नियोजित करने के दृष्टिगत भारत सरकार की ''अटल मिशन फॉर रेजुवेनशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन'' (अमृत) योजनान्तर्गत जी.आई.एस. आधारित महायोजना तैयार करने हेतु लखनऊ महायोजना–2031 को परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया।

मानचित्र–3
लखनऊ विकास प्राधिकरण का वर्तमान विकास क्षेत्र

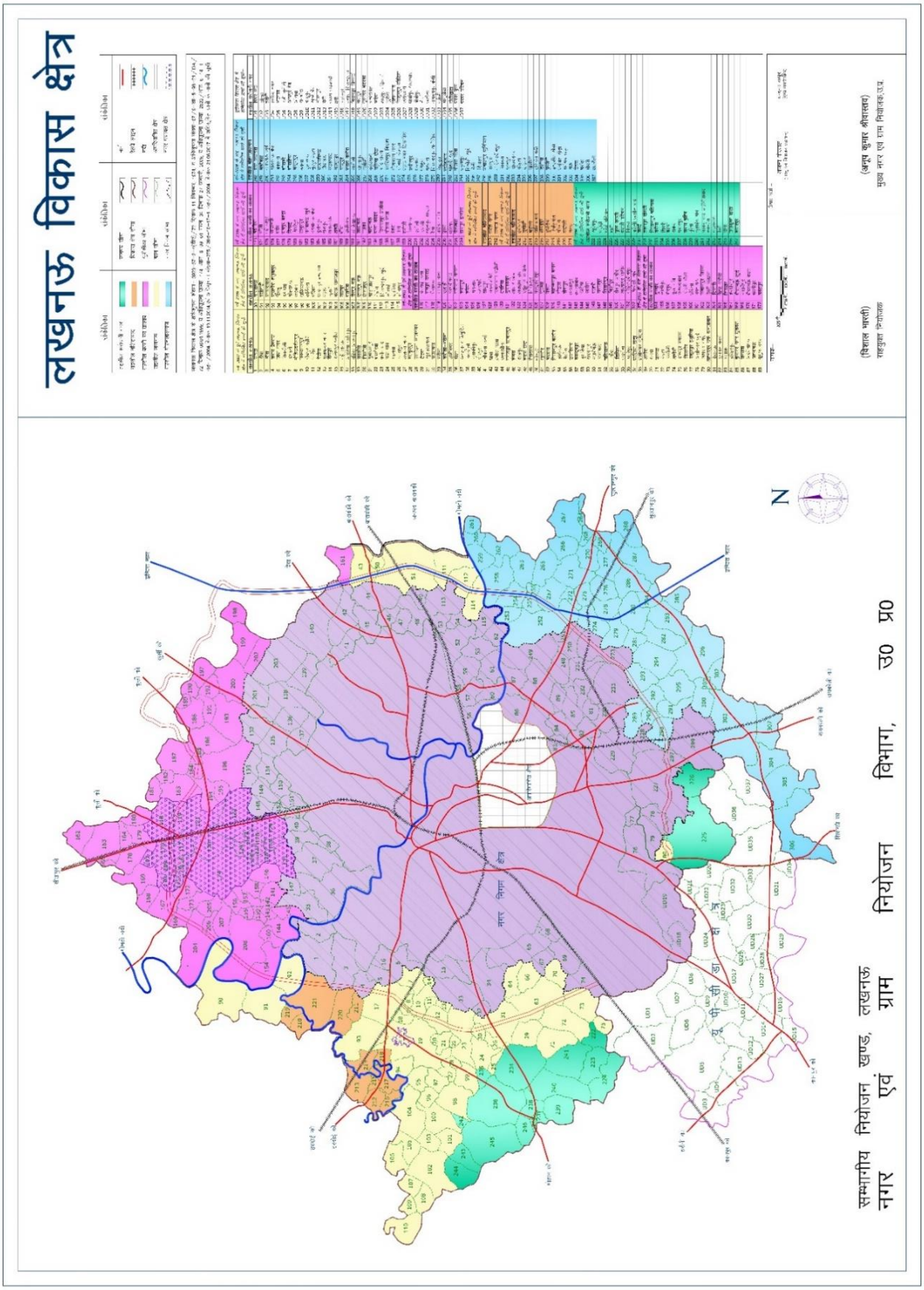

मानचित्र–4
लखनऊ विकास क्षेत्र के अन्तर्गत क्रियान्वित एवं प्रस्तावित प्रमुख योजनायें

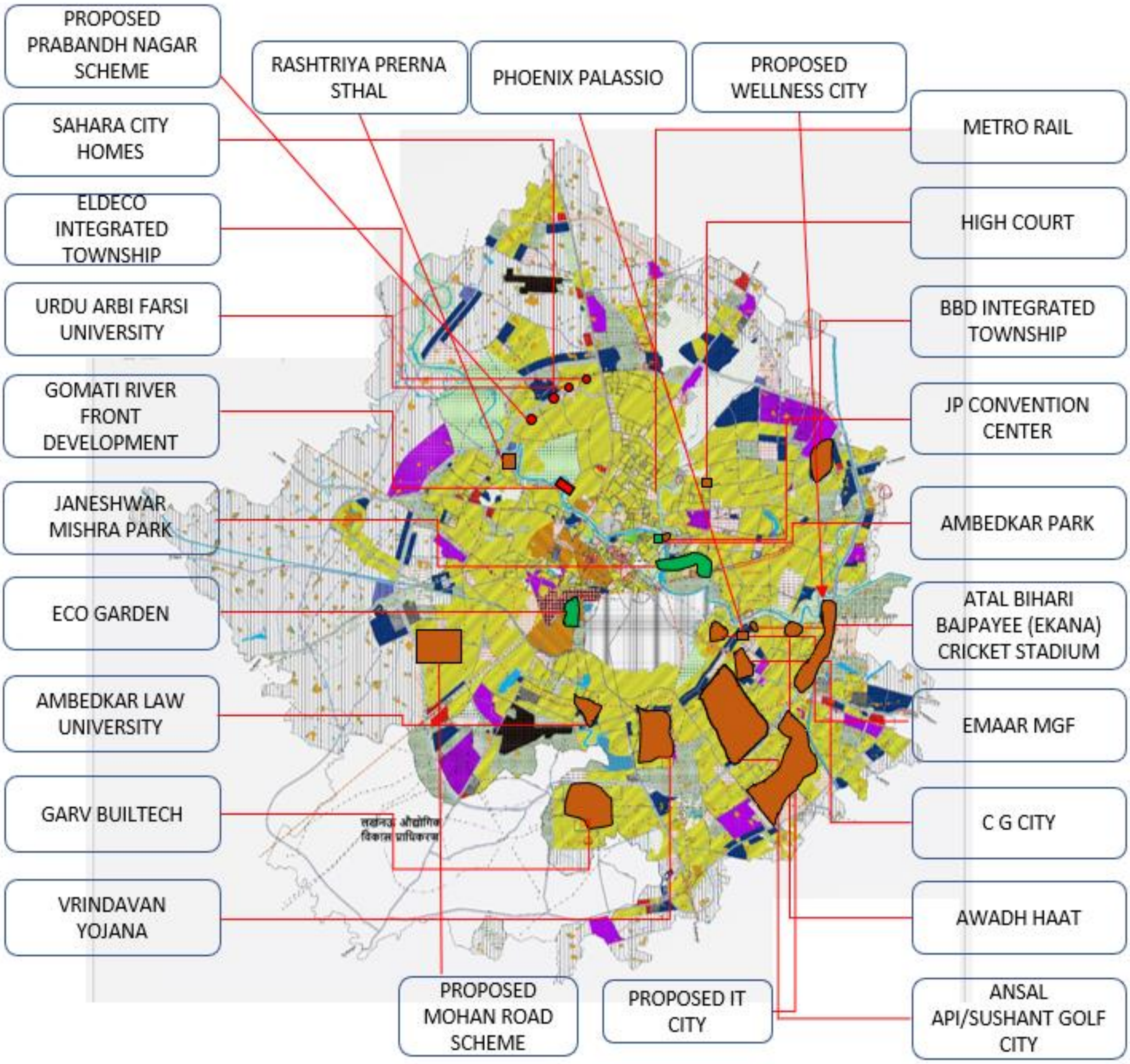

मानचित्र–5
लखनऊ विकास क्षेत्र के अन्तर्गत निर्मित एवं प्रस्तावित बाह्य मुद्रिका मार्ग

अध्याय–3
वर्तमान अध्ययन

3.1 जनसंख्या

लखनऊ नगर की जनसंख्या वर्ष 1901 में 2,56,239 थी जो वर्ष 2011 में बढ़कर 28,80,108 हो गई। पिछली शताब्दी के प्रारम्भिक दो दशकों में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही तथा उसके उपरान्त जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि होती रही है। दशक 1951–61 के मध्य वृद्धि दर 31.96 प्रतिशत थी जोकि अगले दो दशकों में घटकर 23.79 प्रतिशत रह गयी। वर्ष 1961 से 1981 के मध्य घटती हुई जनसंख्या वृद्धि दर नगरीय आर्थिक आधार की दुर्बलता को दर्शाती है। दशक 1981–91 के मध्य पुनः जनसंख्या वृद्धि दर में अप्रत्याशित वृद्धि (65.66 प्रतिशत) हुई जिसका मुख्य कारण नगरीय सीमा का विस्तार था। 1991–2001 के दशक में नगर समूह की जनसंख्या वृद्धि दर 34.53 प्रतिशत रही। 2001–2011 के दशक में नगर समूह की जनसंख्या वृद्धि दर 28.26 प्रतिशत रही।

तालिका–1
लखनऊ नगर समूह की जनसंख्या वृद्धि (1901–2011)

दशक वर्ष	लखनऊ नगर समूह			लखनऊ नगर निगम			लखनऊ छावनी		
	जनसंख्या	दशकान्तर	दशकान्तर %	जनसंख्या	दशकान्तर	दशकान्तर %	जनसंख्या	दशकान्तर	दशकान्तर %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1901	256239	–	–	256239	–	–	–	–	–
1911	252114	–4125	–1.61	252114	–4125	–1.61	–	–	–
1921	240566	–11548	–4.58	240566	–11548	–4.58	–	–	–
1931	274659	34093	14.17	251057	10531	4.38	23562	–	–
1941	387177	112518	40.97	361294	110197	43.89	25883	2321	9.85
1951	496861	109684	28.33	459484	98190	27.18	37377	11494	44.41
1961	655673	158812	31.96	615523	156039	33.96	40150	2773	70.42
1971	813982	158309	24.14	774644	159121	25.85	39338	–812	–2.02
1981	1007604	193622	23.79	947990	173346	22.38	59614	20276	51.54
1991	1669204	661600	65.66	1619116	671125	70.79	50089	–9525	–15.98
2001	2245509	576305	34.53	2185927	566811	35.00	59582	9493	18.95
2011	2880108	634599	28.26	2817105	631178	28.87	63003	3421	5.74

स्त्रोत : जनगणना पुस्तिका

3.2 लिंगानुपात

लखनऊ नगर समूह के अन्तर्गत वर्ष 2011 में जनसंख्या का लिंगानुपात 921 स्त्री प्रति हजार पुरूष है। 2001 में जनसंख्या का लिंगानुपात 888 स्त्री प्रति हजार पुरूष, वर्ष

1991 में यह लिंगानुपात 871 स्त्री प्रति हजार पुरूष तथा वर्ष 1981 में 832 स्त्री प्रति हजार पुरूष था। लखनऊ नगर समूह में इन दशक वर्षो में लिंगानुपात में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है।

3.3 साक्षरता दर

लखनऊ नगर समूह की साक्षरता दर दशक वर्ष 1981, 1991, 2001, एवं 2011 में क्रमशः 57.54 60.27, 67.60 एवं 71.43 प्रतिशत रही है। जो नगर में शिक्षित व्यक्तियों की संख्या में हो रही उत्तरोत्तर वृद्धि को इंगित करता है।

3.4 कार्यशील श्रमिकों का श्रेणीवार विवरण

(अ) प्राथमिक श्रेणी

लखनऊ नगर समूह के अन्तर्गत कार्यशील जनसंख्या का श्रेणीवार विभाजन (तालिका संख्या–2) यह सुस्पष्ट करता है। कि वर्ष 2001 में प्राथमिक श्रेणी में जहॉ भागीदारिता का प्रतिशत 2.1 था वह वर्ष 2011 में घटकर 1.65 हो गया है। जिससे स्पष्ट है कि नगरीकरण की प्रक्रिया में ही अधिक बढ़ोत्तरी हुयी है। इस आधार पर वर्ष 2021 एवं 2031 में इस श्रेणी के कार्यरत श्रमिकों का प्रतिशत क्रमशः 1.50 तथा 1.45 अनुमानित है।

(ब) द्वितीयक श्रेणी

वर्ष 2001 में लखनऊ नगर समूह के अन्तर्गत द्वितीयक श्रेणी की भागीदारिता की प्रतिशत 18 था जोकि वर्ष 2011 में बढ़कर 18.35 प्रतिशत हो गया। पिछले एक दशक में नगर में कोई उद्योग स्थापित नहीं हुआ है तथा कुछ एक औद्योगिक इकाईयां बन्द भी हुई है। नगर एवं इसके आस–पास हाईटेक सिटी की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। उ0प्र0 सरकार की बहुप्रतिष्ठित आई0टी0सिटी योजना सुल्तानपुर रोड पर प्रस्तावित है जिसके आधार पर वर्ष 2021 में इस श्रेणी में भागीदारिता 19 प्रतिशत, वर्ष 2031 में श्रमिकों की भागीदारिता लगभग 20 प्रतिशत अनुमानित किया गया है।

(स) तृतीयक श्रेणी

वर्ष 2001 में तृतीयक श्रेणी में कार्यरत श्रमिकों की भागीदारिता का प्रतिशत 79.90 था जो कि वर्ष 2011 में बढ़कर 80.0 प्रतिशत हो गया। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की

अत्यधिक कमी से व्यक्तियों का जीविका हेतु नगर की ओर पलायन हुआ। नगर का व्यापक आधार चूँकि प्रशासनिक एवं व्यवसायिक क्रिया–कलापों पर ही अधिक आधारित है। अतः रोजगार के अवसर भी इन्हीं सेवाओं में ही लोगों को उपलब्ध होंगे। वर्ष 2011 में तृतीयक श्रेणी में कार्यरत श्रमिकों का प्रतिशत 80.00 है। इसी आधार पर वर्ष 2021 में तृतीयक श्रेणी में कार्यरत श्रमिकों का प्रतिशत 79.50 प्रक्षेपित किया गया है। जिसे वर्ष 2031 में 78.55 प्रतिशत का अनुमान किया गया है।

तालिका–2

लखनऊ नगर समूह की श्रेणीवार श्रमिक संख्या का दशकवार विवरण वर्ष 2001–2031

		2001		2011		2021		2031	
क्रम. संख्या	श्रेणी	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	प्राथमिक श्रेणी	12783	2.10	16016	1.65	22950	1.50	25685	1.45
2	द्वितीयक श्रेणी	111180	18.00	178113	18.35	290700	19.00	354274	20.00
3	तृतीयक श्रेणी	493701	79.90	776515	80.00	1216350	79.50	1391412	78.55
योग		**617664**	**100.00**	**970644**	**100.00**	**1530000**	**100.00**	**227500**	**100.00**

स्त्रोतः जनगणना पुस्तिका

3.5 आर्थिक आधार

किसी नगर का आर्थिक आधार उसकी विविध क्रियाओं की उत्पादन क्षमता एवं उसके समीपवर्ती क्षेत्र के स्वरूप आदि पर निर्भर करता है। नगर की आर्थिक क्रियाओं में किसी प्रकार की वृद्धि, कमी या संरचना में परिवर्तन प्रत्यक्ष रूप से नगर के विकास को प्रभावित करते हैं। लखनऊ नगर समूह तहसील, जनपद एवं संभाग का मुख्यालय होने के साथ ही भारत के एक बड़े प्रदेश की राजधानी है, जिसके परिणामस्वरूप यह प्रमुख प्रशासनिक एवं व्यवसायिक केन्द्र है। विकास के आधार स्तम्भ के रूप में मानी जानी वाली आर्थिक क्रियाओं, सेवा केन्द्र, व्यापार एवं वाणिज्य में उत्तरोत्तर वृद्धि स्पष्ट परिलक्षित है।

3.5.1 भागीदारिता दर

नगर के आर्थिक आधार के निर्धारण में प्रयुक्त मानदण्डों में कुल नगरीय जनसंख्या में श्रमिकों की भागीदारिता का प्रतिशत एवं कुल श्रमिकों में द्वितीयक एवं तृतीयक श्रेणी में कार्यरत श्रमिकों का प्रतिशत अत्यन्त महत्वपूर्ण है। श्रमिकों की भागीदारिता के दशकवार आँकडे तालिका संख्या–3 में दर्शाये गये है। वर्ष 2001 में श्रमिक भागीदारिता प्रतिशत 27.51 था एवं वर्ष 2011 में श्रमिक भागीदारिता का प्रतिशत बढकर 33.70 हो गया। इसी वृद्धि के प्रतिशत दर की बढ़ोत्तरी की दृष्टिगत रखते हुए श्रमिक भागीदारिता वर्ष 2021 में 34.00 प्रतिशत एवं वर्ष 2031 में बढकर 35.00 प्रतिशत अनुमानित की गयी है।

तालिका–3

लखनऊ नगर समूह की श्रमिक संख्या का दशकवार विवरण वर्ष 2001–2031

		2001		2011		2021		2031	
क्रम. संख्या	श्रेणी	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	श्रमिक	617664	27.51	970644	33.70	1530000	34.00	2275000	35.00
2	अश्रमिक	1627845	72.49	1909464	66.30	2970000	66.00	4225000	65.00
3	जनसंख्या	2245509	100.00	2880108	100.00	4500000	100.00	6500000	100.00

स्त्रोत : जनगणना पुस्तिका

3.6 भौतिक अवसंरचना

3.6.1 जलापूर्ति

वर्ष 1884 में लखनऊ नगर पालिका परिषद के गठन के फलस्वरूप वर्ष 1892 में पाइप लाईन द्वारा लगभग 2.0 लाख नगर निवासियों के लिए जलापूर्ति की व्यवस्था अस्तित्व में आयी। यह व्यवस्था गोमती नदी के तट पर गऊघाट पम्पिंग स्टेशन का निर्माण एवं जलशोधन हेतु ऐशबाग प्लान्ट का निर्माण करके की गयी थी। जिसके द्वारा गोमती नदी के जल का शोधन कर शुद्ध जलापूर्ति की जा रही थी। बढ़ती हुई जनसंख्या के दबाव तथा मांग एवं आपूर्ति के बढ़ते अन्तर के अनुसार नगर की जलापूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु शारदा सहायक कैनाल के अतिरिक्त ऐशबाग एवं बालागंज वाटर वर्क्स के माध्यम से 500MLD जलापूर्ति की व्यवस्था की गई इसके अतिरिक्त नगर में बढ़ती हुई मांग के सापेक्ष नगर की जलापूर्ति हेतु ट्यूबेल्स एवं हैण्डपम्पस् की संख्या भी बढ़ती गई। वर्तमान में नगर में कुल 605 ट्यूबेल्स एवं 9964 हैण्डपम्पस् के माध्यम से नगर की जलापूर्ति व्यवस्था संचालित है।

लखनऊ नगर में जल वितरण व्यवस्था पी0बी0सी0 पाइप लाईन लम्बाई 2748 कि.मी. 80 MM से 1300 MM पाईप लाईन के माध्यम से नगर के लगभग 90 प्रतिशत क्षेत्र को जलापूर्ति की जा रही है। वर्ष 2014 हेतु प्रक्षेपित जनसंख्या के लिए नगर की 600 MLD मांग (150 ली0 प्रति व्यक्ति प्रति दिन) के सापेक्ष 610 MLD जलापूर्ति की क्षमता उपलब्ध है। नगर की लगभग 60 प्रतिशत जनंसख्या सर्फेस वाटर एवं शेष 40 प्रतिशत जनसंख्या भूतल जल का उपयोग कर रही है अर्थात नगर के 110 वार्डो में से 41 वार्डो की जलापूर्ति भूतल जल से तथा शेष 69 वार्डो की जलापूर्ति भूतल एवं सर्फेस जल से की जा रही है। जल–कल विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार नगर में कुल 3,15473 जल कनेक्शन है जिसमें से 3,05,309 कनेक्शन घरेलू एवं शेष अन्य कनेक्शन है। जिसमें से लगभग 59 प्रतिशत घरेलू कनेक्शन नगरीय क्षेत्र में है।

3.6.2 सीवरेज एवं स्वच्छता

3.6.2.1 लखनऊ नगर की सीवरेज एवं स्वच्छता की वर्तमान स्थिति

किसी भी नगर का सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास उस नगर की सीवरेज व्यवस्था एवं स्वच्छता से परिलक्षित होता है। लखनऊ नगर हेतु सीवर की व्यवस्था वर्ष 1918 में सीमित क्षेत्र के लिए आरम्भ की गई थी जिसे वर्ष 1948–49 में विस्तारित करते हुए ड्रेनेज सहित लगभग 7.0 लाख जनसंख्या हेतु सीवर एवं ड्रेनेज की व्यवस्था की गई। वर्ष 1960–61 में नगर के भारी बाढ़ की चपेट में आ जाने के कारण नगर की सीवर एवं ड्रेनेज व्यवस्था क्षतिग्रस्त हो गई, फलस्वरूप बाढ़ नियंत्रण के सभी सम्भव प्रयास करते हुए प्रभावित क्षेत्र में पंम्पिग स्टेशन के निर्माण कराये गये।

3.6.2.2 नगर का वर्तमान सीवरेज ढांचाः–

लखनऊ नगर में 1174 कि.मी. की सीवर पाइप लाइन वर्तमान में बिछाई गयी है। अधिकांश पाइप लाइन डिस्ट्रिक्ट 1 एवं 3 का क्षेत्र एवं आंशिक भाग डिस्ट्रिक्ट 2 एवं 4 का क्षेत्र आच्छादित कर रही है। नगर का लगभग 45 प्रतिशत क्षेत्र सीवेज नेटवर्क से जुडा हुआ है। शेष भाग सर्विस सिस्टम सेप्टिक टैंक/सोकपिट से जुडा हुआ है। नगर का सीवर मुख्यतयः नगर के नालों एवं नदी पर बने ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के माध्यम से अथवा सीधे निस्तारित होता है। नगर के सीवरेज एवं ड्रेनेज सिस्टम को सुदृढ़ किये जाने हेतु एक वृहत् योजना

वर्ष 2021 तक की अनुमानित जनसंख्या के दृष्टिगत नगर निगम द्वारा तैयार की गई। जिसके अन्तर्गत सम्पूर्ण नगर को 4 डिस्ट्रिक्ट में बांट कर सीवर सिस्टम की प्रभावी व्यवस्था की गई।

(क) डिस्ट्रिक्टः–1

डिस्ट्रिक्ट–1 में नगर के चौक, हरदोई, कैम्पबेल रोड एवं दुबग्गा क्षेत्र को सम्मिलित कर वर्तमान सीवर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट दौलतगंज कुल क्षमता 56 MLD से जोडकर लगभग 2,81,158 नगरीय जनसंख्या को सुविधा उपलब्ध करायी गई है

(ख) डिस्ट्रिक्टः–2

डिस्ट्रिक्ट–2 के अन्तर्गत नगर के अमौसी क्षेत्र एवं सरोजनी नगर क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए 63 MLD क्षमता का एक सीवर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट लगभग 3,67,501 नगरी जनसंख्या हेतु बिजनौर में प्रस्तावित किया गया है।

(ग) डिस्ट्रिक्टः–3

डिस्ट्रिक्ट–3 के अन्तर्गत नगर के वृहत क्षेत्र ट्रान्स गोमती में निवास कर रही एवं भावी जनसंख्या को 345 MLD क्षमता के एक सीवर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट भरवारा से जोड़कर सुविधा उपलब्ध करायी गयी है।

(घ) डिस्ट्रिक्टः–4

डिस्ट्रिक्ट–4 के अन्तर्गत नगर के सी0आई0ए0 गोमती साइड में अनुमानित लगभग 11,33,385 जनसंख्या के दृष्टिगत एक वृहत सीवर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट को मस्तेमऊ में प्रस्तावित है जो क्षेत्र की वर्तमान एवं भावी जनसंख्या को सीवरेज सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सक्षम होगा।

3.6.3 जलमल निस्तारण

लखनऊ नगर में लगभग 90 प्रतिशत पक्के भवनों तथा लगभग 80 प्रतिशत मलिन बस्ती क्षेत्र के भवनों में निजी शौचालयों की सुविधा उपलब्ध है जिसके अन्तर्गत सेप्टिक टैंक

पिट्स एवं अस्थायी मल निस्तारण की सुविधा भी सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त सुलभ इण्टर नेशनल, नेडा, डूडा एवं लखनऊ नगर निगम द्वारा संचालित लगभग 207 सुलभ शौचालय (2656 सीट्स की कुल क्षमता) नगर के विभिन्न भागों में स्थित एवं नगर निवासियों को शौचालय की सुविधा प्रदान कर रहे है। नगर की लगभग 7 से 10 प्रतिशत जनता जिनके पास निजी शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है वे खुले क्षेत्रों एवं नगर के मध्य स्थित नालों तालाबों तथा रेलवे पटरी के किनारे स्थित रिक्त भूमि पर शौच क्रिया करते है। यह प्रक्रिया आस–पास निवास कर रहे नगर निवासियों के लिए वातावरण प्रदूषित करती है, जिसका सीधा कुप्रभाव नगर निवासियों के स्वास्थ्य पर पड़ता है।

नगर निवासी जिनके पास निजी शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है तथा असंगठित क्षेत्र (इन्फार्मल सेक्टर) के श्रमिकों जिनकी संख्या लगभग 3.0 लाख है, को शौचालय की सुविधा सुलभ शौचालय एवं पे एण्ड यूज शौचालयों की सुविधा बढ़ाकर उपलब्ध कराये जाने पर ही नगर की सफाई व्यवस्था एवं स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित किया जा सकता है।

3.6.4 ठोस अपशिष्टों का निस्तारण

3.6.4.1 लखनऊ नगर की ठोस अपशिष्टों की वर्तमान निस्तारण व्यवस्था

लखनऊ नगर में कूड़ा कचरा उत्पन्न करने वाले प्रमुख क्षेत्र आवासीय, व्यवसायिक, औद्योगिक के अतिरिक्त चिकित्सालयों एवं नर्सिंग होम्स द्वारा भी भारी मात्रा में कूडा कचरा उत्पन्न होता है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है इन इकाइयों द्वारा उत्पन्न होने वाले कूडे–कचरे एवं अन्य ठोस अपशिष्टों के एकत्रीकरण एवं उनके निस्तारण की उपयुक्त व्यवस्था न होने के कारण इनका निस्तारण नगर के मध्य स्थित नदीयों, नालों, तालाबों एवं नगर के प्रमुख मार्गो पर ढ़ेर लगाकर किया जाता है।

लखनऊ नगर समूह में वर्तमान में लगभग 1365 टन अपशिष्ट प्रतिदिन उत्पन्न होता है जिसके निस्तारण की उपयुक्त व्यवस्था न होने से नगर के आन्तरिक मार्गो के मार्गाधिकार अथवा उससे लगी हुई भूमि पर आवासीय क्षेत्रों में कूडा एकत्रित किया जाता है जिसका ढ़ेर लम्बी अवधि तक मार्गाधिकार में लगे रहने से जहॉ एक ओर यातायात का सुगम प्रवाह बाधित होता है वहीं दूसरी ओर कूड़े की सड़न से उत्पन्न दुर्गन्ध आस–पास के घनी आबादी वाले क्षेत्रों के वातावरण को प्रदूषित करती है जिसका सीधा प्रभाव वहॉ पर निवास कर रहे

नगर निवासियों के स्वास्थ्य पर पड़ता है परिणाम स्वरूप नगर की बहुत बड़ी जनसंख्या भयंकर बीमारी एवं महामारी की चपेट में आ जाती है।

नगर के 110 वार्डो में से 57 वार्डो में सर्वाधिक अपशिष्ट उत्पन्न होता है। जिसका एकत्रीकरण प्राईवेट संस्था तथा शेष वार्डो का एकत्रीकरण नगर निकाय के सफाई कर्मियों द्वारा किया जाता है। नगर में लगभग 200 छोटे बड़े चिकित्सालय, 200 नर्सिंग होम्स, 344 चिकित्सा केन्द्र, 33 पैथोलॉजी, 93 दन्त चिकित्सा केन्द्र नगर निगम में पंजीकृत है। इनके द्वारा उत्पन्न जैव अपशिष्ट के निस्तारण हेतु उपयुक्त व्यवस्था न होने के कारण नगर के वातावरण को प्रदूषित करने में इन इकाइयों का महत्त्वपूर्ण योगदान है।

अध्याय–4
पर्यावरण रूपरेखा

4.1 आपदा प्रबंधन

जनसंख्या वृद्धि के साथ–साथ विभिन्न स्तर की आबादी क्षेत्रों में घनत्व दिन–प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जनसंख्या घनत्व के बढ़ने के फलस्वरूप विभिन्न आपदाओं के समय जन एवं धन की हानि की सम्भावना भी अत्याधिक है। नगरीय विकास के स्वरूप की भूमिका भी विभिन्न आपदाओं के समय जन/धन की हानि को कम/अधिक होने में महत्वपूर्ण होती है।

4.1.1 प्राकृतिक आपदायें

विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं में लखनऊ नगर एवं इसके आसपास के क्षेत्र मुख्यतः बाढ़ एवं भूकम्प की सम्भावनाओं से युक्त है। इनके अतिरिक्त नगर में धीरे–धीरे भू–गर्भीय जल का गिरता हुआ स्तर भी प्राकृतिक आपदा का रूप ग्रहण करता जा रहा है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञों के दल द्वारा प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश जारी किये गये है, जिनका प्राविधान महायोजना प्रस्तावों/जोंनिग रेगुलेशन्स में किया जाना आवश्यक है।

गोमती नदी लखनऊ नगर के लगभग मध्य से (उत्तर–पश्चिम से दक्षिण– पूर्व) बहती है। नदी के आसपास के क्षेत्र अपेक्षाकृत निचले स्तर के एवं बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। नगरीय विस्तार के फलस्वरूप इन निचले क्षेत्रों में भी नगर के विकसित क्षेत्रों के नजदीक होने के कारण नगरीय विकास की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इन क्षेत्रों में यदि विकास किया जाता है तो एक ओर तो इन क्षेत्रों में विकास एवं इसके उपरान्त रख–रखाव की लागत अन्य उपयुक्त क्षेत्रों की अपेक्षा काफी अधिक होगी तथा दूसरी ओर बाढ़ आने पर अत्यधिक जन एवं धन की हानि होने की सम्भावना सदैव बनी रहेगी। यद्यपि बांध आदि के निर्माण से काफी सीमा तक बाढ़ पर नियंत्रण किया जा सकता है किन्तु यह इसका स्थायी समाधान नहीं हो सकता है।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा गठित राष्ट्रीय आपदा–प्रबंधन प्रकोष्ठ द्वारा ऐसे क्षेत्र में जिनमें बाढ़ की संभावनांए रहती है। पर विकास के सम्बन्ध में निम्न संस्तुतियां की गयी है:–

(अ) प्राथमिकता–प्रथम

सुरक्षा संबंधी अधिष्ठान, औद्योगिक इकाईयां, सार्वजनिक उपयोगिताओं/सेवाओं के भवन जैसे–अस्पताल, विद्युत स्टेशन, जलापूर्ति केन्द्र, टेलीफोन एक्सचेन्ज, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, व्यवसायिक केन्द्र, लाइब्रेरी एवं अन्य आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अधिष्ठान।

उपरोक्त उपयोगों को पिछले 100 वर्ष एवं 50 वर्ष के बाढ़ के उच्चतम स्तर से उच्च स्तर वाले क्षेत्रों में ही अनुमन्य किया जाये।

(ब) प्राथमिकता–द्वितीय

सार्वजनिक/अर्द्व–सार्वजनिक उपयोगिताओं के भवन, राजकीय कार्यालय एवं आवासीय विकास। उपरोक्त उपयोगों को पिछले 25 वर्ष के उच्चतम स्तर के बाढ़ के स्तर से उच्च स्तर वाले क्षेत्रों में ही अनुमन्य किया जाये।

(स) प्राथमिकता–तृतीय

तृतीय प्राथमिकता के उपयोग जिनमें पार्क, क्रीड़ा स्थल, जंगल, बगीचे, हरित पट्टियॉ तथा खुले/मनोरंजनात्मक स्थल है, को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भी अनुमन्य किया जा सकता है।

उपरोक्त संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में लखनऊ नगर में बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा दी गयी सूचनानुसार पिछले 50 वर्ष में गऊघाट स्टेशन पर बाढ़ का अधिकतम स्तर वर्ष 1960 में 113.01 मी0 एवं वर्ष 1971 में 112.49 मी0 रहा है जबकि हनुमान सेतु स्टेशन पर पिछले 25 वर्षो में वर्ष 1971 में 110.850 मी0 व वर्ष 1980 में 109.305 मीटर रहा है। अतः गऊधाट के आसपास क्षेत्रों में 113.01 मीटर एवं हनुमान सेतु/गोमती बैराज के आसपास के क्षेत्रों में शेष बचे खुले क्षेत्रों में 110.85 मीटर के स्तर से ऊँचे स्तर वाले क्षेत्रों को ही नगरीय उपयोग में लाया जाना उचित होगा। इन उल्लिखित स्तरों से निम्न स्तर के क्षेत्रों को तृतीय प्राथमिकता वाले उपयोगों में ही लिया जाना उचित होगा, चाहे उन्हें महायोजना में अन्यत्र प्रस्तावित किया गया है। महायोजना–2021 में कुछ ऐसे निचले क्षेत्रों को प्राधिकरण की भावी योजनाओं हेतु प्रस्तावित अधिग्रहण वाले क्षेत्रों को ही (बाढ़ नियंत्रण हेतु प्रभावी कार्यवाही के प्रस्ताव के साथ) समायोजित किया गया है, जिसमें मुख्यतः भारतीय प्रबंधन संस्थान के आसपास का

क्षेत्र एवं सुल्तानपुर मार्ग तथा गोमतीनगर योजना के मध्य का क्षेत्र सम्मिलित है। इन क्षेत्रों में विकास बाढ़ नियंत्रण के सम्बन्ध में आवश्यक उपाय सुनिश्चित होने के उपरान्त ही अनुमन्य होंगे जिससे जन–धन की हानि की संभावना न हो।

4.2 अन्य आपदायें

प्राकृतिक आपदाओं के अतिरिक्त नगर के सघन क्षेत्रों में अन्य प्रकार की आपदाओं की सम्भावना भी सघनता के फलस्वरूप बनी रहती है, जैसे आग आदि की दुर्घटना संवेदनशील क्षेत्रों में अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा आदि। भवन उपविधियों में भवनों के डिजाइन के सम्बन्ध में प्राविधान होते है जिससे आग लगने की स्थिति में होने वाली हानि को कम से कम किया जा सके। लखनऊ नगर प्रदेश की राजधानी होने के फलस्वरूप यहां पर अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना भी अतिमहत्वपूर्ण है। अतः इस प्रकार के संवेदनशील क्षेत्रों यथा राजभवन, विधानसभा एवं मुख्यमंत्री आवास, उच्च न्यायालय के आस–पास के विकास को अति नियंत्रित किया जाना आवश्यक है। इसलिए महायोजना में इस सम्बन्ध में प्राविधान आवश्यक है।

अध्याय–5
वर्तमान भू–उपयोग एवं प्रभावी महायोजना का तुलनात्मक अध्ययन

5.1 वर्तमान भू–उपयोग

लखनऊ नगर समूह (छावनी क्षेत्र को छोड़कर) वर्ष 1987 में 9170 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था जो कि 2004–05 में बढ़कर 16270 हेक्टेयर में विस्तारित हुआ। स्पष्ट है कि इस अवधि में नगर का सर्वाधिक विकास हुआ है। 176 ग्रामों को विकास क्षेत्र में सम्मिलित करने पर वर्ष 2021 में विभिन्न भू–उपयोगों के अन्तर्गत 31110.23 हेक्टेयर भूमि प्रयुक्त हुई। वर्ष 1987 एवं वर्ष 2004–05 में विभिन्न भू–उपयोगों के अन्तर्गत प्रयुक्त भूमि का विवरण तालिका संख्या–4, वर्ष 2010–11 में प्रयुक्त नगरीय भूमि का विवरण तालिका संख्या–5 तथा वर्ष 2021 में नगरीय भूमि का विवरण तालिका संख्या–6 में दर्शाया गया है।

तालिका–4
लखनऊ नगर का वर्तमान भू–उपयोग वर्ष 1987 एवं 2004–05 (क्षेत्रफल हेक्टेयर में)

क्र.सं.	भू–उपयोग	वर्ष 1987		वर्ष 2004–05		प्रतिशत वृद्धि
		क्षेत्रफल	प्रतिशत	क्षेत्रफल	प्रतिशत	
1	आवासीय	4485.98	48.90	8945.00	55.00	99.4
2	वाणिज्यिक	223.77	2.40	360.00	2.20	60.90
3	कार्यालय	474.69	5.20	560.00	3.40	18.00
4	औद्योगिक	596.22	6.50	990.00	6.10	66.00
5	मनोरंजनात्मक (पार्क एवं क्रीड़ा स्थल)	346.48	3.80	435.00	2.70	25.5
6	सामुदायिक सुविधायें एवं सेवायें/उपयोगितायें	902.02	9.80	1410.00	8.70	56.32
7	यातायात	952.00	10.40	1240.00	7.60	30.25
8	नदी/नाला/जलाशय	193.66	2.10	310.00	1.90	–
9	खुले स्थल	996.14	10.90	2020.00	12.40	–
	योग	**9170.00**	**100.00**	**16270.00**	**100.00**	–

तालिका–5
लखनऊ विकास क्षेत्र महायोजना–2031 वर्तमान भू–उपयोग (2010–11)

क्र.सं.	भू–उपयोग	लखनऊ विकास क्षेत्र यू.पी.एस.आई.डी.ए क्षेत्र को छोडकर	लखनऊ विकास क्षेत्र नगरीय क्षेत्र	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	आवासीय	10271.68	10278.68	41.99
2	वाणिज्यिक	623.14	623.14	2.55
3	औद्योगिक	940.57	940.57	3.84
4	कार्यालय	888.76	888.76	3.63
5	सामुदायिक सुविधाएं, सेवायें एवं उपयोगितायें	2137.26	2137.26	8.72
6	मनोरंजनात्मक (पार्क एवं खुले स्थल)	14672.75	997.71	4.08
7	यातायात / परिवहन	7842.74	7842.74	32.04
8	नदी / नाला / जलाशय / नहर	2255.32	578.64	2.36
9	अन्य	194.07	194.07	0.79
10	कृषि / बाग / वन / झाड़िया	76379.06	–	–
11	अपरिभाषित क्षेत्र	2595.09	–	–
	योग	**105125.40**	**24481.57**	**100**

तालिका–6
जी.आई.एस आधारित लखनऊ महायोजना–2031 वर्तमान भू–उपयोग (2021)

क्र.सं.	भू–उपयोग	क्षेत्रफल	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)
1	आवासीय	13660.27	43.91
2	वाणिज्यिक	924.68	2.97
3	औद्योगिक	1098.46	3.53
4	कार्यालय	910.40	2.93
5	सामुदायिक सुविधाएं, सेवायें एवं उपयोगितायें	2248.56	7.23
6	मनोरंजनात्मक (पार्क एवं खुले स्थल)	1384.87	4.45
7	यातायात / परिवहन	6875.20	22.10
8	नदी / नाला / जलाशय / नहर	3116.84	10.02
9	अन्य	890.95	2.86
	योग	**31110.23**	**100**
	कृषि / बाग / वन / झाड़िया	74019.13	
	अपरिभाषित क्षेत्र	2566.68	
	योग	**107696.04**	

5.1.1 आवासीय उपयोग

जैसा कि तालिका संख्या:–4 में दर्शाया गया है लखनऊ नगर में आवासीय उपयोग के अन्तर्गत वर्ष 2004–05 में 8945 हेक्टेयर भूमि प्रयुक्त थी। लखनऊ विकास क्षेत्र में (176 ग्राम) सम्मिलित किये जाने पर वर्ष 2021 में आवासीय उपयोग के अन्तर्गत कुल

13660.27 हे0 भूमि आच्छादित है जो कि कुल नगरीय विकसित क्षेत्र का 43.91 प्रतिशत है। आवासीय उपयोग के अन्तर्गत वृद्धि पिछले 15 वर्षो में सर्वाधिक रही है।

आवासीय उपयोग में वृद्धि का मुख्य कारण लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् द्वारा विकसित की गई कॉलोनियों के अतिरिक्त निजी सेक्टर में किया गया निर्माण/विकास है।

हाइटेक–इण्टीग्रेटेड आवासीय प्रतिरूप।

5.1.2 वाणिज्यिक उपयोग

नगर में हजरतगंज, अमीनाबाद एवं चौक क्षेत्र पुराने व्यवसायिक क्षेत्र हैं। इनके अतिरिक्त याहियागंज, फतेहगंज, सआदतगंज आदि थोक व्यापार के केन्द्र हैं। नव विकसित क्षेत्रों में भी अनेकों व्यवसायिक केन्द्र यथाः– कपूरथला, निशातगंज, गोल मार्केट, इन्दिरानगर व गोमती नगर भी विकसित हो रहे है। नवविकसित क्षेत्रों में व्यवसायिक केन्द्रों के विकास की गति धीमी होने के फलस्वरूप व्यवसायिक गतिविधियॉ अनियोजित ढंग से आवासीय क्षेत्रों में मार्गो के किनारे फैल रही है।

वर्ष 2004–05 में वाणिज्यिक उपयोग के अन्तर्गत लगभग 360 हेक्टेयर भूमि प्रयुक्त थी। लखनऊ विकास क्षेत्र के 176 ग्रामों के सम्मिलित किये जाने से वाणिज्यिक उपयोग के

अन्तर्गत कुल 924.68 हे0 भूमि आच्छादित है जो कुल नगरीय विकसित क्षेत्र का 2.97 प्रतिशत है।

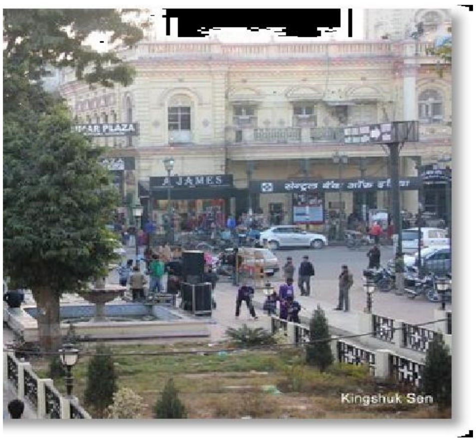

पारम्परिक व्यापारिक क्षेत्रों एवं आधुनिक व्यापारिक स्थलों का सह–अस्तित्व।

फीनिक्स मॉल

5.1.3 कार्यालय

कार्यालय उपयोग के अन्तर्गत वर्ष 2004–05 में लगभग 560 हेक्टेयर क्षेत्र था। लखनऊ विकास क्षेत्र में (176 ग्राम) सम्मिलित किये जाने पर कार्यालय उपयोग के अन्तर्गत कुल 910.40 हेक्टेयर भूमि आच्छादित है जो कुल नगरीय विकसित क्षेत्र का 2.93 प्रतिशत है। नगर के प्रमुख कार्यालय क्षेत्र मुख्यतः विधानसभा मार्ग एवं कैसरबाग क्षेत्रों में केन्द्रित है। वर्तमान में नवविकसित क्षेत्रों के वाणिज्यिक क्षेत्रों में भी कार्यालय उपयोग का प्राविधान होने के फलस्वरूप अनेक कार्यालय नये वाणिज्यिक क्षेत्रों में स्थापित हो रहे है। इनके अतिरिक्त नगर के आवासीय क्षेत्रों में भी कार्यालय स्थापित है। जिसका प्रतिकूल प्रभाव आवासीय क्षेत्रों पर पड़ रहा है।

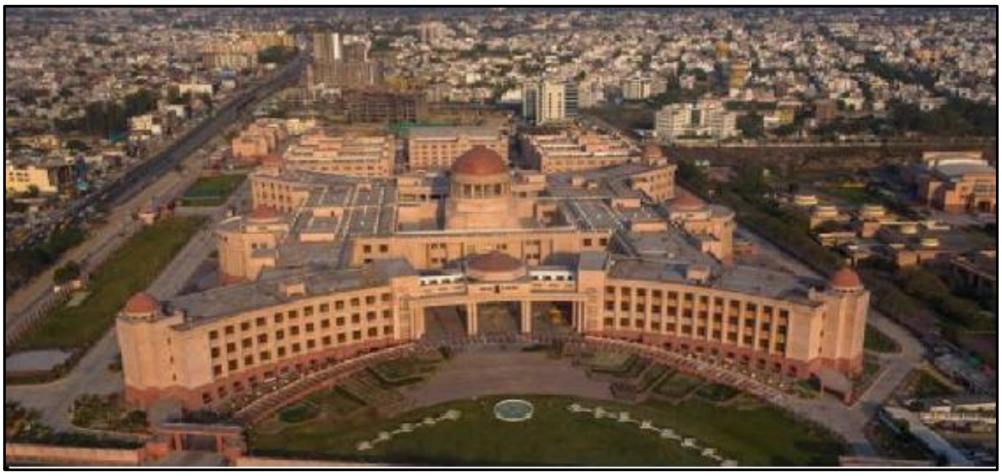

अयोध्या मार्ग पर स्थित नवीन उच्च न्यायालय

5.1.4 औद्योगिक उपयोग

लखनऊ नगर यद्यपि गृह एवं कुटीर उद्योगों के लिये प्रसिद्ध रहा है किन्तु यह नगर अन्य हल्के एवं वृहद् उद्योगों को आकर्षित करने में असफल रहा है। नगर में कानपुर मार्ग पर अमौसी एवं सरोजनीनगर, नगर के आंतरिक क्षेत्र ऐशबाग एवं देवा मार्ग पर औद्योगिक स्थान विकसित हुए है। कुछ औद्योगिक इकाईयॉ मुख्यतः आरा मशीनें नगर के घने बसे क्षेत्रों में स्थित है। औद्योगिक उपयोग के अन्तर्गत वर्ष 1987 में 596.22 हेक्टेयर एवं वर्ष 2004–05 में लगभग 990 हेक्टेयर भूमि प्रयुक्त थी। लखनऊ विकास क्षेत्र में (176 ग्राम) सम्मिलित किये जाने पर वर्ष 2021 में औद्योगिक क्षेत्र के अर्न्तगत कुल 1098.46 हेक्टेयर भूमि आच्छादित है जो कि कुल नगरीय विकसित क्षेत्र का 3.53 प्रतिशत है।

वर्ष 1987 एवं वर्ष 2004–05 के मध्य औद्योगिक उपयोग के अन्तर्गत वृद्धि अपेक्षाकृत अधिक प्रतीत होती है। जिसका मुख्य कारण देवा मार्ग पर स्थित औद्योगिक क्षेत्र को वर्ष 2004–05 में लखनऊ विकास क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया जाना है।

5.1.5 सामुदायिक सुविधायें/उपयोगितायें एवं सेवायें

इस उपयोग के अन्तर्गत वर्ष 2004–05 में लगभग 1410 हेक्टेयर क्षेत्र आच्छादित था जो कि विकसित क्षेत्र का 8.70 प्रतिशत था। लखनऊ विकास क्षेत्र में (176 ग्राम) सम्मिलित किये जाने पर वर्ष 2021 में सामुदायिक सुविधाऐं/उपयोगिताएं एवं सेवाओं भू–उपयोग के अन्तर्गत कुल 2248.56 हेक्टेयर भूमि प्रयुक्त हुई जो कि कुल नगरीय विकसित क्षेत्र का

7.23 प्रतिशत है। नगर में उच्च स्तरीय शिक्षा हेतु लखनऊ विश्वविद्यालय, अम्बेडकर विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कालेज, प्राविधिक विश्वविद्यालय, संजय गाँधी आर्युविज्ञान स्नातकोत्तर संस्थान व मेडिकल विश्वविद्यालय आदि के अतिरिक्त अनेक अनुसंधान संस्थान भी नगर में स्थित है। स्वास्थ्य सेवाओं के सम्बन्ध में भी लखनऊ नगर में विशिष्ट सुविधायें उपलब्ध है। विगत कुछ वर्षो में नगर में निजी क्षेत्र में अनेक तकनीकी, स्वास्थ्य एवं शिक्षा से सम्बन्धित शिक्षण संस्थान स्थापित हुये है। इस प्रकार से लखनऊ नगर एक प्रमुख शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थाओं के केन्द्र के रूप में विकसित होता जा रहा है।

लखनऊ विश्वविद्यालय

एस.जी.पी.जी.आई. लखनऊ

इकाना स्टेडियम

5.1.6 यातायात

नगर का भौतिक विस्तार नगर में उपलब्ध यातायात के साधनों पर निर्भर करता है। विद्यमान महायोजना में प्रस्तावित बाह्य मार्ग के पूर्ण हो जाने के फलस्वरूप नगर का विस्तार तीव्र गति से होना सम्भावित है। वर्तमान में (वर्ष 2004–05) यातायात उपयोग के अन्तर्गत लगभग 1240 हेक्टेयर क्षेत्र आच्छादित था। लखनऊ विकास क्षेत्र में (176 ग्राम) सम्मिलित किये जाने पर यातायात भू–उपयोग के अन्तर्गत कुल 6875.20 हेक्टेयर आच्छादित है जो कि कुल नगरीय विकसित क्षेत्र का 22.10 प्रतिशत है।

सड़क एवं रेल मार्गो के अतिरिक्त नगर में चारबाग, कैसरबाग एवं कानपुर मार्ग पर बस स्टैण्ड स्थित है तथा हरदोई मार्ग पर एक बस स्टैण्ड का कार्यान्वयन होना शेष है। वर्तमान में बस अवसान नगर के आन्तरिक क्षेत्रों में स्थित है जिससे नगरीय यातायात सुगम नहीं है। नगर में मेट्रो रेल संचालित है।

कैसरबाग बस अड्डा

आलमबाग बस अड्डा

5.1.7 मनोरंजनात्मक/पार्क एवं क्रीड़ा स्थल

इस उपयोग के अन्तर्गत वर्ष 2004–05 में कुल 435.00 हेक्टेयर क्षेत्र था। लखनऊ विकास क्षेत्र में (176 ग्राम) सम्मिलित किये जाने पर वर्ष 2021 में पार्क एवं क्रीड़ा स्थल भू–उपयोग के अन्तर्गत कुल 1384.87 हेक्टेयर भूमि आच्छादित है जो कि कुल नगरीय विकसित क्षेत्र का 4.45 प्रतिशत है।

लखनऊ नगर के प्रमुख पार्को में जनेश्वर मिश्र पार्क, बेगमहजरत महल पार्क, दयानिधान पार्क, सूरजकुण्ड पार्क, शहीद स्मारक, बुद्धापार्क, हाथी पार्क, अम्बेडकर उद्यान एवं नीबू पार्क आदि है। रेजीडेन्सी, वनस्पति उद्यान (बोटैनिकल गार्डेन), चिड़ियाघर के अन्तर्गत भी विस्तृत खुले स्थल है। नगर के मुख्य खुले स्थल गोमती नदी के साथ–साथ ही केन्द्रित है। नगर के पुराने विकसित क्षेत्रों में पार्को एवं खुले स्थलों का अभाव है।

मनोरंजनात्मक/पार्क एवं क्रीड़ा स्थल

जनेश्वर मिश्र पार्क

5.1.8 नदी / नाला / नहर / जलाशय

लखनऊ नगर गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है। नगरीय क्षेत्र में कुकरैल नाला भी गोमती नदी से मिलता है। गोमती नदी एवं कुकरैल नाले के अतिरिक्त नगर में अनेक जलाशय थे जिनमें से अनेक समाप्त हो गये है या उनका आकार काफी संकुचित हो गया है। नगरीय क्षेत्र में बचे प्रमुख जलाशयों में कठौता झील, मोतीझील, चाँद झील, अहल झील आदि है। पूर्व में इन जलाशयों से नगर की जलापूर्ति में महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। वर्ष 2004–05 में नगरीय क्षेत्र में नदी / नाले / नहरों / जलाशयों के अन्तर्गत लगभग 310 हेक्टेयर क्षेत्र था। लखनऊ विकास क्षेत्र में (176 ग्राम) सम्मिलित किये जाने पर वर्ष 2021 में नदी / नाला / नहर / जलाशय भू–उपयोग के अन्तर्गत कुल 3116.84 हेक्टेयर भूमि आच्छादित है जो कि कुल नगरीय विकसित क्षेत्र का 10.02 प्रतिशत है।

5.1.9 अन्य उपयोग

इस उपयोग के अन्तर्गत वर्ष 2004–05 में लगभग 2020.00 हेक्टेयर भूमि प्रयुक्त थी जोकि कुल विकसित क्षेत्र का 12.40 प्रतिशत था। लखनऊ विकास क्षेत्र में (176 ग्राम) सम्मिलित किये जाने पर वर्ष 2010 में खुले स्थल एवं अन्य उपयोग भू–उपयोग के अन्तर्गत क्षेत्रफल में काफी अन्तर आया है। जिसका प्रमुख कारण कृषि भूमि को खुले स्थल के रूप में प्रदर्शित नहीं किया गया है। वर्ष 2021 में खुले स्थल एवं अन्य उपयोग भू–उपयोग के अन्तर्गत कुल 890.95 हेक्टेयर भूमि प्रयुक्त है जो कि कुल नगरीय विकसित क्षेत्र का 2.86 प्रतिशत है।

5.1.10 कृषि / बाग / वन / झाडियां

लखनऊ विकास क्षेत्र की महायोजना–2031 की संरचना से पूर्व वर्तमान भू–उपयोग के अध्ययन कृषि / बाग / वन / झाडियों की भूमि की नगरीय क्षेत्र से पृथक कर अध्ययन किया गया है। क्योंकि 176 नये ग्राम सम्मिलित किये जाने पर इसका क्षेत्रफल 74019.13 हेक्टेयर हो गया है जोकि कुल विकास क्षेत्र का 68.72 प्रतिशत है। नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित कर अध्ययन किये जाने पर अन्य उपयोगों का ढांचा एवं प्रतिशत प्रभावित होता है।

5.1.11 अपरिभाषित क्षेत्र

लखनऊ विकास क्षेत्र में सम्मिलित किये गये 176 नये ग्रामों सहित कुल क्षेत्रफल में 2566.68 हेक्टेयर क्षेत्र अपरिभाषित क्षेत्र के रूप में है जोकि कुल विकास क्षेत्र का 2.38 प्रतिशत है।

5.2 लखनऊ महायोजना–2021 में किये गये भू–उपयोग परिवर्तन

शासन द्वारा समय–समय पर लखनऊ महायोजना–2021 में किये गये भू–उपयोग परिवर्तनों का विवरण तालिका 7 में दिया गया है–

तालिका–7
लखनऊ महायोजना–2021 में शासन द्वारा किये गये भू–उपयोग परिवर्तन

क्र. सं	भू–उपयोग	आवासीय	वाणिज्यक	मिश्रित	औद्योगिक	यातायात	कार्यालय	मनोरंजनात्मक	कृषि	सामुदायिक सुविधाएं	योग
1	आवासीय	——	12.13	73.50	3.73	4.11	0.22	115.20	——	77.57	286.47
2	वाणिज्यक	9.0	7.49	——	——	1.76	——	0.753	——	24.00	43.02
3	मिश्रित	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——
4	औद्योगिक	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——
5	यातायात	8.57	7.17	11.51	22.55	2.81	——	41.29		17.78	111.70
6	कार्यालय	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——
7	मनोरंजनात्मक	39.94	5.35	——	19.54	9.49	——	61.58	——	90.48	226.42
8	कृषि	5.60	——	——	——	——	——	——	——	——	5.60
9	सामुदायिक सुविधाएं	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——
	योग	**63.12**	**32.14**	**85.01**	**45.83**	**18.19**	**0.22**	**218.83**		**209.84**	**673.21**

(क्षेत्रफल हेक्टेयर में)

नोटः– पूर्व स्वीकृत महायोजना 2031 के अनुसार

5.3 लखनऊ महायोजना 2031 में किये गये भू–उपयोग परिवर्तन

शासन द्वारा महायोजना 2031 में कुल 40.27 हेक्टेयर भूमि का भू–उपयोग परिवर्तन किया गया है, जिसको तालिका–8 में दर्शाया गया है।

तालिका–8
लखनऊ महायोजना 2031 में शासन द्वारा किये गये भू–उपयोग परिवर्तन

क्र. सं	स्थल का नाम	क्षेत्रफल (हे0)	महायोजनानुसार प्रस्तावित भू–उपयोग	परिवर्तित भू–उपयोग	शासनादेश का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	मल्हपुर	0.2439	आवासीय	कार्यालय	शासनादेश संख्या–158/आठ –8–2023–13 एल0यू0सी0/2021 लखनऊ, 17 फरवरी 2023
2	जियामऊ	0.5439	आवासीय	कार्यालय	शासनादेश संख्या–8–8099/114/2023 लखनऊ, 25 जुलाई 2023
3	इकाना स्पोर्टज सिटी	3.00	45मी चौड़ा महायोजना मार्ग	24मी चौड़ा मार्ग	शासनादेश संख्या–626/आठ –3–2020/100विविध /2011टी0सी0 लखनऊ, 13 जुलाई 2020
4	इकाना स्पोर्टज सिटी	1.36	45मी चौड़ा मार्ग का भाग	सामुदायिक सुविधाएं	शासनादेश संख्या–626/आठ –3–2020/100विविध /2011टी0सी0 लखनऊ, 13 जुलाई 2020
5	इकाना स्पोर्टज सिटी	0.3228	45मी चौड़ा मार्ग का भाग	आवासीय	शासनादेश संख्या–626/आठ –3–2020/100विविध /2011टी0सी0 लखनऊ, 13 जुलाई 2020
6	इकाना स्पोर्टज सिटी	1.31	45मी चौड़ा मार्ग का भाग	व्यावसायिक	शासनादेश संख्या–626/आठ –3–2020/100विविध /2011टी0सी0 लखनऊ, 13 जुलाई 2020
7	इकाना स्पोर्टज सिटी	3.07	सामुदायिक सुविधाएं	व्यावसायिक	शासनादेश संख्या–626/आठ –3–2020/100विविध /2011टी0सी0 लखनऊ, 13 जुलाई 2020

8	इकाना स्पोर्टज सिटी	11.34	आवासीय	व्यावसायिक	शासनादेश संख्या–626 / आठ –3–2020 / 100विविध / 2011टी0सी0 लखनऊ, 13 जुलाई 2020
9	मऊ	19.08	आवासीय	औद्योगिक	शासनादेश संख्या–1825 / आठ –8–18–18एल0यू0सी0 / 18 लखनऊ, 14 दिसम्बर 2018
	योग	**40.2706**			

टिप्पणीः– उपरोक्त भू–उपयोग परिवर्तनों को महायोजना मानचित्र में यथावत दर्शाया / समायोजित किया गया है, परन्तु शासन / मा0 न्यायालयो द्वारा पूर्व में किए गए भू–उपयोग परिवर्तन को प्राधिकरण के संज्ञान में लाए जाने पर वह मान्य होगा भले ही उक्त स्थल का महायोजना मानचित्र में भिन्न भू–उपयोग प्रस्तावित किया गया हो।

तालिका–9
लखनऊ महायोजना–2031 तथा लखनऊ महायोजना–2031 (संशोधित कन्वर्जन) के भू–उपयोग का तुलनात्मक विवरण

क्र.सं.	भू–उपयोग	पूर्व स्वीकृत महायोजना 2031 के अनुसार क्षेत्रफल	प्रतिशत	जी.आई.एस महायोजना 2031(रूपांतरण) के बाद क्षे0	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	आवासीय	33395.09	46.89	35282.88	48.56
2	वाणिज्यिक	3672.82	5.16	3226.35	4.44
3	औद्योगिक	3683.59	5.17	3523.56	4.85
4	कार्यालय	837.63	1.18	754.94	1.04
5	सामुदायिक सुविधाएं, सेवायें एवं उपयोगितायें	6967.77	9.78	5950.90	8.19
6	मनोरंजनात्मक / पार्क एवं खुले स्थल	13455.81	18.89	13511.71	18.60
7	यातायात / परिवहन	9207.67	12.93	10411.27	14.33
योग		**71220.39**	**100**	**72661.61**	**100**

अध्याय–6
नियोजन की समस्यायें

देश के अन्य महानगरों की भॉति लखनऊ नगर समूह भी बहुमुखी नगरीय समस्याओं का सामना कर रहा है। नगर की जनसंख्या वृद्धि से जुड़ी हुयी समस्यायें जैसे निवास योग्य वातावरण में गिरावट, कुछ क्षेत्रों में रोजगारों एवं यातायात को बढ़ावा देने वाली क्रियाओं का केन्द्रीयकरण, अनियंत्रित यातायात व्यवस्था, अपेक्षाकृत अपर्याप्त सुविधाऐं एवं जल स्त्रोतों का असंतुलित दोहन आदि ऐसी समस्यायें है जिनको हल करना अत्यन्त आवश्यक कार्य है। नियोजन से सम्बन्धित नगर की प्रमुख समस्याओं का विवरण निम्न प्रकार हैः–

6.1 निवास योग्य वातावरण में क्रमिक ह्यस

नगर का पुराना आवासीय क्षेत्र जिसके उत्तर में गोमती नदी, दक्षिण में चारबाग रेलवे स्टेशन, पूरब में विधानसभा मार्ग तथा पश्चिम में कैम्पवेल रोड है, अत्यन्त घना बसा है। यह क्षेत्र नगर समूह के कुल क्षेत्र का मात्र 5 प्रतिशत है जबकि यहॉ पर नगर की कुल जनसंख्या का लगभग 30 प्रतिशत भाग निवास करता है। इनमें से कुछ क्षेत्रों का सकल जनसंख्या घनत्व 1000 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर से भी अधिक है। इन क्षेत्रों मे अति उच्च आवासीय घनत्व के साथ ही साथ नगर के उच्च स्तरीय व्यवसायिक क्रिया–कलापों के केन्द्र भी विद्यमान है जैसे–चौक, ऐशबाग, नादान महल रोड आदि पर औद्योगिक क्रिया कलाप, आवासीय एवं व्यवसायिक क्षेत्रों के साथ ही स्थित है। इसके साथ ही साथ गोमती नदी के पार वर्तमान में आवासीय क्षेत्रों का विस्तार तीव्रता से हो रहा है लेकिन कुछ भाग में मिश्रित भू–उपयोग, अनियोजित एवं अनियंत्रित रूप से विकसित होने के कारण इन क्षेत्रों में नगरीय सुविधाओं का अभाव विद्यमान है।

6.2 असंगत उपयोग एवं क्रिया–कलाप

नगर में कुछ कार्यकलाप ऐसे स्थानों पर स्थित है जहाँ ये उपयोग अपने चारों ओर के भू–उपयोगों से मेल नहीं खाते है। इन क्रिया–कलापों में (अ) यातायात अभिकरण (ब) थोक मण्डी (खाद्य) (स) औद्योगिक इकाईयॉ यथा पेपर मिल, मोहनमीकिंस एवं आरा मशीनें

है। नगर की घनी बसी आबादी में इन इकाईयों के कार्यरत होने के कारण इनसे उत्पन्न होने वाले प्रदूषण का सीधा कुप्रभाव आस–पास के क्षेत्रों में निवास करने वाले नागरिकों पर पड़ रहा है। तथा इस क्षेत्र में स्थित मार्गो पर सुगम यातायात प्रवाह भी प्रभावित हो रहा है।

6.3 मोटर वाहन क्रय–विक्रय/कार्यशाला/सहायक सामग्री विक्रय केन्द्र

नगर के मुख्य मार्गो पर मोटर वाहनों की मरम्मत हेतु खुले वर्कशाप तथा गैरेज आदि नगर के व्यस्ततम एवं भीड–भाड़ युक्त व्यवसायिक क्षेत्रों के मार्गो जैसे लालबाग, गुरूगोविन्द सिंह मार्ग आदि पर स्थित है जो यातायात के सुगम प्रवाह में अत्यधिक बाधक है। वाहनों को मरम्मत हेतु सडक के मार्गाधिकार पर ही खड़ा रखा जाता है, जिससे मार्ग की प्रभावी चौड़ाई कम हो जाती है और यातायात बाधित होने के साथ ही वातावरण भी अत्यधिक प्रदूषित होता है। ट्रांसपोर्ट एजेंसी मुख्यतया चारबाग रेलवे स्टेशन क्षेत्र में, गौतम बुद्ध मार्ग तथा गुरूद्वारा–लालकुआं मार्ग पर स्थित है जो आवागमन के लिए पहले से ही अत्यन्त भीड़–भाड़ युक्त है। इन मार्गो पर वाहनों के इधर–उधर खड़े रहने से भी मार्ग का सामान्यतः यातायात अवरूद्ध रहता है।

6.4 थोक मण्डी

नगर के पुराने क्षेत्रों में जैसे फतेहगंज, सआदतगंज, डालीगंज, पाण्डेयगंज व उदयगंज में आज भी थोक गल्ला मण्डी स्थित है जबकि इनके लिए नगर के अन्य क्षेत्रों में पर्याप्त व्यव्स्था की गयी है। इन मण्डियों में जहॉ पर्याप्त स्थल का अभाव है, वही दूसरी तरफ इन मण्डियों के पहुॅच मार्गो पर यातायात का भार अत्यधिक आ जाने व माल को चढ़ाने–उतारने का कार्य मार्गाधिकार के अन्तर्गत सम्पन्न होने के कारण एवं भारी वाहनों के एक लम्बी अवधि तक मार्गो पर ठहराव के कारण मार्ग पर सदैव जाम लगा रहता है तथा आवासीय क्षेत्रों में धूल, ध्वनि की समस्या से प्रदूषित वातावरण बना रहता है।

6.5 असंगठित क्षेत्र की अधिकता

नगर में वर्तमान में लगभग 2.0 लाख कार्य करने वाले व्यक्ति असंगठित क्षेत्र (इन्फार्मल सेक्टर) में कार्यरत है। ये व्यक्ति मुख्यतः मार्गो की पटरी पर अपने क्रिया–कलाप करते है

जिससे मार्गो की प्रभावी चौड़ाई कम हो जाती है तथा पार्किंग आदि के कारण विभिन्न मार्गो पर यातायात की समस्या गम्भीर बनी रहती है। इस हेतु असंगठित क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों हेतु नियोजित स्थलों का प्राविधान आवश्यक है।

6.6 आंतरिक क्षेत्रों में कार्य केन्द्रों का संकेन्द्रण

समस्त मुख्य कार्य केन्द्र जैसे व्यवसायिक केन्द्र व कार्यालय क्षेत्र नगर के आंतरिक क्षेत्रों जैसे हजरतगंज, अमीनाबाद, कैसरबाग, चौक, विधानसभा, अशोक मार्ग, उच्च न्यायालय क्षेत्र, चारबाग रेलवे स्टेशन क्षेत्र, नक्खास बाजार एवं नादान महल रोड आदि में केन्द्रित है। नगर के हजरतगंज क्षेत्र में ही राजकीय/केन्द्रीय कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों का लगभग 51 प्रतिशत भाग कार्यरत है तथा नगर में कुल फुटकर दुकानों में से लगभग 20 प्रतिशत फुटकर दुकानें तीन वाणिज्यिक क्षेत्रों हजरतगंज, चौक एवं अमीनाबाद में स्थित है। ऐसी स्थिति में जहॉ एक ओर नगर के दूसरे भाग में क्रिया–कलापों के विकास में ह्रास होता है। वहीं दूसरी ओर केन्द्रीय क्षेत्रों में क्रिया–कलापों की अधिकता से नगर में उसके वितरण में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है। इन क्रिया–कलापों के अति संक्रेन्दण से पहले ही भीड़–भाड़ युक्त क्षेत्रों में यातायात के अत्यधिक भार के कारण जाम लगने की समस्या उत्पन्न होती है। तथा यातायात का सुगम प्रवाह बाधित होता है।

6.7 औद्योगिक इकाइयॉ

कुछ औद्योगिक इकाईयॉ तथा निशातगंज में पेपर मिल एवं डालीगंज में मोहन मीकिंस अतीत में नगर के बाहर स्थित थी जो भौतिक विस्तार के फलस्वरूप वर्तमान में निर्मित क्षेत्रों से घिर गई है। नगर में अनेक आरा मशीनें स्थित है। आरा मशीनों के मुख्य केन्द्र ऐशबाग, रकाबगंज तथा डालीगंज क्षेत्र है।

यह क्षेत्र सघन निर्मित एवं आवासीय है जिससे इन क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में यातायात अवरोध, धूल तथा ध्वनि के उत्पन्न होने से चारों ओर के क्षेत्रों में निवास योग्य वातावरण प्रभावित होता है। इन उपर्युक्त क्रियाओं के लिए अधिक भूमि की आवश्यकता होती है। अतएवः नये विकास को दृष्टि में रखते हुए इन क्रिया–कलापों को अन्य उपयुक्त स्थलों पर स्थानान्तरित किया जाना वांछनीय है।

6.8 सुविधाएं एवं सेवाऐं

नगर में विभिन्न सुविधाओं जैसे स्वास्थ्य एवं शिक्षा का वितरण एक समान नहीं है। यह सुविधायें मुख्यतः नगर के मध्यवर्ती क्षेत्रों में केन्द्रित है। नगर के दक्षिणी, पूर्वी एवं पश्चिमी भाग तुलनात्मक रूप से वितरण की असमानता से ग्रस्त है।

6.9 यातायात एवं परिवहन

नगर की यातायात व्यवस्था नगर के भौतिक विकास के अनुपात में अपर्याप्त है। गोमती के पार वाले क्षेत्र तथा शारदा नहर के दक्षिण (रायबरेली मार्ग तथा कानपुर मार्ग के मध्य) के क्षेत्र में विगत दशक से तीव्र विकास हुए है।

ये विकास मुख्यतः आवासीय है जबकि कार्य केन्द्र अधिकतर नगर के आंतरिक क्षेत्रों में स्थित है। इस विकास के परिणामस्वरूप उत्तर से दक्षिण जाने वाले मुख्य मार्गो यथा स्टेशन रोड, विधानसभा मार्ग, अशोक मार्ग, गौतम बुद्ध मार्ग, तुलसीदास मार्ग तथा सुभाष मार्ग आदि तथा गोमती पार के क्षेत्रों में यातायात का दबाव काफी बढ़ गया है। वर्तमान मार्गो की क्षमता से अधिक विस्तार के न हो पाने के कारण समस्या और बढ़ गयी है।

नगर के मध्य स्थित मार्गो की सीमित चौड़ाई, अतिक्रमण तथा वाहनों की संख्या में कई गुना वृद्धि के फलस्वरूप नगर के मार्गो पर वर्तमान यातायात भार एवं उनकी वाहन क्षमता में भारी अन्तर हो गया है। इसी अन्तर के कारण दैनिक यातायात का सुगम प्रवाह बाधित हो रहा है एवं आन्तरिक मार्गो पर जगह–जगह ट्रैफिक जाम लगने के साथ–साथ मार्ग दुर्घटनाओं में आशातीत वृद्धि हुई है। पीक आवर्स में यह समस्या और भी जटिल हो जाती है। इसके अतिरिक्त नगर के आन्तरिक मार्गो पर उपयुक्त पार्किंग स्थलों के अभाव से वाहनों की अव्यवस्थित पार्किंग के फलस्वरूप भी ट्रैफिक जाम रहता है।

आन्तरिक सडक मार्ग पर यातायात प्रवाह

6.10 बाहरी स्थलों हेतु गुजरने वाले वाहनों से सुगम मार्ग प्रवाह में गत्यावरोध

थ्रू ट्रैफिक के नगर के आन्तरिक मार्गो से गुजरने से यातायात पर पड़ने वाले दबाव ने नगर के अन्दर के आवागमन की गतिशीलता पर व्यापक प्रभाव छोड़ रखा है। अयोध्या, रायबरेली, सुल्तानपुर एवं कानपुर को जाने वाले वाहनों के नगर के मुख्य मार्गो से गुजरने के कारण आन्तरिक मार्ग प्रवाह अत्यधिक प्रभावित है। इन मार्गो पर और बाहरी मार्गो हेतु वर्तमान महायोजना में प्राविधान किया गया था लेकिन नगर का भौतिक विकास प्रस्तावित मार्गो के बाहर भी काफी दूर तक फैल गया है, जिससे प्रस्तावित मार्गो के नगर की आबादी का अंग बन जाने से यह मार्ग नगर के बाहर आवागमन के लिए अनुपयोगी हो गये है।

6.11 पार्किंग सुविधाओं की कमी

नगर के व्यस्ततम आवासीय, व्यवसायिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रों में वाहनों की पार्किंग की अत्यधिक कमी से इन क्षेत्रों के प्रमुख मार्गो के मार्गाधिकार में वाहनों के ठहराव से मार्ग अत्यन्त संकुचित हो गये है जिसके फलस्वरूप आवागमन में गतिरोध एवं प्रदूषण को बढ़ावा मिल रहा है। गौतम बुद्ध मार्ग, चारबाग, नरही, निशातगंज, हजरतगंज, अमीनाबाद व चौक के व्यस्ततम मार्ग इसके ज्वलंत उदाहरण है।

6.12 शैक्षिक/प्राविधिक कोचिंग संस्थायें

नगर के आवासीय, व्यवसायिक क्षेत्रों में शैक्षिक एवं प्राविधिक कोचिंग संस्थाओं के संचालन से नागरिकों के आवासीय जीवन में गतिरोध पैदा हो रहा है, क्योंकि शिक्षण हेतु विद्यार्थियों के आवागमन तथा भीड़–भाड़ युक्त जमाव से आवासीय क्षेत्रों में जहॉ अत्यधिक शोर–शराबा होता है वहीं पार्किंग स्थलों के अभाव के फलस्वरूप वाहनों के मार्गाधिकार पर अनाधिकृत पार्किंग से क्षेत्रीय निवासियों को आवागमन में अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।

6.13 ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों/भवनों की दशा

नवाबों के शहर लखनऊ की एक समग्र सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। नगर का प्रत्येक स्थान तात्कालिक संस्कृति जिससे वह सम्बद्ध रहा है, का प्रतिरूप है। नगर के ऐसे 47 ऐतिहासिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व के स्थलों को चिन्हित किया गया है। इन स्थानों के चतुर्दिक हो रहे विकास इन भवनों के वास्तुकलात्मक स्वरूप से असंगत है। ऐतिहासिक एवं वास्तुकला वाले भवनों के भागों को दुकानों, आवासों, कारखानों आदि के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। भवनों क सन्निकट क्षेत्रों में असंगत क्रिया–कलापों का अवलोकन किया गया है।

6.14 जल संसाधनों का असंतुलित दोहन

एक अध्ययन के अनुसार लखनऊ नगर के मध्य क्षेत्र का भू–जल स्तर प्रतिवर्ष 0.56 मीटर की दर से नीचे गिरता जा रहा है जिसका मुख्य कारण ट्यूबवेल/हैण्डपम्प आदि द्वारा भूगर्भीय जल का असीमित दोहन है। इसके अतिरिक्त नगर के चतुर्दिक विकास तथा सीमेन्ट कंक्रीट के अधिकाधिक उपयोग के फलस्वरूप खुले स्थलों के प्रतिशत में कमी आयी है। पहली महायोजना में खुले स्थलों का प्रतिशत 16.49 था वहीं वर्ष 1987 में घटकर 10.90 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2010–11 में नगरीय विकास के फलस्वरूप बाह्य क्षेत्रों के खुले स्थलों को मिलाते हुये यह प्रतिशत घटकर 10.26 प्रतिशत रह गया है।

नगर में वृक्षों से आच्छादित क्षेत्रों में कमी एवं बाग–बगीचों के कम होने से भूमि की जल संचयन की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और पर्यावरण प्रभावित हो रहा है। इसके अतिरिक्त जल संरक्षण के पारम्परिक स्त्रोतों जैसे तालाब, झील, नालों को पाटकर उन पर पक्के निर्माण की प्रवृत्ति से भी भूमिगत जल स्त्रोतों का संरक्षण बाधित हुआ है तथा भूमि की वाटर रिचार्जिंग व संग्रहण की क्षमता भी प्रभावित हो रही है जिससे जल स्तर में निरंतर गिरावट आ रही है, परिणामस्वरूप नगरवासियों के सम्मुख जलापूर्ति का संकट उत्पन्न हो रहा है।

अध्याय–7
महायोजना की अवधारणा एवं उद्देश्य

लखनऊ नगर की जनसंख्या वर्ष 1981 में लगभग 10.00 लाख से बढ़कर वर्ष 2011 में 28.80 लाख हो गई। नगर की जनसंख्या वृद्धि दर अन्य नगरों के अपेक्षा अधिक है तथा वर्ष 2021 में 45.00 लाख तक होने का अनुमान है। जनसंख्या वृद्धि के परिणामस्वरूप नगर का भौतिक विस्तार भी तीव्र गति से हो रहा है जिसका सीधा प्रभाव नगरीय पर्यावरण पर पड़ रहा है। महायोजना–2021 के नगरीय प्रस्ताव महायोजना–2031 में यथावत प्रस्तावित करने का निर्णय लिया गया है अतः महायोजना–2021 की अवधारणाओं को यथावत प्रस्तावित कर नगर के भौतिक पर्यावरण को नियंत्रित/कम करने के उद्देश्य से महायोजना में निम्न बिन्दुओं को प्राथमिकता प्रदान की गयी है।

7.1 नगर के भौतिक स्वरूप के अनुरूप प्रस्ताव

7.1.1 खुले क्षेत्रों में वृद्धि

लखनऊ नगर ऐतिहासिक दृष्टि से बाग–बगीचों का शहर माना जाता रहा है किन्तु वर्तमान में बागों के नाम पर मात्र भवन ही देखने को मिलते है। खुले क्षेत्रों की कमी होने से नगर में प्रदूषण तो अधिक होता ही जा रहा है इसके साथ–साथ नगर के आन्तरिक क्षेत्रों में पानी की कमी गम्भीर समस्या का रूप धारण कर चुकी है। इसका मुख्य कारण नगर का विभिन्न दिशाओं में निरन्तर विकास होना है। अतः महायोजना में वर्तमान विकसित/निर्मित क्षेत्रों से लगे खुले उपलब्ध क्षेत्रों जोकि अपेक्षाकृत निचले क्षेत्र है, को खुले क्षेत्रों के रूप में प्रस्तावित किया जाना आवश्यक है।

7.1.2 नगर में आवासीय क्षेत्रों में जनसंख्या/भवनों के घनत्व को कम किये जाने हेतु प्राविधान

महायोजना की संरचना में नगर के आन्तरिक क्षेत्रों में जहॉ पर जनसंख्या का घनत्व अत्यधिक है (1000 व्यक्ति/हेक्टेयर से अधिक) वहां ऐसे प्राविधान किया जाना आवश्यक है जिसमें इन क्षेत्रों में खुले स्थल अधिक हो जाये तथा जनसंख्या भी नियंत्रित हो सके।

7.1.3 भू–गर्भ जल स्तर के अनुरूप महायोजना संरचना का प्रस्ताव

भू–गर्भ जल विभाग से प्राप्त अध्ययन प्रतिवेदन के अनुसार लखनऊ नगर का भू–गर्भ जल स्तर भिन्न–भिन्न क्षेत्रों में अलग–अलग है जिसे अभिज्ञानित कर लखनऊ महायोजना–2031 की संरचना में इसे दृष्टिगत रखते हुए उपयुक्त स्थलों पर भू–गर्भ जल स्तर के अनुरूप भू–उपयोगों के प्रस्ताव किये जाने आवश्यक है।

महायोजना में विभिन्न पैलियो चैनल (नदी,नाले, जलाशय) को सरंक्षित रखकर विकसित किये जाने का प्रस्ताव व वाटर रिचार्जिंग हेतु पर्यावरण पार्क के प्राविधान वांछित है जिससे भू–गर्भ जल स्तर का ह्रास कम हो एवं खुले स्थलों में वृद्धि हो सके।

7.2 यातायात

7.2.1 बस/ट्रक टर्मिनल को घने क्षेत्रों से नगर के बाह्य क्षेत्रों में स्थापित किये जाने का प्रस्ताव

वर्तमान समय में नगर के लगभग सभी बस/ट्रक टर्मिनल घने बसे क्षेत्रों में स्थित है जिसके फलस्वरूप वाहनों के मार्गाधिकार में अनाधिकृत पार्किंग से जहाँ एक ओर घण्टों जाम लगने के कारण यातायात का सुगम प्रवाह बाधित होता है, वहीं दूसरी ओर वाहनों से निकलने वाले धुएं से आस–पास का पर्यावरण प्रदूषित होता है। लखनऊ महायोजना की संरचना में इस समस्या के निदान हेतु नगर में घने बसे क्षेत्रों से बस/ट्रक टर्मिनल नगर के बाह्य खुले क्षेत्रों में विभिन्न मार्गो पर स्थापित किया जाना उचित होगा।

7.2.2 रेलवे स्टेशनों का विस्तार

चारबाग रेलवे स्टेशन एवं इसके आस–पास के भीड़–भाड़ वाले क्षेत्रों पर यातायात का दबाव कम करने के उद्देश्य से उतरेटिया, गोमती नगर, मानक नगर, आलम नगर, एवं दिलकुशा रेलवे स्टेशनों के विस्तार/सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता प्रतीत होती है।

7.3 असंगत भू–उपयोग

7.3.1 मोटर वाहन क्रय–विक्रय/कार्यशाला/सहायक सामग्री विक्रय केन्द्र

लखनऊ नगर समूह में वाहनों की मरम्मत हेतु गैराज एवं सर्विस स्टेशन अत्यधिक घने बसे क्षेत्रों में स्थित है। इस उपयोग हेतु नगर के बाह्य क्षेत्रों में नगर के प्रमुख मार्गो के किनारे ऑटो मार्केट का प्रस्ताव किया जाना वांछनीय है।

7.3.2 नगर के आन्तरिक क्षेत्रों से मण्डियों का स्थानान्तरण

लखनऊ नगर में अधिकांश मण्डियॉ (जैसे सब्जी, फल एवं गल्ला मण्डी) नगर के घने बसे क्षेत्रों के व्यस्त मार्गो पर स्थित है जिसके कारण यातायात का सुगम प्रवाह बाधित होता है। इसके अतिरिक्त सब्जी एवं फलों के छिलके एवं कूड़े के ढेर लम्बी अवधि तक जमा होने के कारण गन्दगी उत्पन्न होने के साथ–साथ वहां का वातावरण प्रदूषित होता है।

समस्या के निदान हेतु लखनऊ महायोजना में मण्डी स्थल एवं इस प्रकार की अन्य क्रियाओं को नगर के बाह्य क्षेत्रों में प्रमुख मार्गो पर स्थानान्तरित किये जाने की आवश्यकता है।

7.3.3 कैटिल कालोनी

नगर के आन्तरिक क्षेत्रों से पशुओं को बाहरी क्षेत्रों में रखे जाने हेतु प्राधिकरण द्वारा विकसित एक कैटिल कालोनी के अतिरिक्त नगर के अन्य क्षेत्रों में बाह्य मार्गो पर कैटिल कालोनी के प्रस्ताव आवश्यक है।

7.3.4 प्रदूषण उत्पन्न करने वाली इकाईयों को नगर के बाह्य क्षेत्र में स्थापित किये जाने का प्रस्ताव

नगर के घने बसे आवासीय क्षेत्रों में कुछ इकाईयां लम्बे समय से संचालित है जोकि लगातार प्रदूषण उत्पन्न कर रही है, जिसका सीधा कुप्रभाव आस–पास के आवासीय क्षेत्रों में रह रहे नगरवासियों पर पड़ रहा है इसके अतिरिक्त इन इकाईयों से नगर के आन्तरिक मार्गो पर यातायात भार भी अत्यधिक बढ़ता जा रहा है जबकि मार्गो की चौड़ाई सीमित है। अतः प्रदूषण उत्पन्न कर रही इन इकाईयों को नगर के घने बसे आवासीय क्षेत्रों से बाह्य क्षेत्रों में स्थानान्तरित कर स्थापित किये जाने का प्रस्ताव लखनऊ महायोजना में किया जाना आवश्यक है।

ऐसी इकाईयॉ निम्नवत् है :–

क्र.सं.	इकाईयॉ
1	मोहन मीकिंस
2	पराग डेयरी
3	आरा मशीनें
4	प्लाई बोर्ड फैक्ट्रीज
5	प्लास्टिक फैक्ट्रीज
6	पशु वधशाला
7	अन्य

7.4 सुरक्षा जोन का प्रस्ताव

महायोजना में नगर के कुछ संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए सुरक्षा जोन का प्रस्ताव किया जाना आवश्यक है जिसे संवेदनशील क्षेत्रों के आस–पास ऐसे निर्माण/विकास न हो सके जिससे किसी प्रकार की दुर्घटना की संभावना हो।

7.5 सामुदायिक सुविधायें, उपयोगितायें एवं सेवायें

7.5.1 संस्थागत उपयोग

लखनऊ नगर समूह प्रशासनिक एवं सेवा केन्द के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है जबकि पूर्व से यह नगर एक प्रमुख सांस्कृतिक केन्द्र भी रहा है।

विगत कुछ वर्षो से अनेक राष्ट्रीय स्तर की संस्थाये भी नगर की ओर आकर्षित हो रही है ऐसी संस्थाओं की सुविधाओं हेतु प्राविधान आवश्यक है।

7.5.2 प्रदर्शनी/मेला/सम्मेलन स्थल

नगर की एक आर्थिक केन्द्र के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए प्रदर्शनी मेला स्थलों का प्राविधान आवश्यक है जिससे इन क्रियाओं को प्रोत्साहन मिले वर्तमान में कुछ ही खुले स्थल नगर में उपलब्ध है, जो कि नगर के भीड़–भाड़ वाले क्षेत्रों में स्थित है।

7.5.3 जल/मल निस्तारण केन्द्र

नगर में वर्तमान में उपयुक्त जल/मल निस्तारण केन्द्र न होने के कारण गोमती नदी एवं आस–पास के खुले क्षेत्रों में प्रदूषण की समस्या गम्भीर होती जा रही है। इसके लिए

गोमती एक्शन प्लान के प्रस्तावों के अनुरूप वृहद् जल/मल निस्तारण फार्म प्रस्तावित किये जाने की आवश्यकता है।

7.5.4 ठोस अपशिष्टों के निस्तारण हेतु स्थल

नगर समूह में वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 1400 टन अपशिष्ट उत्पन्न होते है जिनके निस्तारण के लिए उपयुक्त स्थलों के न होने से नगर के आन्तरिक क्षेत्रों के पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वर्तमान समय में नगर के व्यस्त मार्गो के मार्गाधिकार अथवा उससे लगी हुई भूमि पर आवासीय क्षेत्रों में कूड़ा एकत्रित किया जाता है, जिसका ढेर लम्बी अवधि तक मार्गाधिकार में लगे रहने से जहॉ एक ओर यातायात का सुगम प्रवाह बाधित होता है, वही दूसरी ओर कूड़े की सड़न से उत्पन्न दुर्गन्ध आस–पास के घनी आबादी वाले क्षेत्रों के वातावरण को प्रदूषित करती है, जिसका सीधा प्रभाव वहॉ पर निवास कर रहे नगर निवासियों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। इस समस्या के निराकरण हेतु उपयुक्त स्थलों पर कूड़ा स्थलों का प्राविधान आवश्यक है।

7.6 पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों के आस–पास कम घनत्व वाले भू–उपयोगों के प्रस्ताव

लखनऊ नगरीय क्षेत्र के आस–पास आरक्षित वन एवं गोमती नदी जेसे क्षेत्र है जिनके आसपास नियंत्रित विकास की आवश्यकता है जिससे पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील इन क्षेत्रों का ह्यास न हो सके। महायोजना में इन क्षेत्रों के आसपास ऐसे उपयोग के प्रस्ताव किए जाने उपयुक्त होंगे। जिनसे इन क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ सके।

7.7 महायोजना के उद्देश्य

महायोजना 2031 निम्न उद्देश्यो हेतु तैयार की गयी है:–

1. उ0प्र0 नगर नियोजन और विकास अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अनुसार भू–उपयोग निर्धारित किया जाना।
2. वर्ष 2031 हेतु अनुमानित जनसंख्या 65.00 लाख को समायोजित करने हेतु प्रस्ताव दिया जाना।

3. स्वीकृत महायोजना–2021 के प्रस्तावित नगरीकरण योग्य क्षेत्र से संलग्न ग्रामीण/कृषि क्षेत्रों में अनाधिकृत/अनियोजित विकास के नियंत्रण हेतु महायोजना–2021 के प्रस्तावों के अनुरूप पर्याप्त प्राविधान किया जाना।
4. शासन की नीति के अनुक्रम में अनुमोदित हाईटेक टाउनशिप के क्षेत्रों को महायोजना में समायोजित किया जाना।
5. विकास क्षेत्र के नियोजित विकास हेतु एक प्रभावी यातायात प्रणाली सुनिश्चित करना तथा स्वीकृत महायोजना के नगरीयकरण योग्य क्षेत्र से थ्रू–ट्रैफिक को बाह्य क्षेत्रों से ले जाये जाने हेतु रिंग रोड का प्रस्ताव किया जाना।
6. विभिन्न नगरीय क्रियाओं के मध्य सशक्त सम्बन्ध स्थापित करते हुए नागरिकों हेतु सुविधाओं एवं सेवाओं का क्षेत्रीय सन्तुलित वितरण के साथ प्राविधान करना।
7. पर्यावरण एवं शासन की नीतियों के दृष्टिगत वन, बागों एवं तालाबों/जलाशयों को संरक्षित किया जाना।

अध्याय–8
आकड़ों का विश्लेषण एवं प्रक्षेपण

8.1 जनसंख्या प्रक्षेपण

8.1.1 नगर समूह

लखनऊ नगर भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले प्रदेश की राजधानी होने के फलस्वरूप यह प्रदेश का प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र तो है ही इसके साथ–साथ यह नगर एक महत्वपूर्ण सेवा केन्द्र एवं व्यवसायिक केन्द्र की भूमिका भी निभा रहा है। पिछली एक शताब्दी में नगर की जनसंख्या वर्ष 1901 में 2,56,239 से बढ़कर वर्ष 2011 में 28,80,108 हो गई है। विभिन्न दशकों में नगरीय जनसंख्या में वृद्धि समान रूप से नहीं रही है। शताब्दी के पूर्वार्द्ध में जनसंख्या वृद्धि दर अपेक्षाकृत कम रही है। जबकि उत्तरार्द्ध में यह दर अपेक्षाकृत अधिक रही है।

जनसंख्या प्रक्षेपण की प्रचलित विधियों द्वारा लखनऊ नगर समूह की कुल जनसंख्या वर्ष 2031 तक 47,87,488 होना अनुमानित है (तालिका संख्या–10) यह प्रक्षेपण पिछले दशकों की जनसंख्या वृद्धि के आधार पर किये गये है। भविष्य में चूंकि लखनऊ नगर समूह के अन्तर्गत/आस–पास कुछ नये कार्यकलापों की स्थापना प्रस्तावित है जिसमें प्रक्षेपित जनसंख्या के अतिरिक्त जनसंख्या में वृद्धि होना भी अनुमानित है। लखनऊ नगर समूह के पास ही एक वृहद् स्तर पर लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है तथा नगर के पास ही दो हाईटेक टाउनशिप स्थापित की गयी है जिसमें से एक हाईटेक टाउनशिप की परियोजना स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

सुल्तानपुर मार्ग पर उ0प्र0 सरकार की बहुआयामी आई0टी0सिटी योजना के साथ–साथ वृहद् स्तर की सुविधाएं जैसे–कैंसर अस्पताल, ट्रिपल आई.टी, ए.टी.आई आदि स्थापित है। इसके अतिरिक्त इकाना अन्तर्राष्ट्रीय किक्रेट स्टेडियम भी स्थापित है।

तालिका–10
जनसंख्या प्रक्षेपण–लखनऊ नगर समूह वर्ष 2001–2031

क्रम. सं0	प्रक्षेपण विधि	वर्ष			
		2001	2011	2021	2031
1	ज्यामितीय अतिरिक्त वृद्धि दर	2245509	2880108	3686400	4710592
2	इन्क्रीमेन्टर वृद्धि दर	2245509	2880108	3694752	4739997
3	औसत वृद्धि दर	2245509	2880108	3784320	4972596
4	ज्यामितीय वृद्धि दर	2245509	2880108	3686538	4718769
	औसत	**2245509**	**2880108**	**3713003**	**4787488**

स्त्रोतः विभागीय प्रक्षेपण

तालिका–11
जनसंख्या प्रक्षेपण–काकोरी नगर पंचायत वर्ष 2001–2031

क्रम. सं0	प्रक्षेपण विधि	वर्ष			
		2001	2011	2021	2031
1	ज्यामितीय अतिरिक्त वृद्धि दर	16860	19403	22310	25657
2	इन्क्रीमेन्टर वृद्धि दर	16860	19403	22329	25696
3	औसत वृद्धि दर	16860	19403	22329	25696
4	ज्यामितीय वृद्धि दर	16860	19403	21946	24489
	औसत	**16860**	**19403**	**22229**	**25385**

स्त्रोतः–विभागीय प्रक्षेपण

तालिका–12
जनसंख्या प्रक्षेपण–बक्शी का तालाब नगर पंचायत वर्ष 2001–2031

क्रम. सं0	प्रक्षेपण विधि	वर्ष			
		2001	2011	2021	2031
1	ज्यामितीय अतिरिक्त वृद्धि दर	43987	49166	54390	60373
2	इन्क्रीमेन्टर वृद्धि दर	43987	49166	54953	61421
3	औसत वृद्धि दर	43987	49166	54953	61421
4	ज्यामितीय वृद्धि दर	43987	49166	54345	59524
	औसत	**43987**	**49166**	**54660**	**60685**

स्त्रोतः विभागीय प्रक्षेपण

तालिका–13
जनसंख्या प्रक्षेपण–लखनऊ विकास क्षेत्र (277 ग्राम) ग्रामीण क्षेत्र वर्ष 2001–2031

क्रम. सं0	प्रक्षेपण विधि	वर्ष			
		2001	2011	2021	2031
1	ज्यामितीय अतिरिक्त वृद्धि दर	467262	600055	768000	983040
2	इन्क्रीमेन्टर वृद्धि दर	467262	600055	770471	989285
3	औसत वृद्धि दर	467262	600055	770471	989285
4	ज्यामितीय वृद्धि दर	467262	600055	732793	865531
	औसत	**467262**	**600055**	**760434**	**956785**

तालिका–14
जनसंख्या अनुमान–लखनऊ विकास क्षेत्र

जनसंख्या/औसत जनसंख्या	वर्ष			
	2001	2011	2021	2031
	2773618	3548732	4550326	6500000

स्त्रोतः विभागीय प्रक्षेपण

8.2 जनसंख्या घनत्व

वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार लखनऊ नगर समूह का जनसंख्या घनत्व 69 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर था जो वर्ष 1991 में घटकर 49 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर रह गया। इस दशक में जनसंख्या घनत्व के घटने का प्रमुख कारण लखनऊ नगर निगम की सीमा में हुई वृद्धि थी क्योंकि नगर निगम का सीमा क्षेत्र 14594 हेक्टेयर से बढकर 33750 हेक्टेयर हो गया। वर्ष 2001 में जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप जनसंख्या घनत्व 67 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर एवं 2011 में जनसंख्या घनत्व 85 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर हो गया।

8.3 जनसंख्या वृद्धि दर

लखनऊ नगर की जनसंख्या वर्ष 1901 में 2,56,239 थी जो वर्ष 2011 में बढ़कर 28,80,108 हो गई। पिछली शताब्दी के प्रारम्भिक दो दशकों में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही तथा उसके उपरान्त जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि होती रही है। दशक 1951–61 के मध्य वृद्धि दर 31.96 प्रतिशत थी जोकि अगले दो दशकों में घटकर 23.79 प्रतिशत रह गयी। वर्ष 1961 से 1981 के मध्य घटती हुई जनसंख्या वृद्धि दर नगरीय आर्थिक आधार की दुर्बलता को दर्शाती है। दशक 1981–91 के मध्य पुनः जनसंख्या वृद्धि दर में अप्रत्याशित वृद्धि (65.66 प्रतिशत) हुई जिसका मुख्य कारण नगरीय सीमा का विस्तार था। 1991–2001 के दशक में नगर समूह की जनसंख्या वृद्धि दर 34.53 प्रतिशत रही। 2001–2011 के दशक में नगर समूह की जनसंख्या वृद्धि दर 28.26 प्रतिशत रही।

तालिका–15

लखनऊ नगर समूह की जनसंख्या वृद्धि (1901–2011)

दशक वर्ष	लखनऊ नगर समूह			लखनऊ नगर निगम			लखनऊ छावनी		
	जनसंख्या	दशकान्तर	दशकान्तर %	जनसंख्या	दशकान्तर	दशकान्तर %	जनसंख्या	दशकान्तर	दशकान्तर %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1901	256239	–	–	256239	–	–	–	–	–
1911	252114	–4125	–1.61	252114	–4125	–1.61	–	–	–
1921	240566	–11548	–4.58	240566	–11548	–4.58	–	–	–
1931	274659	34093	14.17	251057	10531	4.38	23562	–	–
1941	387177	112518	40.97	361294	110197	43.89	25883	2321	9.85
1951	496861	109684	28.33	459484	98190	27.18	37377	11494	44.41
1961	655673	158812	31.96	615523	156039	33.96	40150	2773	70.42
1971	813982	158309	24.14	774644	159121	25.85	39338	–812	–2.02
1981	1007604	193622	23.79	947990	173346	22.38	59614	20276	51.54
1991	1669204	661600	65.66	1619116	671125	70.79	50089	–9525	–15.98
2001	2245509	576305	34.53	2185927	566811	35.00	59582	9493	18.95
2011	2880108	634599	28.26	2817105	631178	28.87	63003	3421	5.74

स्त्रोत : जनगणना पुस्तिका

8.4 नगर की भावी जलापूर्ति का आंकलन

लखनऊ नगर समूह की जनसंख्या के अतिरिक्त लखनऊ विकास क्षेत्र (176 ग्राम) की जनसंख्या को सम्मिलित करते हुए वर्ष 2031 हेतु कुल 65.00 लाख जनसंख्या का अनुमान किया गया है। अनुमानित जनसंख्या हेतु पर्याप्त जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु 150 ली0 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की सामान्य घरेलू आपूर्ति के अतिरिक्त अन्य उपयोगों जैसे व्यवसायिक, औद्योगिक, पार्क एवं अग्निशमन आदि के उपयोग के दृष्टिगत 30 लीo प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का अतिरिक्त आपूर्ति तथा 15 प्रतिशत जल क्षति अर्थात 30 लीo प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के आधार पर 210 लीo प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की सकल आपूर्ति के मानक के अनुसार वर्ष 2031 हेतु नगर की प्रक्षेपित भावी जनसंख्या हेतु लगभग 1750 MLD प्रतिदिन की जलापूर्ति की आवश्यकता होगी।

8.5 नगर हेतु भावी सीवेज व्यवस्था का आंकलन

लखनऊ नगर की वर्तमान जनसंख्या के अतिरिक्त लखनऊ विकास क्षेत्र (176 ग्राम) की जनसंख्या को सम्मिलित करते हुए वर्ष 2031 में कुल 65.00 लाख जनसंख्या अनुमानित की गई है। नगर की वर्तमान जनसंख्या हेतु उपलब्ध सीवर व्यवस्था के अतिरिक्त बिजनौर

में 63 MLD का एक सीवर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट वर्ष 2025 तक के लिए तथा 263 MLD का एक वृहत ट्रीटमेन्ट प्लान्ट मस्तेमऊ में वर्ष 2045 तक की जनसंख्या के दृष्टिगत लखनऊ नगर निगम द्वारा जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजनान्तर्गत प्रस्तावित है। लखनऊ महायोजना–2031 में प्रस्तावित भू–उपयोगों के दृष्टिगत भावी जनसंख्या हेतु अतिरिक्त 673 MLD क्षमता के एस0टी0पी0 विभिन्न स्थलों पर प्रस्तावित करने की आवश्यकता होगी।

अध्याय–9
भू–उपयोग प्रस्ताव

9.1 नगर के विकास/विस्तार की दिशा

9.1.1 परिचय

लखनऊ विकास क्षेत्र की महायोजना–2031 तक की अवधि हेतु तैयार की गई है। महायोजना तैयार किये जाने हेतु भौतिक, आर्थिक एवं सामाजिक तथ्यों का संतुलन बनाये रखना आवश्यक है जिसके लिए नगर के भौतिक स्वरूप को आधार मानते हुए महायोजना की संरचना की गई है।

9.1.2 विकास की प्रवृत्ति

लखनऊ नगर का भौतिक विकास विगत 30 वर्षो में तीव्र गति से हुआ है। वर्ष 1987 में लखनऊ नगर का विभिन्न क्रियाओं के अन्तर्गत क्षेत्रफल लगभग 7980 हेक्टेयर था जोकि वर्ष 2004 में बढ़कर लगभग 16270 हेक्टेयर तथा वर्ष 2010 में लखनऊ विकास क्षेत्र के अन्तर्गत 176 ग्राम सम्मिलित करते हुए नगर का भौतिक विकास का क्षेत्र 24481.57 हेक्टेयर हो गया। (मानचित्र संख्या–3) नगर का विकास मुख्यतः उत्तर, उत्तर–पूर्व दिशाओं में अपेक्षाकृत अधिक हुआ है, जबकि उत्तर–पश्चिम एवं पश्चिम में अपेक्षाकृत कम हुआ है। लखनऊ महायोजना–2001 में विभिन्न क्रियाओं हेतु कुल 23682.00 हेक्टेयर क्षेत्र एवं महायोजना–2021 में 43,206.90 हेक्येटर क्षेत्र प्रस्तावित था जिसमें से कुछ क्षेत्रों में विकास अपेक्षाकृत कम है। उदाहरणार्थ उत्तर–पश्चिम का क्षेत्र (गोमती नदी एवं सीतापुर मार्ग के मध्य का क्षेत्र)। विकास प्रवृत्ति के अनुसार वर्ष 2016 में तैयार की गई महायोजना–2031 में 71220.39 हेक्येटर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया था।

9.1.3 नियोजन हेतु उपलब्ध क्षेत्र

प्रभावी महायोजना–2031 के संरचना के समय हरदोई मार्ग पर मलिहाबाद एवं उसके आसपास का क्षेत्र, मोहान मार्ग एवं उसके आसपास का क्षेत्र में वृहद् स्तर बाग उपलब्ध थे। इन बागानों को यथा–सम्भव संरक्षित किये जाने, कुकरैल आरक्षित वन क्षेत्र तथा हरदोई रोड पर मूसाबाग में भी आरक्षित वन क्षेत्र को संरक्षित किये जाने के कारण इस क्षेत्र में विकास

हेतु भूमि सीमित रूप में उपलब्ध थे। उक्त के दृष्टिगत इन्हें संरक्षित किया गया एवं शेष बचे उपयुक्त क्षेत्रों में नगरीय क्रियान्वयन की आवश्यकता एवं स्थलों की स्थिति अनुसार उपयुक्तता को दृष्टिगत विभिन्न उपयोगों हेतु प्रस्ताव किये गये थे। (मानचित्र संख्या–7)

मानचित्र–6
लखनऊ महानगर का भौतिक विकास प्रतिरूप

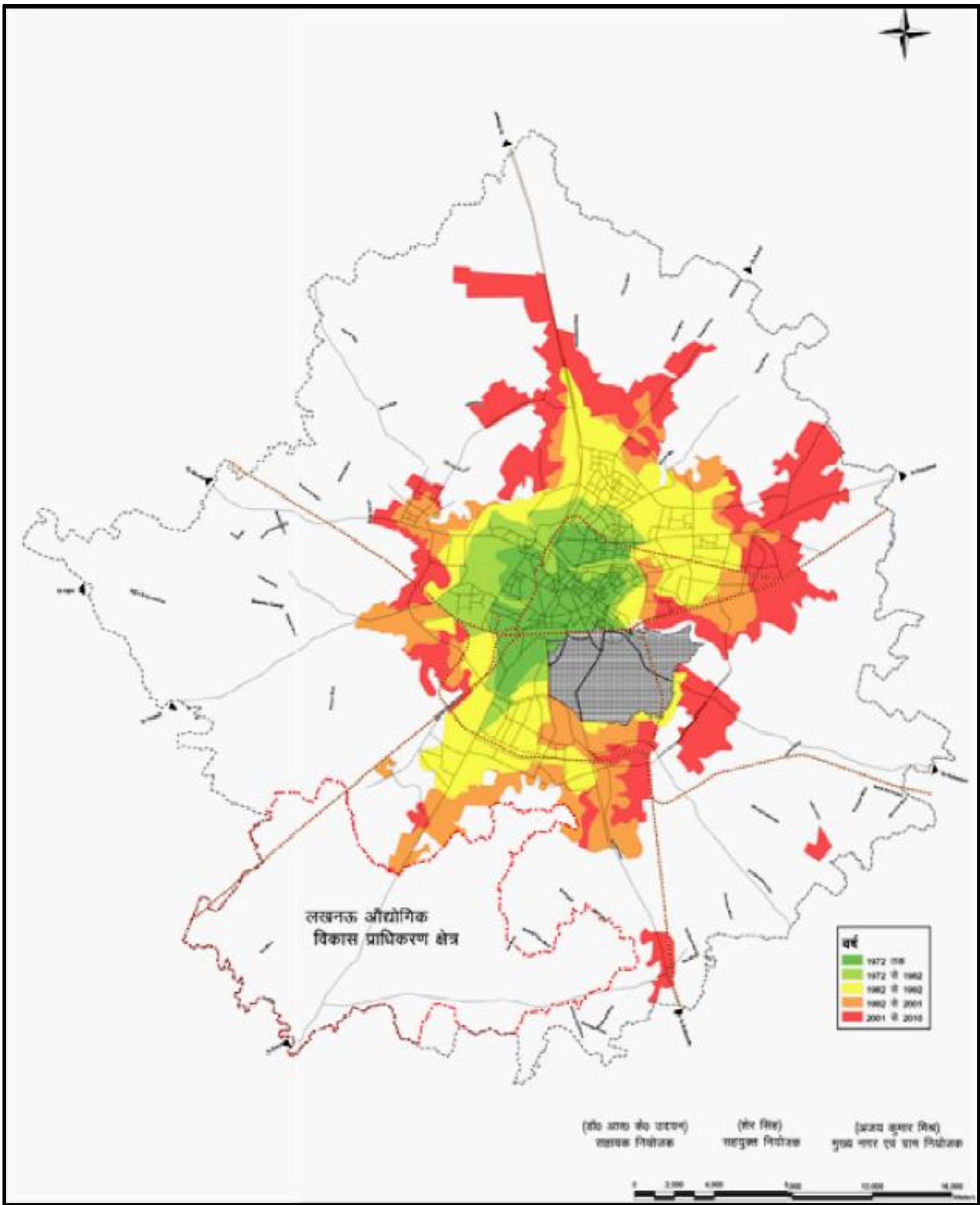

मानचित्र–7
नियोजन हेतु उपलब्ध क्षेत्र

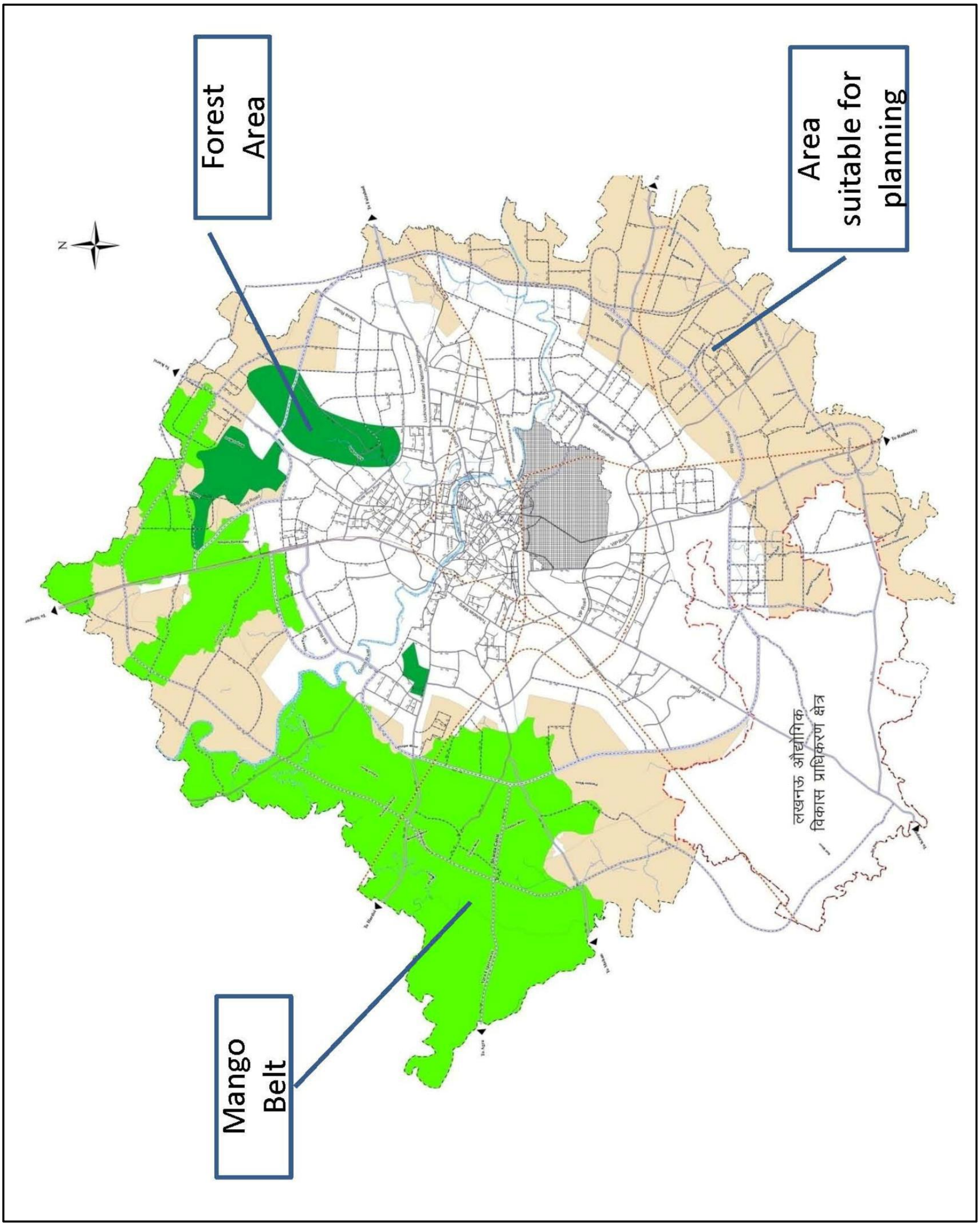

9.2 आर्थिक आधार

लखनऊ नगर समूह की वर्ष 2001 में जनसंख्या 22,45,509 थी जो वर्ष 2011 में 28.80 लाख हो गयी, वर्ष 2021 में 45.00 लाख तथा वर्ष 2031 में 65.00 लाख होनी अनुमानित है। कुल जनसंख्या में कार्य करने वालों का प्रतिशत वर्ष 2001 में 27.51 था, जो वर्ष 2011 में 33.70 हो गया है।

नगरीयकरण के साथ वर्ष 2021 में कुल जनसंख्या में कार्य करने वालों का 34.00 प्रतिशत तथा वर्ष 2031 में 35.00 प्रतिशत होना अनुमानित है। इस प्रकार से वर्ष 2021 में लखनऊ नगर में कुल 15.30 लाख तथा वर्ष 2031 में 22.75 लाख कार्य करने वाले व्यक्ति होंगे। कुल कार्य करने वालों में वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार 1.65 प्रतिशत व्यक्ति प्राथमिक क्रियाओं, 18.35 प्रतिशत व्यक्ति द्वितीयक श्रेणी की क्रियाओं एवं शेष 80.00 प्रतिशत व्यक्ति तृतीयक श्रेणी की क्रियाओं में कार्यरत थे।

लखनऊ नगर समूह औद्योगिक क्रियाओं हेतु आकर्षण का केन्द्र नहीं हो पाया है तथा भविष्य में भी यह नगर प्रमुखतया प्रशासनिक एवं विशिष्ट सेवा केन्द्र के रूप में ही अपनी पहचान बनाये रखेगा। वर्ष 2021 में कुल 15.30 लाख कार्य करने वाले व्यक्तियों में से 1.5 प्रतिशत व्यक्ति प्राथमिक श्रेणी अर्थात् कृषि एवं पशुपालन आदि में कार्यरत है, तथा 19.00 प्रतिशत व्यक्ति द्वितीयक श्रेणी की क्रियाओं अर्थात् औद्योगिक क्रियाओं में शेष 79.50 प्रतिशत व्यक्ति तृतीयक श्रेणी की क्रियाओं अर्थात वाणिज्यिक एवं व्यापार, सेवाओं आदि में कार्यरत है। अतः अनुमान है कि वर्ष 2031 में कुल 22.75 लाख कार्य करने वाले व्यक्तियों में से 1.45 प्रतिशत व्यक्ति प्राथमिक श्रेणी अर्थात कृषि एवं पशुपालन आदि में कार्यरत होंगे तथा 20.00 प्रतिशत व्यक्ति द्वितीयक श्रेणी की क्रियाओं अर्थात औद्योगिक क्रियाओं में तथा शेष 78.55 प्रतिशत व्यक्ति तृतीयक श्रेणी की क्रियाओं अर्थात वाणिज्यिक एवं व्यापार सेवाओं आदि में कार्यरत होंगे।

उपरोक्त नगरीकरण की प्रवृत्ति एवं वर्ष 2021 हेतु विभिन्न नगरीय क्रियाओं के विकास के लिए प्रस्तावित 43,206.90 हेक्टेयर क्षेत्र के दृष्टिगत लखनऊ विकास क्षेत्र (176 ग्राम) को सम्मिलित करते हुये लखनऊ नगर के विभिन्न नगरीय क्रियाओं के विस्तार एवं विकास के

लिए लखनऊ महायोजना–2031 में कुल 71220.39 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गयी थी। प्रभावी महायोजना के जी0आई0एस0 पर कन्वर्जन किये जाने तथा प्राप्त आपत्ति सुझावों पर बोर्ड की संस्तुति अनुसार महायोजना मानचित्र को तैयार किया गया है, जिसमें लखनऊ महायोजना–2031 में कुल 71974.71 हेक्टेयर नगरीयकरण भूमि प्रस्तावित की गई है।

9.3 भू–उपयोग एवं प्रस्ताव

तालिका–16
प्रस्तावित भू–उपयोग–2031

प्रस्तावित भू–उपयोग 2031 (हेक्टेयर)				
प्रस्तावित भू–उपयोग श्रेणियाँ	प्रस्तावित भू–उपयोग उप श्रेणियों	प्रस्तावित क्षेत्र 2031 (हेक्टेयर) (जी.आई.एस के अनुसार)	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
आवासीय	निर्मित क्षेत्र	1357.10	35098.41	48.76
	आवासीय	31722.76		
	ग्रामीण आबादी	2018.55		
व्यवसायिक	मिश्रित 1	94.01	3204.81	4.45
	मिश्रित 2	875.20		
	केन्द्रीय वाणिज्यिक केन्द्र	64.45		
	नगर केन्द्र	560.79		
	उपनगर केन्द्र	1045.42		
	थोक व्यापार केन्द्र	190.26		
	मोटर वाहन क्रय–विक्रय बाजार / कार्यशाला तथा सहायक विक्रय केन्द्र	116.30		
	भण्डार / गोदाम / वेयरहाउसिंग	107.07		
	बाजार स्ट्रीट	151.31		
औद्योगिक	वृहद उद्योग	1032.17	3519.20	4.89
	लघु उद्योग	1822.18		
	डेयरी	9.31		
	आई.टी.पार्क	655.54		
कार्यालय	कार्यालय	754.93	754.93	1.05
सामुदायिक सुविधायें / उपयोगिताएं एवं सेवायें	शिक्षण संस्थायें (सामान्य एवं तकनीकी)	534.01	5883.68	8.17
	चिकित्सालय	221.48		
	सामाजिक / सांस्कृतिक / शोध संस्थायें एवं सेवायें	3829.55		
	मन्दिर	7.47		

	जल–कल	217.72		
	रेडियो स्टेशन/दूरदर्शन	10.95		
	विद्युत उपकेन्द	144.47		
	सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट	721.98		
	गारबेज (थोक उपादिष्ट निस्तारण केन्द्र)	196.06		
यातायात एवं परिवहन	मार्ग	8119.37	10037.86	13.95
	रेलवे लाइन/यार्ड/मिनरल साइडिंग एवं स्टेशन	528.11		
	ट्रक एवं बस अड्डा	574.65		
	हवाई अड्डा	811.10		
	पार्किंग	4.63		
मनोरंजनात्मक	पार्क एवं खुले स्थल	4862.03	13475.82	18.72
	क्षेत्रीय पार्क एवं क्रीड़ा स्थल	1761.09		
	ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक/धार्मिक महत्व के स्थल/भवन	131.14		
	चिड़ियाघर एवं अजायबघर	28.44		
	वनस्पति उद्यान	23.47		
	पर्यावरण पार्क	2374.61		
	प्रदर्शनी/मेला एवं सम्मेलन स्थल	118.24		
	हरित पट्टी	4176.80		
योग		**71974.71**	**71974.71**	**100**
अन्य	कैटिल कॉलोनी	172.77		
	नदी/नाला/तालाब/जलाशय	3116.84		
	श्मशान घाट/कब्रिस्तान/करबला	69.17		
	वन	3811.41		
	बाग	222.42		
	निषिद्ध क्षेत्र	76.39		
	बाँध	133.73		
अपरिभाषित क्षेत्र	अपरिभाषित क्षेत्र	2566.68		
कृषि	कृषि	25258.39		
	हाईवे फैसिलिटी जोन	288.29		
योग		**35721.33**		
महायोग		**107696.04**		

9.3.1 आवासीय

मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में भोजन एवं वस्त्र के बाद आवास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। लखनऊ नगर की महायोजना–2021 में लगभग 21018.46 हेक्टेयर भूमि आवासीय भू–उपयोग में प्रस्तावित थी। लखनऊ विकास क्षेत्र में (176 ग्राम) सम्मिलित करते हुए लखनऊ महायोजना–2031 में आवासीय उपयोग के अन्तर्गत कुल 35098.41 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गयी है जो कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 48.76 प्रतिशत है। यह नगर का नवविकसित/विकासशील आवासीय क्षेत्र है, जो घनी आबादी के सानिध्य में है। इस क्षेत्र में आवासीय घनत्व 400 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर प्रस्तावित है।

आवासीय क्षेत्र के अन्तर्गत लगभग 31722.76 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित है। ग्रामीण आबादी के अन्तर्गत कुल 2018.55 हेक्टेयर भूमि प्रयुक्त है।

9.3.2 निर्मित क्षेत्र

निर्मित आवासीय क्षेत्र (जो नगर का पूर्ण घना बसा विकसित आवासीय क्षेत्र है) के अन्तर्गत लगभग 1357.10 हेक्टेयर भूमि है जिसका आवासीय घनत्व 600 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर से लेकर 1000 व्यक्ति प्रति हेक्टयेर से भी अधिक है जिसके घनत्व को 600 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर बनाये रखने के लिए इस क्षेत्र की घनी आबादी को नगर का बाह्य क्षेत्रों में प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों में स्थानान्तरित किये जाने के प्रस्ताव किये गये है।

9.3.3 व्यवसायिक क्षेत्र

नगर में चौक, अमीनाबाद एवं हजरतगंज क्षेत्र पुराने व्यवसायिक केन्द्र है। इन पुराने केन्द्रों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी अनेक व्यवसायिक केन्द्र विकसित हो रहे है। हजरतगंज, चौक एवं अमीनाबाद क्षेत्रों में व्यवसायिक क्रियाकलाप वहॉ पर उपलब्ध मार्गो की चौड़ाई एवं पार्किंग स्थलों की तुलना में अधिक है जबकि विकासशील एवं नवविकसित कॉलोनियों में व्यवसायिक क्रियाकलाप अपेक्षाकृत कम है जिससे असंतुलन उत्पन्न होता है। व्यवसायिक क्रिया–कलापों हेतु नगर के विभिन्न क्षेत्रों में उन क्षेत्रों की आवश्यकता एवं क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए कुल 3204.81 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रस्तावित किया गया है जो कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 4.45 प्रतिशत है।

(क) मिश्रित भू–उपयोग (1)

नगर के परम्परागत व्यवसायिक क्षेत्र यथा चौक, डालीगंज तथा याहियागंज क्षेत्रों को मिश्रित भू–उपयोग के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है। इस उपयोग के अन्तर्गत भूतल एवं प्रथम तल पर व्यवसायिक/कार्यालय उपयोग तथा ऊपरी तलों पर आवासीय उपयोग अनुमन्य होगा। इस उपयोग के अन्तर्गत 94.01 हेक्टेयर भूमि का प्रस्ताव किया गया है।

(ख) मिश्रित भू–उपयोग (2)

नये क्षेत्रों में प्राधिकरण की चक गंजरिया फार्म योजना में प्राधिकरण द्वारा मिश्रित भू–उपयोग प्रस्तावित किया गया एवं आवास एवं विकास परिषद की वृन्दावन योजना, बाह्य रिंग रोड पर सीतापुर मार्ग से अस्ती मार्ग पर, मोहान मार्ग से कानपुर रेलवे लाईन के मध्य, नगर के पूरब दिशा में गोमती नदी के समीप रिंग रोड पर मिश्रित भू–उपयोग प्रस्तावित किया गया है। इसका कुल क्षेत्रफल 875.20 हेक्टेयर है।

9.3.3.1 केन्द्रीय वाणिज्यिक केन्द्र

नगर के हजरतगंज एवं अमीनाबाद व्यवसायिक केन्द्र जो कि अत्यधिक भीड़–भाड़ वाले व्यवसायिक क्षेत्र है, को केन्द्रीय वाणिज्यिक केन्द्रों के रूप में प्रस्तावित किया गया है। इन केन्द्रों में और अधिक व्यवसायिक क्रियाओं को बढ़ावा न दिये जाने की आवश्यकता को देखते हुये इन क्षेत्रों में यथा स्थिति को बनाये रखने की आवश्यकता है। केन्द्रीय वाणिज्यिक केन्द्रों हेतु कुल 64.45 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित है।

9.3.3.2 नगर केन्द्र

केन्द्रीय वाणिज्यिक क्षेत्र पर बढ़ते दबाव को कम करने के उद्देश्य से नवविकसित/विकासशील क्षेत्रों में नगर केन्द्रों का प्रस्ताव किया गया है। प्रत्येक नगर केन्द्र

दो से पाँच लाख की जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। नगर केन्द्र भू–उपयोग के अन्तर्गत लगभग 560.79 हेक्टेयर क्षेत्र का प्राविधान किया गया है।

9.3.3.3 उपनगर केन्द्र

लखनऊ नगर की वर्ष 2031 की अनुमानित 65 लाख जनसंख्या की दृष्टिगत नगर में पर्याप्त उपनगर केन्द्रों का उपयुक्त स्थलों पर प्रस्ताव किया गया है। लखनऊ महायोजना–2021 में प्रस्तावित उपनगर केन्द्रों के अतिरिक्त कुर्सी मार्ग पर 03, सीतापुर एवं रैथा मार्ग पर 1–1, हरदोई मार्ग पर 03, मोहान एवं वनी मार्ग पर 1–1, रायबरेली मार्ग पर 02, नगराम मार्ग पर 01 सुल्तानपुर मार्ग पर 02, इन्दिरा कैनाल पर 1 एवं अयोध्या मार्ग पर 2 उपनगर केन्द्र विकसित किये जाने हेतु भूमि प्रस्तावित की गयी है। प्रत्येक उपनगर केन्द्र बीस हजार से एक लाख जनसंख्या की आवश्यकताओ की पूर्ति करेगा। इन उपनगर केन्द्रों हेतु कुल लगभग 1045.42 हेक्टेयर क्षेत्र का प्राविधान है।

9.3.3.4 थोक व्यापार केन्द्र

महायोजना में उपरोक्त स्थलों के अतिरिक्त थोक व्यवसाय तथा मण्डियों के लिए भी प्रस्ताव किया गया है। क्योंकि नगर की घनी आबादी में स्थित थोक व्यापार को विकेन्द्रित करने की आवश्यकता का अनुभव किया गया है। वर्तमान में सीतापुर मार्ग, हरदोई मार्ग तथा कानपुर मार्ग पर स्थित मण्डियों के सुदृढ़ीकरण की भी आवश्यकता है।

इसके अतिरिक्त 6 नये मण्डी स्थलों का प्राविधान अयोध्या मार्ग, सुल्तानपुर मार्ग, बक्शी का तालाब (सुदृढ़ीकरण) एवं कानपुर मार्ग, कुर्सी मार्ग तथा बनी मार्ग पर किया गया है। जिसके लिये 190.26 हेक्टेयर (वर्तमान मण्डी स्थल क्षेत्र सहित) भूमि का प्राविधान है।

9.3.3.5 भण्डार/गोदाम/वेयरहाउसिंग

नगर में भण्डार/गोदाम/वेयरहाउसिंग के क्रिया–कलापों को सुचारू रूप से संचालित किये जाने हेतु सीतापुर मार्ग एवं सुल्तानपुर मार्ग के अतिरिक्त कानपुर मार्ग पर स्थित तेल

भण्डारण क्षेत्र के विस्तार किये जाने की आवश्यकता को देखते हुये भण्डार/वेयरहाउसिंग हेतु 107.07 हेक्टेयर भूमि का प्रस्ताव किया गया है।

9.3.3.6 मोटर वाहन क्रय–विक्रय बाजार/कार्यशाला तथा सहायक विक्रय केन्द्र

मोटर वाहनों के क्रय–विक्रय, कार्यशाला एवं कल पुर्जो के विक्रय हेतु महायोजना–2031 में 116.30 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है जो मुख्यतः सीतापुर मार्ग, हरदोई मार्ग, सुल्तानपुर मार्ग एवं रायबरेली मार्ग पर स्थित है।

9.3.3.7 बाजार मार्ग

लखनऊ महायोजना–2001 में कुछ मार्गो को बाजार मार्ग के रूप में उन पर हो रही परम्परागत व्यवसायिक गतिविधियों को दृष्टिगत रखते हुए चिन्हित किया गया था। इन चिन्हित मार्गो की विस्तृत योजनायें तैयार न हो सकने के फलस्वरूप मार्गो के साथ–साथ व्यवसायिक विकास तो हुआ किन्तु उनका स्वरूप बाजार मार्ग की अवधारणा के अनुरूप नहीं हुआ जिसके कारण यातायात की समस्यायें मार्गो पर व्यवसायिक क्रियाओं की सघनता के कारण और बढ़ी।

विभिन्न अभिकरणों द्वारा विकसित आवासीय कॉलोनियां/स्वीकृत तलपट के आधार पर विकसित क्षेत्रों/विकासशील क्षेत्र के मार्गो को बाजार मार्ग के रूप में चिन्हित किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि इनका विकास नियोजित रूप से हुआ है तथा व्यवसायिक एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं/सेवाओं हेतु प्राविधान योजना के अन्तर्गत किए गए है।

उपरोक्त समस्या के निराकरण हेतु आवश्यक है कि पूर्व में चिन्हित बाजार मार्गो को ही निम्न प्राविधानों एवं शर्तो के साथ महायोजना–2031 में समायोजित किया जाये।

- मार्गो के साथ स्थित सामुदायिक सुविधायें जैसे–शिक्षा/स्वास्थ्य सुविधायें, मन्दिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, चर्च, पार्क एवं राजकीय/अर्द्व–राजकीय/स्थानीय निकाय कार्यालय को व्यवसायिक उपयोग के अन्तर्गत नहीं माना जायेगा।

- बाजार मार्ग का मार्गाधिकार क्षेत्र न्यूनतम 18मी0 अथवा महायोजना में प्रस्तावित चौड़ाई जो भी अधिक हो, मानी जायेगी।
- विभिन्न मार्गाधिकारों पर स्थित भूखण्डों पर व्यवसायिक उपयोग की गहराई प्रस्तावित मार्गाधिकार के बराबर अथवा 1 जनवरी, 2005 को भू–स्वामी द्वारा अपने स्वामित्व में भूमि की गहराई की सीमा (जो भी अधिक हो) तक मानी जायेगी।
- बाजार मार्गो पर व्यवसायिक निर्माण/विकास प्रभावी भवन उपविधि के प्राविधानों के अनुरूप अनुमन्य होंगे।
- बाजार मार्ग का मानचित्र अलग से बनाया गया है, किन्तु महायोजना मानचित्र की मूलप्रति सम्बन्धित भू–उपयोग को बाजार मार्ग ही माना जायेगा।

चिन्हित बाजार मार्ग निम्नवत् हैः–

1. अयोध्या मार्ग (कुकरैल बांध से राजकीय पॉलीटेक्निक तक)
2. विधानसभा मार्ग (हुसैनगंज चौराहे से रॉयल होटल तक)
3. अशोक मार्ग (प्रस्तावित हजरतगंज केन्द्रीय वाणिज्यिक स्थान से राणा प्रताप मार्ग तक)
4. शाहनजफ मार्ग (हजरतगंज केन्द्रीय वाणिज्यिक क्षेत्र से राणा प्रताप मार्ग तक)
5. रेलवे स्टेशन मार्ग (हुसैनगंज चौराहे से के0के0 कालेज चौराहे तक)
6. आलमबाग–तालकटोरा मार्ग (टेढ़ी पुलिया से शारदा नहर तक)
7. विशेश्वर नाथ मार्ग (कैसरबाग चौराहे से रॉयल होटल चौराहे तक)
8. तुलसीदास मार्ग (चौक चौराहा से गाजीउद्दीन हैदर नहर तक)
9. कुर्सी मार्ग (रैदास मन्दिर रेलवे समपार से अलीगंज सेक्टर जी स्थित पेट्रोल पम्प तक)
10. निशांतगंज (निशांतगंज चौराहा से गोमती नदी सेतु तक)
11. रामतीर्थ मार्ग (हजरतगंज केन्द्रीय वाणिज्यिक क्षेत्र से राणा प्रताप मार्ग तक)
12. सुभाष मार्ग (मेडिकल कालेज चौराहा से स्टेशन मार्ग तक)
13. कैण्ट मार्ग (कैसरबाग केन्द्रीय वाणिज्यिक क्षेत्र केन्द्र से कैण्ट रेलवे समपार तक)
14. अमीनाबाद मार्ग (चारबाग रेलवे स्टेशन से अमीनाबाद केन्द्रीय वाणिज्यिक क्षेत्र तक)

15.गौतम बुद्ध मार्ग (कैसरबाग केन्द्रीय वाणिज्यिक क्षेत्र से रेलवे स्टेशन मार्ग तक)

16.शिवाजी मार्ग (हुसैनगंज चौराहे से गौतम बुद्ध मार्ग तक)

17.गुइन रोड (अमीनाबाद केन्द्रीय वाणिज्यिक क्षेत्र से गुलमर्ग होटल चौराहा तक)

18.लालकुऑ/गुरूद्वारा मार्ग (हुसैनगंज चौराहे से नाका हिंडोला तक)

19.गोलागंज मार्ग (गोलागंज चौराहे से कैसरबाग बस स्टेशन चौराहे तक)

20.गंगा प्रसाद वर्मा मार्ग (रकाबगंज चौराहे से अमीनाबाद केन्द्रीय वाणिज्यिक क्षेत्र तक)

21.बी0एन0वर्मा (गुलमर्ग होटल चौराहा से चारबाग बस स्टेशन चौराहे तक)

22.नजीराबाद मार्ग (अमीनाबाद केन्द्रीय वाणिज्यिक क्षेत्र से कैसरबाग चौराहे तक)

23.कचहरी मार्ग (अमीनाबाद केन्द्रीय वाणिज्यिक क्षेत्र से आर0 एन0 टण्डन मार्ग तक)

24.झाऊ लाल मार्ग (गुलमर्ग होटल चौराहे से गोलागंज चौराहे तक)

25.लालबाग क्षेत्र (जैसा मानचित्र में दिखाया गया है)

26.पान दरीबा मार्ग (अग्रसेन विद्यालय/मवइया मार्ग)

27.कपूरथला से आई0टी कालेज चौराहे तक बाजार मार्ग (रैदास मन्दिर के सामने वाली पट्टी को) प्रस्तावित करने का निर्णय हुआ।

28.ओसामा तलहा मार्ग (केन्द्रीय वाणिज्यिक क्षेत्र से 96मी0 तक मार्ग क पूरब दिशा में)

29.मंदिर मार्ग (एल.डी.ए शॉपिंग काम्पलेक्स एवं महानगर सेक्टर शॉपिंग के सामने)

उपरोक्त के अतिरिक्त शासन द्वारा शासनादेश संख्या 5081/9–आ–3–02–18 एलयूसी/2001 दिनांक 25.04.2003 के द्वारा ग्राम भदरूख की भूमि का भू–उपयोग व्यवसायिक किये जाने हेतु परिवर्तित किया गया तथा प्राधिकरण के निर्णयानुसार शारदानगर योजना के रतन खण्ड के व्यवसायिक उपयोग जो कि मार्ग से संलग्न 50मी0 की गहराई तक होगा, रकाबगंज से हटाये गये मूंगफली व्यवसायियों को नवीवुल्ला रोड व प्रौढ़ शिक्षा कार्यालय की भूमि पर बसाये गये स्थल, रकाबगंज से विस्थापित किये गये टाल व्यवसायियों को मोतीझील में बसाये गये स्थल एवं सुभाष मार्ग चौड़ीकरण के फलस्वरूप विस्थापित दुकानदारों को रेलवे मालगोदाम के पास बसाये गये स्थलों को महायोजना मानचित्र में दर्शाया जाना संम्भव नहीं है, को भी व्यवसायिक उपयोग हेतु ही माना जायेगा। इन स्थलों को

परिक्षेत्रीय योजना तैयार करते समय व्यवसायिक उपयोग के रूप में ही समायोजित किया जायेगा।

9.3.3.8 असंगठित क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों के लिए प्रस्ताव

विभिन्न अनुमानों के अनुसार लखनऊ नगर समूह में वर्तमान में लगभग 2 लाख व्यक्ति असंगठित क्षेत्र (इन्फॉर्मल क्षेत्र) में कार्यरत है जिनकी संख्या वर्ष 2031 में लगभग 3 लाख होनी अनुमानित है। असंगठित क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति प्रायः मार्गो पर ही अपना कार्य करते है जिससे मार्गो की प्रभावी चौड़ाई कम होती है। महायोजना में प्रस्ताव है कि असंगठित क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों हेतु अभिकरण (प्राधिकरण/उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद) द्वारा निर्मित योजना में न्यूनतम एक प्रतिशत क्षेत्र आरक्षित किया जाए जिससे कि नगर की अर्थव्यवस्था के एक प्रमुख क्षेत्र को नियोजित ढंग से समायोजित किया जा सके।

9.3.4 औद्योगिक

नगर की अर्थव्यवस्था में उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वर्ष 2031 में द्वितीयक श्रेणी में कार्य करने वालों की संख्या लगभग 1.34 लाख होगी, जिसके लिए महायोजना में लगभग 3519.20 हेक्टेयर क्षेत्र (कुर्सी मार्ग, अस्ती मार्ग, नगराम मार्ग, सुल्तानपुर मार्ग एवं देवा मार्ग पर) प्रस्तावित किया गया है जोकि कुल प्रस्तावित भूमि पर 4.89 प्रतिशत है।

9.3.4.1 वृहद उद्योग

महायोजना–2031 में वृहद उद्योगों हेतु 1032.17 हेक्टेयर क्षेत्र का प्रस्ताव है। इन उद्योगों हेतु क्षेत्र का निर्धारण कानपुर मार्ग, देवा मार्ग और अयोध्या मार्ग पर किया गया है, जहॉ पर वर्तमान में भी वृहद् उद्योग विद्यमान है।

9.3.4.2 लघु उद्योग

महायोजना–2031 में नगर में लघु उद्योगों हेतु 1822.18 हेक्टेयर भूमि का प्रस्ताव किया गया है। इन उद्योगों हेतु क्षेत्रों का निर्धारण तालकटोरा मार्ग, ऐशबाग, कानपुर मार्ग, देवा मार्ग आदि विद्यमान औद्योगिक क्षेत्रों के अतिरिक्त कुर्सी मार्ग, सीतापुर मार्ग, अयोध्या

मार्ग एवं मोहान मार्ग पर किया गया है। मोहान मार्ग पर लघु उद्योगों हेतु प्रस्ताव विशेष कर आरा मशीनों को स्थानान्तरित किये जाने हेतु किया गया है।

9.3.4.3 डेयरी

लखनऊ महायोजना–2031 में सुल्तानपुर मार्ग पर डेयरी भू–उपयोग के अन्तर्गत 9.31 हेक्टेयर भूमि आरक्षित की गयी है।

9.3.4.4 आई.टी.पार्क

लखनऊ महायोजना–2031 में सुल्तानपुर मार्ग पर आई.टी. पार्क के विकसित किये जाने हेतु 655.54 हेक्टेयर भूमि का प्रस्ताव किया गया है।

9.3.5 कार्यालय

लखनऊ नगर प्रदेश राजधानी होने के परिणाम स्वरूप यह अनुमान किया गया है कि इसका कार्य स्वरूप प्रधानतः प्रशासनिक होगा। महायोजना–2031 में कार्यालय उपयोग हेतु 754.93 हेक्टेयर भूमि का प्रस्ताव किया गया है जिसमें मुख्य कार्यालय काम्पलेक्स क्षेत्र, उच्च न्यायालय, जवाहर भवन, सचिवालय/विधानसभा क्षेत्र, अलीगंज में जी0एस0आई कॉम्पलेक्स, आर0डी0एस0ओ0 कार्यालय क्षेत्र महानगर में आई0टी0 चौराहे के पास पुलिस लाइन तथा उदयगंज क्षेत्र में सिंचाई विभाग कॉम्पलेक्स जेल एवं निर्वाचन कार्यालय सम्मिलित है। सप्रू मार्ग से संलग्न भूखण्डों को 100मी0 की गहराई तक कार्यालय उपयोग के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है ऐसे भू–खण्ड जो मार्ग से संलग्न नहीं है किन्तु 100मी0 की गहराई के अन्तर्गत आते है उनके पर्याप्त पहुँच मार्ग न होने के कारण व्यवहारिक समस्याएं उत्पन्न होती है अतः यह उपयोग केवल मार्ग से (स्वामित्व के आधार पर) संलग्न भू–खण्ड (अधिकतम गहराई 100मी0) हेतु ही मान्य होगा। जो भू–खण्ड सप्रू मार्ग से संलग्न नहीं है, यद्यपि 100मी0 की गहराई के अन्तर्गत आते है, का प्रस्तावित भू–उपयोग आवासीय ही माना जायेगा।

नगर में भावी स्थापित होने वाले कार्यालयों को प्रस्तावित नगर केन्दों, उपनगर केन्द्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है, परन्तु नई जेल रोड पर कार्यालय भू–उपयोग विस्तारित क्षेत्र में प्रस्तावित किया गया है।

9.3.6 सामुदायिक सुविधाएं/उपयोगिताएं एवं सेवायें

इन सेवाओं के लिए महायोजना–2031 में 5883.68 हेक्टेयर क्षेत्र का प्राविधान है, जिसमें विद्यमान सुविधाओं के अन्तर्गत 2054.13 हेक्टेयर तथा प्रस्तावित सुविधाओं के लिए लगभग 3829.55 हेक्टेयर का क्षेत्र आरक्षित किया गया है। जो कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 8.17 प्रतिशत है।

9.3.6.1 शिक्षण संस्थायें (सामान्य एवं तकनीकी)

शैक्षिक सुविधाओं की दृष्टि से लखनऊ न केवल नगर समूह अपितु जिला तथा प्रदेश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। नगर में इन सुविधाओं एवं उपलब्धताओं को देखते हुए 534.01 हेक्टेयर भूमि जोकि वर्तमान शिक्षण संस्थाओं में प्रयुक्त है, को यथावत् महायेाजना–2031 में आरक्षित किया गया है। नगर की भावी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु महायोजना में प्रस्तावित सामुदायिक सुविधाओं/उपयोगिताओं एवं सेवायें भू–उपयोग के अन्तर्गत सामान्य एवं तकनीकी शिक्षण संस्थाओं के विकास हेतु भूमि प्रस्तावित है।

9.3.6.2 चिकित्सालय

नगर में विशिष्ट स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु चिकित्सा विश्वविद्यालय, संजय गाँधी परास्नातक चिकित्सालय, डॉ. राममनोहर लोहिया आर्युविज्ञान संस्थान, यूनानी महाविद्यालय एवं होम्योपैथिक कालेजों के साथ–साथ सामान्य चिकित्सालय, विशिष्ट चिकित्सालय, नर्सिंग होम तथा स्वास्थ्य केन्द्र उपलब्ध है। चिकित्सालय सुविधाओं हेतु महायोजना–2031 में वर्तमान चिकित्सालयों के क्षेत्र का यथावत् प्रस्तावित किया गया है जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 221.48 हेक्टेयर है। नगर की भावी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु महायोजना में प्रस्तावित सामुदायिक सुविधाओं/उपयोगिताओं एवं सेवाओं उपयोग के अन्तर्गत चिकित्सालयों के विकास हेतु भूमि आरक्षित है।

9.3.6.3 सामाजिक/सांस्कृतिक/शोध संस्थायें एवं सेवायें

नगर सामाजिक/सांस्कृतिक/शोध संस्थाओं का प्रमुख केन्द्र है। इन सभी सुविधाओं हेतु वर्तमान स्थित संस्थाओं एवं सुविधाओं के क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए लगभग

3829.55 हेक्टेयर क्षेत्र को यथावत् महायोजना–2031 में प्रस्तावित किया गया है। भावी आवश्यकताओं की पूर्ति महायोजना में प्रस्तावित सामुदायिक सुविधाओं/उपयोगिताओं एवं सेवाओं हेतु प्रस्तावित भूमि में विकास किये जाने का प्रस्ताव है।

9.3.6.4 जल–कल

नगर में जल–कल सुविधाओं हेतु वर्तमान केन्द्रों के अतिरिक्त मोहान मार्ग, रैथा मार्ग, अयोध्या मार्ग, देवा मार्ग, गोमती नदी के तटों व इन्दिरा कैनाल के पास वाटर वर्क्स स्थापित किये जाने के लिए लगभग 217.72 हेक्टेयर भूमि का प्रस्ताव किया गया है।

9.3.6.5 रेडियो स्टेशन/दूरदर्शन

महायोजना–2031 हेतु नगर में रेडियो स्टेशन/दूरदर्शन केन्द्र के लिए वर्तमान क्षेत्र 10.95 हेक्टेयर ही रखा गया है।

9.3.6.6 विद्युत उपकेन्द

लखनऊ नगर की विद्युत आपूर्ति हेतु नगर के विभिन्न भागों यथा कुर्सी मार्ग, अस्ती मार्ग, रायबरेली मार्ग, सुल्तानपुर मार्ग पर विद्युत उपकेन्द्रों की स्थापना हेतु उपयुक्त स्थलों पर लगभग 144.47 हेक्टेयर भूमि का प्रस्ताव महायोजना–2031 में किया गया है।

9.3.6.7 सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट

नगर की सीवरेज निस्तारण व्यवस्था को प्रभावी बनाये जाने के उद्देश्य से नगर के विभिन्न भागों में क्रमशः कुर्सी मार्ग, रैथा मार्ग, एवं देवा मार्ग पर उपयुक्त स्थलों पर सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट लगाये जाने हेतु महायोजना–2031 में लगभग 721.98 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गयी है।

9.3.6.8 गारबेज (थोक उपादिष्ट निस्तारण केन्द्र)

नगर के अन्दर कूड़े को एकत्र करके व्यवस्थित ढंग से नष्ट करने के लिए महायोजना–2031 में लगभग 196.06 हेक्टेयर क्षेत्र का प्रस्ताव किया गया है। यह क्षेत्र सीतापुर मार्ग, मोहान मार्ग, हरदोई रेलवे लाइन के दक्षिण में, रायबरेली मार्ग तथा प्रस्तावित बाहय

मुद्रिका मार्ग के सन्धि स्थल पर तथा देवा मार्ग पर एवं प्रस्तावित बाह्य मुद्रिका मार्ग के सन्धि स्थल पर प्रस्तावित है।

9.3.7 यातायात एवं परिवहन

लखनऊ नगर सड़क, रेल तथा हवाई मार्ग से भली भॉति सम्बद्ध है। नगर की मार्ग प्रणाली मुख्यतः रेडियल है जो कानपुर, अयोध्या, सीतापुर, हरदोई, रायबरेली, सुल्तानपुर, कुर्सी एवं मोहान को सम्बद्ध करते है। यह नगर रेल मार्गो द्वारा कानपुर, गोरखपुर, दिल्ली, रायबरेली एवं सीतापुर से सम्बद्ध है। हवाई मार्ग से दिल्ली, मुम्बई, बेंगलुर, पटना, कोलकाता, एवं शारजाह से सम्बद्ध है। लखनऊ महायोजना–2031 में यातायात एवं परिवहन के अन्तर्गत 10037.86 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गयी है जो कुल क्षेत्र का 13.95 प्रतिशत है।

9.3.7.1 मार्ग

नगर की आन्तरिक प्रणाली के अपर्याप्त होने से भीड़–भाड़ का वातावरण अनावश्यक बिलम्ब एवं दुर्घटनाओं को जन्म देता है। यातायात एवं परिवहन हेतु महयोजना–2031 में यातायात हेतु प्रस्ताव तथा आंतरिक मार्गो के विस्तार के प्रस्ताव दिये गये है। यातायात एवं परिवहन सुविधाओं के अन्तर्गत महायोजना–2031 में 8119.37 हेक्टेयर क्षेत्र रखा गया है। लखनऊ महायोजना में शहीद पथ के बाहर थ्रू–ट्रैफिक बाह्य मुद्रिका मार्ग का प्रस्ताव किया गया है। जिसकी लम्बाई लगभग 106 किलोमीटर है। (मानचित्र संख्या–8)

मानचित्र–8
प्रमुख मार्ग

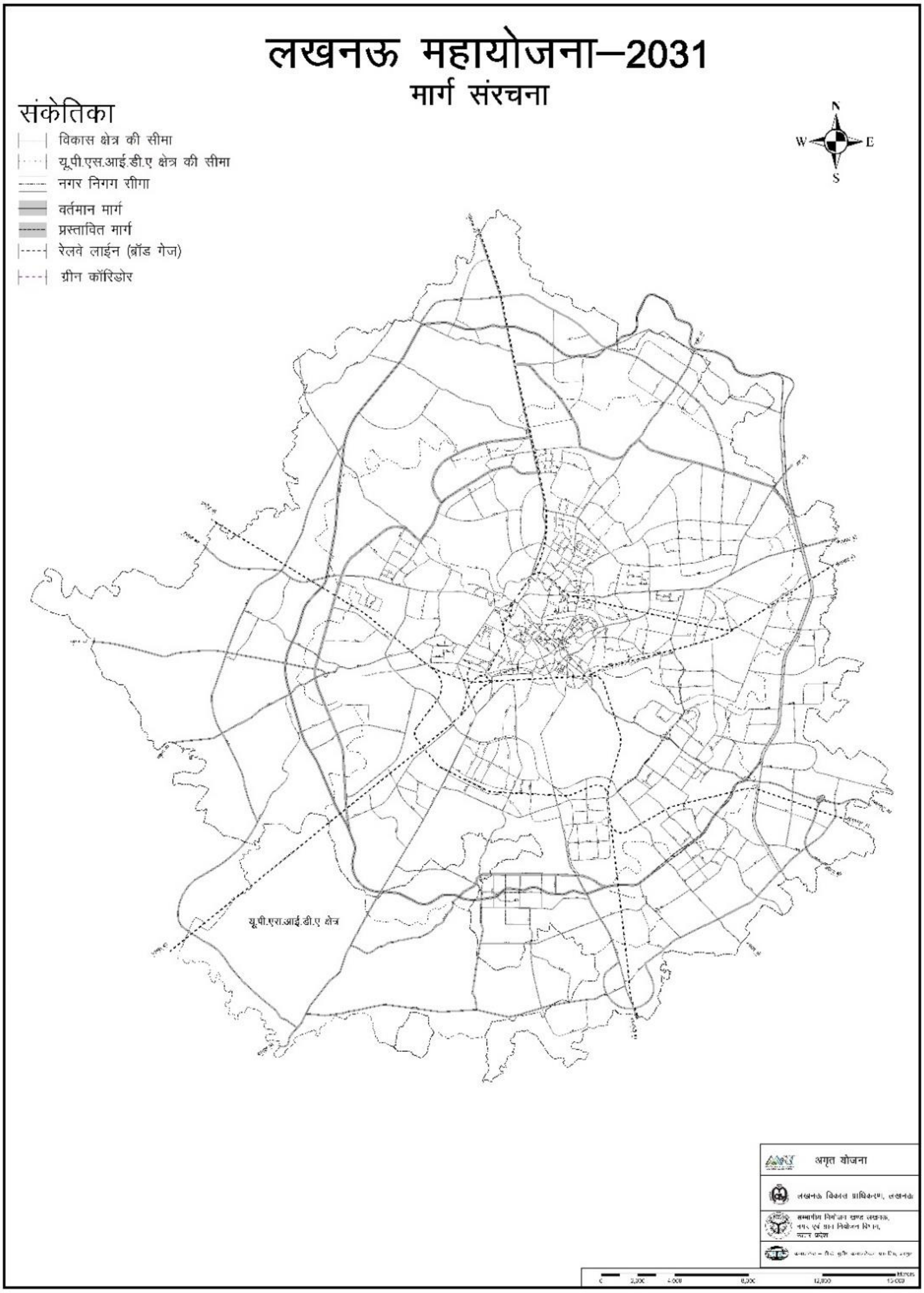

9.3.7.2 रेलवे लाइन/यार्ड/मिनरल साइडिंग एवं स्टेशन

रेलवे के लिये वर्तमान क्षेत्र को यथास्थिति निरूपित करते हुये लगभग 528.11 हेक्टेयर क्षेत्र को रखा गया है।

9.3.7.3 ट्रक एवं बस अड्डा

कानपुर मार्ग पर यातायात नगर की स्थापना से रेल तथा सड़क द्वारा माल यातायात की बढ़ती हुयी आवश्यकता की पूर्ति न हो पाने के कारण तथा नागरिकों के आवागमन हेतु सुविधायें देने के लिये महायोजना–2031 में लगभग 574.65 हेक्टेयर क्षेत्र का प्रस्ताव किया गया है। यह स्थल कुर्सी मार्ग, मोहान मार्ग, बनी मार्ग, सीतापुर मार्ग, अयोध्या मार्ग, हरदोई मार्ग, कानपुर रेलवे लाइन के बगल में, रायबरेली तथा सुल्तानपुर रोड पर स्थित है।

9.3.7.4 हवाई अड्डा

लखनऊ नगर के अमौसी एयर पोर्ट को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित किये जाने के कारण महायोजना–2031 में लगभग 811.10 हेक्टेयर क्षेत्र का प्रस्ताव किया गया है जिसमें वर्तमान हवाई अड्डे का क्षेत्र भी सम्मिलित है।

9.3.7.5 रेलवे स्टेशनों का विस्तार/सुदृढ़ीकरण

लखनऊ नगर में चारबाग रेलवे स्टेशन ही एक मात्र ऐसा स्टशेन है, जहॉ पर समस्त रेलगाड़ियॉ रूकती है। यात्रियों को रेल यात्रा करने के लिए चारबाग रेलवे स्टेशन पर अनिवार्य रूप से आना पड़ता है। चारबाग रेलवे स्टेशन नगर के भीड़–भाड़ वाले क्षेत्र में स्थित है। चारबाग के अतिरिक्त उतरेटिया, आलम नगर, दिलकुशा, मानक नगर एवं गोमती नगर रेलवे स्टेशनों के सुदृढ़ीकरण/विस्तार के प्रस्ताव दिये गये है, ताकि चारबाग रेलवे स्टेशन की भीड़ कम हो सके।

9.3.7.6 पार्किंग स्थलों का प्राविधान

नगर में वर्तमान में यातायात एवं परिवहन सेवाओं पर दबाव के फलस्वरूप नगर के विभिन्न व्यस्त मार्गो पर नियमित रूप से जाम की स्थिति बनी रहती है। जिसका एक मुख्य

कारण उपयुक्त पार्किंग स्थलों का अभाव है। इस हेतु विभिन्न स्थानों पर वर्तमान में उपलब्ध 4 खुले स्थानों को चिन्हित कर पार्किंग हेतु आरक्षित किया गया है। उक्त स्थल ऐशबाग रेलवे स्टेशन के सामने बंद बर्फ कारखाना, जनपथ मार्केट, आई0टी0 चौराहे पर, तथा गोमती नदी के किनारे बैकुंठ धाम है। यद्यपि नगर के अन्य भागों में भी इसकी अत्यन्त आवश्यकता है परन्तु अन्य क्षेत्रों में इस हेतु प्रस्ताव जोनल प्लान तैयार करते समय किया जायेगा।

9.3.7.7 लखनऊ मेट्रो

लखनऊ मेट्रो का निर्माण प्रथम चरण में अमौसी एयरपोर्ट से चारबाग होते हुये इन्दिरानगर में मुंशीपुलिया तक संचालित है। प्रथम चरण में ही अमीनाबाद से होते हुये हरदोई मार्ग तक लखनऊ मेट्रो का निर्माण प्रस्तावित है। (मानचित्र संख्या–9)

मानचित्र–9
लखनऊ मेट्रो

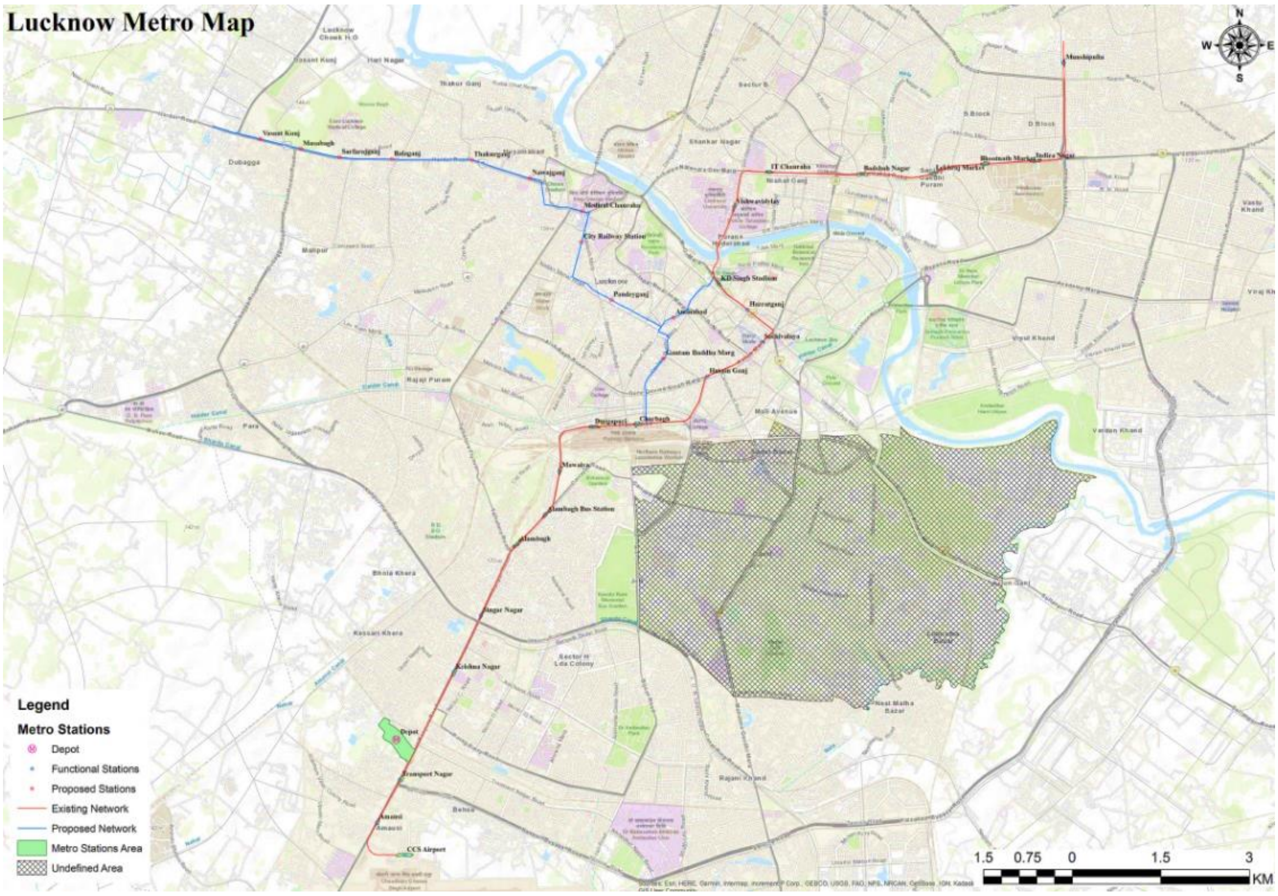

9.3.8 मनोरंजनात्मक

लखनऊ नगर भव्य महलों, हवेलियों तथा सुन्दर बागों/पार्को से सम्पन्न है। ऐतिहासिक/सांस्कृतिक तथा पर्यावरण एवं मनोरजंनात्मक महत्व के क्षेत्र की सम्भाव्यताओं को तथा समस्याओं को ध्यान में रखते हुए महायोजना–2031 में मनोरंजन भू–उपयोग के अन्तर्गत कुल 13475.82 हेक्टेयर भूमि का प्रस्ताव किया गया है जोकि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 18.72 प्रतिशत है।

9.3.8.1 पार्क एवं खुले स्थल

नगर में जनेश्वरमिश्र पार्क, लोहिया पार्क, अम्बेडकर पार्क इत्यादि उपलब्ध है। इन सभी को समाहित करते हुये महायोजना–2031 में पार्क एवं खुले स्थल के लिए लगभग 4862.03 हेक्टेयर क्षेत्र रखा गया है। यह क्षेत्र पूर्णतया खुले स्थल के रूप में ही निरूपित किए गये है।

9.3.8.2 क्षेत्रीय पार्क एवं क्रीड़ा स्थल

लखनऊ महायोजना–2031 में क्षेत्रीय पार्क एवं क्रीड़ा स्थल में स्टेडियम आदि के निर्माण की सम्भावनाओं को निरूपित रखते हुय लगभग 1761.09 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है।

9.3.8.3 ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक/धार्मिक महत्व के स्थल/भवन

नगर में सुरक्षित स्मारकों के रूप में घोषित ऐतिहासिक महत्व के क्षेत्र यद्यपि सम्पूर्ण नगर में फैले हुये है तथा मुख्य रूप से गोमती नदी के दायें तट की ओर केन्द्रित है। इन स्थलों की संरक्षित रखने की आवश्यकताओं को देखते हुये लगभग 131.14 हेक्टेयर क्षेत्र रखा गया है।

9.3.8.4 चिड़ियाघर एवं अजायबघर

नगर में चिड़ियाघर एवं अजायबघर हजरतगंज के सानिध्य क्षेत्र में स्थित है। इनके लिये लगभग 28.44 हेक्टेयर क्षेत्र रखा गया है।

9.3.8.5 वनस्पति उद्यान

नगर में वनस्पति उद्यान सिकन्दर बाग में स्थित है जिसके वर्तमान क्षेत्र लगभग 23.47 हेक्टेयर को महायोजना–2031 में यथारूप में रखा गया है।

9.3.8.6 पर्यावरण पार्क

लखनऊ नगर को प्रदूषण रहित रखने एवं भू–गर्भ जल स्तर के गिरावट को रोकने हेतु लगभग 2374.61 हेक्टेयर क्षेत्र में पर्यावरण पार्क रखे गये है। यह स्थल सीतापुर–हरदोई मार्ग के मध्य तथा सुल्तानपुर मार्ग–सुल्तानपुर रेलवे लाइन के मध्य प्रस्तावित है।

9.3.8.7 प्रदर्शनी/मेला एवं सम्मेलन स्थल

महायोजना–2031 में प्रर्दशनी/मेला/सम्मेलन स्थल हेतु क्षेत्रों का निर्धारण बिजनौर मार्ग, सीतापुर–हरदोई बाईपास पर, शारदा नहर एवं जिला कारागार के मध्य किया गया है। इसके लिए लगभग 118.24 हेक्टेयर क्षेत्र रखा गया है।

9.3.9 हरित पट्टी

लखनऊ नगर के विद्यमान नदी नालों, प्रमुख प्रस्तावित मार्गो के किनारे हरित पट्‌टी का प्रस्ताव किया गया है। लखनऊ महायोजना–2031 में इस भू–उपयोग के अन्तर्गत कुल 4176.80 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गयी है।

9.3.10 हाईवे फैसेलिटी जोन

1. हाईवे फैसेलिटी जोन की श्रेणी को कृषि भू–उपयोग का ही भाग माना जायेगा।
2. हाईवे फैसेलिटी जोन में कोई भूखण्ड/भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रान्तीय राजमार्ग एवं बाईपास से सम्बद्ध होने के साथ–साथ यदि चक मार्ग से भी सम्बद्ध है तो उक्त चक मार्ग के मध्य से न्यूनतम 12 मीटर का मार्गाधिकार सुनिश्चित किया जाना होगा, जिसमें किसी भी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।
3. उपरोक्त जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार प्रस्तावित हाईवे फैसेलिटी जोन के अन्तर्गत स्थित भूखण्डों पर प्रस्तावित किये जाने वाली क्रियाओं हेतु प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में कृषि भू–उपयोग के अन्तर्गत अनुमन्य अधिकतम भू–आच्छादन,

तल क्षेत्रानुपात (FAR), आदि के प्राविधानों को लागू किया जायेगा। लखनऊ महायोजना–2031 में इस भू–उपयोग के अन्तर्गत कुल 288.29 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गयी है।

9.3.11 ग्रामीण आबादी

नगरीय विस्तार के फलस्वरूप नगर के आसपास स्थित ग्रामों की कृषि भूमि ही प्रयोग में आती है। ग्रामीण आबादी क्षेत्र के चारों ओर हुए नये/नियोजित विकास से ग्रामीण आबादियाँ प्रायः वंचित रह जाती है एवं मलिन बस्ती का रूप धारण कर लेती है। अतः उचित होगा कि विभिन्न अभिकरणों द्वारा आसपास के क्षेत्रों में अधोसंरचना विकसित करते समय इस प्रकार की ग्रामीण आबादियों को भी सम्मिलित किया जाये।

9.3.12 प्रतिबंधित जोन

लखनऊ एयरपोर्ट/एयरफोर्स स्टेशन/एयरफील्ड/एयरस्ट्रीप से सम्बन्धित फनल जोन के मानचित्र लखनऊ महायोजना–2031 में शामिल किये गये है। फनल जोन से सम्बन्धित अनुमति के प्राविधान भवन उपविधियों के अन्तर्गत एवं एयरपोर्ट/एयरफोर्स स्टेशन/एयरफील्ड/एयरस्ट्रीप की नियमावली के अनुसार होंगे।

आर्कियोलॉजिकल मॉन्युमेन्ट्स

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा लखनऊ के स्मारक कुछ हैं जो संरक्षित धरोहर घोषित हैं। दि एनशिएन्ट मॉन्युमेन्ट्स एण्ड आर्कियोलॉजिकल साइटस एण्ड रिमेन्स (एमेन्डमेन्ट एण्ड वेलीटेशन) एक्ट 2010 के अनुसार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा घोषित संरक्षित स्मारकों/हेरिटेज स्थलों की सीमा से 100 मी० परिधि (प्रोहिबिटेड एरिया) के अन्दर किसी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं है तथा इसके पश्चात 200 मी० परिधि (रेगुलेटेड एरिया) के अन्दर कोई भी निर्माण की अनुज्ञा पुरातत्व विभाग की अनापत्ति के आधार पर देय होगी।(मानचित्र संख्या–10)

9.3.13 अन्य भू–उपयोग

लखनऊ महायोजना–2031 में अन्य उपयोगों में मैंगों बेल्ट, कृषि भूमि कैटिल कालोनी, वन, स्लॉटर हाउस, सीबेज फार्म तथा नदी/जलाशय आदि का क्षेत्र सम्मिलित है। परन्तु कृषि भूमि की गणना नगरीयकरण योग्य क्षेत्रफल में नहीं की गयी है।

9.3.13.1 कैटिल कालोनी

लखनऊ महायोजना–2031 में वर्तमान कैटिल कालोनी (हरदोई रोड एवं कुर्सी रोड पर स्थित) को यथावत् रखते हुये दो अतिरिक्त कैटिल कालोनियॉ प्रस्तावित की गयी है। इसके अन्तर्गत लगभग 172.77 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित है।

9.3.13.2 नदी/नाला/तालाब/जलाशय

वर्तमान भू–उपयोग में प्रदर्शित सभी नदी/नाले/तालाब/जलाशयों को महायोजना में यथावत् प्रस्तावित किया गया है इसके अतिरिक्त राजस्व अभिलेखों में दर्ज तालाब/जलाशय का भू–उपयोग महायोजना मानचित्र में अन्य किसी भू–उपयोग के अन्तर्गत अंकित किया गया हो तब भी उसका भू–उपयोग तालाब/जलाशय ही माना जायेगा। इस भू–उपयोग के अन्तर्गत 3116.84 हेक्टेयर भूमि लखनऊ महायोजना–2031 में निर्धारित है।

9.3.13.3 श्मशान घाट/कब्रिस्तान/करबला

नगर में इनके कार्यकलापों हेतु वर्तमान में लगभग 69.17 हेक्टेयर क्षेत्र को महायोजना 2031 में यथास्थिति रखा गया है।

9.3.13.4 वन

महायोजना मानचित्र में आरक्षित वन यथावत् दर्शाया गया है। अनारक्षित वन के सम्बन्ध में जो सूचनाएं वन विभाग से प्राप्त हुई है, को महायोजना के मानचित्र में प्रदर्शित किया गया है। इसके अतिरिक्त राजस्व अभिलेखों में दर्ज वन क्षेत्र का भू–उपयोग महायोजना मानचित्र में चाहे किसी अन्य भू–उपयोग के अन्तर्गत अंकित किया गया हो तब भी उसका भू–उपयोग वन ही माना जायेगा। यदि मार्ग की निरन्तरता के दृष्टिगत अनारक्षित वन की भूमि का प्रयोग किया जाता है तो इसके समतुल्य कृषि भूमि अनारक्षित वन हेतु प्रस्तावित

करनी होगी। लखनऊ महायोजना–2031 में इस भू–उपयोग के अन्तर्गत कुल 3811.41 हेक्टेयर क्षेत्र निर्धारित है।

9.3.13.5 बाग

लखनऊ विकास क्षेत्र के अन्तर्गत विद्यमान बागों का भू–उपयोग लखनऊ महायोजना–2031 में कृषि क्षेत्र ही रखा गया है। इस भू–उपयोग के अन्तर्गत कुल क्षेत्रफल 222.42 हेक्टेयर निर्धारित है।

9.3.13.6 कृषि

वर्तमान में कृषि योग्य भूमि, भट्ठो की भूमि, भट्ठों के खदान वाली भूमि, रिक्त भूमि एवं बंजर भूमि को लखनऊ महायोजना–2031 में कृषि भू–उपयोग के अन्तर्गत रखा गया है। इस भू–उपयोग के अर्न्तगत कुल 25258.39 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है।

9.3.14 अन्य प्रस्ताव

1. महायोजना में प्रस्तावित विभिन्न उपयोगों में अनेक क्रियाकलाप ऐसे विद्यमान होते है, जो कि प्रस्तावित भू–उपयोग के असंगत होते है। अतः प्रस्ताव है कि ऐसे विद्यमान सभी असंगत क्रिया–कलापों को एक समयबद्ध ढंग से स्थानान्तरित किये जाने हेतु कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए।
2. महायोजना में विद्यमान मुख्य मार्गों की चौड़ाई प्रस्तावित की गई है यदि किसी मार्ग की उपलब्ध चौड़ाई किसी स्थल पर मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई से अधिक हो तो ऐसी स्थिति में अभिलेखानुसार विद्यमान मार्ग की चौड़ाई ही मानी जायेगी।
3. पूर्व महायोजना में प्रस्तावित हरित पट्टी/पार्क खुले स्थलों के अनुरूप अनुमोदित तलपट मानचित्रों में दर्शाये गये हरित पट्टी/पार्क/खुले स्थलों को हरित पट्टी/पार्क/खुले स्थल के रूप में ही माना जायेगा। चाहे ऐसे क्षेत्रों को वर्तमान महायोजना में किसी अन्य भू–उपयोग में दर्शाया गया हो। नगर में स्थित शिक्षण संस्थाओं, धार्मिक भवनों एवं स्थलों, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व के भवनों एवं स्थलों, सार्वजनिक सुविधाओं एवं उपयोगिताओं के परिसरों में मार्ग के सम्मुख

व्यवसायिक क्रिया–कलापों को विकसित करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। इस प्रकार के विकास की अनुमन्यता से जहां एक ओर सम्बन्धित संस्था की मूल स्वरूप एवं उद्देश्य प्रभावित होता है, वहीं दूसरी ओर नगर के संकरे एवं व्यस्त मार्गों पर अत्यधिक यातायात भार बढ़ने के साथ–साथ नगर में खुले क्षेत्रों का अभाव होता जा रहा है।

4. अतः उपरोक्त प्रवृत्ति पर अंकुश लगाये जाने हेतु आवश्यक है कि सामान्यतः इस प्रकार के विकास की अनुज्ञा प्रदान न की जाये केवल विशेष परिस्थितियों में संस्थानों के उपयोगार्थ ही परिसर के अन्दर के क्षेत्र में ही इन्हें अनुमन्य किया जाये। यह प्रतिबन्ध उन शिक्षण संस्थाओं, धार्मिक भवनों एवं स्थलों, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व के स्थलों तथा सार्वजनिक सुविधाओं एवं उपयोगिताओं के परिसरों पर भी लागू रहेगा जो नगर के मुख्य व्यवसायिक क्षेत्रों में स्थित है एवं महायोजना में उस क्षेत्र का भू–उपयोग व्यवसायिक दर्शाया गया है।
5. शासन द्वारा अनुमोदित हाईटेक टाउनशिप को समायोजित करते हुए इन्हें आवासीय भू–उपयोग में दर्शाया गया है जबकि इन टाउनशिप हेतु भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क, आदि की देयता हाईटेक टाउनशिप नीति एवं तत्सम्बन्धी शासनादेशों के अनुसार होगी।
6. प्राधिकरण की विभिन्न बोर्ड बैठकों में लिए गये निर्णयों के फलस्वरूप महायोजना–2021 के प्रस्तावों में हुए परिवर्तनों में भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क आदि की देयता के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्णय लिया जाना होगा।
7. महायोजना में कुछ ऐसे मार्गो की चौड़ाई बढ़ाये जाने का प्रस्ताव किया गया है, जो रेलवे लाईन एवं नहर/नाले के समानान्तर स्थित है। ऐसी स्थिति में मार्ग के मध्य से रेलवे लाईन/नहर की ओर मार्ग का प्रस्तावित विस्तार सम्भव नहीं होता है। इसी प्रकार भारत सरकार के सुरक्षा प्रतिष्ठान के परिसर की ओर भी मार्गो का विस्तार सम्भव नहीं होता है। अतः ऐसे मार्ग जो रेलवे लाईन, नहर, नाले के समानान्तर प्रस्तावित है, अथवा भारत सरकार के सुरक्षा प्रतिष्ठान के परिसर से लगे हुए प्रस्तावित है, पर भवन निर्माण एवं विकास की अनुज्ञा प्रदान करते समय ऐसे विद्यमान/प्रस्तावित

मार्गो की चौड़ाई की गणना रेलवे भूमि, नहर/नाले के तटबन्ध/सुरक्षा प्रतिष्ठानों की परिसर सीमा से दूसरी ओर की जायेगी, न कि मार्ग के मध्य बिन्दु से।

8. कोई मार्गाधिकार का क्षेत्र किसी भी अभिकरण के द्वारा किराये पर या लीज पर नहीं दिया जायेगा।

9.3.15 नदी केंद्रित विकास

लखनऊ नगर गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है। नगरीय क्षेत्र में कुकरैल नाला भी गोमती नदी से मिलता है। गोमती नदी एवं कुकरैल नाले के अतिरिक्त नगर में अनेक जलाशय थे जिनमें से अनेक समाप्त हो गये है या उनका आकार काफी संकुचित हो गया है। नगरीय क्षेत्र में बचे प्रमुख जलाशयों में कठौता झील, मोतीझील, चॉद झील, अहल झील आदि है। पूर्व में इन जलाशयों से नगर की जलापूर्ति में महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। वर्ष 2004–05 में नगरीय क्षेत्र में नदी, नाले, जलाशयों के अन्तर्गत लगभग 310 हेक्टेयर क्षेत्र था। लखनऊ विकास क्षेत्र में (176 ग्राम) सम्मिलित किये जाने पर वर्ष 2021 में नदी/नाला/जलाशय भू–उपयोग के अन्तर्गत कुल 2700.91 हेक्टेयर भूमि आच्छादित है जो कि कुल नगरीय विकसित क्षेत्र का 8.80 प्रतिशत है।

9.3.16 ऐतिहासिक भवनों/क्षेत्रों हेतु प्राविधान

(1) वास्तुकला सम्बन्धी नियन्त्रण

महत्वपूर्ण क्षेत्रों के भवनों या मुख्य मार्गो पर अभिमुख भवनों या ऐतिहासिक महत्व के भवनों के समीपस्थ भवनों हेतु निर्माण योजना का वास्तुकला/ललित कला की दृष्टि से अनुमोदन आवश्यक होगा।

(2) नियोजन नियन्त्रण

हेरिटेज जोन (जैसा कि मानचित्र संख्या–11 में प्रदर्शित है) तथा ऐतिहासिक स्मारकों/भवनों के सम्बन्ध में निम्नांकित नियंत्रण लागू होंगे।

(अ) हेरिटेज जोन

1. हुसैनाबाद कॉम्पलेक्स
2. कैसरबाग कॉम्पलेक्स

3. लामार्टिनियर कॉम्पलेक्स

- स्मारक के परिसर से 50 मीटर की दूरी के अन्तर्गत किसी प्रकार के निर्माण की स्वीकृति नहीं दी जायेगी।
- स्मारक के परिसर से 50 मीटर से 150 मीटर की दूरी के मध्य केवल एक मंजिले आवासीय भवनों (अधिकतम ऊँचाई 3.8मी0)से अधिक के निर्माण की स्वीकृति नहीं दी जायेगी।
- स्मारक के परिसर से 150 मीटर से 250 मीटर की दूरी के मध्य दो मंजिले (अधिकतम अनुमन्य ऊँचाई 7.6 मी0) से अधिक के निर्माण की स्वीकृति नहीं दी जायेगी।
- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा घोषित संरक्षित स्मारकों के अतिरिक्त अन्य संरक्षित स्मारकों (जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की सूची में नहीं है) पर उपरोक्त प्राविधान लागू होंगे।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा घोषित संरक्षित स्मारकों पर भारत सरकार के तत्सम्बंधी प्राविधान लागू होंगे, जिसका विस्तृत विवरण नीतियों के अन्तर्गत प्रस्तर 9.3.12 (प्रतिबंधित जोन) में उल्लेखित है। लखनऊ की प्रमुख पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा घोषित संरक्षित स्मारक निम्नवत हैं (मानचित्र संख्या–10):–

संरक्षित स्मारक

1. सतखण्डा
2. पिक्चर गैलरी, हुसैनाबाद बारादरी
3. क्लॉक टॉवर
4. अमजद अली शाह का मकबरा
5. जुमा मस्जिद, निकट हुसैनाबाद
6. मच्छी भवन के निकट कब्रिस्तान
7. रूमी दरवाजा, बड़ा इमामबाडा
8. असफ–उद–दौलाह का इमामबाड़ा के साथ मस्जिद
9. इमामबाड़ा आमीन–उद–दौलाह

10.असफ–उद–दौलाह का इमामबाड़ा (बड़ा इमामबाडा)

11.टीले वाली मस्जिद/लक्ष्मण टीला

12.नासिरूद्दीन हैदर का कर्बला, डालीगंज

13.दयानत–उद्–दौला का कर्बला, मेहंदीगंज

14.काजमैन बिल्डिंग्स, मंसूर नगर

15.दरगाह हजरत अब्बास, सादतगंज

16.तहसीन अली का मकबरा

17.नन्दन महल मोहल्ला यह्यागंज में स्थित

18.इब्राहीम चिश्ती का मकबरा

19.मकबरा चार खम्बा

20.मलकाजहाँ का कर्बला, ऐशबाग

21.जनाब आलिया का मकबरा, गोलागंज

22.कल्लन की लाट/कब्रिस्तान, अमीनाबाद

23.कैसरपसन्द कब्रिस्तान

24.रौशन–उद्–दौला कोठी

25.सफेद बारादरी

26.कैसरबाग गेट

27.सैपर्स का स्मारक, बेगम हजरत महल पार्क के निकट

28.सआदत अली खाँ का मकबरा, बेगम हजरत महल पार्क के निकट

29.मशीर जादी का मकबरा, बेगम हजरत महल पार्क के निकट

30.विक्टोरिया मेमोरियल, बेगम हजरत महल पार्क के निकट

31.नील दरवाजा, बेगम हजरत महल पार्क

32.शिक्षावाली कोठी, पुराना हाई कोर्ट

33.द रेजीडेंसी बिल्डिंग्स, रेजीडेंसी

34.जनरलवाली कोठी

35.छतरमंजिल एवं महल फरहत बख्श

36.मुहम्मद अली शाह का मकबरा, हुसैनाबाद

37.तारा वाली कोठी

38.मोतीमहल अहाते के दक्षिण भित्ती के पश्चिमी कोने पर स्थित अभिलेख युक्त बुर्ज

39.राजा इंचा सिंह के परिसर में स्थित कब्रिस्तान

40.गाजीउद्दीन हैदर का मकबरा (फस्ट किंग ऑफ ओध़)

41.चिरैया झील स्थित ब्रिटिश कब्रिस्तान

42.सिकन्दरबाग बिल्डिंग्स, सिकन्दरबाग

43.93वी हाईलैण्डर के स्मारक, सिकंदरबाग

44.लामार्टिनियर मार्ग पर दो कब्रें

45.दिलकुशा में पुरानी जगहें

46.द बिल्डिंग, नार्थ–वेस्ट ऑफ दिलकुशा

47.दिलकुशा अवस्थित कब्रगाह

48.कन्टोनमैन्ट एरिया अवस्थित दो कब्रगाह

49.विलायती बाग स्थित कब्रगाह

50.बिबियापुर कोठी

51.आलमबाग अवस्थित कब्रगाह

52.तालकटोरा का कर्बला

53.आलमबाग कोठी एवं गेट

54.लाल बारादरी

55.किला मुहम्मदीनगर

56.बेहटा पुल एवं मंदिर

57.लोटनबाग अवस्थित मकबरा

58.मूसाबाग का मकबरा

59.मेमोरियल पिलर, मोहिबुल्लापुर

60.मड़ियाँव स्थित दो कब्रगाह

नगर के निर्मित क्षेत्रों में स्थित अन्य महत्वपूर्ण भवन एवं स्मारक

- स्मारक/भवन के परिसर से 15 मीटर की दूरी तक कोई भी निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।
- स्मारक के परिसर से 15 मीटर से 50 मीटर की दूरी के मध्य केवल एक मंजिले आवासीय (अधिकतम ऊँचाई 3.8 मी0) की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

9.3.17 सुरक्षा जोन

लखनऊ नगर देश के सबसे अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश की राजधानी है नगर के कुछ विशिष्ट भवनों की सुरक्षा अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गई है। इस सुरक्षा क्षेत्र में विधानसभा, राजभवन, मुख्यमंत्री आवास आदि है। इन क्षेत्रों के आसपास भवनों की ऊँचाई अधिकतम 7.00 मीटर किया जाना प्रस्तावित है। सुरक्षा जोन की भौतिक सीमा लखनऊ महायोजना–2031 में सम्बन्धित मानचित्र संख्या–12 में दर्शायी गई है। इसके अतिरिक्त बोर्ड बैठक में प्राप्त सुझावों के अनुसार मा0 उच्च न्यायालय व उसके आसपास के क्षेत्र, मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी का कार्यालय स्थित है, को भी सुरक्षा जोन में सम्मिलित किया गया है एवं नये उच्च न्यायालय परिसर के पास भी सुरक्षा जोन का प्रस्ताव किया गया है। मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.11.2018 के अनुपालन में जनपद लखनऊ स्थित मा0 उच्च न्यायलय के परिसर की बाउंड्री से 100 मीटर एरिया को हाई सिक्योरिटी जोन घोषित किया गया है।

मानचित्र–10
ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्त्व के स्थल

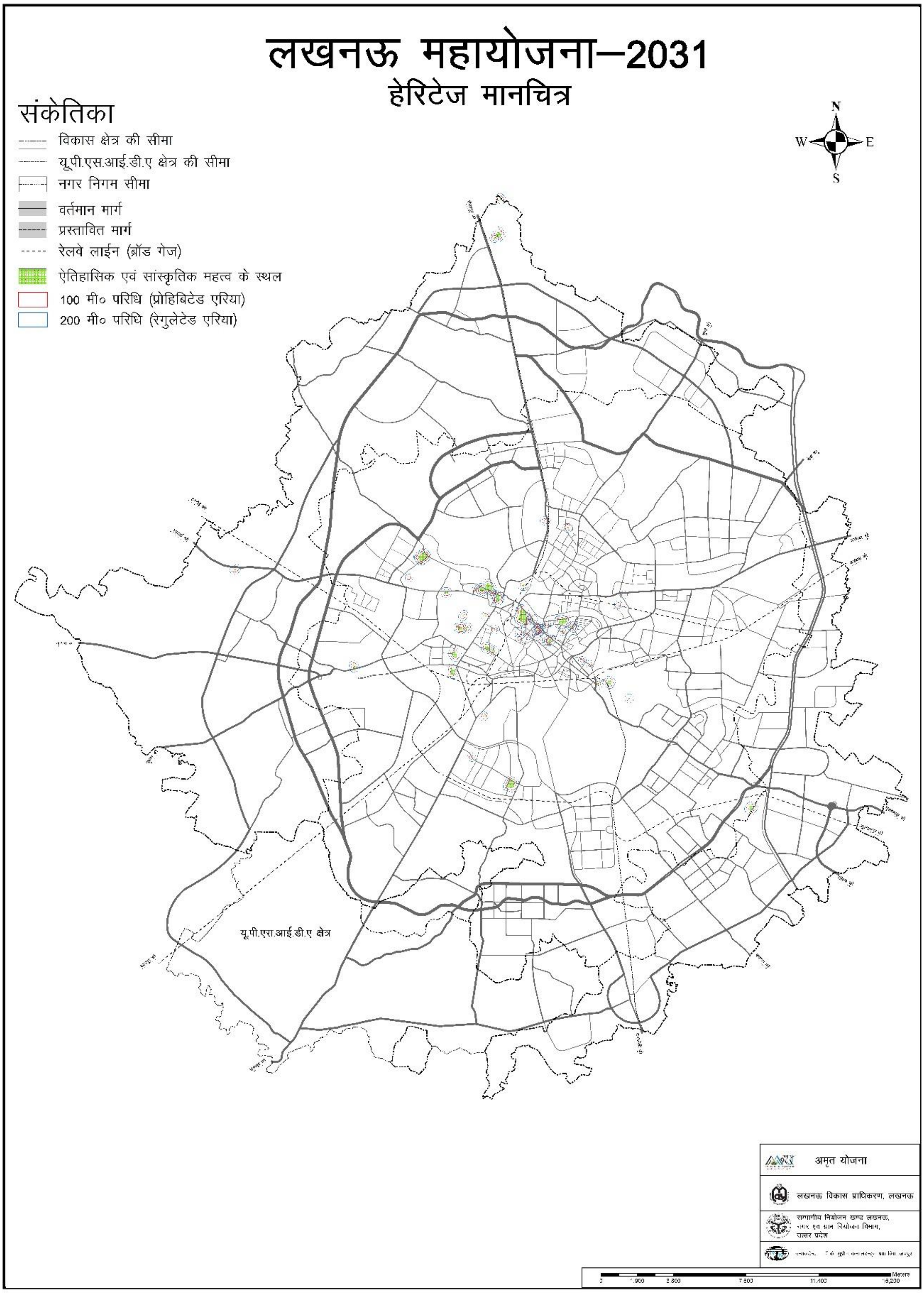

मानचित्र–11
हेरिटेज जोन

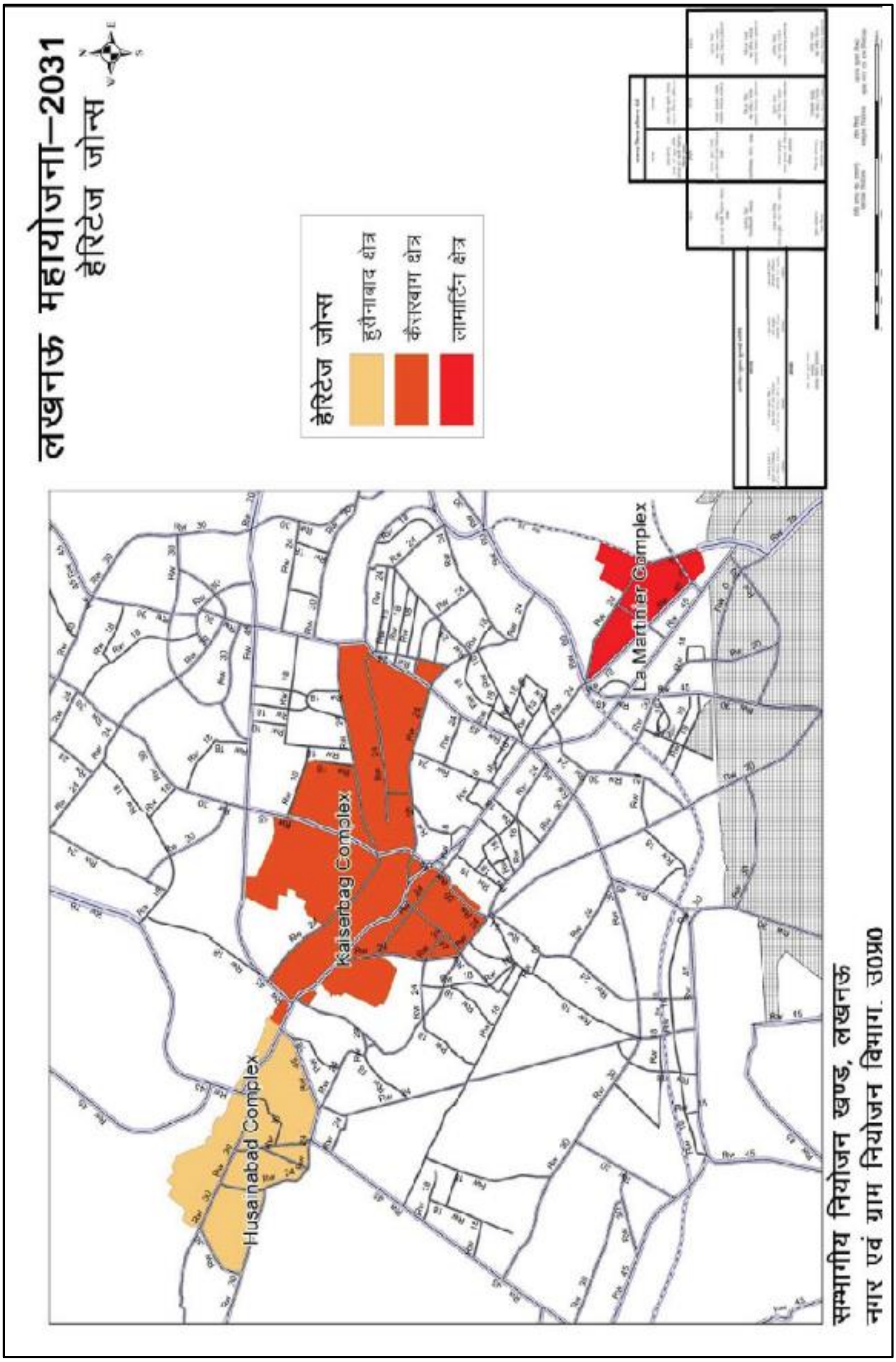

मानचित्र–12
सुरक्षा जोन्स

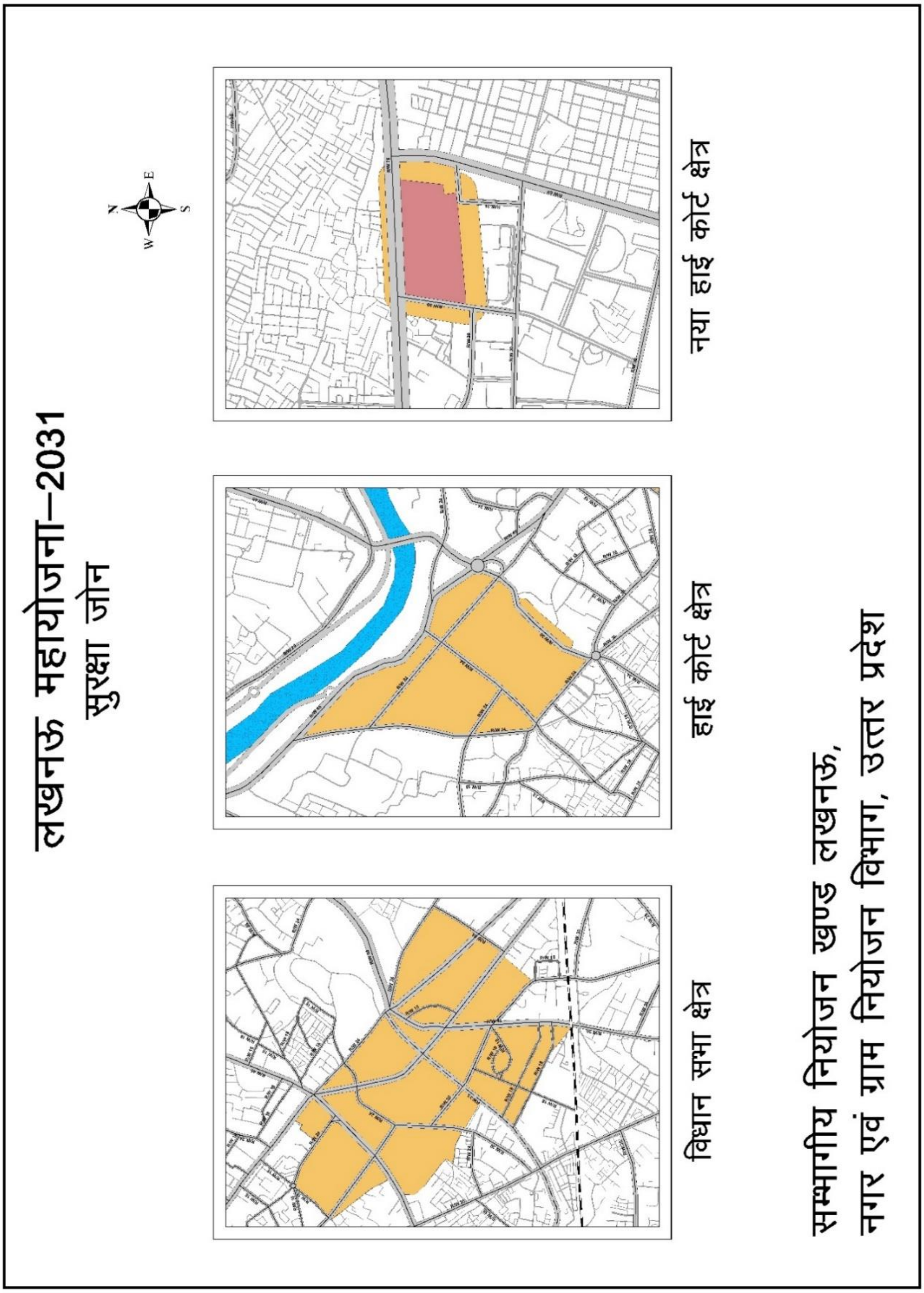

9.4 शासकीय नीतियों का अनुपालन

9.4.1 आवास नीति, इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति, हाईटेक टाउनशिप नीति, उ0प्र0 टाउनशिप नीति आवास नीति

- प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु EWS/LIG/SC,ST/विधवा/ट्रांसजेंडर/वरिष्ठ नागरिकों/दिव्यागों एवं समाज के बेघर लोगों को आवास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु महायोजना मे आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित क्षेत्रों में समुचित भूमि चिन्हित कर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर आवास सुविधा उपलब्ध कराने की क्रियान्वयन किया जाना प्रस्तावित हैं।
- उक्त के अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को 31 नियोजन खण्डों में विभाजित किया गया है एवं प्रत्येक नियोजन खण्ड में व्यवसायिक क्रियाओं, सामुदायिक सुविधाओं एवं सेवाओं को आवासीय उपयोग के साथ सम्बद्ध किया गया है।
- प्रस्तावित नगरीय क्षेत्र में आने वाली ग्रामीण आबादियों को यथा संभव उचित सम्पर्क मार्गों से आपस में सम्बद्ध किया गया है, तथा प्रत्येक जोन का जोनल प्लान तैयार करते समय उक्त आबादियों हेतु आधारभूत अवस्थापना सुविधायें की व्यवस्था की जायेगी।
- नगर की अनाधिकृत एवं अविकसित कॉलोनियों में भी नियमानुसार आधारभूत अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कराने एवं उन्हें शासकीय प्रावधानों के अनुसार नियमित किये जाने का सुझाव है।

इंटीग्रेटेड/हाईटेक टाउनशिप नीति

1. प्रदेश में निजी पूँजी निवेश के माध्यम से हाईटेक टाउनशिप विकसित करने के लिए शासन द्वारा हाईटेक टाउनशिप नीति निर्धारित की गयी है। उक्त नीति के अनुसार विकासकर्ता कम्पनी द्वारा प्रस्तावित हाईटेक टाउनशिप की डी0पी0आर0 जो हाईटेक टाउनशिप नीति के अधीन निर्धारित भू–उपयोग मानकों के अनुसार ही सक्षम स्तर से अनुमोदित है, को विकास क्षेत्र की प्रथम बार बनाई जा रही महायोजना के अन्तर्गत

समायोजित किया जाना प्राविधानित है। इन नीति के अधीन लखनऊ विकास क्षेत्र के अन्तर्गत अब तक तीन विकासकर्ताओं का चयन किया गया है।

2. इन तीन टाउनशिप में से दो टाउनशिप का आंशिक क्षेत्र विस्तारित विकास क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित है, जिसे हाईटेक नीति की व्यवस्था के अनुरूप विकास क्षेत्र की महायोजना में समायोजन किया जाना अपेक्षित है।
3. हाईटेक एवं इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति के अनुसार प्रस्तावित मार्ग संरचना को महायोजना में समाहित किया गया है। इन प्रस्तावित मार्गो का विकास/निर्माण सम्बन्धित विकासकर्ता द्वारा अपने संशाधनों से किया जायेगा।

9.4.1.1 उ0प्र0 टाउनशिप नीति

उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति, 2023 के अन्तर्गत 'टाउनशिप' का तात्पर्य ऐसी सुनियोजित एवं विकसित टाउनशिप से है, जिसके अन्तर्गत समस्त भौतिक एवं सामाजिक अवस्थापना सुविधाओं सहित रहने, कार्य करने एवं मनोरंजन सुविधाओं का एकीकृत रूप से प्राविधान हो। नीति के अन्तर्गत टाउनशिप का न्यूनतम क्षेत्रफल 02 लाख से कम आबादी के नगरों में 12.5 एकड़ व 02 लाख से अधिक आबादी के नगरों में 25 एकड़ होगा, परन्तु एन.सी.आर. के अन्तर्गत लाईसेन्स हेतु टाउनशिप का न्यूनतम क्षेत्रफल 25 एकड़ ही होगा। नगर के आकार के प्रयोजनार्थ जनसंख्या का आधार वर्ष जनगणना, 2011 के अनुसार होगा। उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति, 2023 के अन्तर्गत टाउनशिप के अधिकतम क्षेत्रफल पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।

टाउनशिप के विकास के लिए न्यूनतम 24 मीटर चौड़े मार्ग से सुगम पहुँच की सुविधा, नियमित जल आपूर्ति, स्टार्म वाटर ड्रेनेज का निस्तारण एवं ऊर्जा की उपलब्धता होना आवश्यक है। टाउनशिप का विकास सामान्यतः महायोजनाओं के शहरीकरण क्षेत्र के अन्तर्गत तथा प्रदेश के तीव्र गति से विकसित हो रहे अर्बन मास ट्रान्जिट कॉरीडोर्स के साथ एवं ऐसे क्षेत्रों, जहां विकास के नए ग्रोथ सेन्टर्स प्रकट हो रहे हैं, में प्रोत्साहित किया जाएगा।

9.4.2 उ0प्र0 पर्यटन नीति

नवीन पर्यटन नीति–2022 का ध्येय उत्तर प्रदेश के स्थानीय, लोगों में समावेशी पर्यटन विकास की भावना लाना और उत्तर प्रदेश के जीवान्त शहरों, पर्यटन आकर्षणों, प्रकृति, वन्य जीव, साहसिक गतिविधियों, व्यंजन, विरासत, हस्तशिल्प और संस्कृति आदि में पर्यटन के अनुभवों का इष्टतम उपयोग करना है। प्रख्यापित पर्यटन नीति के मुख्य ध्येय निम्नवत् हैः–

- उत्तर प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभ्यारणों, पक्षी विहारों, नैसर्गिक सुरम्य स्थल की तरफ आकर्षित करना।
- राज्य के भीतर सड़क, रेल और वायुमार्ग के माध्यम से सभी धार्मिक और सांस्कृतिक आकर्षणों के क्षेत्रीय सम्पर्क को बेहतर बनाना एवं इसके लिए सम्बन्धित विभागों के साथ समन्वयन।
- राज्य को एक प्रमुख सभा सम्मेलन, प्रर्दशनी, एक्सपों (MICE) गंतव्य के रूप में विकसित करना।
- उच्च गुणवत्तायुक्त पर्यटक अनुभव प्रदान करने के लिए प्रदेश में सार्वजनिक सेवा सुविधाओं के मानकों का स्तर बढ़ाना।
- वार्षिक कलेण्डर के अनुसार विभिन्न शहरों एवं प्रमुख पर्यटन स्थलों में आयोजनों और उत्सवों को प्रोत्साहित करना और उनका राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय स्तर पर प्रचार करना।

9.4.3 सौर उर्जा नीति

राज्य में सौर ऊर्जा की व्यापक संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए और बिजली की उपलब्धता में सुधार के लिए सरकार राज्य में सौर ऊर्जा आधारित बिजली संयंत्र स्थापित करने के लिए उत्सुक है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार एतद्द्वारा सौर ऊर्जा नीति, 2017 घोषित करती है और अपनाती है।

- राज्य में सौर ऊर्जा परियोजनाएँ स्थापित करने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना और निवेश के अवसर प्रदान करना।
- सभी के लिए पर्यावरण अनुकूल और सस्ती बिजली उपलब्ध कराने में सहायता।

- राज्य में अनुसंधान एवं विकास, नवाचारों और कौशल विकास को बढ़ावा देना।
- 2022 तक 8% सौर नवीकरणीय खरीद दायित्व (सौर आरपीओ) का लक्ष्य प्राप्त करें।

9.4.4 रेन वाटर हार्वेस्टिंग नीति

जीवन में पर्यावरण के अस्तित्व के लिये जल एक अनिवार्य प्राकृतिक संसाधन है परन्तु ग्राउण्ड वाटर स्त्रोत के अनियोजित ढंग से अत्यधिक मात्रा में दोहन के कारण ग्राउण्ड वाटर स्तर तेजी से नीचे गिर रहा है तथा शहरों की बढ़ती आबादी को समुचित पेयजल की व्यवस्था प्रदान करना भविष्य में कठिन साबित हो रहा है। ऐसी स्थिति में यदि पेयजल के उपयोग एवं ग्राउण्ड वाटर के स्त्रोत के संरक्षण, मितव्ययता, जल प्रयोग तथा रिचार्जिंग में समुचित जल प्रबन्धन द्वारा संतुलन स्थापित नहीं किया गया तो निकट भविष्य में पेयजल का भारी संकट पैदा हो सकता है। इस ओर शासन द्वारा भी ध्यान आकर्षित किया गया है तथा समुचित व्यवस्था हेतु विभिन्न शासनादेश जारी किये गये है जिसके अन्तर्गत निम्नवत प्राविधान करने के निर्देश दिये गये हैं :–

1. नयी योजना बनाने से पूर्व क्षेत्र का ज्यूलॉजिकल/हाइड्रोलॉजिकल/ हाइड्रोजियोलॉजीकल सर्वेक्षण कराया जाये एवं भू–जल रिचार्जिंग हेतु स्थानीय आवश्यकतानुसार उपरोक्त पद्धति को अपनाया जाए।
2. 10 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल की योजनाओं के ले–आउट प्लान्स में पार्क एवं खुले क्षेत्र हेतु प्रस्तावित भूमि के अन्तर्गत उपयुक्त स्थलों पर जलाशय/जलाशयों का निर्माण किया जाएगा, जिनका क्षेत्रफल कुल योजना क्षेत्रफल का न्यूनतम 01 प्रतिशत होगा। जलाशय के निर्माण के पूर्व सम्बन्धित योजना के अन्तर्गत वर्षा जल के प्राकृतिक कैचमेन्ट एरिया को चिन्हित करते हुए वर्षा जल के आयतन, क्षेत्र के हाइड्रोजियोलाजिकल, टोपोग्राफी, लीथालॉजी, मृदा गुणों तथा प्रस्तावित जलाशय में वर्षा जल के संभावित ठहराव (रिटेन्शन) व "स्टेगनेशन" का अध्ययन एवं तत्संबंधी फिजिबिलिटी का आंकलन किया जाए, और उसके अनुसार ही जलाशय का आकार एवं गहराई निर्धारित की जाए, परन्तु जलाशय की अधिकतम गहराई 02 मीटर रखी

जाए। इसके अतिरिक्त जलाशय में केवल उसी योजना के ''सरफेस–रन–आफ'' को निस्तारित करने की व्यवस्था की जाए, प्रदूषित जल एवं उत्प्रवाह को उसमें न मिलाया जाए।

3. पार्क व खुले क्षेत्र के अन्तर्गत निर्धारित मानकों के अनुसार एक कोने में रिचार्ज पिट/रिचार्ज शैफ्ट बनाए जाएं। ऐसे रिचार्ज पिट/रिचार्ज शैफ्ट तथा जलाशय का निर्माण क्षेत्रीय हाइड्रोजियोलॉजी के अनुरूप एवं भू–जल के ढलान की दिशा में भूगर्भ जल विभाग के परामर्श के अनुसार किया जाए।

4. पार्कों में पक्का निर्माण, पक्के पेवमेन्ट सहित 5 प्रतिशत से अधिक न किया जाए तथा फुटपाथ एवं ट्रैक्स यथा सम्भव 'परमीएबिल' या 'सेमी परिमीएबिल परफोरेटेड ब्लाक्स' के प्रयोग से ही बनाए जाएं। वर्षा जल के अधिकतम भूमिगत रिसाव को पार्क एवं खुले क्षेत्रों में प्रोत्साहित किया जाए।

5. सड़कों, पार्कों तथा खुले स्थान में ऐसे पेड़ पौधो का वृक्षारोपण किया जाएगा जिनको जल की न्यूनतम आवश्यकता हो तथा जो कम जल ग्रहण करके ग्रीष्म ऋतु में भी हरे भरे रह सकें।

6. शासकीय अभिकरणों/निजी विकासकर्ताओं/सहकारी आवास समितियों द्वारा प्रस्तावित नई योजनाओं के ले–आउट प्लान्स में दुर्बल एवं अल्प आय वर्ग को छोड़कर अवस्थापना सुविधाओं यथा जलापूर्ति, ड्रेनेज एवं सीवरेज के नेटवर्क के साथ–साथ रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से भू–जल की सामूहिक रिचार्जिंग हेतु अन्य पृथक नेटवर्क का प्राविधान किया जाए, जिससे व्यक्तिगत भूखण्डों/भवनों हेतु रिचार्जिंग पिट से लेकर उपयुक्त स्थलों पर रिचार्जिंग स्ट्रक्चर्स की व्यवस्था हो।

7. 300 वर्ग मीटर अथवा उससे अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों में यदि सामूहिक रिचार्ज नेटवर्क नहीं हो, तो भवन स्वामी को स्वयं ही इस पद्धति की स्थापना करना अनिवार्य होगा।

9.4.5 फिल्म नीति

लखनऊ नगर में कई छविगृह विद्यमान हैं। फिल्म नीति के अन्तर्गत निर्मित एवं विद्यमान सिनेमा हालों को बदले हुये विकास को देखते हुये नये मॉल, मल्टीप्लैक्स, बैंक्वेट हाल, होटल आदि में परिवर्तित करने का प्राविधान है।

9.4.6 सूचना प्रौद्योगिकी नीति

रोजगार सृजन, उद्यमिता को प्रोत्साहन, नवप्रवर्तन तथा उत्कृष्ट जीवन शैली के प्रति ध्यान केन्द्रित करते हुए उत्तर प्रदेश के समग्र सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए एक साधन के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना है। लखनऊ नगर में सूचना प्रौद्योगिकी नीति के विकास का कोई पंजीकरण नहीं हुआ है और न ही अभी तक इसमें अभिरुचि दिखाई है। अर्थात भविष्य में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर–ईस्टर्न कॉरिडोर जो लखनऊ से दूर भारत सरकार द्वारा बनाया जा रहा है जिसके तहत भविष्य में सूचना प्रौद्योगिकी नीति के विकास की सम्भावनाएँ बढ़ जाती है जिस कारण आने वाले समय में इस नीति का अनुपालन किया जाएगा।

9.4.6.1 सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा क्षेत्र के लिए प्रोत्साहन

1. प्रति एकड भूमि, न्यूनतम 200 कर्मी रोजगार उपलब्ध कराने वाली सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा क्षेत्र की इकाई को, प्रति कर्मी रू 15000/– की दर से भूमि की लागत के 25 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति की जायेगी। प्रदत्त रोजगार निरन्तर न्यूनतम एक वर्ष के लिए होना आवश्यक हैं यह प्रतिपूर्ति सरकारी अभिकरणों से क्रय की जाने वाली भूमि पर तत्समय प्रचलित सेक्टर दरों पर प्रदान की जायेगी। इस छूट की प्रतिपूर्ति राजकीय बजट से की जायेगी।
2. फ्लोर एरिया रेशियो (एफ.ए.आर): आईटी सिटी और आईटी पार्क सहित, सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा/बी.पी.एम. इकाईयों को न्यूनतम फ्लोर एरिया रेशियो (एफ.ए.आर) तीन तथा अतिरिक्त एक (क्रय करने योग्य, बिल्डिंग बाई लॉज में तत्समय लागू नियमों के आधार पर) पर किया जाना अनुमन्य होगा।

3. ऐसी सूचना प्रौद्योगिकी/बी.पी.ओ. ईकाइयाँ जिनमें कम से कम 20 तथा अधिकतम 50 व्यक्ति काम करते हों, मास्टर प्लान अथवा भू–उपयोग वर्गीकरण के बावजूद, सार्वजनिक, अर्द्ध–सार्वजनिक सुविधाओं, यातायात एवं परिवहन, पार्क एवं खुले क्षेत्र, हरित पट्टी तथा कृषि भू–उपयोग को छोड़कर, कहीं भी स्थापित की जा सकेंगी।

9.4.6.2 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा इकाईयों को अतिरिक्त प्रोत्साहन

1. राज्य में स्थापित एवं आईटी सिटी/आईटी पार्क्स अथवा अन्य अधिसूचित स्थान में पट्टे/किराये पर लिये गये स्थान से परिचालनरत एम.एस.एम.ई सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा उद्योगों को व्यवसायिक परिचालन आरम्भ होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि तक रू 10 लाख प्रति वर्ष की अधिकतम सीमा सहित, लीज/रेन्टल चार्जेस की 25 प्रतिशत की समतुल्य की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।
2. एम.एस.एम.ई. सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा ईकाइयाँ, व्यवसायिक परिचालन आरम्भ होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि तक विद्युत बिलों में 25 प्रतिशत उपादान, जिसकी अधिकतम सीमा रू 30 लाख होगी, की प्राप्ति हेतु पात्र होंगी।

9.4.7 आपदा प्रबंधन नीति

जनसंख्या वृद्धि के साथ–साथ विभिन्न स्तर की आबादी क्षेत्रों में घनत्व दिन–प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जनसंख्या घनत्व के बढ़ने के फलस्वरूप विभिन्न आपदाओं के समय जन एवं धन की हानि की सम्भावना भी अत्याधिक है। नगरीय विकास के स्वरूप की भूमिका भी विभिन्न आपदाओं के समय जन/धन की हानि को कम/अधिक होने में महत्वपूर्ण होती है।

9.4.8 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास हेतु उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017, उत्तर प्रदेश लघु एवं मध्यम औद्योगिक नीति 2017, उत्तर प्रदेश निजी औद्योगिक पार्क योजना 2017, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति, उत्तर प्रदेश भंडारण एवं लॉजिस्टिक नीति 2018 तथा उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक व्हीकल विनिर्माण मोबिलिटी नीति 2019

प्रमुख हैं। उपरोक्त नीतियों के अन्तर्गत महायोजना में औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित 2464.60 हेक्टेयर भूमि में से तत्सम्बन्धित औद्योगिक विकास हेतु समुचित भूमि का चयन कर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर क्रियान्वयन किया जाना प्रस्तावित है।

9.4.9 अन्य

9.4.9.1 हस्तान्तरणीय विकास अधिकारों की अनुज्ञा (टी.डी.आर.) नीति, 2022

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 2119/आठ/3–22–10 विविध–2019 लखनऊ, 23 अगस्त, 2022 के द्वारा (हस्तान्तरणीय विकास अधिकारों की अनुज्ञा), उपविधि, 2022 को अधिसूचित किया गया है, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है।

1. टी0डी0आर0 नीति–2022 द्वारा निम्नलिखित पात्रता अंकित की गयी हैः–
   टी.डी.आर के द्वारा भूमि के ऐसे स्थान सरकार द्वारा संरक्षित होते है, जिससे इस भूमि पर होने वाले विकास को पुनः निर्देशित किया जाता है। टी.डी.आर. उन भू–स्वामियों को वित्तीय मुआवजा प्रदान करते है जो अपनी भूमि का एक हिस्सा या पूरी भूमि विकसित नहीं करने का विकल्प चुनते है। ऐसे भू–स्वामियों को उचित मुआवजे के बदले में प्राधिकरण जोनिंग के तहत कानूनी रूप से अपने विकास को समाप्त करने का विकल्प प्रदान किया जाता है। भूमि मालिक अपने अधिकार रियल एस्टेट डेवलपर्स या अन्य भू–स्वामियों को भी बेच सकते है।
2. जब कभी प्राधिकरण के विचार से योजना में चिन्हित किसी सुविधा (सुविधा के अन्तर्गत सड़क, पार्क और खुला स्थान, हरित पट्टी और या योजना में यथा अभिहित सुविधाओं सेवाओं, उपयोगिताओं और सुख साधनों सहित कोई अन्य सार्वजनिक कार्य अथवा जिसे सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा इस उपविधि के प्रयोजनार्थ सुविधा निर्दिष्ट किया जाए, सम्मिलित है) का विकास करना समीचीन हो, तो प्राधिकरण ऐसी भूमि के स्वामियों को ऐसे प्रपत्र में एवं ऐसी रीति से जैसा प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, एक नोटिस देगा। शासनादेश में नियमावली विस्तृत रूप से उल्लेखित है।

(1) जहाँ कोई भूमि, योजना में किसी सुविधा के लिये आरक्षित है. ऐसी भूमि का स्वामी टी.डी.आर. प्राप्त करने के लिये पात्र होगा बशर्ते ऐसी भूमि उसके द्वारा प्राधिकरण को निःशुल्क एवं भारमुक्त अभ्यर्पित कर दी जाए। परन्तु यह कि टी.डी.आर. के प्रयोजननार्थं तल क्षेत्रफल (एफ.ए.आर.क्रेडिट) निम्नलिखित के बराबर होगाः– अभ्यर्पित भूमि का क्षेत्रफल x 2 x गुणन फैक्टर

स्पष्टीकरणः गुणन फैक्टर की गणना अभ्यर्पित भूमि के वर्तमान सर्किल रेट को टी.डी.आर. के उपयोग हेतु प्रस्तावित भूमि के वर्तमान सर्किल रेट से विभाजित कर की जाएगी।

(2) प्राधिकरण के पक्ष में भूमि का निःशुल्क हस्तान्तरण करने हेतु अधिकार अभिलेख को संशोधित किया जायेगा, जिस हेतु स्टाम्प शुल्क के भुगतान से छूट होगी।

(3) टी.डी.आर. को प्रदान करने से आवेदक डी.आर.सी. के रूप में अतिरिक्त तल क्षेत्रफल के लिए अधिकृत हो जायेगा, जिसका उपयोग वह स्वयं कर सकेगा अथवा इस उपविधि के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरणीय कर सकेगा।

(4) टी.डी.आर. की अनुमति उपाध्यक्ष द्वारा स्थानीय स्थितियों या आवश्यकताओं का आंकलन करने के पश्चात् ही दी जाएगी। उपरोक्त खण्ड (1) में वर्णित स्थितियों में आवेदक को यह अधिकार स्वरूप उपलब्ध नहीं होगा। परन्तु यह कि टी.डी.आर. को अस्वीकार करने की दशा में उपाध्यक्ष आवेदन प्राप्त करने के तीस दिन के भीतर आवेदक को टी.डी.आर. स्वीकार न करने के कारणों से सूचित करेगा।

(5) किसी न्यायालय के आदेश द्वारा निषिद्ध या किसी भी प्रकार से न्यायाधीन कोई भूमि या भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदाता अधिकार अधिनियम, 2013 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अर्जन के अन्तर्गत विवादित कोई भूमि टी.डी.आर. की अनुमति के लिये अर्ह नहीं होगी। टी0डी0आर0 का उपयोग आवासीय (ग्रुप हाउसिंग), व्यवसायिक, मिश्रित, कार्यालय, संस्थागत और सामुदायिक भू–उपयोग में रिसीविंग भू–उपयोग के लिये शासनादेश में विहित गुणांक के क्रम में किया जा सकेगा।

परन्तु यह कि डी0आर0सी0 को कृषि, मनोरंजन, भूखण्डीय विकास अथवा रो–हाउसिंग और औद्योगिक भू–उपयोग के लिये योजना में चिन्हित भूमि पर उपयोग की अनुमति नहीं दी जायेगी। परन्तु प्राधिकरण द्वारा अपने बोर्ड के अनुमोदन से योजना में टी0डी0आर0 'सेन्डिग' एवं 'रिसीविंग' जोन्स का चिन्हीकरण किया जा सकेगा।

महायोजना के अन्तर्गत सेंडिंग जोन – ग्रीन, पार्क, पार्किंग व महायोजना मार्ग होंगे।

महायोजना के अन्तर्गत रिसीविंग जोन – विकसित व अविकसित क्षेत्र में 30.00 मीटर एवं उससे अधिक चौड़े मार्ग पर एवं न्यूनतम 2000 वर्ग मीटर के भूखण्ड पर (निर्मित एवं कृषि भू–उपयोग को छोड़कर)। अवैध भवनों या संरचनाओं या निर्माण या भूमि के अवैध उपविभाजन से आच्छादित भूखण्डों में टी0डी0आर0 के उपयोग की अनुमति नहीं दी जायेगी।

टिप्पणीः–टी0डी0आर0 से सम्बन्धित प्राप्त प्रस्तावों पर अधिसूचना संख्या 2119/आठ/3–22–10 विविध–2019 लखनऊ, 23 अगस्त, 2022 के द्वारा (हस्तान्तरणीय विकास अधिकारों की अनुज्ञा), उपविधि, 2022 के अनुरूप की जायेगी।

9.4.9.2 ट्रांजिट ओरिएन्टेड डेवलपमेन्ट (टी.ओ.डी.) नीति

उत्तर प्रदेश ट्रांजिट ओरिएन्टेड डेवलपमेन्ट (टी.ओ.डी.) नीति, 2022 के अन्तर्गत एक आदर्श नियोजन है, जिसका उद्देश्य ट्रांजिट नोड्स के आस–पास अत्यधिक सघन मिश्रित भू उपयोग के साथ पैदल चलने तथा आवासन हेतु उपयुक्त नियोजित सतत् शहरी विकास केन्द्रों को विकसित करके भू–उपयोग एवं परिवहन को एकीकृत करना है पैदल चलने वालों और गैर–मोटर चालित परिवहन (एन.एम.टी.) के अनुकूल अवस्थापना का सृजन करके टी. ओ.डी. ट्रांजिट की पहुँच को बढ़ाता है, जो बड़ी संख्या में लोगों को लाभान्वित करता है, जिसके फलस्वरूप ट्रांजिट परियोजना की सवारियों में वृद्धि होती है और इस प्रणाली के आर्थिक और वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार होता है। टी.ओ.डी. जोन उत्तर प्रदेश योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा 9 के तहत जोनल डवलपमेंट प्लान है।

9.4.9.3 महायोजना क्रियान्वयन हेतु निर्धारित नीतियां

महायोजना–2031 हेतु निर्धारित उद्देश्यों, नगर की विद्यमान समस्याओं एवं महायोजना–2021 के क्रियान्वयन के मूल्यांकन की दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु नगरीय विकास को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप दिशा प्रदान करने के लिए कुछ नीतियॉ निर्धारित की जानी आवश्यक है। यह नीतियॉ नगर के भौतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं व्यवहारिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की गयी है।

इन नीतियों का मुख्य उद्देश्य महायोजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन को बल प्रदान करना है जो निम्नवत् हैः–

9.4.9.4 भू–उपयोगों के विरूद्ध हुए विकास/निर्माण

शासनादेश संख्या 1052(1)आठ–3–13–308 विविध/11 दिनांक 05.07.2013 दिया गया है कि चक गजरिया सम्बन्धी शासनादेश सं0–895 दिनांक 09.04.2013 एवं मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के अभिमत के आलोक में तथा शासन के पत्र संख्या 1052 दिनांक 20. 05.2013 में वांछित सूचनाओं सहित पुनरीक्षित विस्तारित महायोजना–2031 उपलब्ध कराये। इसी अनुक्रम में लखनऊ विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 11.06.2014 में निर्णय लिया गया कि लखनऊ महायोजना–2021 में प्रक्षेपित 45.00 लाख जनसंख्या से अधिक वृद्धि होने तथा विस्तारित क्षेत्र के अन्तर्गत विकास हेतु प्राप्त विभिन्न प्रकार के विकास एवं निर्माणों को सुनियोजित विकास हेतु दिशा निर्देश प्रदान करने हेतु प्रभावी महायोजना में बाहरी सीमा में दर्शित कृषि उपयोग भूमि को एवं विस्तारित विकास क्षेत्र को एकीकृत करते हुए सामान्यतः महायोजना में नगरीकरण हेतु विभिन्न भू–उपयोगों को प्रदर्शित कर प्रभावी महायोजना–2021 के प्रस्तावों को यथावत बनाये रखते हुए संशोधित लखनऊ महायोजना–2031 तैयार की जाये। लखनऊ विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 28.02.2015 में निर्णय लिया गया कि बोर्ड के निर्णय के बिन्दु संख्या–7 पर लखनऊ महायोजना–2021 में कतिपय संशोधन से सम्बन्धित बिन्दुओं पर परीक्षण हेतु गठित समिति द्वारा परीक्षण कर लखनऊ महयोजना–2031 की संरचना की कार्यवाही की जानी है, तद्नुसार संरचना की गयी है।

9.4.9.5 जलाशयों का संरक्षण

नगरीयकरण के बढ़ते दबाव के कारण विद्यमान जलाशयों से आच्छादित भूमि पर अतिक्रमण एवं अनाधिकृत निर्माणों की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। साथ ही तीव्र गति से बढ़ रही जनसंख्या के कारण भूमिगत जल का दोहन अन्धाधुन्ध ढंग से किया जा रहा है जिससे भूमिगत जल का स्तर प्रति वर्ष नीचे गिरता जा रहा है। नगरीय क्षेत्रों में भूमिगत जल के गिरते हुए जल स्तर को प्रभावी रूप से रोकने/नियंत्रित करने के दृष्टिगत महायोजना में दर्शाये गये जलाशयों/तालाबों के अतिरिक्त राजस्व अभिलेखों में दर्ज समस्त जलाशयों/तालाबों को संरक्षित किया जायेगा।

9.4.9.6 वनों का संरक्षण

पर्यावरण संतुलन की दृष्टि से वनों को संरक्षित किये जाने हेतु शासन द्वारा घोषित नीतियों एवं वन अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार राजस्व अभिलेखों में दर्ज समस्त वन भूमि को संरक्षित किया जाना प्रस्तावित है।

9.4.9.7 बागानों का संरक्षण

मलिहाबाद क्षेत्र में वृहद् स्तर पर बागान स्थित है जिसका आंशिक भाग लखनऊ विकास क्षेत्र के अन्तर्गत है। इसके अतिरिक्त बक्शी के तालाब के आसपास क्षेत्र में भी बागान उपलब्ध है। इसके दृष्टिगत महायोजना में इस क्षेत्र में सीमित नगरीय प्रस्ताव दिये गये है।

9.4.9.8 विशिष्ट क्षेत्रों हेतु पुर्नविकास योजनायें

नगर के पुराने क्षेत्रों का स्वरूप नव विकसित क्षेत्रों से पूर्णतया भिन्न है। पुराने क्षेत्रों में मार्गो की उपलब्ध चौड़ाई अत्यन्त ही कम है तथा खुले क्षेत्रों का अभाव है, जनसंख्या घनत्व 1000 व्यक्ति/हे0 से भी अधिक है, मिश्रित उपयोगों की बाहुल्यता है। इन क्षेत्रों में छोटी–छोटी सेवा उद्योगों की इकाइयॉ, भण्डारण, क्रय विक्रय एवं आवासीय उपयोग एक ही परिसर में पाया जाना सामान्य है। इन क्षेत्रों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियां नव विकसित क्षेत्रों से भिन्न है।

भवन/परिसरों में उपलब्ध खुले क्षेत्रों की सामाजिक एंव आर्थिक स्थितियां नव विकसित क्षेत्रों से भिन्न है। भवनों/परिसरों में उपलब्ध खुले क्षेत्रों के उपयोग भी नये क्षेत्रों के भवनों में छोड़े जाने वाले खुले क्षेत्रों से भिन्न होते है। महायोजना में इन क्षेत्र के स्वरूप को बनाये रखे जाने हेतु मिश्रित भू–उपयोग की श्रेणी में प्रस्तावित किया गया है किन्तु यह पर्याप्त नहीं है। इन क्षेत्रों के भौतिक स्वरूप एवं इनके सामाजिक एंव आर्थिक ढॉचे को दृष्टिगत रखते हुए ही इनके अनुरूप भवन उपविधियॉ एवं जोनल प्लान/पुनर्विकास की योजनायें तैयार की जानी चाहिए।

इन क्षेत्रों में वर्तमान में भवनों की ऊँचाई अधिक नहीं है तथा मार्गो की चौड़ाई भी कम है। अत्यधिक घनत्व को नियंत्रित किये जाने हेतु जोनल प्लान तैयार न होने तक इन क्षेत्रों में भवनों की ऊँचाई भी सीमित किया जाना आवश्यक है।

इसी प्रकार से नगर के विभिन्न क्षेत्रों में बेसमेन्ट का प्राविधान अनुमन्य है। जिससे इन निर्मित क्षेत्रों में कार्य–कलापों की सघनता में वृद्धि हो रही है अतः बेसमेन्ट की अनुमति इन क्षेत्रों में दी जानी उचित नहीं है।

9.4.9.9 ग्रामीण आबादी

नगरीय विस्तार के फलस्वरूप नगर के आसपास स्थित ग्रामों की कृषि भूमि ही प्रयोग में आती है। ग्रामीण आबादी क्षेत्र के चारों ओर हुए नये/नियोजित विकास से ग्रामीण आबादियाँ प्रायः वंचित रह जाती है एवं मलिन बस्ती का रूप धारण कर लेती है। अतः उचित होगा कि विभिन्न अभिकरणों द्वारा आसपास के क्षेत्रों में अधोसंरचना विकसित करते समय इस प्रकार की ग्रामीण आबादियों को भी सम्मिलित किया जाये।

9.4.9.10 असंगत भू–उपयोग

नगर के विकसित क्षेत्रों में अनेक ऐसे क्रिया–कलाप विद्यमान है जोकि उनके चारों ओर हुए विकास के अनुरूप नहीं होते है उदाहरण–औद्योगिक इकाईयॉ (जो वर्षो पहले नगर के बाहर स्थापित की गयी थी किन्तु नगरीय विस्तार के फलस्वरूप वे नगर के वर्तमान में घने बसे क्षेत्रों के बीच में आ गयी है) व्यवसायिक उपयोग (अनाज मण्डियॉ) यातायात से

संबधित अधिष्ठान आदि। नगर के विभिन्न क्षेत्रों में आसपास प्रस्तावित उपयोग वहाँ पर हो रहे विद्यमान उपयोगों को दृष्टिगत रखकर किए जाते है। ऐसे उपयोग जो प्रस्तावित उपयोग के अनुरूप नहीं है तथा महायोजना में निर्धारित जोंनिग रेगुलेशन के अनुसार अनुमन्य नहीं है चूंकि इन क्रिया–कलापों से नगर के आंतरिक क्षेत्रों में भीड़–भाड़ एवं प्रदूषण बढ़ता है। ऐसे विभिन्न क्रिया–कलापों के लिए महायोजना में नये क्षेत्रों का पर्याप्त प्राविधान किया गया है।

9.4.9.11 जोनल प्लान तैयार किया जाना

महायोजना में सम्पूर्ण विकास क्षेत्र को 31 जोन में विभक्त किया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य महायोजना प्रस्तावों को विस्तृत रूप से जोनल प्लान (जिसमें स्थानीय स्तर की सुविधाओं, उपयोगिताओं, सेवाओं एवं यातायात संरचना आदि को दर्शाया जाता है।) तैयार किया जाना है। प्रायः नगरीयकरण क्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास/निर्माण कार्यो की गति अधिक रहती है तथा जोनल प्लान के अभाव में इन क्षेत्रों में निर्माण होते रहने से वांछित सुविधाओं/सेवाओं/उपयोगिताओं/मागों/पार्को आदि के लिए स्थान उपलब्ध नहीं हो पाते है अतः जोनल प्लान्स् की प्राथमिकता निर्धारित करते हुए इन्हें तैयार किये जाने की कार्यवाही तत्काल की जानी आवश्यक है। नगर के विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे विकास की प्रवृत्ति को देखते हुए जोन संख्या 01, 02, 03, 15, 16, 22, 24 एवं 25 को प्रथम प्राथमिकता के रूप में लेते हुए कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

9.4.9.12 अधोसंरचनाओं हेतु योजना तैयार किया जाना

महायोजना प्रस्तावों को सुनियोजित ढंग से विकसित किये जाने हेतु भविष्य की आवश्यकता के अनुरूप विभिन्न आवश्यक अधोसंरचनाओं के ढांचे का निर्धारण आवश्यक है। इनके लिए सम्बन्धित उपयोगिताओं/सुविधाओं हेतु सम्बन्धित अभिकरणों द्वारा तत्काल योजनायें तैयार कराकर उनके कार्यान्वयन चरणबद्ध रूप होने पर ही महायोजना के उद्दश्यों की पूर्ति सम्भव हो सकेगी।

9.4.9.13 उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यू.पी.एस.आई.डी.ए)

लखनऊ जनपद के 37 ग्राम उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत अधिसूचित है। इन 37 ग्रामों मे महायोजना में कोई नगरीय उपयोगों के प्रस्ताव नहीं दिये गये है, किन्तु क्षेत्रीय यातायात प्रणाली को एकीकृत/संतुलित किये जाने एवं कुछ नये मार्गो के प्रस्ताव दिये गये है जिन्हें उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास क्षेत्र की महायोजना में भी समायोजित किया जाना आवश्यक होगा।

9.4.9.14 महायोजना–2031 प्रभावी होने से पूर्व स्वीकृत मानचित्रों के सम्बन्ध में नीति

लखनऊ विकास क्षेत्र का विस्तार शासन की अधिसूचना संख्या–174/आठ–6–09–01गठन/04 दिनांक 27.01.2009 द्वारा किया गया है। वर्ष 2016 में इस क्षेत्र हेतु महायोजना तैयार की गयी हैं, इस अवधि में विस्तारित क्षेत्र हेतु कोई महायेाजना नहीं थी। महायोजना–2031 से पूर्व विभिन्न संस्थाये/व्यक्तियों द्वारा समक्ष स्तर से मानचित्र स्वीकृत करवाकर निर्माण किया गया है। अधिकतर ऐसे निर्माणों को महायोजना में समायोजित कर दिया गया है, परन्तु यह सम्भावना है कि कुछ ऐसे निर्माण जो सक्षम स्तर से स्वीकृत करवाकर किये है, महायोजना में समाहित नहीं हो पाये है। अतः ऐसे निर्माण जो सक्षम स्तर से स्वीकृत करवाकर करवाये गये है, स्वीकृत मानचित्र अनुसार प्रभावी रहेंगे।

9.4.9.15 गोमती नदी किनारे बन्धा/ग्रीन कॉरिडोर निर्माण के सम्बन्ध में

गोमती नदी के किनारे बन्धे का निर्माण प्रस्तावित किया गया है। इस प्रस्तावित बन्धे के संरेखण के बाहर के क्षेत्र में सक्रिय भू–उपयोग प्रस्तावित किये गये है। बन्धे के निर्माण के समय इसके संरेखण में परिवर्तन की सम्भावना है। इसके दृष्टिगत बन्धे के संरेखण के बाहर 200 मी0 की परिधि में प्रस्तावित भू–उपयोग तभी प्रभावी होंगे जब बन्धे का निर्माण कर लिया जाये।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा लखनऊ शहर को सुगम यातायात हेतु नए ग्रीन कॉरिडोर का प्रस्ताव तैयार किया गया है। प्रस्तावित ग्रीन कॉरिडोर गोमती नदी के साथ आईआईएम रोड चौराहे से शुरू होते हुए लखनऊ शहर के मध्य नदी के दोनों किनारों से होकर किसान पथ पर समाप्त होता है।

कोरिडोर की कुल लंबाई नदी के दोनों ओर लगभग 28 किलोमीटर प्रस्तावित है। ग्रीन कॉरिडोर के निर्माण से शहर का बाढ़ से बचाव होगा तथा बने तटबंधों का उपयोग ऊंचे ढांचे के रूप में किया जाएगा, इस कोरिडोर का निर्माण दो चरणों में पूर्ण किया जाएगा। प्रस्तावित ग्रीन कोरिडोर एवं नदी के मध्य के क्षेत्र में महायोजना में प्रस्तावित किसी भी प्रकार के भू–उपयोग में कोई भी निर्माण अनुमन्य नहीं होगा। अतः यह क्षेत्र नो–कन्स्ट्रक्शन जोन होगा।

9.4.9.16 अनाधिकृत निर्माण को समायोजित करना

लखनऊ महायोजना–2021 में प्रस्तावित भू–उपयोग के विरूद्ध कुछ स्थलों पर अनाधिकृत निर्माण हो गया है। कुछ ऐसे निर्माण का आपत्ति/सुनवाई के उपरान्त भू–उपयोग समायोजित करने का निर्णय लिया गया है। निर्णय के अनुसार महायोजना में भू–उपयोग समायोजित कर दिया गया है, परन्तु अनाधिकृत निर्माण के नियमतीकरण की कार्यवाही नियमानुसार प्राधिकरण स्तर से आयोजित की जाये।

9.4.9.17 24 मी0 एवं इससे अधिक चौड़े मार्गो पर निर्माण के सम्बन्ध में

प्रायः देखा गया है कि प्राधिकरण, आवास एवं विकास परिषद तथा निजी विकासकर्ता द्वारा तलपट में 24मी0 एवं इससे अधिक चौड़े मार्गो पर आवासीय भूखण्डीय विकास प्रस्तावित कर दिया जाता है। समय के साथ इन भूखण्डों पर अनाधिकृत रूप से व्यवसायिक क्रियायें निर्मित हो जाती है, जिससे यह मार्ग यातायात की समस्या से ग्रस्त हो जाते है। इसके दृष्टिगत प्राधिकरण, आवास एवं विकास परिषद तथा निजी विकासकर्ताओं द्वारा विकसित की जा रही योजनाओं के तलपट मानचित्र में 24मी0 एवं इससे अधिक चौड़े मार्गो पर समूह आवास, व्यवसायिक एवं कार्यालय आदि के भूखण्ड ही सृजित किये जाये। 24मी0 एवं इससे अधिक चौड़े मार्ग पर भूखण्डीय विकास अनुमन्य नहीं होंगे।

9.4.9.18 नगरीय उपभोग प्रभार

महायोजना 2021 में प्रस्तावित ऐसे भू–भाग जिनका भू–उपयोग महायोजना 2031 तैयार करते समय उच्चीकृत हो गया है एवं ऐसे क्षेत्रो में जो भवन अनाधिकृत रूप से निर्मित/निर्माणाधीन हैं तथा महायोजना 2031 में प्रस्तावित भू–उपयोग के अनुरूप हैं, को

उ.प्र. नगर योजना एवं विकास (संशोधन) अध्यादेश–2023 दिनांक 10 जुलाई 2023 के प्रस्तर–8 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार नगरीय उपयोग प्रभार उद्ग्रहीत किये जाने के उपरान्त ही स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

9.5 नियोजन खण्ड

लखनऊ विकास क्षेत्र के सुनियोजित विकास हेतु सम्पूर्ण विकास क्षेत्र को 31 नियोजन खण्डों में विभक्त किया गया है। (मानचित्र संख्या–13) नियोजन खण्डों को सामान्यतः समरूप क्षेत्र की मुख्य मार्गो की सीमा से सीमित किया गया है। इन नियोजन खण्डों की विस्तृत योजनाएँ महायोजना प्रस्तावों के अनुरूप तैयार की जानी प्रस्तावित है।

9.6 चरणबद्ध विकास

लखनऊ नगर की महायोजना के प्रस्तावों के अनुरूप नियोजित विकास को सुनिश्चित करने हेतु विकास की प्राथमिकता का निर्धारण किया जाना आवश्यक है। लखनऊ महायोजना–2021 की अन्तिम सीमा तक विकास हो गया है, इस क्षेत्र के बाहर द्रुतगति से विकास होना प्रारम्भ हो गया है। महायोजना पथ–प्रदर्शक के रूप मे ंकार्य करती है। महायोजना के प्रस्तावों के क्रियान्वयन करने हेतु विभिन्न क्षेत्र के जोनल प्लान एवं तलपट मानचित्र तैयार किये जाने होंगे। विकास के प्रारम्भिक समय पर ही यदि इन क्षेत्रों के जोनल प्लान तैयार कर विकास को नियोजित दिशा प्रदान की जाये तो वहॉ पर अनाधिकृत निर्माण पर समुचित नियन्त्रण हो पायेगा। इसके दृष्टिगत यह प्रस्ताव है कि प्रथम चरण में उन जोन्स के जोनल प्लान तैयार किये जाये जहॉ पर विकास अभी प्रारम्भिक स्थिति में है। तृतीय चरण में आन्तरिक भाग के जोनल प्लान तैयार किये जायेंगे। जोनल प्लान के आधार पर विस्तृत लागत के ऑगणन तैयार किये जायेंगे एवं वित्तीय संसाधनों का प्रबन्ध किया जायेगा, तद्नुसार योजनायें क्रियान्वित की जायेंगी। जोनल प्लान निम्नलिखित चरणों में तैयार किये जायेंगेः–

- प्रथम चरण–जोन संख्या– 23 से 31 तक।
- द्वितीय चरण–जोन संख्या–01, 02, 03, 15, 16, 18, 20, 20, 21 एवं 22।
- तृतीय चरण–जोन संख्या–04 से 14 तक, 17 एवं 19। (संदर्भ–मानचित्र संख्या–13 नियोजन खण्ड)

मानचित्र–13
नियोजन–खण्ड

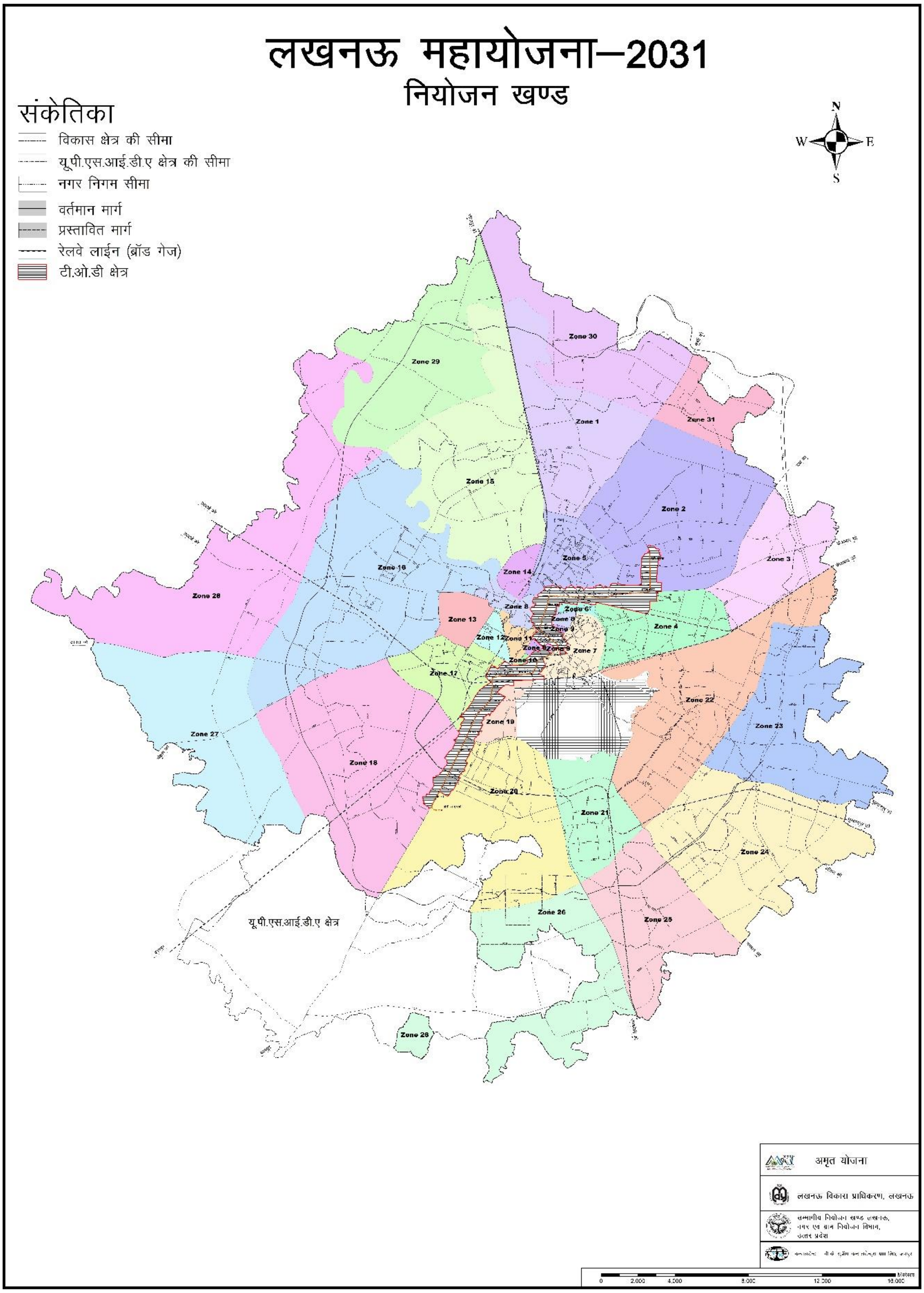

9.6.1 महायोजना का पर्यवेक्षण

9.6.1.1 कार्यदायी विभाग/संस्थाएं

किसी भी नगर की महायोजना उस नगर के संगठित एवं सुनियोजित विकास की दीर्घकालीन रूपरेखा होती है। इसके ईष्टतम परिणाम की पूर्ति हेतु इस क्षेत्र के नगरीय विकास में संलग्न सभी विभागों/संस्थाओं का योगदान एवं प्रयास परमवाश्यक होता है। नगरीय विकास में संलग्न विभाग/संस्थायें निम्नवत् है :–

1. विकास प्राधिकरण, लखनऊ
2. नगर निगम, लखनऊ
3. लोक निर्माण विभाग
4. उद्यान विभाग
5. वन विभाग
6. शिक्षा विभाग
7. स्वास्थ्य विभाग
8. विद्युत विभाग
9. जल निगम
10. जल संस्थान
11. डाक एवं तार विभाग
12. पुलिस विभाग
13. परिवहन विभाग
14. पर्यटन विभाग
15. पुरातत्व विभाग
16. पर्यावरण विभाग

पर्यवेक्षण समिति :–

महायोजना प्रस्तावों का नियमित अनुश्रवण मंडलायुक्त, लखनऊ मण्डल की अध्यक्षता में गठित निम्न पर्यवेक्षण समिति द्वारा किया जायेगा :–

तालिका–17
पर्यवेक्षण समिति

क्र.सं.	पर्यवेक्षण समिति	
1	आयुक्त, लखनऊ मण्डल	अध्यक्ष
2	प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
3	जिलाधिकारी, लखनऊ	सदस्य
4	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ	सदस्य
5	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण	सदस्य
6	नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ	सदस्य
7	मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
8	मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ	सदस्य
9	मुख्य अभियन्ता, विद्युत वितरण	सदस्य
10	महाप्रबन्धक, जलनिगम	सदस्य
11	डी0एफ0ओ0, वनविभाग, लखनऊ	सदस्य
12	संयुक्त निदेशक, शिक्षा विभाग	सदस्य
13	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, लखनऊ	सदस्य
14	क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, लखनऊ	सदस्य
15	अधीक्षक, पुरातत्व विभाग	सदस्य
16	डाक पाल, लखनऊ	सदस्य
17	उपनिदेशक, उद्यान, लखनऊ	सदस्य
18	अध्यक्ष, आर्किटेक्ट एसोसियेशन, लखनऊ	सदस्य
19	अध्यक्ष, औद्योगिक संघ, लखनऊ	सदस्य
20	अध्यक्ष, व्यापार मण्डल, लखनऊ	सदस्य
21	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य/सचिव

उक्त समिति समय–समय पर महायोजना का धरातलीय पर्यवेक्षण करके अपने अभिमत व सुझाव सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं एवं आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को उपलब्ध करायेगी।

अध्याय–10
जोनिंग रेगुलेशन्स

10.1 परिचय

10.1.1 जोनिंग के उद्देश्य

महायोजना में सामान्यतः प्रमुख भू–उपयोगों यथा आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, कार्यालय, सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक सुविधाएं, पार्क एवं खुले स्थल, कृषि, आदि को ही दर्शाया जाता है। प्रमुख भू–उपयोगों के अन्तर्गत अनुमन्य अनुषांगिक क्रियाएं (Activities) जिन्हें महायोजना मानचित्र पर अलग से दर्शाया जाना सम्भव नहीं है, की अनुज्ञा जोनिंग रेगुलेशन्स के आधार पर प्रदान की जाती है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा नई योजनाओं में भी विविध अनुषांगिक क्रियाओं/उपयोगों (Ancillary/Incidental) का प्राविधान जोनिंग रेगुलेशन्स तथा प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार किया जाना अपेक्षित है ताकि जन–स्वास्थ्य, कल्याण एवं सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

10.1.2 विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों की अनुज्ञा श्रेणिया

महायोजना में प्रस्तावित प्रमुख भू–उपयोग जोन्स के अन्तर्गत विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों की निम्न अनुज्ञा श्रेणियाँ होंगीः–

(क) अनुमन्य उपयोग

वह क्रियाएं/उपयोग जो सम्बन्धित प्रमुख भू–उपयोगों के अनुषांगिक होंगे तथा सामान्यतः अनुमन्य होंगे।

(ख) सशर्त अनुमन्य उपयोग

वह क्रियाएं/उपयोग जो कार्यपूर्ति के आधार पर सम्बन्धित प्रमुख भू–उपयोगों में अनिवार्य शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ अनुमन्य होंगे। अनिवार्य शर्ते एवं प्रतिबन्ध प्रस्तर–10.4 में दिए गए है।

(ग) सक्षम प्राधिकारी की विशेष अनुमति से अनुमन्य उपयोग

वह क्रियाएं/उपयोग जो आवेदन किए जाने पर निर्माण के प्रकार के संदर्भ में अवस्थापनाओं की संरचना तथा आसपास के क्षेत्र पर पड़ने वाले पर्यावरण प्रभाव, आदि अर्थात गुण–दोष को दृष्टिगत रखते हुए सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से अनुमन्य होंगे। विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं हेतु अपेक्षाएं प्रस्तर–10.3 में दी गई है।

(घ) निषिद्ध उपयोग

वह क्रियाएं/उपयोग जो सम्बन्धित प्रमुख भू–उपयोग जोन में अनुमन्य नहीं होंगे। निषिद्ध क्रियाओं के अन्तर्गत सूचीबद्ध क्रियाओं के अतिरिक्त ऐसी सभी क्रियाएं तथा विकास/निर्माण कार्य जो प्रमुख उपयोग के अनुषांगिक नहीं है अथवा उपरोक्त (क), (ख) अथवा (ग) श्रेणी के अनुमन्य क्रियाओं की सूची में शामिल नहीं है, की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ङ) अस्थायी क्रियाएं

ऐसी क्रियाएं जिसमें किसी विशेष प्रयोजन हेतु जनसामान्य एकत्र होते हों तथा जो पूर्णतः अस्थायी रूप से अल्प अवधि के लिए स्थापित होती है। ऐसी क्रियाओं की अनुमन्यता सम्बन्धित विभागों द्वारा अपने–अपने तद्समय प्रचलित नियमों/अधिनियमों के अन्तर्गत प्रदान की जायेगी। उक्त प्राविधान जोनिंग रेगुलेशन्स के प्रस्तर–10.4 "प्रमुख भू–उपयोग जोन्स में सशर्त अनुमन्य क्रियाओं/उपयोगों हेतु अनिवार्य शर्त एवं प्रतिबन्ध" की शर्त कोड–16 पर भी लागू होंगी।

10.1.3 फ्लोटिंग उपयोग

महायोजना लागू होने के उपरान्त प्रमुख भू–उपयोग जोन्स में कतिपय क्रियाएं/उपयोग नगरों के परिवर्तनशील भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक तथा राजनैतिक परिवेश में आवश्यकतानुसार प्रस्तावित किए जाते है जो समय की माँग के अनुसार व्यवहारिक होते है, परन्तु महायोजना अथवा जोनिंग रेगुलेशन्स में परिकल्पित नहीं है। इस प्रकार के उपयोगों में बस/ट्रक/रेल/हवाई टर्मिनल, प्लान्ट्स इत्यादि शामिल हो सकते है। इसके अतिरिक्त फ्लोटिंग उपयोग के अंतर्गत थोक मार्केट काम्प्लेक्स सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सेवाएं यथा विद्युत् सबस्टेशन, ट्रीटमेंट प्लांट्स आदि हैं। ऐसी क्रियाओं को अनुमन्य किए जाने हेतु कई बार अधिनियम के अन्तर्गत भू–प्रयोग परिवर्तन की प्रक्रिया अपनाया जाना अपरिहार्य हो जाता है जो अन्यथा प्रत्येक मामले में औचित्यपूर्ण न हो। अतः आवश्यकतानुसार ऐसी क्रियाओं/उपयोगों की अनुमन्यता हेतु **"फ्लोटिंग उपयोग"** **(Floating use)** कॉन्सेप्ट अपनाया गया है।

"फ्लोटिंग उपयोग"/क्रियाओं के लिए महायोजना में अलग से "जोन" आरक्षित किया जाना सम्भव नहीं है क्योंकि ऐसे उपयोग की जानकारी विकासकर्ता/निर्माणकर्ता द्वारा अनुज्ञा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर ही हो सकेगी और उस उपयोग की प्रकृति तथा उसके कार्यपूर्ति मापदण्ड (**performance standard**) से ही तय हो सकेगा कि उसे किस भू–उपयोग जोन में अनुमन्य किया जाए। "फ्लोटिंग उपयोग" कान्सेप्ट अपनाए जाने के फलस्वरूप जोनिंग प्रणाली में Flexibility रहेगी। इसका यह भी लाभ होगा कि किसी एक भू–उपयोग जोन में नॉन–कन्फॉर्मिंग उपयोगों का केन्द्रीयकरण नहीं हो सकेगा। इसके अतिरिक्त "फ्लोटिंग" उपयोग के फलस्वरूप किसी भू–उपयोग जोन का प्रधान प्रकृति (Dominant Character) पर पड़ने वाले कुप्रभाव अथवा होने वाले ह्रास पर अंकुश लगाने तथा सम्बन्धित क्षेत्र में अवस्थापनाओं पर अनावश्यक दबाव को नियन्त्रित रखने हेतु यह प्राविधान किया गया है कि फ्लोटिंग उपयोग यदि उस जोन में सामान्यतः अनुमन्य नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष अनुमति से गुण–अवगुण के आधार पर अनुमन्यता के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाएगा।

10.1.4 रेन वाटर हार्वेस्टिंग

भूमिगत जल के संरक्षण तथा रिचार्जिंग हेतु नगरीय क्षेत्रों की महायोजनाओं/जोनल डेवलपमेंट प्लान्स में प्रस्तावित किसी भू–उपयोग जोन के अन्तर्गत एक एकड़ एवं उससे अधिक क्षेत्रफल के प्राकृतिक जलाशय, तालाब व झील, आदि का वर्तमान वास्तविक उपयोग यथावत् अथवा उसके अनुषांगिक रहेगा भले ही महायोजना में उन स्थलों का प्रमुख भू–उपयोग अन्यथा दर्शाया गया हो। ऐसे समस्त जलाशयों, तालाबों, झीलों, आदि को उनकी स्थिति एवं क्षेत्रफल के विवरण सहित सूचीबद्ध कर महायोजना/जोनल प्लान/ले–आउट प्लान में उनके संरक्षण हेतु समुचित प्राविधान किए जाने अनिवार्य होंगे।

10.1.5 प्रभाव शुल्क (Impact Fee)

विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित योजनाओं/नियोजित रूप से विकसित क्षेत्रों में जहॉ नियोजन मानकों के अनुसार अनुषांगिक क्रियाओं का प्राविधान किया जा चुका है, के अन्तर्गत वर्तमान अथवा भविष्य में कतिपय अन्य क्रियाओं/उपयोगों की अनुज्ञा हेतु आवेदन प्राप्त हो सकते है/होंगे। ऐसे आवेदनों पर जोनिंग रेगुलेशन्स के प्रस्तर 10.1.7.3 में निहित प्राविधान ही मान्य होंगे। इन

क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी जोनिंग रेगुलेशन्स में निहित प्राविधानों के अधीन विचार किया जायेगा। यदि निम्न भू–उपयोग जोन में उच्च उपयोग की अनुज्ञा प्रदान की जाती है तो इसके फलस्वरूप सम्बन्धित क्षेत्र में यातायात, अवस्थापनाओं तथा पर्यावरण पर प्रभाव पड़ेगा, अतः ऐसी अनुज्ञा के समय आवेदक द्वारा "प्रभाव शुल्क" (**Impact Fee**) देय होगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन प्रकरणों में उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 के अधीन भू–उपयोग परिवर्तन निहित हो, में भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क देय होगा जबकि जोनिंग रेगुलेशन्स के आधार पर अनुमन्य क्रियाओं/उपयोगों हेतु केवल प्रभाव शुल्क देय होगा।

प्रभाव शुल्क उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली, 2014 में निहित व्यवस्थानुसार वसूल किया जायेगा। प्रभाव शुल्क की राशि सामान्यतः अनुमन्य एवं सशर्त अनुमन्य क्रियाओं हेतु उक्त नियमावली में निर्धारित शुल्क की 25 प्रतिशत तथा विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं हेतु 50 प्रतिशत होगी। प्रभाव शुल्क का आंकलन विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद की वर्तमान सेक्टर (आवासीय) दर, प्राधिकरण/परिषद की दर न होने की दशा में भूमि के विद्यमान भू–उपयोग के लिए जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वर्तमान सर्किल रेट के आधार पर किया जाएगा। विभिन्न भू–उपयोग जोन्स का "निम्न" से "उच्च" क्रम एंव प्रभाव शुल्क के निर्धारण की पद्धति जोनिंग रेगुलेशन्स क प्रस्तर 10.6 में दी गई है।

प्रभाव शुल्क निम्न परिस्थितियों में देय नहीं होगाः–

1. निर्मित क्षेत्र में सामान्यतः अनुमन्य क्रियाओं/उपयोगों हेतु,
2. मिश्रित भू–उपयोग जोन में शासकीय एवं अर्द्ध–शासकीय अभिकरणों द्वारा विकसित की जाने वाली सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक सुविधाओं/क्रियाओं हेतु,
3. विभिन्न प्रमुख भू–उपयोग जोन्स में अस्थायी रूप में (अधिकतम समय सीमा एक सप्ताह अनुमन्य की जाने वाली क्रियाओं/उपयोगों हेतु)
4. राज्य सरकार द्वारा घोषित विभिन्न नीतियों–पर्यटन नीति, सूचना प्रौद्योगिकी नीति, फिल्म नीति, आदि के अधीन जिन क्रियाओं/उपयोगों का शासकीय आदेशों के अनुसार कतिपय भू–उपयोग जोन्स में अनुमन्य किया गया है, हेतु प्रभाव शुल्क देय

नहीं होगा यथा पार्क एवं खुले स्थल, बाग–बगीचे, हरित क्षेत्र, वन क्षेत्र, संकटमय उद्योग, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, भू–उपयोगों को छोड़कर अन्य समस्त भू–उपयोगों में होटल की अनुमन्यता तथा आवासीय क्षेत्र में पॉच के.वी.ए. क्षमता तक की सूचना प्रौद्योगिकी इकाईयाँ/सूचना प्रौद्योगिकी पार्क की अनुमन्यता हेतु प्रभाव शुल्क देय नहीं होगा।

5. होटल अथवा व्यवसायिक उपयोग से भिन्न उपयोग में होटल की अनुमन्यता हेतु परिवर्तन शुल्क/प्रभाव शुल्क देय नहीं होगा।

10.1.6 अनुज्ञा की प्रक्रिया

1. विकास क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भी प्रमुख भू–उपयोग जोन में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अन्य क्रियाओं की विशेष अनुमति दिये जाने से पूर्व ऐसे प्रत्येक मामले में एक समिति द्वारा परीक्षण किया जाएगा तथा समिति की संस्तुति प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। उक्त समिति में निम्न सदस्य होंगेः–

i. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश अथवा उनके प्रतिनिधि,

ii. विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी,

iii. अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण द्वारा नामित प्राधिकरण बोर्ड के गैर–सरकारी सदस्य।

2. जोनिंग रेगुलेशन्स के अधीन आवेदक द्वारा किसी क्रिया अथवा उपयोग की अनुज्ञा अधिकार स्वरूप प्राप्त नहीं की जा सकेगी।

10.1.7 अन्य अपेक्षाएं

1. महायोजना में चिन्हित प्रमुख भू–उपयोग जोन्स के अन्तर्गत किसी क्रिया या विशिष्ट उपयोग हेतु प्रस्तावित स्थल पर विकास/निर्माण, उस क्रिया या विशिष्ट उपयोग की अनुषांगिकता के अनुसार ही अनुमन्य होगा। उदाहरणार्थ, सामुदायिक सुविधाओं में अस्पताल उपयोग के अन्तर्गत केवल अस्पताल तथा उसकी अनुषांगिक क्रियाएं ही अनुमन्य होंगी।

2. महायोजना में प्रस्तावित किसी भू–उपयोग जोन के अन्तर्गत वर्तमान वन क्षेत्र या सार्वजनिक सुविधाओं एवं उपयोगिताओं से सम्बन्धित स्थल, जैसे पार्क, क्रीड़ा–स्थल

तथा सड़क आदि का वर्तमान वास्तविक उपयोग वही रहेगा भले ही महायोजना में उन स्थलों का प्रमुख भू–उपयोग अन्यथा दर्शाया गया हो।

3. यदि अधिनियम के अन्तर्गत किसी परिक्षेत्र (जोन) की परिक्षेत्रीय विकास योजना या किसी स्थल का ले–आउट प्लान सक्षम स्तर से अनुमोदित है तो ऐसी स्थिति में उक्त स्थल/भूखण्ड का अनुमन्य भू–उपयोग परिक्षेत्रीय विकास योजना या विन्यास मानचित्र में निर्दिष्ट उपयोग के अनुसार होगा।

परन्तु ''विशेष अनुमति से अनुमन्य '' क्रियाओं हेतु प्रत्येक प्रकरण में गुण–अवगुण के आधार पर प्रस्तर 10.1.6 में वर्णित समिति द्वारा निम्न व्यवस्थायें सुनिश्चित की जायेगीः–

1. प्रमुख भू–उपयोग जोन में किसी प्रकार की ध्वनि/धुआँ/दुर्गन्ध इत्यादि के प्रदूषण की सम्भावना न हो।
2. प्रस्तावित क्रिया यथा–सम्भव मुख्य भू–उपयोग के बाहरी क्षेत्र/किनारों पर मुख्य मार्ग पर अथवा पृथकीकृत रूप में स्थित हो।
3. प्रस्तावित क्रिया की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जायेगी कि भवन काः–

3.1 प्रमुख भू–उपयोग जोन की आधारभूत अवस्थापनाओं यथा–जलापूर्ति, ड्रेनेज, सीवरेज, विद्युत–आपूर्ति, खुले स्थल तथा यातायात, पार्किंग इत्यादि पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

3.2 प्रस्तावित क्रिया के कारण अगल–बगल के भूखण्डों/भवनों के निजी परिसरों में प्रकाश एवं संवातन तथा प्राईवेसी भंग न हो।

3.3 प्रस्तावित क्रिया हेतु भू–आच्छादन, अधिकतम एफ.ए.आर. एवं ऊँचाई प्रमुख भू–उपयोग अथवा प्रस्तावित क्रिया के मानकों में, जो न्यूनतम हो, अनुमन्य होगा।

3.4 किसी भी प्रमुख जोन में विशेष अनुमति से अन्य क्रिया को अनुमन्य किये जाने की दशा में पार्किंग/मार्ग विस्तार/सार्वजनिक पार्किंग, इत्यादि हेतु दर्शायी गयी भूमि आवेदक द्वारा प्राधिकरण को निःशुल्क हस्तान्तरित करनी होगी।

टिप्पणीः– प्रमुख भू–उपयोग जोन्स के अन्तर्गत पूर्व विकसित योजनाओं/क्षेत्रों में मूल उपयोग से इतर क्रिया/उपयोग (भले ही जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार ऐसी क्रिया/उपयोग सामान्यतः अनुमन्य' सशर्त अनुमन्य' विशेष अनुमति से अनुमन्य

हो), अनुमन्य किये जाने हेतु न्यूनतम एक माह की समयावधि प्रदान करते हुये जनता से आपत्ति/सुझाव, उचित माध्यमों से आमंत्रित किये जायेंगे एंव इन आपत्ति/सुझावों के निस्तारण के उपरान्त ही स्वीकृति/अस्वीकृति की कार्यवाही की जायेगी। अनुज्ञा से सम्बन्धित आवेदन पत्र का निस्तारण प्राप्ति के दिनांक से अधिकतम 60 दिन में सुनिश्चित किया जायेगा।

- जोनिंग रेगुलेशन्स में निहित प्राविधानों के अधीन विभिन्न अभिकरणों द्वारा तैयार की जाने वाली परिक्षेत्रीय विकास योजनाओं/विन्यास मानचित्र/पुर्नविकास योजना के लिये तथा ऐसे क्षेत्र जिनकी परिक्षेत्रीय विकास योजना/विन्यास मानचित्र अभी तक तैयार नहीं किये जा सके है, हेतु कार्यवाही की जायेगी।
- प्रस्तावित जोनिंग रेगुलेशन्स के अन्तर्गत सभी भू–उपयोग श्रेणियों (अनुमन्य, सशर्त अनुमन्य, विशेष अनुमति से अनुमन्य) में विकास एवं निर्माण कार्य भवन उपविधि के अनुसार ही स्वीकृत किया जाना अपेक्षित है।

10.1.8 परिभाषाएं

1. इन रेगुलेशन्स हेतु "**सक्षम प्राधिकारी**" का तात्पर्य उ0प्र0 नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत घोषित विकास क्षेत्र की स्थिति में विकास प्राधिकरण बोर्ड से है।
2. **"निर्मित क्षेत्र"** का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जो महायोजना में इस रूप में परिभाषित किया गया है।
3. "**विकासशील/अविकसित क्षेत्र**" का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जो निर्मित क्षेत्र के बाहर, परन्तु विकास क्षेत्र के अन्तर्गत है।

10.2 भू–उपयोग परिसरों/क्रियाओं की परिभाषाएं

10.2.1 आवासीय

10.2.1.1	**एकल आवास**	वह परिसर, जिसमें स्वतंत्र आवासीय इकाईयाँ (भूखण्डीय आवास) हो
10.2.1.2	**समूह आवास (ग्रुप हाऊसिंग)**	वह परिसर, जिसमें दो या इससे अधिक मंजिल का भवन होगा एवं प्रत्येक तल पर स्वतंत्र आवासीय इकाईयाँ होंगी तथा जिसमें भूमि एवं सेवाओं, खुले स्थलों व आवागमन के रास्ते की भागीदारी एवं सह–स्वामित्व होगा।

10.2.1.3	**आनुषांगिक कर्मचारी आवास**	वह परिसर जिसमें किसी प्रमुख उपयोग में कार्यरत कर्मचारियों हेतु उसी उपयोग में आवासीय ईकाइयों का प्राविधान स्वतंत्र अथवा समूह आवास के रूप में किया गया हो।
10.2.1.4	**चौकीदार/संतरी आवास**	वह परिसर, जिसमें अनुषांगिक उप–उपयोग की सुरक्षा एवं रख–रखाव से सम्बद्ध व्यक्तियों हेतु आवासीय व्यवस्था की गई हो।

10.2.2 वाणिज्यिक

10.2.2.1	**फुटकर दुकानें**	वह परिसर, जहाँ आवश्यक वस्तुओं की बिक्री सीधे उपभोक्ता को की जाती हों।
10.2.2.2	**शो–रूम**	वह परिसर जहाँ वस्तुओं की बिक्री एवं उनका संग्रह, उपभोक्ताओं को प्रदर्शित करने की व्यवस्था के साथ की जाती है।
10.2.2.3	**आटा चक्की**	वह परिसर, जहाँ गेहूँ, मसालों, इत्यादि सूखे भोजन पदार्थो को पीस कर दैनिक प्रयोग हेतु तैयार किया जाता हो।
10.2.2.4	**थोक मण्डी/व्यापार**	वह परिसर, जहाँ माल और वस्तुए थोक व्यापारियों को बेची और सुपुर्द की जाती है। परिसर में भण्डारण व गोदाम और माल चढाने एवं उतारने की सुविधाएं भी शामिल है।
10.2.2.5	**नीलामी बाजार**	ऐसा स्थान जहाँ विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नीलामी के माध्यम से केवल खरीदने व बेचने के लिए लायी जाती है। ऐसे स्थान पर किसी भी प्रकार का भण्डारण अनुमन्य नहीं होता तथा यह स्थान पूर्णतया खुले रूप में होता है जिसमें केवल एक संचालन कक्ष हो सकता है
10.2.2.6	**कोल्ड स्टोरेज (शीतगृह)**	वह परिसर जहाँ आवश्यक तापमान आदि बनाए रखने के लिए यान्त्रिक और विद्युत साधनों का प्रयोग करके आवृत्त स्थान में नाशवान वस्तुओं का भण्डारण किया जाता हो।
10.2.2.7	**होटल**	वह परिसर, जिसका उपयोग ठहरने के लिए खाने सहित या खाने रहित अदायगी करने पर किया जाता है।
10.2.2.8	**मोटल**	यह परिसर, मुख्य मार्ग के किनारे स्थित हो और जहाँ यात्रियों की सुविधाओं के लिए ठहरने सहित खान–पान का प्रबन्ध तथा वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था हो।
10.2.2.9	**रिजार्ट**	प्राकृतिक अथवा कृत्रिम रूप से निर्मित ऐसा स्थान जो अल्प/लघु अवधि के लिए मनोरंजनात्मक रूप से उपयोग किया जाता है ऐसे परिसर में रात्रि विश्राम के अतिरिक्त अन्य सार्वजनिक सुविधायें भी रहती है।
10.2.2.10	**कैन्टीन**	वह परिसर जिसे संस्था के कर्मचारियों के लिए कुकिंग सुविधाओं सहित खाद्य पदार्थो की व्यवस्था करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें बैठने का स्थान हो सकता है।
10.2.2.11	**भोजनालय/जलपान गृह/रेस्टोरेन्ट**	वह परिसर जिसे कुकिंग सुविधाओं सहित व्यवसायिक आधार पर खाद्य पदार्थो की व्यवस्था करने के लिए उपयोग किया जाता हो। इसमें बैठने का स्थान आवृत्त या खुला अथवा दोनों प्रकार का हो सकता है।
10.2.2.12	**सिनेमा**	वह परिसर जिसमें दर्शकों के बैठने के लिए आवृत स्थान सहित चलचित्र के प्रक्षेपण सुविधाओं की व्यवस्था हो।
10.2.2.13	**मल्टीप्लेक्स (बहुसामुच्य)**	वह परिसर जिसमें फिल्म प्रदर्शन की नवीनतम तकनीकी सहित अन्य मनोरंजन सुविधाओं तथा अनुषांगिक व्यवसायिक क्रियाओं की व्यवस्था एक काम्पलेक्स में हो।
10.2.2.14	**पी.सी.ओ./सेल्यूलर मोबाइल सर्विस**	वह परिसर जहाँ से स्थानीय, अन्तर्राज्यीय, देश–विदेश, इत्यादि में दूरभाष अथवा सेल्यूयर पर शुल्क अदा करके बातचीत किए जाने की व्यवस्था हो।
10.2.2.15	**पेट्रोल/डीजल/सी.एन.जी./सी.बी.जी.एस./ फिलिंग स्टेशन**	स्टेशन उपभोक्ताओं को पेट्रोलियम/गैसोलीन/बायो गैस उत्पाद इत्यादि बेचने का परिसर जिसमें ओटोमोबाइल्स की सर्विसिंग भी शामिल हो सकती है।
10.2.2.16	**ई.वी. चार्जिंग स्टेशन**	
10.2.2.17	**गैस गोदाम**	वह परिसर जहाँ कुकिंग गैस या गैस सिलिन्डरों का भण्डारण किया जाता हो।
10.2.2.18	**गैस अधिष्ठान**	वह परिसर जहाँ रसोई गैस की केवल बुकिंग की जाती है।
10.2.2.19	**जंकयार्ड/कबाड़खाना**	वह परिसर जहाँ निष्प्रयोज्य माल, वस्तुओं और साम्रगी की बिक्री और खरीद सहित आवृत्त अथवा अर्द्ध–आवृत्त अथवा खुला भण्डारण किया जाता हो।

10.2.2.20	**भण्डारण गोदाम, वेयर–हाउसिंग**	वह परिसर जिसे सम्बन्धित वस्तुओं की आवश्यकता के अनुसार माल और वस्तुओं के केवल भण्डारण के लिए उपयोग किया जाता हो। ऐसे परिसर में सड़क परिवहन या रेल परिवहन, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा माल चढ़ाने और उतारने की सुविधाएं शामिल है।
10.2.2.21	**मोटर वाहनों के स्पेयर पार्ट्स की बिक्री हेतु दुकाने**	यह सामान्य आकार की दुकानें है जहाँ मोटर वाहनों के रिपेयर कार्यो हेतु (कार श्रृंगार उपकरणों को छोड़कर) पार्ट्स की बिक्री की जाती है, ऐसी दुकानों के सामने पार्किंग अनिवार्य है परन्तु इस प्रकार की पार्किंग में रिपेयर कार्य पूर्णतया निषिद्ध है।
10.2.2.22	**वाहन क्रय–विक्रय/कार्यशाला/ सहायक सामग्री केन्द्र**	वह परिसर जिसमें वाहन का क्रय–विक्रय, वाहनों का शो–रूम, आटोमोबाइल्स की सर्विसिंग और मरम्मत की जाती है।
10.2.2.23	**सर्विस अपार्टमेण्ट**	सर्विस अपार्टमेण्टस् पूर्णतयः सुसज्जित एवं 'सेल्फ कन्टेन्ड अपार्टमेन्टस् होंगे, जिसमें भोजन बनानें की सुविधा (किचन/रसोई घर) होगी तथा जो अल्प अवधि की रिहायश के लिये उपयोग में लाये जायेंगे।

10.2.3 औद्योगिक

10.2.3.1	**खनन सम्बन्धी**	वह परिसर जिसमें पत्थर एंव अन्य भूमिगत सामग्रियों को खोद कर निकालने एवं प्रोसेसिंग का कार्य किया जाता हो।
10.2.3.2	**सॉफ्टवेयर/सूचना प्रौद्योगिकी पार्क**	वह परिसर जहाँ सूचना प्रौद्योगिकी में प्रयोग होने वाले कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर इस क्षेत्र के अद्यतन प्रौद्योगिकी के अन्य साफ्टवेयर इत्यादि का निर्माण किया जाता हो।
10.2.3.3	**तेल डिपो**	वह परिसर जहाँ सभी सम्बन्धित सुविधाओं सहित पेट्रोलियम उत्पाद का भण्डार किया जाता हो।
10.2.3.4	**दुग्ध संग्रह केन्द्र**	वह परिसर जहाँ सम्बद्ध क्षेत्र से किसी डेयरी हेतु दूध का संग्रहण किया जाता हो।

10.2.4 कार्यालय

10.2.4.1	**राजकीय कार्यालय**	वह परिसर जिसका उपयोग केन्द्रीय/राज्य सरकार के कार्यालय के लिए किया जाता हो।
10.2.4.2	**स्थानीय निकाय कार्यालय**	वह परिसर जिसका उपयोग स्थानीय निकायों के कार्यालयों के लिए किया जाता हो।
10.2.4.3	**अर्द्ध–राजकीय कार्यालय**	वह परिसर जिसका उपयोग किसी अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित अभिकरण, निकाय, परिषद, आदि के कार्यालयों के लिए किया जाता हो।
10.2.4.4	**निजी कार्यालय**	वह परिसर जिसमें किसी एक या छोटे ग्रुप द्वारा व्यवसायिक कार्यो हेतु कन्सल्टेन्टी/सर्विसिंग प्रदान की जाती हो जैसे चार्टड एकाउन्टेण्ट, अधिवक्ता, चिकित्सक, वास्तुविद, डिजाईनर, कम्प्यूटर प्रोग्रामर, टूर एवं ट्रेवेल एजेन्ट, इत्यादि।
10.2.4.5	**साइबर कैफे**	वह केन्द्र या स्थान जहाँ शुल्क अदा करके नागरिकों द्वारा इन्टरनेट की सुविधा का उपयोग किया जाता है
10.2.4.6	**बिजनेस पार्क**	नगर का ऐसा क्षेत्र जहाँ पर अनेक कार्यालय भवन स्थापित हो, जो केवल व्यवसायिक गतिविधियों/कार्यकलापों के उपयोग में लिये जाते है।
10.2.4.7	**डाटा प्रोसेसिंग सेन्टर**	ऐसा सेन्टर जहाँ कम्प्यूटर प्रौद्यागिकी से संबंधी सूचना (डाटा) के विश्लेषण इत्यादि की प्रोसेसिंग की जाती है, ऐसे केन्दों में कम्प्यूटर्स, सर्वर, इंटरनेट सर्वर स्थापित किये जाते है तथा इनका संचालन सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर इन्जीनियर्स द्वारा किया जाता है।
10.2.4.8	**कॉल सेन्टर**	ऐसा केन्द्र जहाँ विभिन्न उपभोक्ताओं के व्यक्तिगत सूचनाएं, व्यावसायिक गतिविधियों संबंधी सूचनाएं तथा मार्गनिर्देशन ई–कम्न्यूकेशन के माध्यम से किया जाता है।
10.2.4.9	**बैंक**	वह परिसर जिसमें बैकों के कार्य और प्रचालन को पूरा करने के लिए व्यवस्था हो।

10.2.4.10	**वाणिज्यिक / व्यवसायिक कार्यालय**	वह परिसर जो व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के कार्यालयों के लिए उपयोग किया जाता हो।
10.2.4.11	**श्रमिक कल्याण केन्द्र**	वह परिसर जहॉ श्रमिकों के कल्याण और विकास को बढ़ावा देने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
10.2.4.12	**अनुसंधान एवं विकास केन्द्र / शोध केन्द्र**	वह परिसर जहॉ सामान्य जनता एवं श्रेणी विशेष के लिए अनुसंधान एवं विकास के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
10.2.4.13	**मौसम अनुसन्धान केन्द्र**	वह परिसर जहॉ मौसम और उससे सम्बन्धित ऑकड़ों के अध्ययन / अनुसंधान और विकास के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
10.2.4.14	**बायोटिक पार्क**	ऐसा औद्योगिक पार्क जहॉ पूर्ण रूप से जैव–प्रौद्योगिकी के शोध एवं विकास संबंधी क्रियाएं की जाती है।

10.2.5 सामुदायिक सुविधायें, उपयोगितायें एवं सेवायें

10.2.5.1	**अतिथिगृह / निरीक्षणगृह**	वह परिसर जहॉ सरकारी / अर्द्ध–सरकारी, उपक्रम कम्पनी के स्टाफ तथा अन्य व्यक्तियों को लघु अवधि के लिए ठहराया जाता है।
10.2.5.2	**धर्मशाला**	वह परिसर जिसमें लाभरहित आधार पर लघु अवधि के अस्थायी आवास की व्यवस्था होती है।
10.2.5.3	**बोर्डिंग / लॉजिंग हाऊस**	वह परिसर जिसके कमरे आवासीय सुविधा हेतु दीर्घावधि हेतु किराए पर दिए जाते है।
10.2.5.4	**छात्रावास**	ऐसा भवन जिसमें छात्र शिक्षा की अवधि तक के लिए निर्धारित शुल्क अदा करके निवास करते है। इसमें छात्रों के रिहायशी कमरों के अतिरिक्त छात्रों हेतु खान–पान, कैन्टीन, शौचालय, इन्डोर गेम्स्, वार्डन हाउस, इत्यादि भी सम्मिलित हो सकते है।
10.2.5.5	**अनाथालय**	वह परिसर जहॉ अनाथ बच्चों के रहने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो। इसमें शैक्षिक सुविधाओं की भी व्यवस्था हो सकती है।
10.2.5.6	**रैन–बसेरा**	वह परिसर जिसमें बिना शुल्क या नाम मात्र के शुल्क से रात्रि के समय रहने की व्यवस्था होती है।
10.2.5.7	**सुधार गृह**	वह परिसर जहॉ अपराधियों को रखने और उनका सुधार करने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
10.2.5.8	**हैण्डीकैप्ड चिल्ड्रन हाउस**	वह परिसर जहॉ अपाहिज तथा मानसिक रूप से अशक्त बच्चों के सुधार तथा चिकित्सा की सुविधाओं की व्यवस्था हो। इसका प्रबन्ध व्यवसायिक अथवा गैर–व्यवसायिक आधार पर किसी एक व्यक्ति या संस्था द्वारा किया जा सकता है।
10.2.5.9	**शिशुगृह एवं दिवस देखभाल केन्द्र**	वह परिसर जहॉ दिन के समय शिशुओं के लिए नर्सरी सुविधाओं की व्यवस्था हो। केन्द्र का प्रबन्ध व्यवसायिक आधार पर किसी एक व्यक्ति या किसी संस्था द्वारा किया जा सकता है।
10.2.5.10	**वृद्धावस्था देखभाल केन्द्र**	वह परिसर जहॉ पर सामान्यतः वृद्ध अवस्था के व्यक्तियों के लिए लघु अथवा दीर्घकालिक रहने की व्यवसायिक अथवा गैर–व्यवसायिक व्यवस्था हो। इसमें वृद्धों के मनोंरजन, सामान्य स्वास्थ्य, खान–पान इत्यादि की भी व्यवस्था हो सकती है जिसका प्रबन्ध किसी एक व्यक्ति या संस्था द्वारा किया जा सकता है।
10.2.5.11	**उच्च माध्यमिक / इण्टर विद्यालय**	वह परिसर जहॉ 10वीं / 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षण एवं खेल–कूद सुविधाओं की व्यवस्था हो।
10.2.5.12	**महाविद्यालय**	वह परिसर जहॉ किसी विश्वविद्यालय के अन्तर्गत स्नातक / स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षण एवं खेल–कूद तथा अन्य सम्बन्धित सुविधाओं की व्यवस्था हो।
10.2.5.13	**पॉलीटेक्निक**	वह परिसर जहॉ तकनीकी क्षेत्र में डिप्लोमा स्तर तक पाठ्यक्रमों के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था हो। इसमें तकनीकी स्कूल, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शामिल होंगे।
10.2.5.14	**मेडिकल / डेन्टल कालेज**	वह परिसर जहॉ मानव विज्ञान के अन्तर्गत रोगों का उपचार हेतु शिक्षण डेण्टल, ऑपरेशन, इत्यादि तथा उपचार एंव शोध कार्य किया जाता हो।

10.2.5.15	**उच्च तकनीकी संस्थान**	वह परिसर जहाँ तकनीकी क्षेत्र में स्नातक या स्नातकोत्तर तक की शिक्षा तथा प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था हो।
10.2.5.16	**कुटीर उद्योग प्रशिक्षण**	वह परिसर जहाँ घरेलू/लघु/सेवा उद्योग जैसे सिलाई, बुनाई, कढ़ाई पेण्टिंग, कम्प्यूटर, टूर एवं ट्रेवेल्स, इत्यादि का प्रशिक्षण दिया जाता हो।
10.2.5.17	**प्रबन्धन संस्थान**	वह परिसर जहाँ प्रबन्धन क्षेत्र में शिक्षण/प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था हो।
10.2.5.18	**सामान्य शैक्षिक संस्थान**	वह परिसंर जहाँ गैर–तकनीकी शिक्षा दी जाती हो।
10.2.5.19	**डाकघर**	वह परिसर जहाँ जनता के उपयोगार्थ डाक प्रेषण के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
10.2.5.20	**डाक एवं तारघर**	वह परिसर जहाँ जनता के उपयोगार्थ डाक एवं दूरसंचार सुविधाओं की व्यवस्था हो।
10.2.5.21	**टेलीफोन कार्यालय/केन्द्र**	वह परिसर जहाँ सम्बन्धित क्षेत्र के लिए टेलीफोन पद्धति के केन्द्रीय प्रचालन के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
10.2.5.22	**रेड़ियों व टेलीविजन केन्द्र**	वह परिसर जहाँ सम्बन्धित माध्यम द्वारा खबरें और अन्य कार्यक्रम रिकार्ड करने तथा प्रसारित करने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
10.2.5.23	**कारागार**	वह परिसर जहाँ विधि के अन्तर्गत अपराधियों को नजरबन्द करने, कैद करने और उन्हें सुधारने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
10.2.5.24	**पुलिस स्टेशन**	वह परिसरं जहाँ स्थानीय पुलिस कार्यालय के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
10.2.5.25	**नर्सिंग होम**	वह परिसर जहाँ 30 शैय्यों तक अन्तरंग और बहिरंग रोगियों के लिए चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था हो तथा इसका प्रबन्धन व्यवसायिक आधार पर किया जाता हो।
10.2.5.26	**अस्पताल**	वह परिसर जहाँ अन्तरंग और बहिरंग रोगियों की चिकित्सा के लिए सामान्य या विशेषीकृत प्रकार की चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था हो।
10.2.5.27	**क्लीनिक/पॉलीक्लीनिक**	वह परिसर जहाँ बहिरंग रोगियों के इलाज के लिए सुविधाओं की व्यवस्था किसी डाक्टर/डाक्टरों के समूह द्वारा की जाती है।
10.2.5.28	**स्वास्थ्य केन्द्र/परिवार कल्याण केन्द्र/हेल्थ सेन्टर**	वह परिसर जहाँ 30 शैय्याओं तक अन्तरंग और बहिरंग रोगियों की चिकित्सा के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो। स्वास्थ्य केन्द्र का प्रबन्ध गैर–व्यवसायिक आधार पर सार्वजनिक या धर्मार्थ या अन्य संस्था द्वारा किया जा सकता है। इसमें परिवार कल्याण केन्द्र शामिल है।
10.2.5.29	**डिस्पेन्सरी**	वह परिसर जहाँ चिकित्सा परामर्श की सुविधाओं और दवाइयों की भी व्यवस्था हो और जिसका प्रबन्ध सार्वजनिक या धर्मार्थ या अन्य संस्थाओं द्वारा किया जाता हो।
10.2.5.30	**नैदानिक प्रयोगशाला**	वह परिसर जहाँ बीमारी के लक्षणों का पता लगाने के लिए विभिन्न प्रकार की जॉच करने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
10.2.5.31	**सभा भवन, सामुदायिक भवन**	वह परिसर जहाँ सभा, सामाजिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए व्यवस्था हो।
10.5.2.32	**योग, मनन, आध्यात्मिक, धार्मिक प्रवचन केन्द्र/सत्संग भवन**	वह परिसर जहाँ स्वयं सिद्धि, बुद्धि और शरीर के उच्च गुणों की उपलब्धि, आध्यात्मिक और धार्मिक प्रवचन आदि से सम्बन्धित सुविधाओं की व्यवस्था हो।
10.5.2.33	**धार्मिक भवन**	वह परिसर जिसका उपयोग उपासना तथा अन्य धार्मिक कार्यक्रमों के लिए किया जाता हो।
10.5.2.34	**सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थान/भवन**	वह परिसर जहाँ मुख्य रूप से गैर–व्यवसायिक आधार पर जनता या स्वैच्छिक रूप से किसी व्यक्ति/संस्था द्वारा सामाजिक–सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
10.2.5.35	**सांस्कृतिक केन्द्र**	वह परिसर जहाँ किसी संस्था, राज्य और देश के लिए सांस्कृतिक सेवाओं हेतु सुविधाओं की व्यवस्था हो।
10.2.5.36	**बारातघर/बंक्वेट हाल**	वह परिसर जिसका उपयोग वैवाहिक कार्यक्रमों तथा अन्य सामाजिक समारोहों के लिए किया जाता है।
10.2.5.37	**ऑडिटोरियम**	वह परिसर जहाँ संगीत सभा, नाटक, संगीत प्रस्तुतीकरण, समारोह आदि जैसे विभिन्न प्रदर्शनों के लिए मंच और दर्शकों के बैठने की व्यवस्था हो

10.2.5.38	**खुली नाट्यशाला**	वह परिसर जहाँ खुले में दर्शकों के बैठने और प्रदर्शन के लिए मंच की सुविधाओं, आदि की व्यवस्था हो।
10.2.5.39	**थिएटर/नाट्यशाला**	वह परिसर जहाँ दर्शकों के बैठने और प्रदर्शन के लिए सुविधाओं आदि की व्यवस्था हो।
10.2.5.40	**म्यूजियम/अजायबघर**	वह परिसर जहाँ पुरावशेषों, प्राकृतिक इतिहास, कला, आदि के उदाहरण देने के लिए वस्तुओं का संग्रह एवं प्रदर्शन करने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
10.2.5.41	**आर्ट गैलेरी/प्रदर्शनी केन्द्र**	वह परिसर जहाँ चित्रकार, फोटोग्राफी, मूर्तिकला, भित्ति चित्रों हस्तशिल्प या किसी विशेष वर्ग के उत्पादों की प्रदर्शनी और सजावट के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो
10.2.5.42	**संगीत/नृत्य, नाट्य प्रशिक्षण/कला केन्द्र**	वह परिसर जहाँ संगीत, नृत्य तथा नाट्य कला का प्रशिक्षण देने और सिखाने की व्यवस्था हो।
10.2.5.43	**पुस्तकालय/लाइब्रेरी**	वह परिसर जहाँ सामान्य जनता या श्रेणी विशेष के लिए पढ़ने और संदर्भ के लिए पुस्तकों के संग्रहण की व्यवस्था हो।
10.2.5.44	**वाचनालय**	वह परिसर जहाँ सामान्य जनता या श्रेणी विशेष के लिए समाचार पत्र, पत्रिकाएं, आदि पढ़ने की व्यवस्था हो।
10.2.5.45	**सूचना केन्द्र**	वह परिसर जहाँ राज्य तथा देश की विभिन्न गतिविधियों की सूचनाओं के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
10.2.5.46	**हेल्थ क्लब/जिम्नेजियम**	वह भवन जिसमें प्राकृतिक रूप से अथवा मशीनी उपकरणों के सहयोग से मानव शरीर को सुदृढ़ करने की व्यवस्था होती है।
10.2.5.47	**अग्निशमन केन्द्र**	वह परिसर जहाँ उससे सम्बद्ध क्षेत्र के लिए आग बुझाने की सुविधाओं की व्यवस्था हो।
10.2.5.48	**समाज कल्याण केन्द्र**	वह परिसर जहाँ समाज के कल्याण और विकास को बढ़ावा देने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो तथा यह सार्वजनिक या धर्मार्थ या अन्य संस्था द्वारा चलाया जाता हो।
10.2.5.49	**विद्युत शवदाह गृह**	वह परिसर जहाँ शवों को विद्युत दाहक जलाने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
10.2.5.50	**श्मशान**	वह परिसर जहाँ शवों को जलाकर अन्तिम धार्मिक कृत्य को पूरा करने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
10.2.5.51	**कब्रिस्तान**	वह परिसर जहाँ शवों को दफनाने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
10.2.5.52	**मेला स्थल**	वह परिसर जहाँ सहभागियों के समूह के लिए प्रदर्शनी और सजावट तथा अन्य सांस्कृतिक/धार्मिक गतिविधियों हेतु सुविधाओं की व्यवस्था हो।
10.2.5.53	**माइक्रोवेव तथा वायरलैस केन्द्र**	वह परिसर जिसका उपयोग संचार उद्देश्यों के लिए किया जाता हो, जिसमें टावर भी सम्मिलित है।
10.2.5.54	**डम्पिंग ग्राउण्ड**	वह परिसर जहाँ नगर के विभिन्न क्षेत्रों से कूड़ा (सालिड वेस्ट) इकट्ठा करके अन्तिम उपचार होने तक जमा किया जाता हो।
10.2.5.55	**सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट**	वह परिसर जहाँ ठोस एवं तरल अपशिष्टों को तकनीकी रासायनिक क्रिया द्वारा हानि रहित बनाया जाता हो।
10.2.5.56	**सीवेज पम्पिंग स्टेशन**	वह परिसर जहाँ ठोस एवं तरल अपशिष्टों को पम्पिंग कर सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट पहुँचाया जाता है।
10.2.5.57	**सार्वजनिक उपयोगिताओं एवं सेवाओं से सम्बन्धित भवन/प्रतिष्ठान**	वह परिसर जहाँ सार्वजनिक उपयोग के लिए जल भण्डारण तथा उसकी आपूर्ति हेतु ओवरहेड/भूमिगत टैंक, पम्प–हाउस, आदि सीवरेज से सम्बन्धित आक्सीकरण तालाब, सेप्टिक टैंक, सीवरेज पम्पिंग स्टेशन, आदि हो। इसमें सार्वजनिक शौचालय, मूत्रालय व कूड़ादान भी शामिल है।
10.2.5.58	**कम्पोस्ट प्लाण्ट**	वह परिसर जहाँ नगर के विभिन्न क्षेत्रों से ठोस कूड़े एवं अपशिष्ट पदार्थो को मैकेनिकल क्रिया द्वारा उपचार के अन्तर्गत उर्वरक में परिवर्तित किया जाता हो।
10.2.5.59	**विद्युत केन्द्र/सब–स्टेशन**	वह परिसर जहाँ बिजली के वितरण के लिए विद्युत संस्थापन, आदि लगे हो।

10.2.5.60	**वाटर वर्क्स**	वह परिसर जिसमें जलापूर्ति हेतू ट्यूबवेल, ओवर हेड/भूमिगत रिजरवायर, संबंधित कर्मचारियों के आवास, संबंधित उपकरणों के रख–रखाव इत्यादि की व्यवस्था होती है।
10.2.5.61	**कूड़ा एकत्रीकरण स्थल**	वह स्थल जहाँ पर घरेलू कूड़ा/कचरा अल्प अवधि के लिए एकत्र किया जाता है।
10.2.5.62	**सामुदायिक मार्ग निर्देशन केन्द्र**	ऐसा केन्द्र जहाँ यात्रियों की सुविधा के लिए मार्गो से संबंधित जानकारी (road condition & direction) अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है।
10.2.5.63	**जन सुविधा केन्द्र**	वह केन्द्र जहाँ जनसाधारण अपनी विभिन्न प्रकार की समस्यायों के समाधान हेतु आग्रह कर सकें तथा विभिन्न राजकीय अभिकरणों द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं को प्राप्त करने संबंधी कार्यवाही कर सकते है।
10.2.5.64	**ए.टी.एम. कक्ष**	वह स्थान/कक्ष जहाँ पर बैकों द्वारा नागरिकों की सुविधा हेतु ए.टी.एम. स्थापित किया जाता है।
10.2.5.65	**सार्वजनिक शौचालय**	वह शौचालय जो जनसाधारण के प्रयोगार्थ सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो।

10.2.6 यातायात एवं परिवहन

10.2.6.1	**पार्किंग स्थल**	वह परिसर जिसका उपयोग गाड़ियों की पार्किंग के लिए किया जाता हो।
10.2.6.2	**बस स्टाप**	वह परिसर जिसका उपयोग जनसुविधा एवं सेवा के लिए लघु अवधि हेतु बसें खड़ी करने के लिए सार्वजनिक परिवहन एजेन्सी अथवा किसी संस्था द्वारा किया जाता हो।
10.2.6.3	**टैक्सी/टैम्पों/रिक्शा स्टैण्ड**	वह परिसर जिसका उपयोग व्यवसायिक/गैर व्यवसायिक आधार पर चलने वाली मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन गाड़ियों की पार्किंग के लिए किया जाता हो।
10.2.6.4	**मोटर ड्राइविंग प्रशिक्षण केन्द्र**	वह परिसर जहाँ आटोमोबाइल्स ड्राईविंग के प्रशिक्षण के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
10.2.6.5	**ट्रान्सपोर्ट नगर**	वह परिसर जिसका उपयोग ट्रकों के लिए लघु अथवा दीर्घावधि हेतु खड़ी करने के लिए किया जाता हो। इसमें ट्रक एजेन्सी के कार्यालय, गाड़ियों की मरम्मत एवं सर्विसिंग, ढाबे, स्पेयर पार्ट शॉपस तथा गोदाम आदि भी हो सकते है।
10.2.6.6	**धर्मकॉटा**	वह परिसर जहाँ भरे हुए अथवा खाली ट्रकों का वजन किया जाता हो।
10.2.6.7	**बस डिपो**	वह परिसर जिसका उपयोग बसों की पार्किंग, रख–रखाव और मरम्मत के लिए सार्वजनिक परिवहन एजेन्सी या इसी प्रकार किसी अन्य एजेन्सी द्वारा किया जाता हो। इसमें वर्कशाप भी हो सकता है।
10.2.6.8	**बस टर्मिनल**	वह स्थान जहाँ से सार्वजनिक सेवा की बसे अपने पूर्व निर्धारित मार्ग हेतु प्रारम्भ तथा समाप्त होती है। यहाँ यात्रियों के बस में चढ़ने व उतरने की सुविधा रहती है। यह स्थान मात्र एक बस प्लेटफार्म से लेकर पूर्ण सुविधा सम्पन्न केन्द्र भी हो सकता है जिसमें यात्री विश्राम स्थल, बस सेवा कार्यालय, टिकट काउन्टर, खान पान सेवा, सार्वजनिक शौचालय इत्यादि सम्मिलित है।
10.2.6.9	**मोटर गैराज सर्विस गैराज तथा वर्कशाप**	ऐसे स्थान जहाँ मोटर वाहनों की सर्विसिंग, रिपेयर कार्य, डेन्टिंग, पेन्टिंग, इत्यादि कार्य किये जाते है। ऐसे स्थानों में उपरोक्त कार्यो हेतु वाहनों को परिसर में ही खड़ा किया जाता है।
10.2.6.10	**हेलीपैड**	वह स्थान जहाँ यात्री हेलीकाप्टर द्वारा लैन्डिंग व टेक–आफ किया जाता है। इस स्थान के किनारे उपयुक्त दूरी पर केवल एक कन्ट्रोल/निरीक्षण कक्ष निर्मित किया जा सकता है।

10.2.7 पार्क, क्रीड़ा/खुले स्थल/मनोरंजनात्मक

10.2.7.1	**पार्क**	वह परिसर जिसमें मनोरंजनात्मक गतिविधियों के लिए लान, खुले स्थल, हरियाली आदि समानार्थी व्यवस्थाएं हों। इसमें भू–दृश्य, पार्किंग सुविधा, सार्वजनिक शौचालय, फेन्सिंग, आदि सम्बन्धित आवश्यकताओं की व्यवस्था हो सकती है।
10.2.7.2	**क्लब**	सभी सम्बन्धित सुविधाओं सहित वह परिसर जिसका उपयोग सामाजिक और मनोरंजनात्मक उद्देश्यों के लिए लोगों के समूह द्वारा किया जाता हो।
10.2.7.3	**क्रीड़ा–स्थल/खेल का मैदान**	आउटडोर खेलों के लिए उपयोग किया जाने वाला परिसर जिसमें पार्किंग सुविधा, सार्वजनिक शौचालय, आदि की व्यवस्था हो।
10.2.7.4	**मनोरंजन पार्क**	वह परिसर जहॉ मनोरंजनात्मक उद्दश्यों के पार्क, तथा मनोरंजन से सम्बन्धित अन्य सुविधाओं के लिए पार्क या मैदान हों।
10.2.7.5	**स्टेडियम**	वह परिसर जिसमें खिलाड़ियों के लिए सम्बन्धित सुविधाओं सहित दर्शकों के बैठने के स्थान के लिए मण्डप भवन और स्टेडियम की व्यवस्था हो।
10.2.7.6	**ट्रैफिक पार्क**	पार्क के रूप में वह परिसर जहॉ यातायात और संकेतन के सम्बन्ध में बच्चों को जानकारी और शिक्षा देने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
10.2.7.7	**स्वीमिंग पूल (तरण–ताल)**	वह परिसर जिसमें तैरने, दर्शकों के बैठने तथा अनुषांगिक सुविधाओं जैसे ड्रेसिंग–रूम, शौचालय, आदि की व्यवस्था हो।
10.2.7.8	**पिकनिक स्थल/शिविर स्थल**	पर्यटक/मनोरंजनात्मक केन्द्र के अन्दर स्थित परिसर जिसका उपयोग मनोरंजनात्मक या अवकाश उद्देश्य के लिए थोड़ी अवधि तक ठहरने के लिये किया जाता है।
10.2.7.9	**फ्लाइंग क्लब**	वह परिसर जिसका उपयोग ग्लाइडरों और अन्य छोटे वायुयानो पर प्रशिक्षण प्राप्त करने और फन–राइडिंग के लिए किया जाता हो।
10.2.7.10	**शूटिंग रेन्ज**	वह परिसर जो विभिन्न प्रकार की पिस्टल्स/बन्दूकों को चलाने, निशाना साधने, इत्यादि के प्रशिक्षण/प्रेक्टिस के प्रयोग में लाया जाता हो।
10.2.7.11	**कारवां पार्क**	ऐसा स्थान जहॉ समूह में यात्रा करने वाले लघु अवधि के लिए कैम्पिंग के रूप में विश्राम करते है। ऐसा यात्री समूह पैदल यात्रियों का होने के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के वाहनों का समूह भी हो सकता है। कैम्पिंग स्थल में सार्वजनिक शौचालय के अतिरिक्त आवश्यक सुविधाएं जैसे–यात्री टेन्ट, खान–पान स्थल, इत्यादि पूर्णतया अस्थायी होती है।
10.2.7.12	**स्मारक**	दर्शकों के लिए सभी सुविधाओं सहित वह परिसर जहॉ भूतकाल से सम्बन्धित संरचनांए या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की याद में मकबरा, समाधि या स्मारक बना हुआ हो।
10.2.7.13	**चिड़ियाघर/ अजायबघर**	वह परिसर जिसका उपयोग सभी सम्बन्धित सुविधाओं सहित प्रदर्शनी तथा अध्ययन के लिए जानवरों, जीव–जन्तुओं और पक्षिओं के समूह सहित उद्यान/पार्क/जल–जीवशाला के रूप में किया जाता हो।

10.2.8 कृषि

10.2.8.1	**नर्सरी/पौधशाला**	वह परिसर जहॉ छोटे पौधों को उगाने और बिक्री के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
10.2.8.2	**दुग्धशाला/डेयरी फार्म**	वह परिसर जहॉ डेयरी–उत्पाद बनाने और तैयार करने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो। इसमें पशुओं के शैडो के लिए अस्थायी ढॉचा हो सकता है।
10.2.8.3	**कुक्क्टशाला (पोल्ट्री फार्म)**	वह परिसर जहॉ मुर्गी, बत्तख आदि पक्षिओं के अण्डे, मांस, आदि उत्पादों के व्यवसाय के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो। इसमें पक्षियों के शैड हो सकते है।
10.2.8.4	**फार्म हाउस**	वह परिसर जहॉ फार्म के स्वामी के उपयोग हेतु उसी कृषि भूमि पर आवासीय भवन हो।
10.2.8.5	**उद्यान**	वह परिसर जिसे फूलों/फलों के प्रयोजनार्थ पेड़–पौधे लगाने हेतु उपयोग किया जाता हो।
10.2.8.6	**वन**	वह परिसर जिसमें प्राकृतिक अथवा मनुष्य द्वारा लगाए गए, पेड़–पौधे हो। इसमें नगर वन भी शामिल होंगे।

10.2.8.7	**कृषि उपकरणों की मरम्मत एवं सर्विसिंग**	वह परिसर जहॉ कृषि में प्रयोग होने वाले मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल उपकरण जैसे ट्रैक्टर, ट्राली, हारवेस्टर, इत्यादि की सर्विसिंग की जाती हो।
10.2.8.8	**धोबी घाट**	वह परिसर जिसका उपयोग धोबियों द्वारा कपड़े धोने और सुखाने हेतु किया जाता हो।
10.2.8.9	**कैटिल कालोनी**	ऐसा परिसर जहॉ मवेशियों के पालन पोषण, दुग्ध संग्रहण व ट्रीटमेन्ट इत्यादि किया जाता है। ऐसे स्थान पर मवेशी उपचार केन्द्र, कर्मचारियों के आवास व अन्य अनुषांगिक लघु क्रियायें जैसे दैनिक उपयोग की दुकानें, कम्प्यूनिटी सेन्टर इत्यादि भी निर्मित किये जा सकते है।
10.2.8.10	**पशु वधशाला**	ऐसा स्थान जहॉ केवल मांसाहारी भोजन के उपयोगार्थ पशुओं का वध किया जाता है।
10.2.8.11	**हाईवे फैसेलिटी जोन**	वह क्षेत्र जहां पर कृषि उपयोग से सम्बन्धित गतिविधियों को हाईवे के किनारे नियमित विकास के रूप में संचालित किया सकेगा।

10.2.9 अस्थायी क्रियाएं

10.2.9.1	**वेन्डिंग जोन**	वह क्षेत्र जहॉ पर बिना पूर्व निर्धारित व नियमित लघु अवधि के लिए अस्थाई रूप से लघु व फुटकर सामान/पदार्थो के विक्रय सामग्री व्यावसायिक गतिविधियॉ वेन्डर द्वारा की जाती है।

10.3 विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं (Activities) हेतु अपेक्षाएं

प्रमुख भू–उपयोग जोन्स में विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं (Activities) उपयोगों की अनुमति सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्न परिस्थितियों तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन दी जाएगीः–

1. विकास क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भी प्रमुख भू–उपयोग जोन में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष परिस्थितियों में अन्य क्रियाओं की अनुमति दिये जाने से पूर्व ऐसे प्रत्येक मामले में निम्न समिति द्वारा परीक्षण किया जाएगा जिसकी संस्तुति प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी और विकास बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त ही अनुज्ञा प्रदान की जाएगीः–

    1.1 विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी।

    1.2 मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तरप्रदेश अथवा उनके प्रतिनिधि।

    1.3 अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण द्वारा नामित प्राधिकरण बोर्ड के एक गैर–सरकारी सदस्य।

2. विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं हेतु प्रत्येक प्रकरण में गुण–अवगुण के आधार पर उपरोक्त समिति द्वारा निम्न व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएगीः–

    2.1 प्रमुख भू–उपयोग जोन में किसी प्रकार की ध्वनि/धुआँ/दुर्गन्ध इत्यादि के प्रदूषण की सम्भावना न हो।

2.2 प्रस्तावित क्रिया यथा–सम्भव मुख्य भू–उपयोग के बाहरी क्षेत्र/किनारों पर मुख्य मार्ग पर अथवा पृथकीकृत रूप में स्थित हो।

2.3 प्रस्तावित क्रिया की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जायेगी कि भवन का :–

2.3.1 प्रमुख भू–उपयोग जोन की आधारभूत अवस्थापनाओं यथा जलापूर्ति, ड्रेनेज, सीवरेज, विद्युत–आपूर्ति, खुले स्थल तथा यातायात, पार्किंग इत्यादि पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

2.3.2 प्रस्तावित अन्य क्रिया के कारण अगल–बगल के भूखण्डों/भवनों के निजी परिसरों में प्रकाश एवं संवातन तथा प्राईवेसी भंग न हो।

2.3.3 प्रस्तावित क्रिया के कारण अधिकतम एफ.ए.आर. एवं ऊँचाई प्रमुख भू–उपयोग के प्राविधानों के अन्तर्गत है।

2.3.4 किसी भी प्रमुख जोन में विशेष अनुमति से अन्य क्रिया अनुमन्य किये जाने की दशा में पार्किंग/मार्ग विस्तार/सार्वजनिक पार्किंग, इत्यादि हेतु दर्शायी गयी भूमि आवेदक द्वारा प्राधिकरण को निशुल्क हस्तान्तरित करनी होगी।

3. महायोजना में चिन्हित हैरिटेज जोन में खान–पान से सम्बन्धित दुकानें, रेस्टोरेन्ट्स, फोटोग्राफर, रेल/वायु/टैक्सी, इत्यादि के बुकिंग, ऑफिस, गाईड कार्यालय, पर्यटन से सम्बन्धित कार्यालय, तथा अन्य आवश्यक क्रियाएं यथा अस्थायी मेला/प्रदर्शनी स्थल, इत्यादि की अनुमति सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रभावी भवन उपविधियों के अधीन प्रदान की जायेगी।

4. जोनिंग रेगुलेशन्स में दर्शायी गई क्रियाओं के अतिरिक्त प्रमुख भू–उपयोग के अनुषांगिक (Compatible) अन्य क्रियाएं जिनका उल्लेख नहीं है, भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष अनुमति से गुण–अवगुण के आधार पर अनुमन्य की जा सकेगी।

टिप्पणीः (1) जोनिंग रेगुलेशन्स में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमन्य किए जाने की दशा में समस्त क्रियाओं/उपयोगों के मानचित्र, प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार ही स्वीकृत किये जायेंगे। जिन क्रियाओं/उपयोगों हेतु भवन उपविधि में

भू–आच्छादन, एफ.ए.आर. सेट–बैक, पार्किंग, आदि के बारे में प्राविधान नहीं है, के सम्बन्ध में क्रिया विशेष की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए उक्त समिति द्वारा प्राधिकरण बोर्ड को संस्तुति प्रस्तुत की जाएगी।

(2) विशेष अनुमति से किसी उपयोग/क्रिया की अनुमन्यता हेतु सक्षम प्राधिकारी बाध्य नहीं होंगे तथा आवेदक अधिकार के रूप में इसकी मांग नहीं कर सकेगा।

10.4 प्रमुख भू–उपयोग जोन्स में सशर्त अनुमन्य क्रियाओं/उपयोगों हेतु अनिवार्य शर्तें एवं प्रतिबंध

जोनिंग रेगुलेशन्स के प्रस्तर–10.5 के अन्तर्गत प्रमुख भू–उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं की अनुमन्यता से सम्बन्धित ग्रॉफिक प्रस्तुतीकरण (Matrix) में सशर्त क्रियाओं/उपयोगों हेतु कोड संख्या अंकित की गई है। विभिन्न भू–उपयोग जोन्स में अनुमन्य क्रियाओं/उपयोगों की अनुज्ञा हेतु कोड संख्या के अनुसार निर्धारित अनिवार्य शर्त एवं प्रतिबन्ध निम्न प्रकार है:–

तालिका–18
अनिवार्य शर्तें एवं प्रतिबंध

कोड	अनुमन्यता की अनिवार्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध
1	भूतल पर चौकीदार/संतरी आवास
2	भूतल छोड़कर ऊपरी तलों पर आवास
3	भूतल को छोड़कर अनुवर्ती तलों के तल क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत अथवा भू–विन्यास मानचित्र का 10 प्रतिशत केवल सम्बन्धित कर्मचारियों हेतु
4	न्यूनतम 18 मीटर चौड़े मार्ग पर
5	तलपट मानचित्र के अनुसार एवं भूखण्ड पर अनुमन्य अधिकतम आच्छादन का 10 प्रतिशत
6	न्यूनतम 24 मीटर चौड़े मार्ग पर
7	न्यूनतम 12 मीटर चौड़े मार्ग पर अधिकतम 10 शैय्याओं तक
8	न्यूनतम 18 मीटर चौड़े मार्ग पर अधिकतम 30 शैय्याओं तक
9	न्यूनतम 24 मीटर चौड़े मार्ग पर अधिकतम अनुमन्य कुल आच्छादन का 30 प्रतिशत
10	ज्वलनशील, नाशवान एवं आपात् वस्तुओं को छोड़कर अन्य वस्तुओं का भण्डारण
11	केवल शहर की विकसित आबादी के बाहर निर्धारित स्थानों पर
12	5 हार्स पावर तक (अनुलग्नक–2 के अनुसार) न्यूनतम 12 मीटर चौड़े मार्ग पर

13	भूखण्ड के कुल क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत सक्षम अधिकारी से स्वीकृत तलपट मानचित्र के अनुसार
14	भूखण्ड के कुल क्षेत्रफल का 02 प्रतिशत सक्षम अधिकारी से स्वीकृत तलपट मानचित्र के अनुसार
15	केवल अनुषांगिक उपयोग हेतु
16	केवल खुले रूप में एवं अस्थायी निर्धारित स्थानों पर
17	केवल संक्रामक रोगों से सम्बन्धित
18	न्यूनतम 30 मीटर चौड़े मार्ग पर
19	10 हार्स पावर तक (अनुलग्नक–3 के अनुसार)
20	नगर प्रस्तावित मुख्य मार्गो, ग्रामीण आबादी एवं नगरीय सीमाओं से न्यूनतम 300 मीटर की दूरी पर
21	केवल सम्बन्धित सुविधा के उपयोगार्थ एवं परिसर के अंदर भू–आच्छादन का अधिकतम 01 प्रतिशत
22	स्थल के कुल 5 प्रतिशत क्षेत्र तक
23	न्यूनतम 12 मीटर चौड़े मार्ग पर
24	न्यूनतम 30 मीटर चौड़े मार्ग पर वर्तमान आवासीय सेक्टर रेट अथवा सर्किल रेट (दोनों में जो अधिक हो), का 10 प्रतिशत प्रभाव शुल्क के साथ
25	न्यूनतम 18 मीटर चौड़े मार्ग पर अधिकतम अनुमन्य कुल आच्छादन का 30 प्रतिशत
26	न्यूनतम 12 मीटर चौड़े मार्ग पर एवं केवल भूतल पर।
27	मुख्य/क्षेत्रीय मार्गो के अधिकतम 5 प्रतिशत भू–आच्छादन के साथ जो प्रश्नगत भूखण्ड के पार्श्व भाग में निर्मित किया जा सकेगा।
28	केवल परिवहन निगम द्वारा स्वीकृत बस अड्डों में।
29	शिक्षण एवं चिकित्सा संस्थानों को छोड़कर।

10.5 प्रमुख भू–उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं की अनुमन्यता

संकेताक्षर

नि0 क्षेत्र	निर्मित क्षेत्र	ल.उ.	लघु उद्योग	मनो.1	पार्क एवं खुले स्थल/ई0पी./बोटेनिकल पार्क/चिड़िया घर
आ.	आवासीय	बृ.उ.	बृहद उद्योग	मनो.2	क्षेत्रीय पार्क एवं क्रीडा स्थल
मि. उप.1	मिश्रित उपयोग (निर्मित क्षेत्र)	कार्या.	कार्यालय	ह.प.	हरित पट्टी
मि. उप.2	मिश्रित उपयोग (अविकसित क्षेत्र)	सुवि.	सार्व0/अर्द्ध सार्व0 सुविधायें	ग्रा.आ.	ग्रामीण आबादी
व्यव.1	के0वा0/न0/उप0न0केन्द्र	या.परि..1	याता.एवं परि.–1(बस अवसान)	कृ.1	कृषि
व्यव.2	थोक व्यापार केन्द्र	या.परि..2	याता.एवं परि.–2(ट्रक अवसान)	कृ.2	हाईवे फैसेलिटी जोन
व्यव.3	भण्डार	पा.स्थ.	पार्किंग स्थल		
व्यव.4	मोटर वाहन क्रय विक्रय	वन	वन		
व्यव.5	बाजार मार्ग				

संकेत

अनुमन्य उपयोग	
सशर्त अनुमन्य उपयोग	
विशेष अनुमति से अनुमन्य उपयोग	
निषिद्ध उपयोग	

भू–उपयोग जोन्स

क्रियाएं/उपयोग		नि0 क्षेत्र	आ	मि.उप. 1	मि.उप.2 वर्टिकल	मि.उप.2 हॉरिजेटल	व्यव. 1	व्यव. 2	व्यव. 3	व्यव. 4	व्यव. 5	लउ.	बृ.उ.	कार्या.	सुवि.	या.परि..1	या.परि..2	पा.स्थ.	वन	मनो. 1	मनो.2	ह.प.	ग्रा.आ.	कृ.1	कृ.2
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	**आवासीय**																								
1.1	एकल आवास							3					3		5		13								
1.2	समूह आवास (ग्रुप हाउसिंग)	23	23	2								5	3	5	5										
1.3	सम्बन्धित कर्मचारी/चौकीदार/संतरी आवास			2			2	2	2	2	2	1	1	3	5	1	1	2							
2	**व्यावसायिक/वाणिज्यिक**																								
2.1	फुटकर दुकानें (अनुलग्नक–1 के अनुसार)	23	25						13	13		5	5		21	14	14						23		
2.2	दैनिक उपयोग की दुकानें (अनुलग्नक–1क के अनुसार)	6	26																						
2.3	शोरूम (मोटर वाहनों के अतिरिक्त)	4	9									5	5												
2.4	मोटर वाहनों के शोरूम			6			18																		
2.5	मोटर वाहनों के स्पे. पार्टस की बिक्री हेतु दुकाने			6			6	6			6														
2.6	थोक मण्डी/थोक व्यापार																								
2.7	नीलामी बाजार						4																		
2.8	बेकरी एवं कन्फेक्शनरी, आटा चक्की (10 हा.पा. तक)	6	6	6	6	6																	6		
2.9	कोयला एवं लकडी के टाल	4	4	4																			23		
2.10	कृषि उपजों के थोक विक्रय केन्द्र																								
2.11	शीत गृह																								8
2.12	रिसार्ट																								
2.13	होटल	4	4	4			4	4	4	4	4	4		4	4	4	4								
2.14	मोटल, वे–साईड रेस्तरां (ढाबा)																								
2.15	भोजनालय, जलपान गृह, रेस्टोरेंट, कैन्टीन	23	4	4										21	21	5	5				16				

क्रियाएं / उपयोग		भू–उपयोग जोन्स																							
		नि0 क्षेत्र	आ	मिउप.1	मि.उप.2 वर्टिकल	मि.उप.2 हॉरिजेटल	व्यव.1	व्यव.2	व्यव.3	व्यव.4	व्यव.5	लउ.	बृ.उ.	कार्या.	सुवि.	या.परि..1	या.परि..2	पा.स्थ.	वन	मनो.1	मनो.2	ह.प.	ग्रा.आ.	कृ.1	कृ. 2
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2-16	सिनेमा, मल्टीप्लेक्स	6	6	6			6					6			6	28									
2.17	सैल्यूलर मोबाईल सर्विस / पी.सी.ओ.																								
2.18	पेट्रोल / डीजल / सी.एन.जी फिलिंग स्टेशन / सी.बी.जी फिलिंग स्टेशन / ई–चार्जिंग स्टेशन	23	6	6			6							6	4								4		
2.19	भण्डार, गोदाम, वेयर हाउसिंग*, संग्र0, केन्द्र, जंकयार्ड, कबाड़						10	10				10												20	
2.20	गैस गोदाम / ज्वलन, नाश, एवं आपात वस्तुओं का भण्डार																							20	
2.21	सर्विस अपॉर्टमेण्ट																								
3.0	**औद्योगिक**																								
3.1	सेवा / कुटीर उद्योग	12	4	12			12																		
3.2	सूचना प्राद्योगिकी / सॉफ्टवेयर टेक्नॉलजी पार्क	4		4							4														
3.3	लघु उद्योग						19			19	4														
3.4	बृहद उद्योग, शुगर मिल, राईस सेलर, फ्लोर मिल																								
3.5	संकटपूर्ण / खतरनाक / प्रदूषण कारक उद्योग																								
3.6	खनन ईट / चूने का भट्ठा, क्रेशर																								
3.7	तेल डिपो / एल0पी0जी0 रिफिलिंग प्लांट																								
3.8	पाश्चराईजिंग प्लांट / दुग्ध संग्रहण केन्द्र																								
3.9	विद्युत उत्पादन संयंत्र																								
3.10	लॉजिस्टिक पार्क / वेयर हाउसिंग**																								
4.0	**कार्यालय**																								
4.1	राज., अर्द्ध राजकीय, स्था. निकाय कार्यालय	4	4	4				15	15	15	4	15	15		15	15	15	15	15						
4.2	निजी कार्यालय, एंजेण्ट कार्यालय	4	25					15		15	4				15	15	15								
4.3	बैंक	4	4																						
4.4	वाणिज्यिक / व्यापारिक कार्यालय	4						15		15	6														
4.5	श्रमिक कल्याण केन्द्र	4		4																					
4.6	पी.ए.सी. / पुलिस लाईन्स																								
4.7	साइबर कैफे	23	4																						
4.8	बायोटेक पार्क																								
4.9	बिजनेस पार्क																								
4.10	डेटा प्रोसेसिंग सेन्टर	4		4																					
4.11	काल सेन्टर																								
4.12	बी.पी.ओ.										6														
4.13	अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, शोध केन्द्र								15			15							15						
4.14	मौसम अनुसंधान केन्द्र																								

*ऐसे वेयर हाउसिंग जो औद्योगिक विकास की नीति से आच्छादित न हो।

**ऐसे वेयर हाउसिंग जो औद्योगिक विकास की नीति से आच्छादित हो।

क्रियाएं / उपयोग		भू–उपयोग जोन्स																							
		नि0 क्षेत्र	आ	मिउप.1	मि.उप.2		व्यव.1	व्यव.2	व्यव.3	व्यव.4	व्यव.5	लउ.	बृ.उ.	कार्या.	सुवि.	या.परि..1	या.परि..2	पा.स्थ.	वन	मनो.1	मनो.2	ह.प.	ग्रा.आ.	कृ.1	कृ. 2
					वर्टिकल	हॉरिजेटल																			
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
5.0	**सामुदायिक सुविधायें, उपयोगितायें एवं सेवायें**																								
5.1	अतिथि गृह / निरीक्षण गृह			23					15	15									15				23		
5.2	धर्मशाला, रैन बसेरा, लाजिंग / बोर्डिंग हाउस	4	4	4							6												23		
5.3	छात्रावास	4	4	4							4												23		
5.4	अनाथालय, सुधारालय																								
5.5	कारागार																								
5.6	हैण्डीकैप्ड चिल्ड्रेन हाउस	4	4	6							4												23		
5.7	शिशुगृह एवं दिवस देखभाल केन्द्र		23								4														
5.8	वृद्धावस्था देखभाल केन्द्र																								
5.9	प्राथमिक शैक्षिक संस्थान	23	4	4																				23	
5.10	उच्च माध्यमिक / इण्टर विद्यालय	4	4	4																					
5.11	महाविद्यालय	6	18	6		18																			
5.12	विश्वविद्यालय																								
5.13	पॉलीटेक्निक / इन्जी. / मेडिकल / डेण्टल कालेज																								
5.14	प्रबन्ध संस्थान / विशिष्ट शैक्षिक संस्थान																								
5.15	डाकघर, तारघर																								
5.16	पुलिस स्टेशन / चौकी / अग्निशमन केन्द्र		6	4																					
5.17	पुस्ताकालय / वाचनालय	4	4																						
5.18	स्वास्थ्य केन्द्र, परिवार कल्याण केन्द्र, डिस्पेन्सरी	7	7								4														
5.19	अस्पताल	8	8								6	8	8	8									8	17	
5.20	नर्सिंग होम	8	7	4							7	8	8	8									7		
5.21	नैदानिक प्रयोगशाला		4	4																				18	
5.22	हेल्थ क्लब / जिमनेजियम	4	6	4							6														
5.23	विद्युत शवदाह गृह / शमशान, कब्रिस्तान														11										
5.24	संगीत / नृत्य एवं नाट्य प्रशिक्षण केन्द्र, कला केन्द्र	4	4	4							4												23		
5.25	सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, पेंटिग, कम्प्यूटर प्रशिक्षण इत्यादि	4	6	4							4														
5.26	ऑडिटोरियम, नाट्यशाला, थियेटर			6							18	6													16
5.27	योग मनन, आस्था. एवं धार्मि. प्रवचन केन्द्र / सत्संग भवन	4	6	6																					16
5.28	धार्मिक भवन	4	4	4				4																	
5.29	सामुदायिक केन्द्रं, सांस्कृतिक केन्द्र	4	6	4			4	4			6												23		
5.30	बारात घर, बैंकेट हॉल		18	6			6				18														
5.31	कान्फ्रेन्स / मीटिंग हॉल	4	18	6				15	15	15	18														

क्रियाएं/उपयोग		भू–उपयोग जोन्स																							
		नि0 क्षेत्र	आ	मिउप.1	मि.उप.2		व्यव.1	व्यव.2	व्यव.3	व्यव.4	व्यव.5	लउ.	बृ.उ.	कार्या.	सुवि.	या.परि..1	या.परि..2	पा.स्थ.	वन	मनो.1	मनो.2	ह.प.	ग्रा.आ.	कृ.1	कृ.2
					वर्टिकल	हॉरिजेंटल																			
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
5.32	म्यूजियम/अजायबघर										18														
5.33	आर्ट गैलरी, प्रदर्शनी केन्द्र	16		6							6	16									16				
5.34	टेलीफोन रेडियो एवं टेलीविजन कार्यालय /केन्द्र																								
5.35	समाज कल्याण केन्द्र																								
5.36	कूड़ा डम्पिंग ग्राउण्ड																							11	
5.37	ट्यूब वैल, ओवर हेड रिजर्वा., विद्यु.केन्द्र/ सब–स्टेशन																			22	22				
5.38	वाटर वर्क्स																								
5.39	माइक्रोवेव केन्द्र																			22	22				
5.40	कम्पोस्ट प्लाण्ट																								
5.41	सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट		6																						
5.42	सीवेज पम्पिंग स्टेशन		6																						
5.43	डस्टबिन/कूड़ा एकत्रीकरण स्थल																								
5.44	सामुदायिक शौचालय																								
5.45	ए.टी.एम.																								
5.46	जन सुविधा केन्द्र																								
5.47	सामुदायिक मार्ग निर्देशन केन्द्र																					27			
5.48	पशुवधशाला																							11	
5.49	सेलुलर/मोबाईल टावर														29										
6.0	**यातायात एवं परिवहन**																								
6.1	पार्किंग स्थल																		16	16	16				
6.2	टैक्सी रिक्शा, टैम्पो आदि के स्टैण्ड																			16	16				
6.3	ट्रान्सपोर्ट नगर, बस डिपो																								
6.4	बस स्टाप	4	4	4			6	6	6	6	4	4	4		4								4		
6.5	बस टर्मिनल						18																		
6.6	मोटर गैराज, सर्विस गैराज, तथा वर्कशॉप	6	6	6			6																4		
6.7	मोटर संचालन प्रशिक्षण केन्द्र																								
6.8	लोडिंग–अनलोडिंग सम्बन्धी सुविधायें																								
6.9	रेलवे गोदाम, रेलवे यार्ड/ साइडिंग/ टर्मिनल																								
6.10	धर्मकांटा						6	6				4											4		
6.11	एयरपोर्ट																								
7.0	**पार्क, क्रीड़ा/ खुले स्थल /मनोरंजनात्मक**																								
7.1	पार्क																								

क्रियाएं/उपयोग		भू–उपयोग जोन्स																								
		नि0 क्षेत्र	आ	मिउप. 1	मि.उप.2 वर्टिकल	मि.उप.2 हॉरिजेंटल	व्यव. 1	व्यव. 2	व्यव. 3	व्यव. 4	व्यव. 5	लउ.	बृ. उ.	कार्या.	सुवि.	या.परि.. 1	या.परि.. 2	पा.स्थ.	वन	मनो. 1	मनो. 2	ह. प.	ग्रा. आ.	कृ. 1	कृ. 2
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
7.2	बहुउद्देशीय खुले स्थल	4	4	4																			4		
7.3	गोल्फ/ रेसकोर्स																								
7.4	स्टे./खेलकूद प्रशि. केन्द्र/ क्रीडा स्थ /खेल का मैदान																				22				
7.5	कारवां पार्क, पिकनिक स्थल ,शिविर स्थल																				16			16	
7.6	ट्रैफिक पार्क										4														
7.7	मनोरंजन पार्क	4	4								6										16		4		
7.8	क्लब, स्विमिंग पूल	4	4	4																			4		
7.9	चिड़िया, जल–जीवशाला, वन्य जी./पक्षी शरण. स्थल																								
7.10	फ्लाईंग क्लब/हैली पैड														16										
7.11	शूटिंग रेंज																								
8.0	**कृषि**																								
8.1	बागवानी, पौधशाला, वन, उद्यान, बॉटेनिकल गार्डेन																								
8.2	फार्म हाउस																								
8.3	चारागाह, दुग्धशाला (डेरी फार्म), कैटिल कॉलोनी																							11	
8.4	धोबीघाट																								
8.5	सुअर/मत्स्य/ कुककुट/ मधुमक्खी पालन, पशु संवर्द्धन केन्द्र																								
8.6	कृषि उपकरणों की मरम्मत/ सर्विसिंग वर्कशॉप																					27	23		
9.0	**फ्लोटिंग उपयोग**																								
9.1	सार्वजनिक सुविधाये एव उपयोगितायें																								
9.2	थोक व्यवसायिक																								
9.3	यातायात एवं परिवहन																								
9.4	सेवा/कुटीर उद्योग																								
9.5	विशेष उद्योग (संकटपूर्ण/ खतरनाक/ प्रदूषण कारक)																								
10.0	**अस्थायी क्रियाए**																								
10.1	साप्ताहिक बाजार																								
10.2	अस्थाई सिनेमा, सर्कस, प्रदर्शनी, मेला स्थ., सभा स्थ.	4	6	6			6					6	6		6										
10.3	वेन्डिंग जोन	4	6	4																		16			

नोटः

1 विद्यमान सामुदायिक सुविधायें/उपयोगितायें/सेवायें यथा– सामान्य शैक्षिक संस्थायें, तकनीकी शैक्षिक संस्थायें, चिकित्सालय, जलकल, दूरदर्शन/रेडियो, पशुवधशाला, एस.टी.पी., विद्युत स्टेशन, कब्रिस्तान/श्मशान–घाट के परिसरों में आनुषांगिक उपयोगों को ही अनुमन्य किया जायेगा। प्रस्तावित क्षेत्रों में अनुमन्य विभिन्न क्रियायें इस तालिका के अनुसार होंगी।

2. उपरोक्त तालिका में वर्णित विभिन्न क्रियाओं के लिये मार्गो की चौडाई सम्बन्धी मानक समय–समय पर लागू किये जाने वाले भवन उपविधि के प्राविधानों से भी आच्छादित होंगें।

3. अस्थायी क्रियाएं– ऐसी क्रियाएं जिसमें किसी विशेष प्रयोजन हेतु जनसामान्य एकत्र होते हों तथा जो पूर्णतः अस्थायी रूप से अल्प अवधि के लिए स्थापित होती हैं। ऐसी क्रियाओं की अनुमन्यता सम्बन्धित विभागों द्वारा अपने–अपने तदसमय प्रचलित नियमों/अधिनियमों के अन्तर्गत प्रदान की जायेगी। उक्त प्राविधान जोनिंग रेगुलेशन्स के प्रस्तर–10.4 ''प्रमुख भू–उपयोग जोन्स में सशर्त अनुमन्य क्रियाओं/उपयोगों हेतु अनिवार्य शर्तो एवं प्रतिबन्ध'' की शर्त कोड–16 पर भी लागू होंगी।

10.6 भू–उपयोग जोन्स में निम्न से उच्च क्रम एवं प्रभाव शुल्क का (Impact Fee) निर्धारण

प्रभाव शुल्क से छूट			संकेत
गैर व्यावसायिक एवं चैरिटेबल क्रियायें / उपयोग	1	प्रभाव शुल्क लागू नहीं	(हरा)
सेवा एवं कुटीर उद्योग	2	प्रभाव शुल्क देय नही	(नीला)
सम्बन्धित उपयोग के प्रयोजनार्थ समूह आवास	3	प्रभाव शुल्क देय	(नारंगी)

क्रियाएँ (activities) उपयोग श्रेणी (निम्न से उच्च क्रम में)		भू–उपयोग जोन्स: निर्मित क्षेत्र		विकासशील / अविकसित क्षेत्र (निम्न से उच्च क्रम में): कृषि हरित पट्टी, पार्क क्रीडास्थल, हाईवे फैसेलिटी जोन	सार्वजनिक सुविधायें	यातायात एवं परिवहन	औद्योगिक	आवासीय ग्रामीण आबादी सहित	कार्यालय	व्यावसायिक
				1	2	3	4	5	6	7
1	कृषि हरित पट्टी (ग्रीन वर्ज) पार्क, क्रीड़ास्थल, हाईवे फैसेलिटी जोन									
2	सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक सुविधायें			0.25 (1)				0.25 (1)		
3	यातायात एवं परिवहन			0.3	0.10					
4	औद्योगिक			0.4 (2)	0.25 (2)	0.25 (2)				
5	आवासीय			0.5	0.4	0.40	0.25 (3)			
6	कार्यालय			1	0.75	0.75	0.75	0.5		
7	व्यावसायिक			1.5	1.25	1.25	1	1	0.5	

टिप्पणी:–

1. विभिन्न भू–उपयोग जोन्स में अनुमन्य क्रियाओं / उपयोगों हेतु निर्धारित 'प्रभाव शुल्क गुणांक' की वैल्यू उन प्रकोष्ठों में दी गयी है जहां प्रभाव शुल्क देय है।
2. सामन्यतः अनुमन्य एंव सशर्त अनुमन्य क्रियाओं / उपयोगों हेतु प्रभाव शुल्क 25 प्रतिशत तथा विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं / उपयोगों हेतु 50 प्रतिशत देय होगा तथा प्रभाव शुल्क का आंकलन सम्बन्धित भू–उपयोग जोन हेतु निर्धारित 'प्रभाव शुल्क गुणांक' की वैल्यू के आधार पर निम्न फार्मूला के अनुसार किया जाएगा :–

2.1 सामान्यतः अनुमन्य एवं सशर्त अनुमन्य क्रियाओं हेतु :– भूखण्ड का क्षेत्रफल X सर्किल रेट X प्रभाव शुल्क गुणांक X 0.25

2.2 विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं हेतु :– भूखण्ड का क्षेत्रफल X सर्किल रेट X गुंणांक X 0.50

3. प्रभाव शुल्क का आंकलन विकास प्राधिकरण / आवास विकास परिषद की वर्तमान सेक्टर (आवासीय) दर एवं प्राधिकरण / परिषद की दर न होने की दशा में भूमि के विद्यमान भू–उपयोग के लिये जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वर्तमान सर्किल रेट के आधार पर किया जायेगा।

प्रभाव शुल्क आगणन हेतु उदाहरण

उदाहरण–1	उदाहरण – 2
मिश्रित आवासीय क्षेत्र में नर्सिंग होम की अनुज्ञा हेतु :– भूखण्ड का क्षेत्रफल = 350 वर्ग मीटर प्राधिकरण की वर्तमान आवासीय दर रू. 2000 प्रति वर्ग मीटर देय प्रभाव शुल्क = भूखण्ड का क्षेत्रफल X सेक्टर रेट X गुंणांक X 0.25 अर्थात 350 X 2000 X 0.25 X 0.25 = रू. 43,750 / –	कृषि भू–उपायोग जोन में विशेष अनुमति से पेट्रोल पम्प की अनुज्ञा हेतु : भूखण्ड का क्षेत्रफल = 500 वर्ग मीटर कृषि भूमि का सर्किल रेट रू. 200 प्रति वर्ग मीटर देय प्रभाव शुल्क = 500 X 200 X 1.5 X 0.5 = रू. 75000 / –

अनुलग्नक–1

फुटकर उपयोग के दुकानों की सूची

1. जनरल प्रोविजन स्टोर
2. दैनिक उपयोग की वस्तुएं यथा दूध, ब्रेड, मक्खन, अण्डा आदि
3. सब्जी एंव फल
4. फलों के जूस
5. मिठाई एवं पेय पदार्थ
6. पान, बीडी, सिगरेट
7. मेडिकल स्टोर/क्लीनिक
8. स्टेशनरी
9. टाइपिंग, फोटोस्टेट, फैक्स, आदि
10. किताबें/मैगजीन/अखबार इत्यादि
11. खेल का सामान
12. टेलीफोन बूथ, पी.सी.ओ
13. रेडीमेड गॉरमेन्ट
14. ब्यूटी पार्लर
15. सौन्दर्य प्रसाधन
16. हेयर ड्रेसिंग
17. टेलरिंग व बुटीक
18. घड़ी मरम्मत
19. घड़ी, पेन, चश्में की मरम्मत
20. कढ़ाई–बुनाई एवं पेन्टिंग
21. केवल टी0वी0 संचालन, वीडियों पार्लर
22. प्लम्बर शाप
23. विद्युत उपकरण
24. हार्डवेयर

25.टायर पंचर की दुकानें

26.साइकिल की सर्विसिंग एवं मरम्मत

27.कपडे इस्तरी करना

28.समरूप दैनिक उपयोगिताओं की अन्य दुकानें

29.लाण्ड्री, ड्राई–क्लीनिंग

30.दुग्ध उत्पाद, घी, मक्खन बनाना

31.प्रिन्टिंग प्रेस तथा बुक बाइडिंग

32.सोना तथा चॉदी का कार्य

33.जूते का फीता तैयार करना

34.बढ़ई कार्य, लोहार कार्य

35.साइन बोर्ड बनाना (लोहे के बोर्ड को छोड़कर)

36.फोटो फ्रेमिंग

37.जूता मरम्मत

38.विद्युत उपकरणों की मरम्मत

39.बेकरी, कन्फेक्शनरी

40.आटा चक्की (10 अश्व शक्ति तक)

41.फर्नीचर

42.साईबर कैफे

43.समरूप सेवा उद्योग

अनुलग्नक–1क

दैनिक उपयोग के दुकानों की सूची

(अधिकतम आच्छादन 15.00 वर्ग मी०)

1. जनरल प्रोविजन स्टोर
2. दैनिक उपयोग की वस्तुएं यथा दूध, ब्रेड, मक्खन, अण्डा आदि
3. सब्जी एवं फूल
4. फलों के जूस
5. पान, बीडी, सिगरेट
6. मेडिकल स्टोर/क्लीनिक
7. ब्यूटी पार्लर
8. हेयर ड्रेसिंग
9. कपडे इस्तरी करना

नोटः–मूल क्रिया के भवन हेतु निर्धारित अग्र सेट–बैक को छोड़ने के उपरान्त ही उपरोक्त वर्णित दैनिक उपयोग की दुकानें निर्मित की जा सकेगीं।

अनुलग्नक–2

निर्मित/मिश्रित आवासीय क्षेत्र में अनुमन्य सेवा उद्योगों की सूची (5 हार्स पावर तक)

1. लाण्ड्री, ड्राई–क्लीनिंग
2. टी०वी०, रेडियो, आदि की सर्विसिंग तथा मरम्मत
3. दुग्ध उत्पाद, घी, मक्खन बनाना
4. साइकिल की सर्विसिंग एवं मरम्मत
5. प्रिन्टिंग प्रेस तथा बुक बाइंडिंग
6. सोना तथा चाँदी का कार्य
7. कढ़ाई एवं बुनाई
8. जूते का फीता तैयार करना
9. टेलरिंग व बुटीक
10. बढ़ई कार्य, लोहार कार्य
11. घड़ी, पेन, चश्में की मरम्मत
12. साइन बोर्ड बनाना (लोहे के बोर्ड को छोड़कर)
13. फोटो फ्रेमिंग
14. जूता मरम्मत
15. विद्युत उपकरणों की मरम्मत
16. बेकरी, कन्फेक्शनरी
17. आटा चक्की (10 अश्व शक्ति तक)
18. फर्नीचर
19. समरूप सेवा उद्योग
20. साईबर कैफे

अनुलग्नक–3

व्यावसायिक क्षेत्र में अनुमन्य प्रदूषण मुक्त लघु उद्योगों की सूची (10 हार्स पावर तक)

1. आटा चक्की
2. मूँगफली सुखाना
3. चिलिंग
4. सिलाई
5. सूती एवं ऊनी बुने वस्त्र
6. सिले वस्त्रों का उद्योग
7. हथकरघा
8. जूते का फीता तैयार करना
9. सोना तथा चाँदी/ तार एवं जरी का काम
10. चमड़े के जूते तथा अन्य चर्म उत्पाद जिसमें चर्म शोधन सम्मिलित न हो
11. शीशे की शीट से दर्पण तथा फोटो तैयार करना
12. संगीत वाद्य यन्त्र तैयार करना
13. खेलों का सामान
14. बांस एवं बेंत उत्पाद
15. कार्ड बोर्ड एवं कागज उत्पाद
16. इन्सुलेशन एवं अन्य कोटेड पेपर
17. विज्ञान एवं गणित से सम्बन्धित यंत्र
18. घरेलू विद्युत उपकरणों को तैयार करना
19. रेडियो, टी०वी० बनाना
20. पेन, घड़ी, चश्में की मरम्मत
21. सर्जिकल पट्टियाँ
22. सूत कताई व बुनाई
23. रस्सियाँ बनाना
24. दरियाँ बनाना

25. कूलर तैयार करना

26. साइकिल एवं अन्य बिना इंजन चालित वाहनों की एसेम्बलिंग

27. इलैक्ट्रॉनिक्स उपकरण तैयार करना

28. खिलौने बनाना

29. मोमबत्ती बनाना

30. आरा मशीन के अतिरिक्त बढ़ई का कार्य

31. तेल निकालने का कार्य (शोधन को छोड़कर)

32. आइसक्रीम बनाना

33. मिनरल वाटर

34. जाबिंग एवं मशीनिंग

35. लोहे के संदूक तथा सूटकेस

36. पेपर पिन तथा यू क्लिप

37. छपाई हेतु ब्लॉक तैयार करना

38. चश्में के फ्रेम

39. समरूप प्रदूषण रहित उद्योग

अनुलग्नक–4

प्रमुख भू उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों की अनुमन्यता ज्ञात करने हेतु ग्राफिक प्रस्तुतिकरण के (मैट्रिक्स) उपयोग की विधि

महायोजना में प्रस्तावित प्रमुख भू–उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं (Activities) /उपयोगों की अनुमन्यता जोनिंग रेगुलेशन्स के माध्यम से निर्धारित की जाती है। यदि आवेदक द्वारा किसी भू–उपयोग जोन के अन्तर्गत क्रिया विशेष की निर्माण अनुज्ञा से सम्बन्धित मानचित्र विकास प्राधिकरण में स्वीकृत हेतु प्रस्तुत किया जाता है, तो जोनिंग रेगुलेशन्स के आधार पर ही यह तय किया जा सकेगा कि प्रश्नगत निर्माण उस भू–उपयोग जोन में अनुमन्य है अथवा नहीं। महायोजना के प्रमुख भू–उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों की अनुमन्यता से सम्बन्धित विवरण जोनिंग रेगुलेशन्स के प्रस्तर–10.5 में मैट्रिक्स (Matrix) के रूप में प्रस्तुत किया गया है जिसमें क्षैतिज रेखा (X-Axis) पर कालम–2 से 24 में महायोजना के प्रमुख भू–उपयोग जोन्स दर्शाए गए है जबकि इन जोन्स के अन्तर्गत अनुमन्य क्रियाएं/उपयोग ऊर्ध्वाधर रेखा (Y-Axis) पर दर्शाए गए है। किसी प्रमुख भू–उपयोग जोन में किसी क्रिया/उपयोग की अनुमन्यता ज्ञात करने के लिए क्षैतिज रेखा (X-Axis) पर दर्शायी गई उस क्रिया क सम्मुख ऊर्ध्वाधर रेखा (Y-Axis) पर दर्शाए गए भू–उपयोग जोन्स के कालम में दिए गए संकेत के आधार पर अनुमन्यता ज्ञात की जा सकती है। ग्राफिक प्रस्तुतीकरण (Matrix) जो coloured तथा Black & White दोनों प्रकार से दर्शाया गया है, में निम्न चार संकेतों का प्रयोग किया गया है :–

(i)	(हरा)	अनुमन्य उपयोगः **जो सामान्यतः अनुमन्य है।**
(ii)	(नीला)	**सशर्त अनुमन्य उपयोगः** जो जोनिंग रेगुलेशन्स के प्रस्तर– 10.4 में कोड संख्या–1 से 29 तक निर्दिष्ट शर्तो एवं प्रतिबन्धों के साथ अनुमन्य है।
(iii)	(पीला)	**विशेष अनुमति से अनुमन्य उपयोगः** जो जोनिंग रेगुलेशन्स के प्रस्तर–10.3 में निर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष परिस्थितियों में अनुमन्य है। "सक्षम प्राधिकारी" की परिभाषा जोनिंग रेगुलेशन्स के प्रस्तर–10.1.8 में पर दी गई है।
(iv)	(लाल)	**निषिद्ध उपयोगः** जो अनुमन्य नहीं है।

उपरोक्त चारों संकेतों के आधार पर महायोजना के प्रमुख भू–उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों की अनुमन्यता से सम्बन्धित उदाहरण निम्न प्रकार हैः–

उदाहरण–1: कोई व्यक्ति यह ज्ञात करना चाहता है कि "नर्सिंग होम" व्यवसायिक भू–उपयोग जोन में अनुमन्य है अथवा नहीं?

जोनिंग रेगुलेशन्स के प्रस्तर–10.5 में ग्राफिक प्रस्ततीकरण (Matrix) के अन्तर्गत (Y-Axis) पर क्रियाएं के नीचे क्रमांक–5.20 पर नर्सिंग होम के सम्मुख (X-Axis) पर व्यवसायिक भू–उपयोग जोन के कालम में संकेत ▬ (अनुमन्य) दिया गया है, जिसका अर्थ है कि व्यवसायिक भू–उपयोग जोन में नर्सिंग होम अनुमन्य है।

उदाहरण–2: निर्मित क्षेत्र में "शोरूम" अनुमन्य है अथवा नहीं?

जोनिंग रेगुलेशन्स के प्रस्तर–10.5 में ग्राफिक प्रस्तुतीकरण (Matrix) के अन्तर्गत (Y-Axis) पर क्रियाएं के नीचे क्रमांक–2.3 पर शोरूम के सम्मुख (X-Axis) पर "निर्मित क्षेत्र" के कालम में सकेंत ▬ (सशर्त अनुमन्य) दिया गया है, अर्थात् जोनिंग रेगुलेशन्स के प्रस्तर–3 में निर्दिष्ट कोड संख्या–4 के अनुसार निर्मित क्षेत्र में शोरूम न्यूनतम 18 मीटर चौड़े मार्ग पर अनुमन्य है।

अध्याय–11
भारत सरकार की ''स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेन्स टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेन्ट–2023–24'' के भाग–3 (अर्बन प्लानिंग रिफार्मस) के अनुपालन की स्थिति

भारत सरकार द्वारा Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment 2023-24” Part-iii (Urban Planning Reforms) विषयक गाईडलाईन निर्गत की गई है। उक्त गाईडलाईन के अन्तर्गत नगरीय योजना सुधारों को लागू करने के लिए भारत सरकार द्वारा विभिन्न सुधारों हेतु प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के प्राविधान दिए गए हैं।

- Overview of the reform: States need to prepare a master plan for 0.5 million plus cities with following essential components:

1- States need to amend their cities Master Plan/Development Plan through notifications and need to integrate the essential planning components as mentioned below:

2- Transportation network/mobility Plan:- Proposal for new roads (ROW of 18m more), junctions, transportation hubs, etc. apart from the widening of the existing road network. Mobility plan including inter and intra city connectivity.

3- Blue and Green infrastructure: Identifying and integrating the existing water bodies with master plan along with clear contour survey and urban flood prevention plan. Proposal for green public spaces, urban forest, lakefronts, riverfronts, canal fronts, place making etc.

4- Economic Planning: Identification of economic activities, resources, and their integration with transport network.

5- Land use plan: Proposed land use plan including area dedicated for economic activities/industrial development business districts markets/trading centers, transportation hubs and Affordable Housing.

उक्त सभी प्राविधानों को लखनऊ महायोजना–2031 (कन्वर्जन) में सम्मिलित किया गया है एवं तद्नुसार बिन्दुवार विवरण निम्नवत है।

11.1 कॉम्प्रेहैंसिव मोबिलिटी प्लान/ट्रांसपोर्टेशन प्लान

लखनऊ महायोजना–2031 में 18 मीटर से अधिक चौड़ाई की नयी सड़कों का प्राविधान किया गया है ट्रांसपोर्ट हब को विकसित करने हेतु बस टर्मिनल व ट्रक टर्मिनल का प्राविधान किया गया है जिनके माध्यम से इंटर व इंट्रा सिटी कनेक्टीविटी बेहतर हो पायेगी। लखनऊ विकास क्षेत्र में रोड नेटवर्क को यथासंभव इस तरह से प्रस्तावित किया गया है की ट्रैफिक जाम की समस्या एवं यातायात समय को कम किया जा सके।

- लखनऊ शहर के लिए तैयार किये गये विजन डाक्यूमेंट–2051 में अल्पावधि परियोजनाओं के अन्तर्गत ट्रान्सपोर्ट नेटवर्क के तहत निम्नलिखित परियोजनाऐं चिन्हित की गई है जिनका विवरण निम्नानुसार है।

Sr.No.	Project List under Lucknow City	Total cost in INR Crore
1	Radial Extension of Metro Rail and Proposed New Metro Routes	3355
2	Creating junction and improving intersection	980
3	Road Intersection Improvement in The City	110
4	Elevated Road on GH Canal	1155
5	Multi Modal Integration of Public Transport Facillities	285
6	EV Charging and Batter Swapping stations	60

स्त्रोतः–विजन डाक्यूमेंट–2051

विजन डॉक्यूमेंट–2051 के अध्याय–3 में प्रस्तर–3.3.4 एवं 3.3.5 के अनुसार

गोमती नदी पर प्रस्तावित ब्रिजः

लखनऊ शहर में समय–समय पर गोमती नदी पर ब्रिज बनाये गये है, जिससे शहर का यातायात सुगम हुआ है परन्तु अभी भी दो ब्रिजों की आवश्यकता है जिससे शहर का ट्रैफिक डि–कन्जेस्ट होगा व आम–जन शॉर्ट–रूट के माध्यम से पुराने लखनऊ से नये लखनऊ में आवागमन सुगमता से कर पायेंगे।

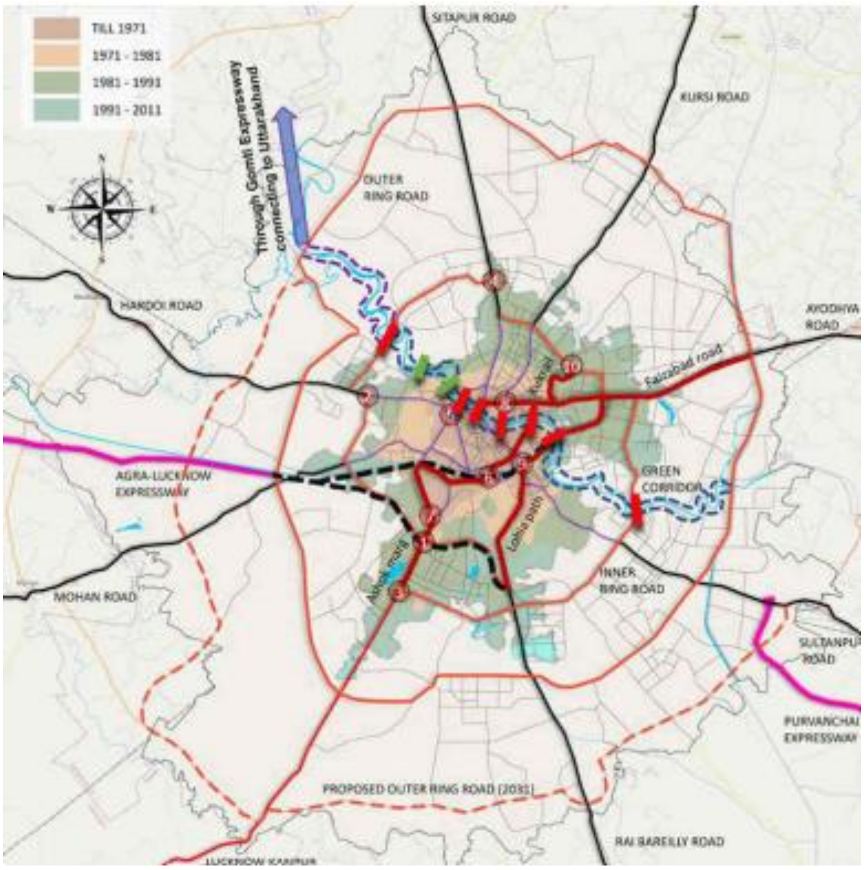

संचालित ब्रिज

प्रस्तावित ब्रिज

अशोक मार्ग का सुदृढ़ीकरणः–

अशोक मार्ग कानपुर–लखनऊ रोड को जोड़ते हुये इनर रिंग रोड को भी जोड़ती है। अशोक मार्ग पर भारी ट्रैफिक का प्रभाव रहता है जिससे जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। अशोक मार्ग के चौड़ीकरण करने से इस समस्या का समाधान किया जा सकता है।

जी.एच. नहर पर एलिवेटेड रोड का प्रस्तावः–

आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस–वे से लोहिया पथ पर कालिदास चौराहे तक जिसकी लगभग लम्बाई 12 किलोमीटर, एलिवेटेड रोड का प्रस्ताव है जिससे शहर के भीड़–भाड़ वाले स्थलों चारबाग, अमीनाबाद, हजरतगंज आदि को डि–कन्जेस्ट करने में सहायता प्रदान होगी।

शारदा नहर पर एलिवेटेड रोड का प्रस्तावः–

आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस–वे से रायबरेली रोड पर तेलीबाग चौराहा तक जिसकी लम्बाई लगभग 9 किलोमीटर, एलिवेटेड रोड का प्रस्ताव है जिससे शहर के यातायात को डि–कन्जेस्ट करने में सहायता प्रदान होगी।

मिसिंग लिंक के निर्माण का प्रस्तावः–

लखनऊ शहर में इनर रिंग रोड से सुचारू आवागमन हेतु मिसिंग लिंक सड़कों को बनाये जाने से एवं चौराहों को अपग्रेड करके सुधार किये जाने से शहर का आवागमन सुगम बनाने में सहायता प्रदान होगी। इस सम्बन्ध में विजन डाक्यूमेंट–2051 में कई प्रस्ताव दिये गये है, जिनको निम्नलिखित मानचित्र में दर्शाया गया है।

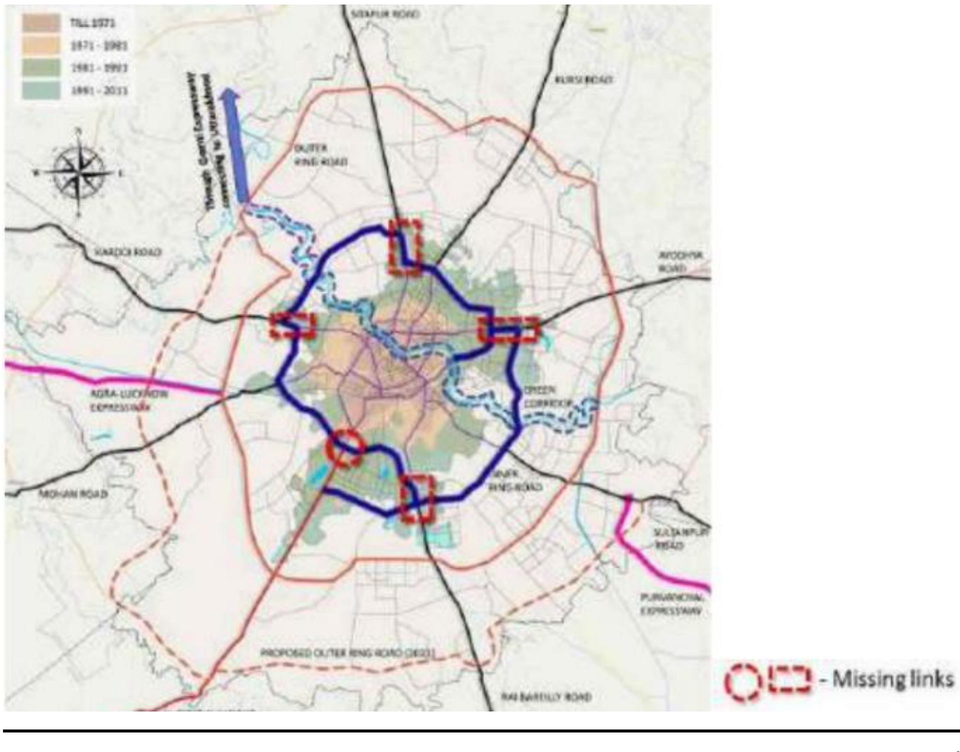

लखनऊ शहर के विकास हेतु तैयार किये गये विजन डॉक्यूमेंट–2051 में ट्रांसपोर्ट प्लान के तहत निम्नलिखित बिन्दुओं का समावेश किया गया है।

1. Identify important destinations of the city.
   लखनऊ महायोजना–2031 में शहर के मुख्य स्थलों का चिन्हाकंन किया गया है।
2. Link these destinations to transit corridors for buses node plan for routes of buses of these corridors.
   लखनऊ महायोजना–2031 व विजन डॉक्यूमेंट में मुख्य स्थलों के कनेक्टिविटी के लिये प्रस्ताव दिये गये है, जिसमें गोमती एक्सप्रेस–वे (लखनऊ से लखीमपुर तक लगभग 300 कि.मी.) है। इसके अतिरिक्त एक्सप्रेसवे के दो विस्तार भी प्रस्तावित हैं, एक नेपाल सीमा तक और दूसरा देहरादून तक।
3. Estimate the number of buses required (40 buses per 1 lakh population)
   लखनऊ महायोजना–2031 की प्रक्षेपित जनसंख्या 6500000 की आवश्यकता हेतु 2600 बसों का प्राविधान करना प्रस्तावित है।
4. Plan perodicity of buse stops. Identify possible locations of bus depots near important destinations.
   लखनऊ महायोजना–2031 में बस टर्मिनल भू–उपयोग प्रस्तावित किये गये है एवं सम्बन्धित विभागों द्वारा शहर के महत्वपूर्ण स्थलों के पास बस स्टॉप का निर्धारण किया जाना प्रस्तावित है। विजन डॉक्यूमेंट–2051 के अनुसार लखनऊ नगर में कानपुर मार्ग, अयोध्या मार्ग व हरदोई मार्ग पर नये आई.एस.बी.टी. का प्रस्ताव दिया गया है।
5. Converge the mobility planning of different modes (Multi Modal Integration)
   लखनऊ शहर हेतु तैयार किये गये विजन डॉक्यूमेंट में मोबिलिटी प्लानिंग के अन्तर्गत अध्याय–4 के प्रस्तर–4.6.18 के अन्तर्गत नये आई.एस.बी.टी. एवं मेट्रो का प्रस्ताव बाहरी रिंग रोड पर दिया गया है जो नगर की आर्थिक उत्पादकता को बढ़ावा देगा।
6. Plan fo EV charging points for electric moblity.
   लखनऊ शहर हेतु तैयार किये गये विजन डॉक्यूमेंट में 5000 इलेक्ट्रिक व्हीकल हेतु चार्जिंग स्टेशनों के निर्माण का प्रस्ताव दिया गया है जिसका निर्माण नगर के सार्वजनिक क्षेत्र, पार्किंग स्थल, आवासीय कॉम्पलेक्स, पेट्रोल पम्प, बस टर्मिनल एवं सरकारी कार्यालयों आदि में किया जायेगा। जिसका उल्लेख विजन डॉक्यूमेंट प्लान–2051 के अध्याय–4 के प्रस्तर 4.7.4 में किया गया है।
7. Plan for seamless access through clean execution of footpaths has to be put in place.

लखनऊ महायोजना–2031 में रोड नेटवर्क को पर्याप्त चौड़ाई के साथ प्रस्तावित किया गया है ताकि सीमलेस फुटपाथ का निर्माण हो सके। इसके अन्तर्गत विजन डॉक्युमेंट–2051 में अशोक मार्ग का चौड़ीकरण एवं जी.एच. तथा शारदा नहर पर ऐलिवेटेड रोड का प्रस्ताव दिया गया है। जिसका उल्लेख विजन डॉक्यूमेंट प्लान–2051 के अध्याय–3 के प्रस्तर 3.3.4 में किया गया है।

8. Identify dark spots of areas near/on and prepare a proper lighting plan for ensuring safe access, especially focusing on gender sensitivity.
   लखनऊ शहर हेतु तैयार किये गये विजन डॉक्यूमेंट में शहर में स्ट्रीट लाईट के प्रस्ताव दिये गये है एवं सम्बन्धित विभागों द्वारा शहर में स्थित डार्क स्पॉट्स का चिन्हांकन कर वहां प्रोपर लाईटनिंग की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है।
9. Plan for easy access for buses / trains at bus stops / bus depots / railway stations for differently abled.
   लखनऊ महायोजना–2031 में संचालित बस टर्मिनल व रेलवे स्टेशनों को दर्शाया गया है व बस टर्मिनल के प्रस्ताव दिये गये है एवं विजन डॉक्यूमेंट में शहर की बेहतर कनेक्टिविटी हेतु प्रस्ताव दिये गये है। सम्बन्धित विभागों द्वारा दिव्यांगों की सुगमता हेतु अपने परिसरों में सुविधा किया जाना प्रस्तावित है।
10. Studying the old city transit patterns and ensuring priority for public transit in old city and segregating streets for public transit only, to avoid congestion.
   लखनऊ शहर हेतु तैयार किये गये विजन डॉक्यूमेंट में पुराने शहर के ट्रांजेड पैटर्न का अध्ययन एवं प्रस्ताव दिये गये है एवं सम्बन्धित विभागों द्वारा पुराने शहर के ट्रैफिक को डि–कन्जेस्ट करने की व्यवस्था का प्रस्ताव किया जाना प्रस्तावित है। इसके अन्तर्गत मेट्रो प्रस्तावित की गयी है।
11. Parking to encourage private parties to execute infrastructure for parking through proper pricing, based on level of demand.
   लखनऊ महायोजना–2031 में भू–उपयोगों के प्रस्ताव, लखनऊ शहर हेतु तैयार किये गये विजन डॉक्यूमेंट में पार्किंग हेतु प्रस्ताव दिये गये है। उत्तर प्रदेश भवन उपविधि में भी भवनों/निर्माणों के लिये पार्किंग के प्राविधान किये गये है। विजन डॉक्यूमेंट प्लान–2051 के अध्याय–4 के प्रस्तर 4.6.5 में मेट्रो पार्किंग, भूमिगत पार्किंग, सी.बी.डी. पार्किंग, हजरतगंज पार्किंग, त्रिलोकनाथ मार्ग भूमिगत पार्किंग, अमीनाबाद कार पार्किंग, कैसर बाग भूमिगत कार पार्किंग एवं चारबाग रेलवे स्टेशन कार पार्किंग का प्रस्ताव दिया गया है।

12.Identification of where-how-when of parking in the city, Plan steps for what will make it financially viable for private participation.

लखनऊ शहर में सम्बन्धित विभागों द्वारा निजी भागीदारी के माध्यम से फाइनेंसियली वायबिलिटी को देखते हुए पार्किंग स्थलों का चयन किया जाना प्रस्तावित है।

13.Integration for paratransit such as bike, auto, taxis for last mile connectivity.

लखनऊ महायोजना–2031 में यातायात एवं परिवहन में इस तरह भू–उपयोग प्रस्तावित किये गये है जिससे पैराट्रांजिट का इन्टीग्रेशन संभव हो सकेगा।

14.Identification important road crossings and marking of road juncitons with appropriate.

लखनऊ महायोजना–2031 व विजन डॉक्यूमेंट–2051 के अध्याय–3 के प्रस्तर 3.3.3. में आउटर रिंग रोड के साथ मेट्रो का विस्तारीकरण, नये बस टर्मिनल एवं गोमती नदी पर 2 ब्रिज का प्रस्ताव दिया गया है। शहर के मुख्य रोड क्रॉसिंग और रोड जंक्शनों का प्राविधान किया गया है।

15.Identifying vulneable subways and elevated roads/over bridges and making strategies to activate them.

लखनऊ महायोजना–2031 व विजन डॉक्यूमेंट–2051 में सब–वे व एलिवेटेड़ रोड/ओवरब्रिज का प्राविधान किया गया है।

मानचित्र–14
ट्रांसपोर्ट एंड मोबिलिटी

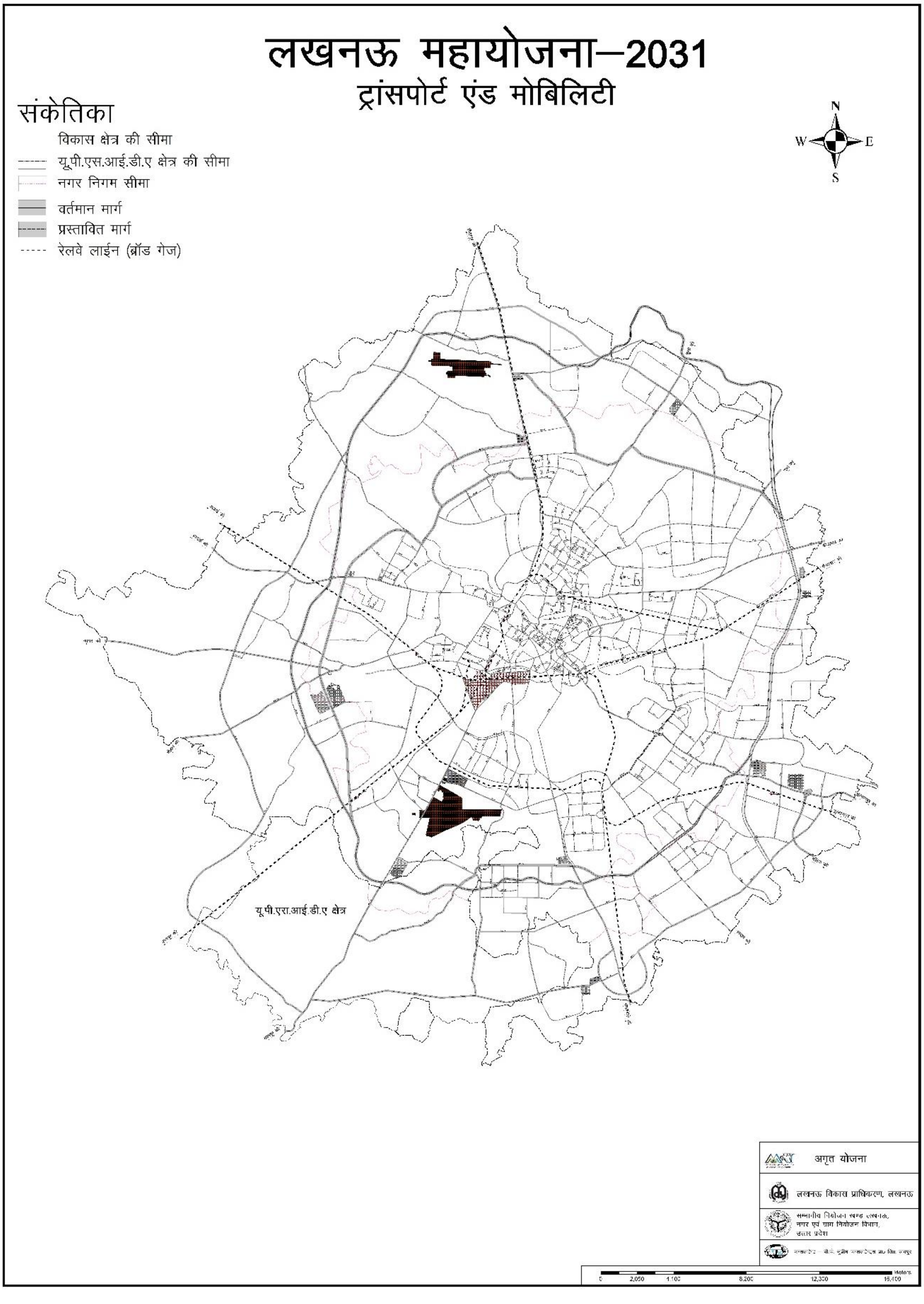

11.2 इकोनोमिक प्लान

आर्थिक नियोजन

आर्थिक नियोजन में आर्थिक गतिविधियों, संसांधनों तथा औद्योगिक गतिविधियों के परस्पर सबंध निहित होते है जिसके परिणामस्वरूप नगर के आर्थिक, व्यवसायिक, सामाजिक सांस्कृतिक एवं औद्योगिक गतिविधियों का सतत् विकास होता है। औद्योगीकरण नगर के आर्थिक आधार को सुदृढ़ करता है तथा इसका सीधा प्रभाव रोजगार की उपलब्धता के साथ–साथ जीवन स्तर को बेहतर बनाता है। किसी भी शहर का वित्तीय पहलू विभिन्न गतिविधियों की उत्पादन क्षमता पर निर्भर करता है, आसपास के क्षेत्र आर्थिक वृद्धि या कमी के संबंध में कोई भी परिवर्तन गतिविधियों से शहर के विकास में बदलाव आता है। जब से भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को उदार बनाना शुरू किया है इसके परिणामस्वरूप लखनऊ आर्थिक क्षेत्र में तेजी से बढ़ते शहरों में शामिल हो गया है। लखनऊ में हमेशा प्रशासनिक, संस्थागत, वाणिज्यिक, विनिर्माण इत्यादि गतिविधियों का मिश्रण रहा है। इसके अतिरिक्त लखनऊ विशेष स्वास्थ्य और शैक्षिक सेवाओं के लिए पूरे क्षेत्र और राज्य के बड़े हिस्से की आवश्यकता को पूरा करता है। महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएँ, एयरोस्पेस, वित्त, फार्मास्यूटिकल्स, डिजाइन और संस्कृति शामिल हैं। कृषि उपज रसद के संदर्भ में, लखनऊ आम, खरबूजे और आसपास के क्षेत्रों में उगाए जाने वाले खाद्यान्नों के लिए एक मंडी (थोक बाजार) शहर है।

लखनऊ उत्तर भारत का एक प्रमुख आर्थिक आधार और एक प्रमुख व्यापारिक शहर है। लखनऊ को प्रशासनिक एवं शैक्षिक केन्द्र के रूप में जाना जाता है। लखनऊ अपने चिकनकारी एवं जरदोजी कार्य आदि के लिए प्रसिद्ध है। जी0डी0पी0 के हिसाब से लखनऊ भारत के शीर्ष शहरों में से एक है। यह अनुसंधान और विकास के लिए एक केंद्र है क्योंकि इसमें राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के राष्ट्रीय दुग्ध ग्रिड, केंद्रीय चिकित्सा और सुगंधित पौधे संस्थान, राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम और यूपी के अनुसंधान एवं विकास केंद्र हैं। निर्यात

निगम, आईटी, विनिर्माण और प्रसंस्करण एवं चिकित्सा के क्षेत्रों के योगदान से अर्थव्यवस्था बढ़ रही है।

- 2021 और 2051 के बीच लखनऊ शहर में 5.5 मिलियन लोगों की वृद्धि होने का अनुमान है। 5.5 मिलियन से लगभग 11 मिलियन की जनसंख्या हेतु 2.5 मिलियन नौकरियों की आवश्यकता होगी।
- नौकरी की इन आने वाली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध प्रकार के अवसर होने चाहिए, ताकि लोग काम के लिए दूसरे शहरों में न जाएं।

जी.डी.पी के अनुसार लखनऊ भारत के शीर्ष शहरों में से एक है। यह अनुसंधान एवं विकास का केंद्र है। चूँकि इसमें राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के राष्ट्रीय दुग्ध ग्रिड के अनुसंधान एवं विकास केंद्र हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एरोमैटिक प्लांट्स, नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट निगम एवं उ.प्र. निर्यात निगम. आईटी, विनिर्माण और प्रसंस्करण तथा चिकित्सा/जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों के योगदान से अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। शहर में कई सॉफ्टवेयर और आईटी कंपनियां मौजूद हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एचसीएल टेक्नोलॉजीज शहर में मौजूद हैं। लखनऊ एक उभरता हुआ शहर है, जिसमें ऑटोमोबाइल हब, कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 2 बिलियन रुपये आवंटित किए हैं। जिसके तहत कपड़ा व्यवसाय क्लस्टर स्थापित करना है। एक विशाल 100 एकड़ (40 हेक्टेयर) का आई0टी0 शहर जिसकी लागत 15 बिलियन है, चक गंजरिया पर राज्य सरकार द्वारा योजना बनाई गई है। राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए ''विशेष आर्थिक क्षेत्र'' के दर्जा की स्वीकृति दे दी है, जिससे राज्य में हजारों रोजगार के अवसर उत्पन होने की उम्मीद है।

इन सभी तथ्यों एवं विश्लेषण को दृष्टिगत रखते हुये महायोजना प्रस्तावों में इस नगर के औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से व्यवसायिक/वाणिज्यिक, लघु उद्योग एवं वृहद् उद्योग हेतु औद्योगिक भू–उपयोग/औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित किये गये है। जिनके विवरण निम्नानुसार है।

वाणिज्यिक भू–उपयोग

नगर में चौक, अमीनाबाद एवं हजरतगंज क्षेत्र पुराने व्यवसायिक केन्द्र है। इन पुराने केन्द्रों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी अनेक व्यवसायिक केन्द्र विकसित हो रहे है। हजरतगंज, चौक एवं अमीनाबाद क्षेत्रों में व्यवसायिक क्रियाकलाप वहॉ पर उपलब्ध मार्गो की चौड़ाई एवं पार्किंग स्थलों की तुलना में अधिक है जबकि विकासशील एवं नवविकसित कॉलोनियों में व्यवसायिक क्रियाकलाप अपेक्षाकृत कम है जिससे असंतुलन उत्पन्न होता है। व्यवसायिक क्रिया–कलापों हेतु नगर के विभिन्न क्षेत्रों में उन क्षेत्रों की आवश्यकता एवं क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए कुल 3204.81 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रस्तावित किया गया है जो कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 4.51 प्रतिशत है।

मिश्रित भू–उपयोग (1)

नगर के परम्परागत व्यवसायिक क्षेत्र यथा चौक, डालीगंज तथा याहियागंज क्षेत्रों को मिश्रित भू–उपयोग के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है। इस उपयोग के अन्तर्गत भूतल एवं प्रथम तल पर व्यवसायिक/कार्यालय उपयोग तथा ऊपरी तलों पर आवासीय उपयोग अनुमन्य होगा। इस उपयोग के अन्तर्गत 94.01 हेक्टेयर भूमि का प्रस्ताव किया गया है।

मिश्रित भू–उपयोग (2)

नये क्षेत्रों में प्राधिकरण की चक गजरिया फार्म योजना में प्राधिकरण द्वारा मिश्रित भू–उपयोग प्रस्तावित किया गया एवं आवास एवं विकास परिषद की वृन्दावन योजना, बाह्य रिंग रोड पर सीतापुर मार्ग से अस्ती मार्ग पर, मोहान मार्ग से कानपुर रेलवे लाईन के मध्य, नगर के पूरब दिशा में गोमती नदी के समीप रिंग रोड पर मिश्रित भू–उपयोग किया गया है। इसका कुल क्षेत्रफल 875.20 हेक्टेयर है।

केन्द्रीय वाणिज्यिक केन्द्र

नगर के हजरतगंज एवं अमीनाबाद व्यवसायिक केन्द्र जो कि अत्यधिक भीड़–भाड़ वाले व्यवसायिक क्षेत्र है, को केन्द्रीय वाणिज्यिक केन्द्रों के रूप में प्रस्तावित किया गया है। इन केन्द्रों में और अधिक व्यवसायिक क्रियाओं को बढ़ावा न दिये जाने की आवश्यकता को देखते हुये इन क्षेत्रों में यथा स्थिति को बनाये रखने की आवश्यकता है। केन्द्रीय वाणिज्यिक केन्द्रों हेतु कुल 64.45 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित है।

नगर केन्द्र

केन्द्रीय वाणिज्यिक क्षेत्र पर बढ़ते दबाव को कम करने के उद्देश्य से नवविकसित/विकासशील क्षेत्रों में नगर केन्द्रों को प्रस्ताव किया गया है। प्रत्येक नगर केन्द्र दो से पॉच लाख की जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। नगर केन्द्र भू–उपयोग के अन्तर्गत लगभग 560.79 हेक्टेयर क्षेत्र का प्राविधान किया गया है।

उपनगर केन्द्र

लखनऊ नगर की वर्ष 2031 की अनुमानित 65 लाख जनसंख्या की दृष्टिगत नगर में पर्याप्त उपनगर केन्द्रों का उपयुक्त स्थलों पर प्रस्ताव किया गया है। लखनऊ महायोजना–2021 में प्रस्तावित उपनगर केन्द्रों के अतिरिक्त कुर्सी मार्ग पर 03, सीतापुर एवं रैथा मार्ग पर 1–1, हरदोई मार्ग पर 03, मोहान एवं वनी मार्ग पर 1–1, रायबरेली मार्ग पर 02, नगराम मार्ग पर 01 सुल्तानपुर मार्ग पर 02, इन्दिरा कैनाल पर 1 एवं अयोध्या मार्ग पर 2 उपनगर केन्द्र विकसित किये जाने हेतु भूमि प्रस्तावित की गयी है। प्रत्येक उपनगर केन्द्र बीस हजार से एक लाख जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। इन उपनगर केन्द्रों हेतु कुल लगभग 1045.42 हेक्टेयर क्षेत्र का प्राविधान है।

थोक व्यापार केन्द्र

महायोजना में उपरोक्त स्थलों के अतिरिक्त थोक व्यवसाय तथा मण्डियों के लिए भी प्रस्ताव किया गया है। क्योंकि नगर की घनी आबादी में स्थित थोक व्यापार को विकेन्द्रित करने की आवश्यकता का अनुभव किया गया है। वर्तमान में सीतापुर मार्ग, हरदोई मार्ग तथा कानपुर मार्ग पर स्थित मण्डियों के सुदृढ़ीकरण की भी आवश्यकता है।

इसके अतिरिक्त 6 नये मण्डी स्थलों का प्राविधान अयोध्या मार्ग, सुल्तानपुर, मार्ग, बक्शी का तालाब (सुदृढ़ीकरण) एवं कानपुर मार्ग, कुर्सी मार्ग तथा बनी मार्ग पर किया गया है। जिसके लिये 190.26 हेक्टेयर (वर्तमान मण्डी स्थल क्षेत्र सहित) भूमि का प्राविधान है।

भण्डार/गोदाम/वेयरहाउसिंग

नगर में भण्डार/गोदाम/वेयरहाउसिंग के क्रिया–कलापों को सुचारू रूप से संचालित किये जाने हेतु सीतापुर मार्ग एवं सुल्तानपुर मार्ग के अतिरिक्त कानपुर मार्ग पर स्थित तेल भण्डारण क्षेत्र के विस्तार किये जाने की आवश्यकता को देखते हुये भण्डार/वेयरहाउसिंग हेतु 107.07 हेक्टेयर भूमि का प्रस्ताव किया गया है।

मोटर वाहन क्रय–विक्रय बाजार/कार्यशाला तथा सहायक विक्रय केन्द्र

मोटर वाहनों के क्रय–विक्रय, कार्यशाला एवं कल पुर्जो के विक्रय हेतु महायोजना–2031 में 116.30 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है जो मुख्यतः सीतापुर मार्ग, हरदोई मार्ग, सुल्तानपुर मार्ग एवं रायबरेली मार्ग पर स्थित है।

बाजार मार्ग

लखनऊ महायोजना–2001 में कुछ मार्गो को बाजार मार्ग के रूप में उन पर हो रही परम्परागत व्यवसायिक गतिविधियों को दृष्टिगत रखते हुए चिन्हित किया गया था।

उद्योग

नगर की अर्थव्यवस्था में उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वर्ष 2031 में द्वितीयक श्रेणी में कार्य करने वालों की संख्या लगभग 1.34 लाख होगी, जिसके लिए महायोजना में लगभग 3519.20 हेक्टेयर क्षेत्र (कुर्सी मार्ग, अस्ती मार्ग, नगराम मार्ग, सुल्तानपुर मार्ग एवं देवा मार्ग) पर प्रस्तावित किया गया है जोकि कुल प्रस्तावित भूमि पर 4.89 प्रतिशत है।

वृहद उद्योग

महायोजना–2031 में वृहद उद्योगों हेतु 1032.17 हेक्टेयर क्षेत्र का प्रस्ताव है। इन उद्योगों हेतु क्षेत्र का निर्धारण कानपुर मार्ग, देवा मार्ग और अयोध्या मार्ग पर किया गया है। जहॉ पर वर्तमान में भी वृहद् उद्योग विद्यमान है।

हल्के उद्योग

महायोजना–2031 में नगर में हल्के उद्योगों हेतु 1822.18 हेक्टेयर भूमि का प्रस्ताव किया गया है। इन उद्योगों हेतु क्षेत्रों का निर्धारण तालकटोरा मार्ग, ऐशबाग, कानपुर मार्ग, देवा मार्ग आदि विद्यमान औद्योगिक क्षेत्रों के अतिरिक्त कुर्सी मार्ग, सीतापुर मार्ग, अयोध्या मार्ग एवं मोहान मार्ग पर किया गया है। मोहान मार्ग पर लघु उद्योगों हेतु प्रस्ताव विशेष कर आरा मशीनों को स्थानान्तरित किये जाने हेतु किया गया है।

डेयरी

लखनऊ महायोजना–2031 में सुल्तानपुर मार्ग पर डेयरी भू–उपयोग के अन्तर्गत 9.31 हेक्टेयर भूमि आरक्षित की गयी है।

आई.टी.पार्क

लखनऊ महायोजना–2031 में सुल्तानपुर मार्ग पर आई.टी. पार्क के विकसित किये जाने हेतु 655.54 हेक्टेयर भूमि का प्रस्ताव किया गया है।

लखनऊ शहर के लिए तैयार किये गये विजन डाक्यूमेंट–2051 में अल्पावधि परियोजनाओं के अन्तर्गत आर्थिक नियोजन के तहत निम्नलिखित परियोजनाऐं चिन्हित की गई है जिनका विवरण निम्नानुसार है।

Sr.No.	List of Project	Tentative cost INR Crores
1	Inclusive "Market-City" Lucknow	50
2	Development of City Tourism	160
3	Logistics Park	1750
4	State ODOP Center	35
5	Raah-E-Awadh	855
6	Active Frontages For "Eyes on The Street"	20
7	Bio-Energy Plants	90
8	Centers of Excellence	10
9	AVGC SEZ	125
10	Community Kitchens	18

स्त्रोतः–विजन डाक्यूमेंट–2051

मानचित्र–15
इकोनोमिक इन्फ्रास्ट्रक्चर/लेयर

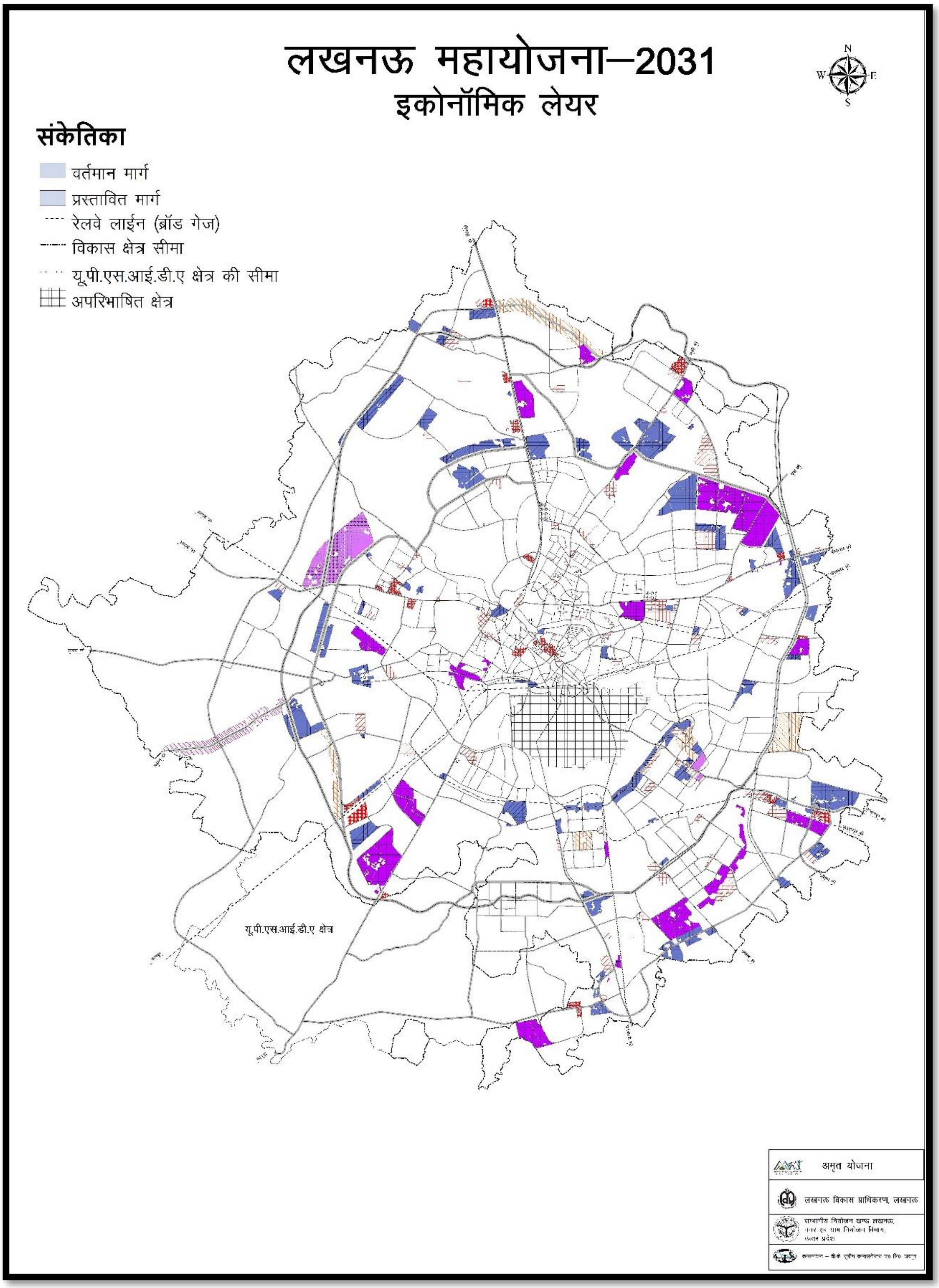

11.3 ब्लू एवं ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर

11.3.1 ब्लू इन्फ्रास्ट्रक्चर

लखनऊ महायोजना–2031 (कन्वर्जन) में सभी राजस्व तालाबों को यथासंभव चिन्हित किया गया है। इन जल संसाधन इकाईयों के उच्च भराव क्षेत्र की सीमा तक इन्हें संरक्षित करना होगा। लखनऊ विकास क्षेत्र के महायोजना मानचित्र में यथासंभव जलाशय/तालाब/पोखर/नदी/नाला/नहर को दर्शाया गया है। जिसके क्षेत्रफल का विवरण निम्नानुसार है।

श्रेणी	उप–श्रेणी	क्षेत्रफल (हे0)
जल निकाय	नदी/नाला/ नहर /तालाब/पोखर	3116.84

- लखनऊ शहर में से प्रवाहित हो रही नदियों पर उच्चतम बाढ़ स्तर से प्रभावित क्षेत्र को निर्माण/अतिक्रमण से मुक्त रखने हेतु मौके पर नदी के किनारे यथासंभव ग्रीन बेल्ट एवं तटबन्ध को महायोजना–2031 में प्रस्तावित किया गया है, जिसमे सभी प्रकार के निर्माण को प्रतिबंधित किया गया है।
- लखनऊ शहर में से गुजर रही नदियों के दोनों ओर पर्याप्त मात्रा में ग्रीन बैल्ट का प्राविधान किया गया है जिसे रिवर फ्रंट के रूप में विकसित किया जायेगा। जिससे शहर को अरबन फ्लडिंग से बचाया जा सकेगा एवं ग्रीन पब्लिक स्पेस व अरबन फॉरेस्ट को विकसित किया जायेगा।
- लखनऊ महायोजना में नियोजन के दृष्टिगत मनोरंजनात्मक भू–उपयोग प्रस्तावित किये गये है जिनमें ग्रीन पब्लिक स्पेस विकसित किया जायेगा जिससे शहर के पर्यावरण में सुधार होगा। मनोरंजनात्मक भू–उपयोग के अन्तर्गत नगर में जनेश्वर मिश्र पार्क, लोहिया पार्क, अम्बेडकर पार्क, बेगम हजरत महल पार्क एवं शहीद स्मारक पार्क इत्यादि उपलब्ध है। इन सभी को समाहित करते हुये महायोजना–2031 में मनोरंजनात्मक भू–उपयोग के लिए 13480.80 हेक्टेयर क्षेत्र रखा गया है। यह क्षेत्र पूर्णतया खुले स्थल के रूप में ही निरूपित किए गये है।

- लखनऊ शहर के लिए तैयार किये गये विजन डाक्यूमेंट–2051 में अल्पावधि परियोजनाओं के अन्तर्गत ब्लू एवं ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर के तहत निम्नलिखित परियोजनाऐं चिन्हित की गई है जिनका विवरण निम्नानुसारः–

Sr.No.	List of Project	Tentative cost INR Crore
1	Central Heritage Park	225
2	Air Purifiers- Moss Covered City Tree Bench	13
3	Miyawaki Forests	8

स्त्रोतः–विजन डाक्यूमेंट–2051

11.3.2 ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर

लखनऊ महायोजना–2031 में ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने हेतु पार्क एवं खुले स्थल भू–उपयोग स्थल प्रस्तावित किये गये है जिनका विकास करके नगर को बेहतर ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर मिल सकेगा। ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकसित होने से नगर को मनोरंजनात्मक सुविधायें प्राप्त हो सकेगी व शहर के पर्यावरण में भी अपेक्षित सुधार होगा। लखनऊ महायोजना–2031 में पार्क एवं खुले स्थल भू–उपयोग का विवरण निम्नानुसार है।

श्रेणी	उप–श्रेणी	क्षेत्रफल (हे0)	प्रतिशत
ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर/पार्क एवं खुले स्थल	पार्क एवं खुले स्थल	4862.03	36.07
	क्षेत्रीय पार्क एवं क्रीड़ा स्थल	1761.09	13.06
	ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक/धार्मिक महत्व के स्थल/भवन	131.14	0.97
	चिड़ियाघर एवं अजायबघर	28.44	0.21
	वनस्पति उद्यान	23.47	0.17
	पर्यावरण पार्क	2374.61	17.62
	प्रदर्शनी/मेला एवं सम्मेलन स्थल	118.24	0.87
	हरित पट्टी	4176.80	30.99
कुल		**13475.82**	**100**

लखनऊ शहर के विकास हेतु तैयार किये गये विजन डॉक्यूमेंट–2051 में ब्लू एवं ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर के तहत निम्नलिखित बिन्दुओं का समावेश किया गया है।

1. Map all waterbodies of the city (all wards)
   लखनऊ महायोजना–2031 में लखनऊ विकास क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले समस्त वाटर बॉडीज का चिन्हांकन महायोजना मानचित्र पर किया गया है।
2. Map the areas prone for flooding based on past experiences.
   लखनऊ महायोजना–2031 में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का चिन्हांकन महायोजना मानचित्र पर किया गया है जिस पर सम्बन्धित विभागों द्वारा कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।
3. Contour survey of the city drainage pattern to be done.
   लखनऊ महायोजना–2031 में विकास क्षेत्र में स्थित ड्रेनेज, नदी, नाले एवं स्ट्रीम को देखते हुए कंटूर मानचित्र तैयार कराया गया है।
4. Areas below the level of riverbed near the river to be clearly demarcated and plan for pumping out water through an independent energy sourced pump infrastructure to be put in place.
   लखनऊ महायोजना–2031 में बाढ़ प्रभावित/डूब क्षेत्र का चिन्हांकन किया गया है जिस पर सम्बन्धित विभागों द्वारा फ्लड़िंग होने के दौरान आत्मनिर्भर पम्पिंग योजना के तहत जल को बाहर निकालने की व्यवस्था का प्राविधान किया जाना प्रस्तावित है।

क्षेत्रीय पार्क एवं क्रीड़ा स्थल

लखनऊ महायोजना–2031 में क्षेत्रीय पार्क एवं क्रीड़ा स्थल में स्टेडियम आदि के निर्माण की संभावनाओं को निरूपित रखते हुये प्रस्तावित किया गया है।

वनस्पति उद्यान

नगर में वनस्पति उद्यान सिकन्दर बाग में स्थित है जिसके वर्तमान क्षेत्र को महायोजना–2031 में यथारूप में रखा गया है।

पर्यावरण पार्क

लखनऊ नगर को प्रदूषण रहित रखने एवं भू–गर्भ जल स्तर के गिरावट को रोकने हेतु पर्यावरण पार्क रखे गये है। यह स्थल सीतापुर–हरदोई मार्ग के मध्य तथा सुल्तानपुर मार्ग–सुल्तानपुर रेलवे लाईन के मध्य प्रस्तावित है।

हरित पट्टी

लखनऊ नगर के विद्यमान नदी नालों, प्रमुख प्रस्तावित मार्गो के किनारे हरित पट्टी का प्रस्ताव किया गया है। लखनऊ महायोजना–2031 में इस भू–उपयोग प्रस्तावित की गयी है।

प्रदर्शनी/मेला एवं सम्मेलन स्थल

महायोजना–2031 में प्रर्दशनी/मेला/सम्मेलन स्थल हेतु क्षेत्रों का निर्धारण बिजनौर मार्ग, सीतापुर–हरदोई बाईपास पर, शारदा नहर एवं जिला कारागार के मध्य किया गया है।

लखनऊ महायोजना–2031 में यह भी प्रस्ताव है कि बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र को वैज्ञानिक एवं तकनीकी ढ़ंग से सम्बंधित विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जायेगा, जिससे लखनऊ नगर में प्रवाहित हो रही नदियों के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र को संवर्धन तथा अतिक्रमण एवं अनाधिकृत नगरीय गतिविधियों से मुक्त रखा जा सकेगा।

लखनऊ शहर के विकास हेतु तैयार किये गये विजन डॉक्यूमेंट–2051 में ब्लू एवं ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर के तहत निम्नलिखित बिन्दुओं का समावेश किया गया है।

5. Map all waterbodies of the city (all wards)
6. Map the areas prone for flooding based on past experiences.
7. Contour survey of the city drainage pattern to be done.
8. Areas below the level of riverbed near the river to be clearly demarcated and plan for pumping out water through an independent energy sourced pump infrastructure to be put in place.

मानचित्र–16
ब्लू इन्फ्रास्ट्रक्चर/लेयर

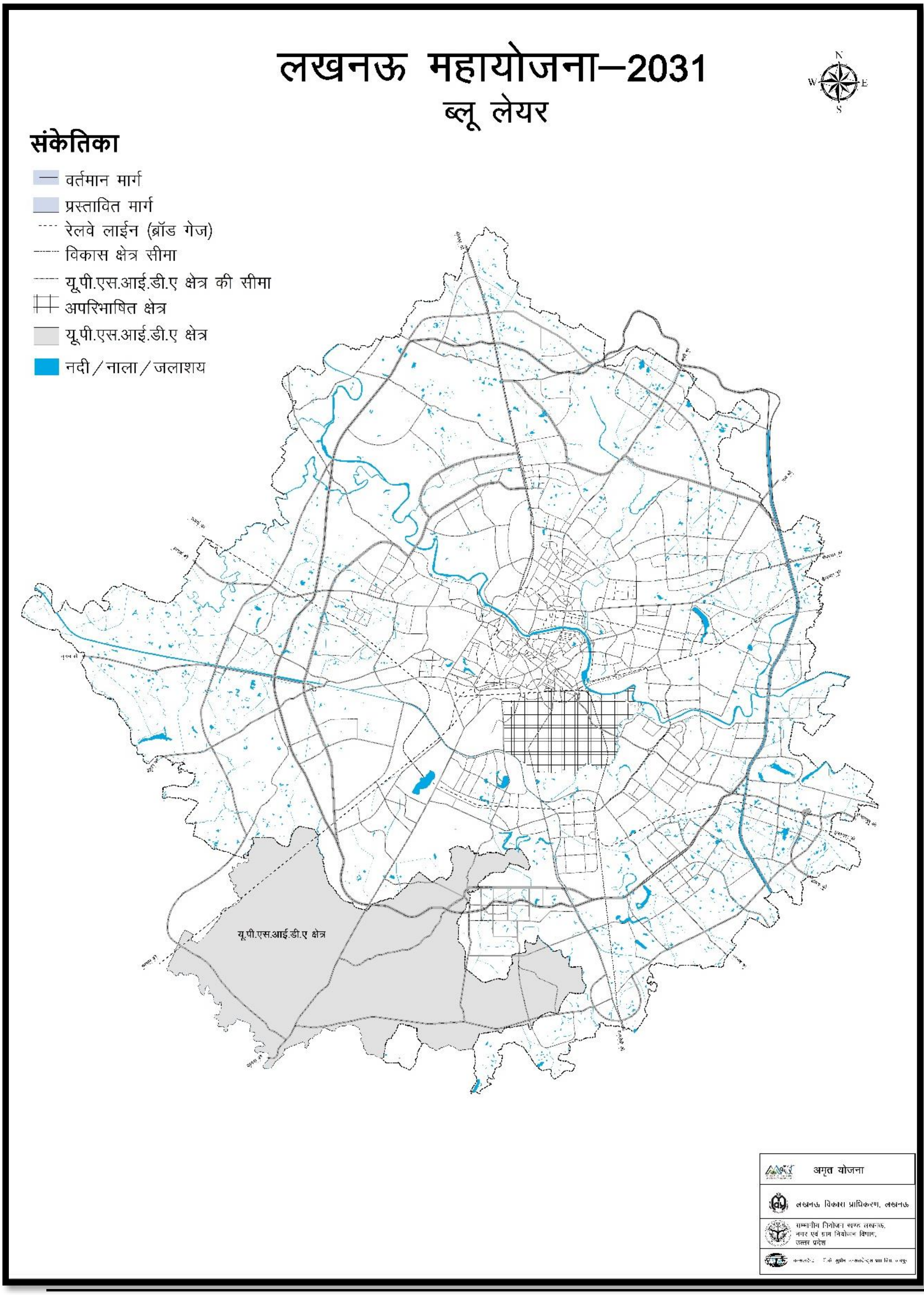

मानचित्र–17
ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर / लेयर

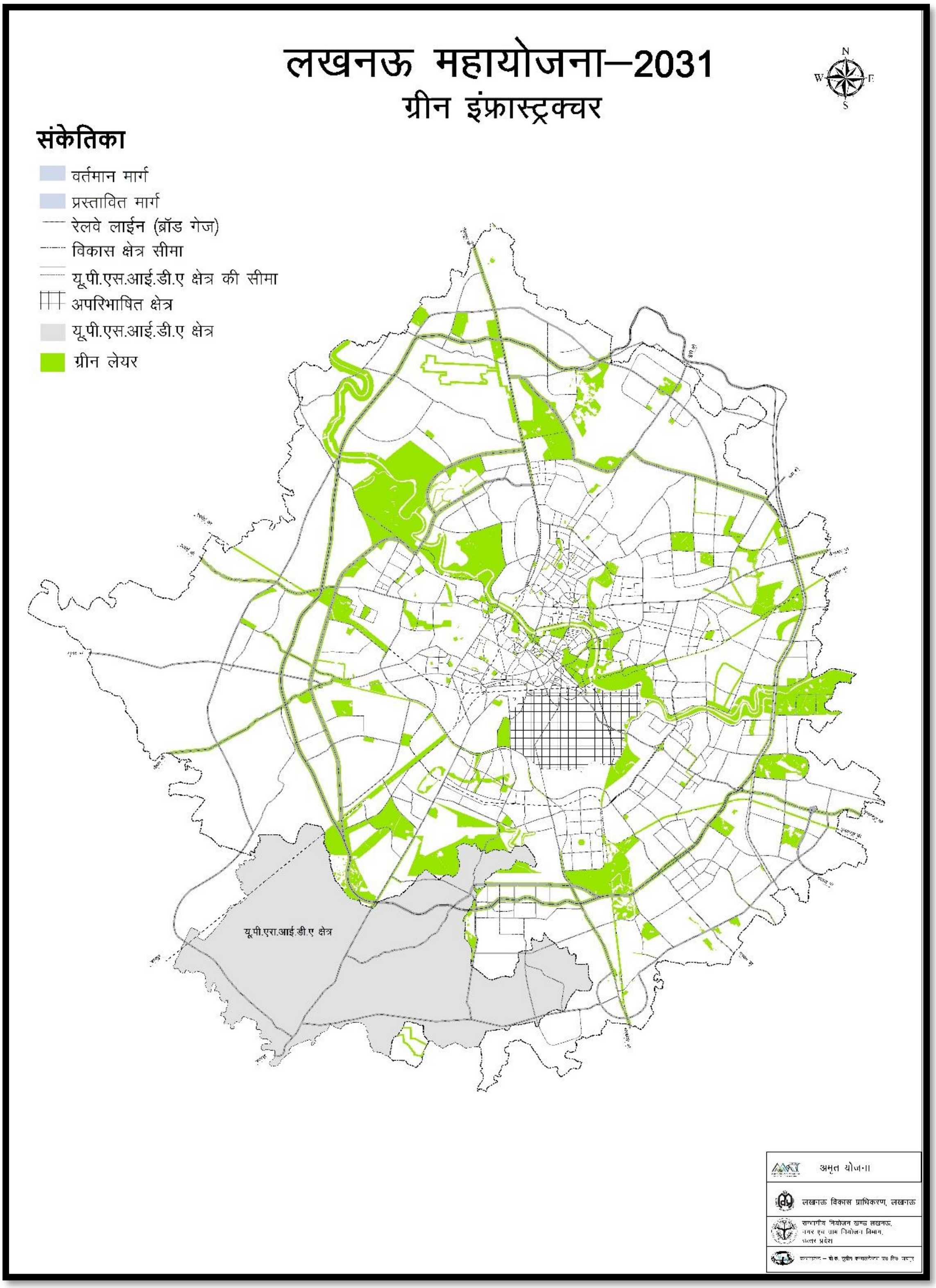

मानचित्र–18
कंटूर

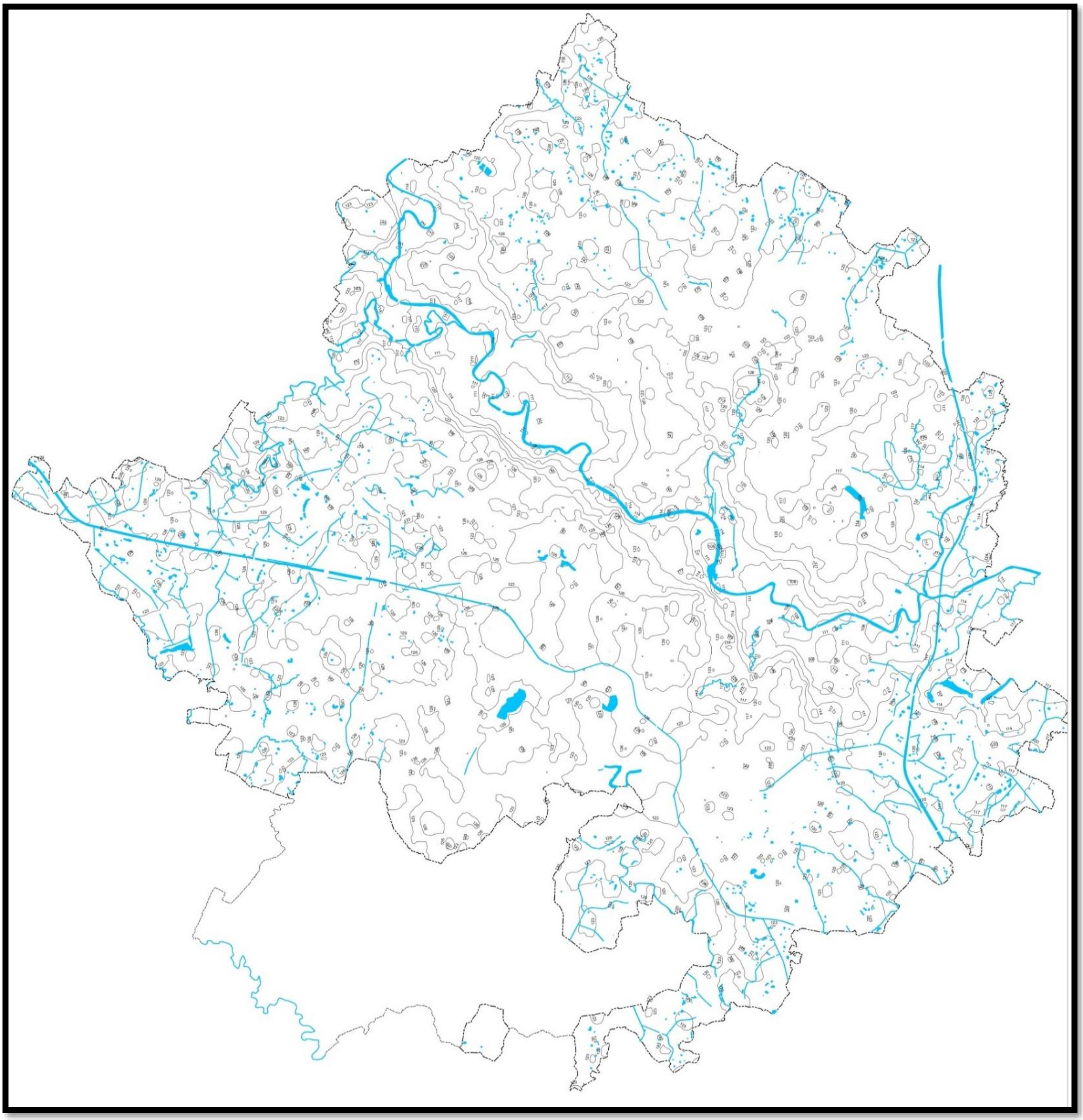

11.4 टी.ओ.डी

ट्रांजिट ओरिएण्टेड डेवलपमेन्ट (टी.ओ.डी.) एक आदर्श नियोजन है, जिसका उद्देश्य ट्रांजित नोड्स के आस–पास अत्यधिक सघन मिश्रित भू–उपयोग के साथ पैदल चलने तथा आवासन हेतु उपयुक्त नियोजित सत्त बाहरी विकास केन्द्रों को विकसित करके भू–उपयोग एवं परिवहन को एकीकृत करना है। पैदल चलने वालों और गैर–मोटर चलित परिवहन (एन.एम.टी.) के अनुकूल अवस्थापना का सृजन करके टी.ओ.डी. ट्रांजिट पहुंच को बढाता है, जो बड़ी संख्या में लोगों को लाभान्वित करता है, जिसके फलस्वरूप ट्रांजिट परियोजना की सवारियों में वृद्धि होती है और इस प्रणाली के आर्थिक और वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार होता है।

ट्रांजिट परियोजना – ट्रांजिट परियोजना के अन्तर्गत विद्यमान/प्रस्तावित सार्वजनिक परिवहन परियोजनायें यथा बस मार्ग और बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (बी.आर.टी.एस), लाइट रेल ट्रांजिट (एल.आर.टी.), ट्रामवे, मेट्रो रेल ट्रांजिट सिस्टम (मेट्रो) रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम (आर.आर.टी.एस.), हाईस्पीड रेल (एच.एस.आर.), मेट्रो नियो, मेट्रो लाइट, रोप–वे या कोई ऐसी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली सम्मिलित है जिन्हें इस नीति के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर ट्रांजिट परियोजना के रूप में अधिसूचित किया जायेगा।

टी.ओ.डी. जोन के लिये जोनल डेवलपमेन्ट प्लान–इसका तात्पर्य अधिनियम की धारा–9 के अधीन किसी टी.ओ.डी. जोन के लिये तैयार किये जाने वाले जोनल डेवलपमेन्ट प्लान से है।

टिप्पणीः– जब तक उपरोक्त प्रस्तर–1 में परिभाषित न किया गया हो, इस नीति में प्रयुक्त शब्दों की परिभाषायें और अर्थ अधिनियम में या राष्ट्रीय नीतियों (नेशनल टी.ओ.डी. पालिसी, 2017, दि वैल्यू कैप्चर पॉलिसी फेम वर्क, 2017, मेट्रो रेल पॉलिसी), जैसा प्रयोज्य हो, में दिये गये परिभाषाओं और अर्थ के अनुसार होंगे।

नीति की प्रयोज्यता

1. यह नीति राज्य सरकार द्वारा टी.ओ.डी. के लिये अधिसूचित ट्रांजिट परियोजनाओं के टी.ओ.डी. जोन्स में लागू होगी।
2. टी.ओ.डी. जोन्स के अन्तर्गत टी.ओ.डी. नीति के संचालन एवं टी.ओ.डी. योजना की स्वीकृति के लिए सम्बन्धित टी.ओ.डी. जोन के जोनल डेवलपमेन्ट प्लान का पूर्व अनुमोदन अनिवार्य रूप से अपेक्षित होगा।

टी.ओ.डी. हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तः–

1. टी.ओ.डी. जोन का चिन्हीकरण एवं महायोजना में समायोजनः–

- विकास प्राधिकरण द्वारा टी.ओ.डी. जोन का चिन्हीकरण रेखांकन भौतिक विशेषताओं यथा सड़के, रेलवे लाइन, नदियां व स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर किया जाना अपेक्षित है।
- टी.ओ.डी. जोन हेतु डेवलपमेंट प्लान का सीमांकन हों जाने पर टी.ओ.डी. नीति 2017 में निर्धारित उद्देश्यों व सिद्धान्तों के आधार पर जोनल डेवलपमेंट प्लान तैयार करना है।
- जोनल डवलपमेंट प्लान तैयार हो जाने पर अनुमोदन प्रक्रिया उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अनुसार होगी।
- उक्त टी.ओ.डी नीति में भविष्य में यदि कोई संशोधन होंगे तो वे संशोधन इस पर यथावत लागू होंगे।
- जोनल डेवलपमेन्ट प्लान के अन्तर्गत उस क्षेत्र में संबंधित ट्रांजिट एजेंसियों द्वारा प्रस्तावित कोई अन्य योजना जैसे मल्टी–मॉडल इन्टीग्रेशन (एम.एम. आई.), स्टेशन एरिया विकास परियोजना और ट्रांजिट स्टेशनों के आस–पास गैर–मोटर चालित परिवहन (एन.एम.टी.) हेतु योजना को जोनल प्लान में समेकित किया जाय। जोनल डेवलपमेन्ट प्लान को तैयार करते समय पैदल चलने के स्थान को बढ़ाने, गलियों के सुधार, पार्किंग प्रबन्धन, आदि के लिये योजनाओं को भी ध्यान में रखा जाये।

2. टी.ओ.डी. योजनाएं, अनुमन्य उपयोग एवं भवन उपविधियां:–

- नीति के प्राविधानों के अनुरूप इच्छुक विकासकर्ता अपने प्रस्ताव विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत करेंगे।
- टी.ओ.डी. योजना दो श्रेणियों में बांटी गयी है। श्रेणी एक में एक हेक्टेयर क्षेत्रफल तक के भूखन्डों में मिश्रित भू–उपयोग अनुमन्य होगा परन्तु अनिवार्य नहीं। श्रेणी दो में एक हेक्टेयर क्षेत्रफल से अधिक भूखन्डों में सम्पूर्ण एफ.ए.आर. के अन्तर्गत टी.ओ.डी. नीति 2022 के बिन्दु संख्या 3.4.3 (दो) के अनुसार मिश्रित भू–उपयोग अनिवार्य होगा।
- **अन्य उपयोग–** अवशेष एफ.ए.आर. केवल मात्र एक अथवा आवासीय/व्यावसायिक/कार्यालय/पी.एस.पी./औद्योगिक (भारी एवं प्रदूषणकारी उद्योगों को छोड़कर) मिश्रित रूप में उपयोग किया जा सकेगा।

लखनऊ मेट्रो कॉरिडोर टी.ओ.डी. जोन:–

- चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से आलमबाग–चारबाग–इन्दिरानगर से मुन्शीपुलिया तक का क्षेत्र लखनऊ मेट्रो कॉरिडोर टी.ओ.डी. जोन चिन्हित किया गया है।
- इसका परिसीमन मेट्रो रेल के केन्द्रीय लाइन से दोनों ओर टी.ओ.डी. नीति के तहत 500 मीटर को आधार मानते हुए भौतिक विशेषताओं सड़क, नदी, नाला, रेलवे लाइन, स्थानीय परिस्थिति और क्षेत्र के विकास की सम्भाव्यता के दृष्टिगत, दोनों ओर उक्त कॉरिडोर की चौड़ाई 500 से 600 मीटर अथवा 400 से 500 मीटर हो सकती है।
- टी.ओ.डी. जोन को अन्तिम रूप देने के पश्चात् टी.ओ.डी. जोन का एक पृथक् जोनल प्लान बनाया जायेगा। इसके अतिरिक्त विकास क्षेत्र में परिभाषित किये गये नियोजन खन्डों के अलग जोनल प्लान बनाये जायेगे।

टेलीफोन नं.–0522–7106628
E Mail :- ctcpup@gmail.com

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,उत्तर प्रदेश,

टी.सी.जी. / 1–ए–वी 5, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ–226010

पत्रांकः 83 /अमृत–महायोजना / शासकीय समिति / स.नि.(के) / 2021–22, दिनांक 20/05/2022

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
   उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ
2. उपाध्यक्ष,
   लखनऊ विकास प्राधिकरण।
3. अधिशासी निदेशक,
   आवास बन्धु, उ.प्र., लखनऊ
4. मुख्य / वरिष्ठ नगर नियोजक,
   लखनऊ विकास प्राधिकरण।
5. मुख्य अभियन्ता,
   लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
6. निदेशक,
   आवास बन्धु, उ.प्र.,।
7. श्री एन.आर. वर्मा, (तकनीकी सलाहकार)
   आवास बन्धु, उ.प्र.।
8. श्री जी.एस. गोयल, (सलाहकार)
   आवास बन्धु, उ.प्र.।
9. प्रधानाचार्य,
   राजकीय आर्किटेक्चर कालेज,
   लखनऊ।

विषयः लखनऊ महायोजना–2031 (प्रारूप) के परीक्षण हेतु सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 27.11.2021 को उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ के सभागार में सम्पन्न हुई शासकीय समिति की बैठक के सम्बन्ध में।

महोदय,

आवास एव शहरी नियोजन अनुभाग.–3 उ.प्र शासन के कार्यालय–ज्ञाप संख्या 26 / 2021 / 2737 / आठ–3–21 –06महा. / 2014 दिनांक 22 सितम्बर 2021 द्वारा सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र.शासन की अध्यक्षता में गठित शासकीय समिति की बैठक दिनांक 27.11.2021 को उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ के सभागार में सम्पन्न हुई। उक्त बैठक में लखनऊ महायोजना–2031 (प्रारूप) का परीक्षण किया गया।

सम्पन्न हुई बैठक का कार्यवृत्त पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

20/05/2022

(अनूप कुमार श्रीवास्तव)
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक /
नोडल अधिकारी / सदस्य संयोजक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन को सूचनार्थ प्रेषित।
2. निजी सचिव, सचिव / अध्यक्ष, शासकीय समिति, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. सम्बन्धित, सहयुक्त नियोजक, सम्भागीय नियोजन खण्ड, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. सम्बन्धित कन्सल्टैण्ट को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु।

V.I.C.-Supr

(अनूप कुमार श्रीवास्तव)
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक /
नोडल अधिकारी / सदस्य संयोजक

लखनऊ महायोजना–2031 (प्रारूप) के परीक्षण हेतु सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में दिनांक 27.11.2021 को उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ के सभागार में आयोजित शासकीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति–संलग्न सूची के अनुसार।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3, उ.प्र. शासन के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–26/2021/2737/आठ–3–21–06महा./2014 दिनांक 22.09.2021 में दिए गये निर्देशों के क्रम में लखनऊ विकास क्षेत्र की अमृत योजना के अन्तर्गत तैयार की गयी प्रारूप महायोजना–2031 का प्रारूप महायोजना बनाये जाने से सम्बन्धित अनुबन्ध में वर्णित प्रकिया के अनुसार समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। प्रस्तुतीकरण में वर्तमान में प्रभावी महायोजना के प्रस्तावों का ***नवीन जी.आई.एस. बेस–मैप पर महायोजना प्रस्तावों के कन्वर्जन का*** मूल्यांकन तथा प्रस्तावों के विरूद्ध हुए विचलन, नगर के विकास का वर्तमान स्वरूप एवं विकास की सम्भावित क्षमताओं का आंकलन, वर्ष 2031 हेतु जनसंख्या प्रक्षेपण, आर्थिक आधार तथा रोजगार सृजन की वर्तमान स्थिति व भावी प्रक्षेपण, विद्यमान सामुदायिक सुविधाओं का अध्ययन व इस हेतु भावी प्रक्षेपण, विद्यमान व प्रस्तावित आधारभूत संरचना एवं मनोरंजन व खुले स्थल का आंकलन के साथ–साथ सरकार द्वारा जारी की गयी विभिन्न नीतियों के अनुपालन आदि के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया।

(1) प्रारूप महायोजना संरचना के सम्बन्ध में निम्न सामान्य सुझाव/निर्देश दिये गयेः–

(1.1) समक्ष स्तर से स्वीकृत ले–आउट/तलपट मानचित्रों पर महायोजना के प्रस्ताव एवं जोनिंग रेगुलेन्शन्स के प्राविधान लागू नही होंगे।

(1.2) प्राधिकरण की योजनाओं/स्वीकृत लेआउट में महायोजना प्रस्तावो के अन्तर्गत बाजार स्ट्रीट प्रस्तावित होने की दशा में नियमानुसार ले–आउट में परिवर्तन की प्रक्रिया पूर्ण किये जाने के उपरान्त ही बाजार स्ट्रीट के प्रस्ताव प्रभावी होंगें।

(1.3) वर्तमान में प्रभावी महायोजना के विरूद्ध हुए निर्माण/विचलन का मूल्यांकन करते समय यदि प्रभावी महायोजना के ऐसे प्रस्तावित भू–उपयोग जिन्हें भविष्य में विकसित किया जाना सम्भव प्रतीत नही होता एवं उनमें किसी प्रकार का संशोधन स्थानीय विकास/आवश्यकताओं के दृष्टिगत जनहित व नियोजन की दृष्टि से उचित पाया जाता है तो ऐसी दशा में समिति द्वारा सुझाव दिया गया कि ऐसे सभी भू–उपयोग एवं उनके संशोधित प्रस्ताव सम्पूर्ण औचित्य सहित अलग से तैयार कर प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जायेगें। बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त प्रारूप महायोजना की प्रदर्शनी के समय ऐसे संशोधनों हेतु अलग मानचित्र तैयार कर प्रारूप महायोजना के साथ आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु प्रदर्शित किया जाये जिनपर आपत्ति/सुझावों हेतु गठित समिति की संस्तुति पर बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त ही शासन की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जाने वाली प्रारूप महायोजना में समायोजित किया जाए।

(2) लखनऊ विकास क्षेत्र की अमृत योजना के अन्तर्गत तैयार की गयी प्रारूप महायोजना–2031 के प्रस्तुतीकरण में दिए गये प्रस्तावों पर समिति द्वारा निम्नलिखित सुझाव प्रदान किये गयेः–

(2.1) लखनऊ विकास क्षेत्र मे निर्मित हो रही रिंग रोड के संरेखण के दृष्टिगत प्रभावी महायोजना मे रायबरेली मार्ग के पश्चिम दिशा में प्रस्तावित हाईटेक टाउनशिप के आन्तरिक मार्गों को भी प्रस्ताव में दर्शाया गया है जिसे हटाये जाने का सुझाव दिया गया।

(2.2) मोहान मार्ग पर दोनो तरफ ग्रीन बेल्ट के उपरान्त हाई–वे फैसेलिटी जोन प्रस्तावित किये जाने का सुझाव दिया गया। हाईवे फैसेलिटी जोन हेतु प्रारूप जोनिंग रेगुलेशन्स संलग्न किया जा रहा है (संलग्नक–1) जिस पर आपत्ति/सुझाव प्राप्त करने के उपरान्त अन्तिम रूप दिया जाना होगा।

(2.3) उपरोक्त जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार प्रस्तावित हाईवे फैसेलिटी जोन के अन्तर्गत स्थित भूखण्डों पर प्रस्तावित किये जाने वाली कियाओं हेतु प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में कृषि भू–उपयोग के अन्तर्गत अनुमन्य अधिकतम भू–आच्छादन, तल क्षेत्रानुपात (FAR), आदि के प्राविधानों को लागू किये जाने का सुझाव दिया गया।

(2.4) एन.एच.ए.आई. द्वारा विकसित की जा रही रिंग रोड के संरेखण को महायोजना मे समाहित किये जाने एवं पूर्व में प्रस्तावित संरेखण को आन्तरिक मार्ग के रूप में प्रस्तावित किये जाने हेतु सुझाव दिया गया।

समिति द्वारा दिये गये सुझावों के आलोक में लखनऊ महायोजना–2031(प्रारूप) को लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड मे प्रस्तुत करते हुए उ.प्र. नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–11 के अनुसार अग्रिम कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गई।

बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

अनुमोदित

(अनूप कुमार श्रीवास्तव)
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक/
सदस्य संयोजक
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0।

(अजय चौहान)
सचिव/अध्यक्ष
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 174वीं बैठक दिनांक 22 जून, 2022 का कार्यवृत्त

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की **174वीं बैठक, बोर्ड अध्यक्ष श्री रंजन कुमार, आयुक्त, लखनऊ** मण्डल, **लखनऊ** की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:-

उपस्थितिः-

01.	श्री सूर्यपाल गंगवार	जिलाधिकारी, लखनऊ।
02.	श्री अक्षय त्रिपाठी	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
03.	श्री राजेश पाण्डेय	अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, लखनऊ मण्डल, प्रतिनिधि-अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
04.	श्री ए0एस0 भाटी	महाप्रबन्धक, प्रतिनिधि-प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम।
05.	श्री महेश वर्मा	मुख्य अभियन्ता, प्रतिनिधि-नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
06.	श्री पंकज वर्मा	अधिशासी अभियन्ता, प्रतिनिधि-आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
07.	सुश्री स्मिता निगम	नगर नियोजक प्रतिनिधि-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग।
08.	श्रीमती रेखा श्रीवास्तव	सहायक आयुक्त, प्रतिनिधि-संयुक्त/अपर आयुक्त, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
09.	श्री बीरेश कुमार	उपनिदेशक, प्रतिनिधि-महानिदेशक पर्यटन, उ0प्र0।
10.	श्री पी0एन0 सिंह	सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
11.	श्री पुष्कर शुक्ला	सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
12.	श्री राम कृष्ण यादव	पार्षद/सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
13.	श्री राघवराम तिवारी	पार्षद/सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण।

अन्य उपस्थितिः-

14.	श्री पवन कुमार गंगवार	सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
15.	श्री दीपक सिंह	वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
16.	श्री इन्दु शेखर सिंह	मुख्य अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
17.	श्री नितिन मित्तल	मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
18.	श्री अरविन्द त्रिपाठी	नजूल अधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
19.	श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह	विशेष कार्याधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण।

सर्वप्रथम् उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड/आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ का औपचारिक स्वागत किया गया। तदुपरान्त बोर्ड बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। बोर्ड बैठक की विषय सूची में सम्मिलित विभिन्न विषयों/मदों पर निम्नवत् निर्णय लिया गया:-

174 / 3	अमृत योजना के अन्तर्गत तैयार की जा रही जी0आई0एस0 आधारित लखनऊ महायोजना–2031 (प्रारूप) को उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा–11 के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही की स्वीकृते प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा अमृत योजना के अन्तर्गत तैयार की जा रही जी0आई0एस0 आधारित लखनऊ महायोजना–2031 (प्रारूप) को उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा–11 के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिये गये तथा विचलनों को चिन्हित करते हुए आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित कर निस्तारित कराये जाने के निर्देश दिये गये।

उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक समाप्त की गयी

(पवन कुमार गंगवार)
सचिव, ल0वि0प्रा0,
लखनऊ।

(अक्षय त्रिपाठी)
उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0,
लखनऊ।

<u>**अनुमोदित**</u>

(रंजन कुमार)
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल,
लखनऊ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण

(ISO 14001 : 2004, ISO 9001-2008 प्रमाणित संस्था)
प्राधिकरण भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ (उ०प्र०)।
फोन नं० : 0522-2302586, वेबसाइट : www.ldaonline.co.in

सार्वजनिक सूचना

भारत सरकार की अमृत योजना के अन्तर्गत लखनऊ विकास क्षेत्र की जी०आई०एस० आधारित लखनऊ महायोजना-2031 (प्रारूप) तैयार की गयी है। लखनऊ महायोजना-2031 (प्रारूप) पर प्राधिकरण बोर्ड की 174वीं बोर्ड बैठक दिनांक 22, जून, 2022 में मद सं०-174/03 में उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 11 के अन्तर्गत आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है। उक्त के क्रम में लखनऊ महायोजना-2031 (कनवर्जन प्रारूप) को जन-सामान्य के अवलोकनार्थ हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ भूतल स्थित कमेटी हाल एवं सहयुक्त नियोजक, सम्भागीय नियोजन खण्ड, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उ०प्र०, एल०डी०ए० काम्पलेक्स, कपूरथला अलीगंज, लखनऊ कार्यालय में दिनांक 21.07.2022 से 20.08.2022 तक पूर्वान्ह 11:00 बजे से अपरान्ह 3:00 बजे तक प्रदर्शित किया जा रहा है।

अतः आपत्तिकर्ता/सुझावकर्ता उपर्युक्तानुसार लखनऊ विकास प्राधिकरण कार्यालय में उक्त निर्धारित अवधि के अन्तर्गत किसी भी कार्यदिवस पर उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ को अपनी आपत्ति एवं सुझाव लिखित रूप में दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं। लखनऊ महायोजना-2031 (कनवर्जन प्रारूप) की पुस्तिका किसी भी कार्य दिवस में रू० 590.00 नकद जमा करके भूतल स्थित कमेटी हाल में लगे कैम्प से प्राप्त की जा सकती है। उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात प्राप्त होने वाली किसी भी प्रकार की आपत्ति/सुझाव पर विचार नहीं किया जायेगा।

सचिव

लखनऊ विकास प्राधिकरण

(ISO 14001 : 2004, ISO 9001-2008 प्रमाणित संस्था)

प्राधिकरण भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (उ.प्र.)

दूरभाष : 0522-2302586, वेबसाइट : http://www.ldaonline.co.in

@LkoDevAuthority @LkoDevAuthority lda_online

—: सार्वजनिक सूचना :—

भारत सरकार की अमृत योजना के अन्तर्गत लखनऊ विकास क्षेत्र की जी. आई.एस. आधारित लखनऊ महायोजना–2031 (प्रारूप) तैयार की गई है। लखनऊ महायोजना–2031 (प्रारूप) पर प्राधिकरण बोर्ड की 174वीं बोर्ड बैठक दिनांक 22 जून 2022 में मद सं.–174/03 में उ.प्र. नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 11 के अन्तर्गत आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है। उक्त के क्रम में लखनऊ महायोजना–2031 (कन्वर्जन प्रारूप) को जन सामान्य के अवलोकनार्थ हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ भूतल स्थित कमेटी हाल एवं सहयुक्त नियोजक, सम्भागीय नियोजन खण्ड, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ.प्र. एल.डी.ए. काम्पलेक्स, कपूरथला, अलीगंज, लखनऊ कार्यालय में **दिनांक 21.07.2022 से 20.08.2022 तक पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक** प्रदर्शित किया जा रहा है। जन सामान्य को आपत्ति/सुझाव हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के दृष्टिगत प्रदर्शनी की अवधि **दिनांक 09.09.2022 तक** बढ़ायी जाती है।

अतः आपत्तिकर्ता/ सुझावकर्ता उपर्युक्तानुसार लखनऊ विकास प्राधिकरण कार्यालय में उक्त निर्धारित अवधि के अन्तर्गत किसी भी कार्यदिवस पर **उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ** को अपनी आपत्ति एवं सुझाव लिखित रूप में दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं। लखनऊ महायोजना–2031 (कन्वर्जन प्रारूप) की पुस्तिका **किसी भी कार्य दिवस में रू. 590.00 नकद** जमा करके **भूतल स्थित कमेटी हाल में लगे कैम्प** से प्राप्त की जा सकती है। उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात प्राप्त होने वाली किसी भी प्रकार की आपत्ति/ सुझाव पर विचार नहीं किया जायेगा।

सचिव

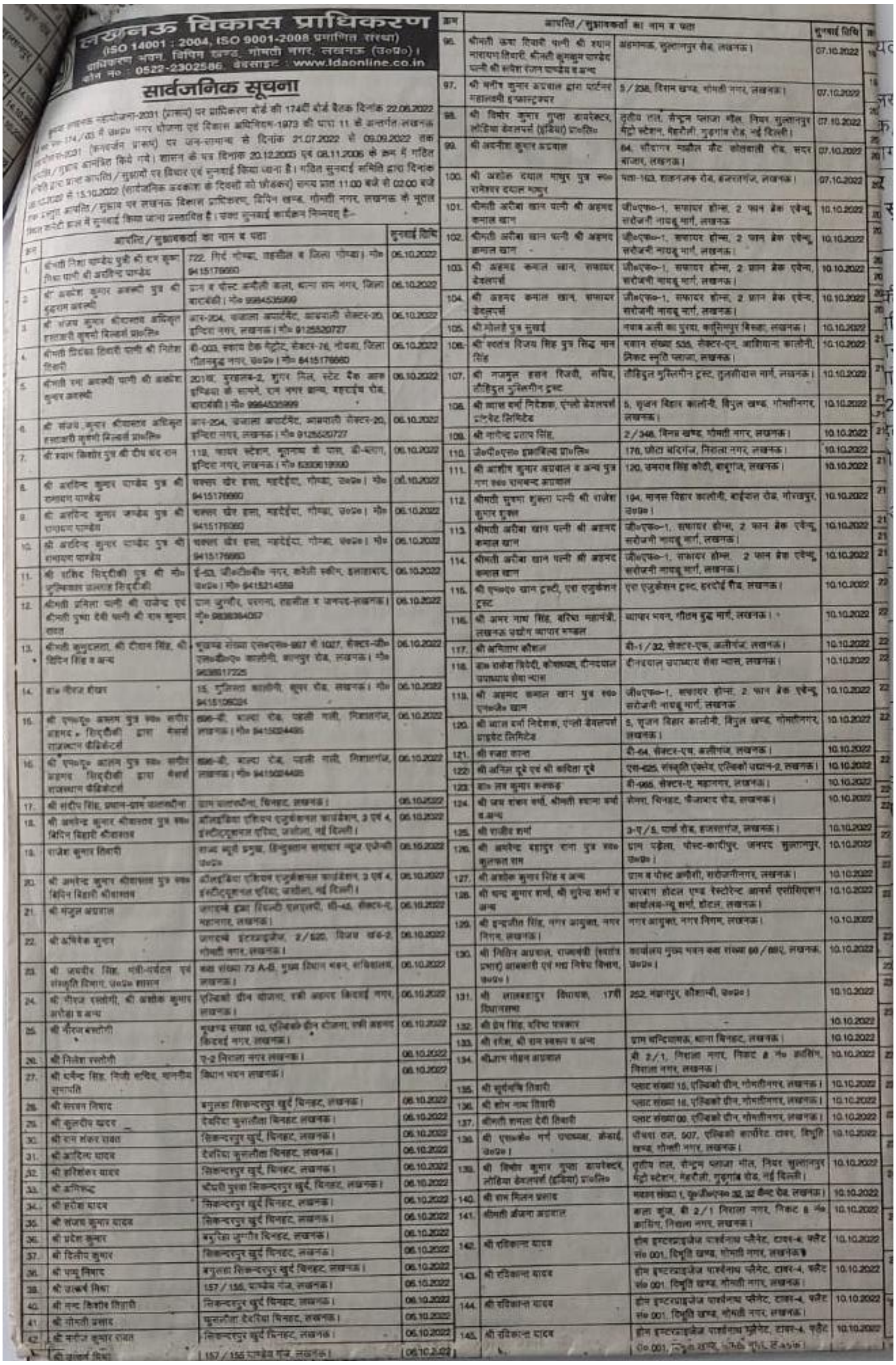
लखनऊ विकास प्राधिकरण
(ISO 14001 : 2004, ISO 9001-2008 प्रमाणित संस्था)
प्राधिकरण भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ (उ०प्र०)।
फोन नं० : 0522-2302586, वेबसाइट : www.ldaonline.co.in

सार्वजनिक सूचना

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

सेवा में,

1. अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण/आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
4. महानिदेशक, पर्यटन, उ0प्र0।
5. आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद।
6. जिलाधिकारी, लखनऊ।
7. उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
8. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
9. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ०प्र० नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग।
10. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
11. संयुक्त आयुक्त, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

पत्रांक-227/सचिव/प्रा०स०/2023 दिनांक : 07/02/2023

विषय – परिचालन के माध्यम से प्रस्तुत प्रस्तावों पर सहमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रस्ताव सं0–1 भारत सरकार की अमृत योजना के अन्तर्गत लखनऊ विकास क्षेत्र की जी0आई0एस0 आधारित लखनऊ महायोजना–2031 (प्रारूप कन्वर्जन) तथा उत्तर प्रदेश ट्रांजिट ओरिएण्टेड नीति, 2022 के अनुपालन में चिन्हित टी0ओ0डी0 जोन्स के लिए प्राप्त आपत्ति/सुझावों पर गठित समिति की संस्तुति के संबंध में प्रस्ताव।

भारत सरकार की अमृत योजना के अन्तर्गत लखनऊ विकास क्षेत्र की जी0आई0एस0 आधारित लखनऊ महायोजना–2031 (प्रारूप कन्वर्जन) तैयार की गयी। मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के पत्र संख्या–33/अमृत–महायोजना/शासकीय समिति/स0नि0(के)/2021–22, दिनांक 20.05.2022 के द्वारा सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की अध्यक्षता में गठित शासकीय समिति की बैठक दिनांक 27.11.2021 के कार्यवृत्त के अनुसार समिति द्वारा दिये गये सुझावों के आलोक में लखनऊ महायोजना–2031 (प्रारूप कन्वर्जन) को लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड में प्रस्तुत करते हुए उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–11 के अनुसार अग्रिम कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी।

तद्क्रम में लखनऊ महायोजना–2031 (प्रारूप कन्वर्जन) पर प्राधिकरण बोर्ड की 174वीं बोर्ड बैठक दिनांक 22.06.2022 में मद सं0–174/03 में उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 11 के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिये गये तथा विचलनों को चिन्हित करते हुए आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित कर निस्तारित कराये जाने के निर्देश दिये गये। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देश के कम में लखनऊ महायोजना–2031 (कन्वर्जन प्रारूप) पर दिनांक 21.07.2022 से 09.09.2022 तक प्रदर्शनी लगायी गयी। निर्धारित अवधि में जनसामान्य से कुल 405 आपत्ति/सुझाव प्राप्त हुये। शासन द्वारा गठित समिति के समक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण में दिनांक 06.10.2022 से दिनांक 15.10.2022 तक सुनवाई की गयी। लखनऊ महायोजना–2031 (कन्वर्जन प्रारूप) पर समिति द्वारा की गयी सुनवाई उपरान्त समिति की संस्तुति अनुलग्नक–(1) पर अवस्थित है।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0–2754/आठ–3–2022, दिनांक 28 अक्टूबर, 2022 द्वारा उत्तर प्रदेश ट्रांजिट ओरिएण्टेड नीति, 2022 के अनुपालन में टी0ओ0डी0 जोन्स के लिए जोनल डेवलपमेन्ट प्लान तैयार किये जाने के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराते हुए उ0प्र0 ट्रांजिट ओरिएण्टेण्ड नीति–2022 के प्राविधानों के

Page 1/5

अनुसार टी0ओ0डी0 जोन्स की सीमाओं के वास्तविक/ भौतिक परिस्थितियों के अनुरूप परिसीमन/सीमांकन किये जाने एवं तदनुसार महायोजनाओं के संशोधित प्रारूप पर आपत्ति/सुझाव प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये हैं।

उ0प्र0 ट्रांजिट ओरिएण्टेण्ड नीति–2022 के प्राविधानों के अनुसार टी0ओ0डी0 (ट्रांजिट ओरिएण्टेड डेवलपमेन्ट) जोन से संबंधित आपत्ति/सुझाव जनसामान्य से 15 दिवस की समयावधि में आमंत्रित किये जाने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण की 176वीं बोर्ड बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देश के कम में लखनऊ महायोजना–2031 (संशोधित कनवर्जन प्रारूप) पर दिनांक 12.12.2022 से 26.12.2022 तक प्रदर्शनी लगायी गयी। निर्धारित अवधि में जनसामान्य से कुल 14 आपत्ति/सुझाव प्राप्त हुये। शासन द्वारा गठित समिति के समक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण में दिनांक 16.01.2023 को सुनवाई की गयी। टी0ओ0डी0 जोन्स् से सम्बन्धित समिति द्वारा की गयी सुनवाई उपरान्त समिति की संस्तुति अनुलग्नक–(2) पर अवस्थित है।

उपरोक्तानुसार भारत सरकार की अमृत योजना के अन्तर्गत लखनऊ विकास क्षेत्र की जी0आई0एस0 आधारित लखनऊ महायोजना–2031 (कन्वर्जन प्रारूप) तथा उत्तर प्रदेश ट्रांजिट ओरिएण्टेड नीति, 2022 के अनुपालन में चिहिन्त टी0ओ0डी0 जोन्स के लिए प्राधिकरण बोर्ड के निर्णय के अनुसार निर्धारित अवधि में (संशोधित कन्वर्जन प्रारूप) पर प्राप्त आपत्ति/सुझावों की सुनवाई पूर्ण होने के उपरान्त गठित सुनवाई समिति की संस्तुति को शासन को प्रेषित किये जाने हेतु परिचालन के माध्यम से प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण
(ISO 14001 : 2004, ISO 9001-2008 प्रमाणित संस्था)
प्राधिकरण भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (उ.प्र.)
दूरभाष : 0522-2302586, वेबसाइट : http://www.ldaonline.co.in
@LkoDevAuthority @LkoDevAuthority Ida_online

4055/ 12/12/22

सार्वजनिक सूचना

भारत सरकार की अमृत योजना के अन्तर्गत लखनऊ विकास क्षेत्र की जी0आई0एस0 आधारित लखनऊ महायोजना-2031 (प्रारूप) तैयार की गयी। लखनऊ महायोजना-2031 (प्रारूप) पर प्राधिकरण बोर्ड की 174वीं बोर्ड बैठक दिनांक 22, जून, 2022 में मद सं0-174/03 में उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 11 के अन्तर्गत आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने के क्रम में लखनऊ महायोजना-2031 (कन्वर्जन प्रारूप) को जन-सामान्य के अवलोकनार्थ हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ भूतल स्थित कमेटी हाल एवं सहयुक्त नियोजक, सम्भागीय नियोजन खण्ड एवं ग्राम नियोजन विभाग उ0प्र0, एल0डी0ए0 काम्पलेक्स, कपूरथला अलीगंज, लखनऊ कार्यालय में दिनांक 21.07.2022 से 20.08.2022 तक एवं तिथि में बढ़ोत्तरी करते हुए दिनांक 09.09.2022 तक आमंत्रित की गयी थीं, जिनकी सुनवाई शासन द्वारा गठित समिति के समक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण में दिनांक 06.10.2022 से दिनांक 15.10.2022 तक की जा चुकी है, जो प्रक्रियाधीन है।

वर्तमान में शासनादेश सं0-2754/आठ-3-2022, दिनांक 28 अक्टूबर, 2022 के अनुपालन में लखनऊ महायोजना-2031 (कन्वर्जन प्रारूप) में प्रस्तावित टी0ओ0डी0 जोन की सीमाओं के वास्तविक/भौतिक परिस्थितियों के अनुरूप परिसीमन/सीमांकन के अनुसार लखनऊ महायोजना-2031 (संशोधित कन्वर्जन प्रारूप) पर प्राधिकरण बोर्ड की 176वीं बोर्ड बैठक दिनांक 01 दिसम्बर 2022 में मद संख्या 176/3 के क्रम में अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत निर्धारित टी0ओ0डी0 जोन पर आपत्ति/सुझाव जनसामान्य से आमंत्रित किये जा रहे हैं। लखनऊ महायोजना-2031 (संशोधित कन्वर्जन प्रारूप) को जन-सामान्य के अवलोकनार्थ हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ भूतल स्थित कमेटी हाल एवं सहयुक्त नियोजक, सम्भागीय नियोजन खण्ड, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, एल0डी0ए0 काम्पलेक्स, कपूरथला अलीगंज, लखनऊ कार्यालय में दिनांक 12.12.2022 से दिनांक 26.12.2022 तक पूर्वान्ह 11:00 बजे से अपरान्ह 2:00 बजे तक प्रदर्शित किया जा रहा है। केवल उन्हीं आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार किया जायेगा जो इस सूचना के प्रकाशन की तिथि के अन्तर्गत अन्दर उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को सम्बोधित विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित कार्यालय में प्राप्त कराये जायेंगे। निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

सचिव

लखनऊ विकास प्राधिकरण

(ISO 14001 : 2004, ISO 9001-2008 प्रमाणित संस्था)
प्राधिकरण भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ (उ०प्र०)।
फोन नं० : 0522-2302586, वेबसाइट : www.ldaonline.co.in

सार्वजनिक सूचना

उत्तर प्रदेश ट्रांजिट ओरिएण्टेड डेवलपमेन्ट नीति, 2022 के अनुपालन में टी०ओ०डी० जोन्स की सीमाओं के वास्तविक/भौतिक परिस्थितियों के अनुरूप परिसीमन/सीमांकन के अनुसार लखनऊ महायोजना 2031 (संशोधित कन्वर्जन प्रारूप) पर प्राधिकरण बोर्ड की 176वीं बोर्ड बैठक दिनांक 01.12.2022 में मद सं०-176/03 में उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा 11 के अन्तर्गत लखनऊ महायोजना-2031 (कनवर्जन प्रारूप) पर जन-सामान्य से दिनांक 12.12.2022 से 26.12.2022 तक आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये गये। शासन के पत्र दिनांक 20.12.2003 एवं 08.11.2006 के क्रम में गठित समिति द्वारा प्राप्त आपत्ति/सुझावों पर विचार एवं सुनवाई किया जाना है। गठित सुनवाई समिति द्वारा प्राप्त आपत्ति/सुझाव पर दिनांक 16.01.2023 को पूर्वान्ह 11:00 बजे से लखनऊ विकास प्राधिकरण, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के द्वितीय तल स्थित मसऊद हाल में सुनवाई किया जाना प्रस्तावित है। आपत्ति/सुझावकर्ता का विवरण निम्नवत् है:-

क्रम	आपत्ति/सुझावकर्ता के नाम/पता
1.	श्री शिवदयाल ग्रोवर, डी-2245 हिमालय मार्ग, नियर मुंशी पुलिया, इन्दिरा नगर, लखनऊ। मो० 9415005835
2.	श्री रजत कांत, बी-64, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ। मो० 9839014677
3.	श्री अमित अग्रवाल, दुधवा चौराहा, पलियांकला, जिला लखीमपुर खीरी, उ०प्र० मो० 9811004633
4.	श्री प्रदीप अग्रवाल, बी-45ए, सेक्टर-ए, नियर छन्नीलाल चौराहा, महानगर, लखनऊ। मो० 9415461985
5.	श्री सुशील कुमार, श्री दिलीप, श्री राजकुमार व अन्य ग्रामवासीगण पता-ग्राम सरसवां, परगना लखनऊ, तहसील सरोजनी नगर, लखनऊ। मो० 7807677370
6.	श्री विजय कुमार, श्री मुकेश कुमार, श्री रवि सिंह व अन्य ग्रामवासीगण पता- ग्राम सरसवां, परगना लखनऊ, तहसील सरोजनी नगर, लखनऊ। मो० 7807677370
7.	श्री मनोज तिवारी, अधिकृत हस्ताक्षरी-ओमेक्स गर्व बिल्डिटेक प्रा.लि., ओमेक्स गर्व बिल्डिटेक प्रा.लि., पता-साइबर टावर, सेकेण्ड फ्लोर, टी.सी.-34/वी2, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ फोन-0522 4913000
8.	श्री जय शंकर वर्मा लक्ष्मी डोर्स, पता-ग्राम सेमरा, चिनहट, लखनऊ मो० 8953309999
9.	श्रीमती सरोज पासी, पता-5/254, विकास नगर, लखनऊ मो० 9984418899
10.	श्री हरि शंकर वर्मा व श्री श्यामा वर्मा, श्री साई कोक्रेट्स, ग्राम सेमरा, चिनहट लखनऊ, मो० 8090150000
11.	श्री हरमीत मान, पता-1/28-एच, विनीत खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ मो० 9936157177
12.	श्री दिनेश चन्द्र शुक्ला, श्रीमती रचना शुक्ला व अन्य पता-सी-448, इन्दिरा नगर, लखनऊ मो० 8175054001
13.	श्री अशोक दयाल माथुर पुत्र स्व० रामेश्वर दयाल माथुर, 163, शाहनजफ रोड, हजरतगंज, लखनऊ।
14.	श्री मनोज तिवारी, अधिकृत हस्ताक्षरी-ओमेक्स गर्व बिल्डिटेक प्रा.लि. ओमेक्स लि. पता-साइबर टावर, सेकेण्ड फ्लोर, टी.सी.-34/वी2, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ फोन-0522 4913000

उपरोक्त विवरण लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ की वेबसाईट www.ldaonline.co.in पर उपलब्ध है।

सचिव

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 179वीं बैठक दिनांक 04 अक्टूबर, 2023 का कार्यवृत्त

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की **179वीं बैठक, बोर्ड अध्यक्ष डा0 रोशन जैकब, आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ** की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुएः–

उपस्थितिः–

01.	डा0 इन्द्रमणि त्रिपाठी	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
02.	श्री अमित कुमार	अपर जिलाधिकारी (नगर), प्रतिनिधि–जिलाधिकारी, लखनऊ।
03.	श्री मुकेश चन्द्र वार्ष्णेय	सहायक लेखाधिकारी, पेंशन एवं कोषागार, लखनऊ प्रतिनिधि–अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
04.	श्री के0पी0 त्रिपाठी	अधीक्षण अभियन्ता, प्रतिनिधि–आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
05.	श्री पुनीत ओझा	अधिशासी अभियन्ता, नगर निगम, प्रतिनिधि–नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
06.	श्री मनोज चौरसिया	उपायुक्त, प्रतिनिधि–संयुक्त आयुक्त उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
07.	डॉ0 कल्याण सिंह	उपनिदेशक–पर्यटन प्रतिनिधि–महानिदेशक, पर्यटन, लखनऊ।
08.	श्री विशाल भारती	सहयुक्त नियोजक प्रतिनिधि–मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग।
09.	श्री महेश कुमार	अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, प्रतिनिधि–प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
10.	श्री पुष्कर शुक्ला	सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
11.	श्री पी0एन0 सिंह	सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण।

अन्य उपस्थितिः–

12.	श्री पवन कुमार गंगवार	सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
13.	श्री ज्ञानेन्द्र वर्मा	अपर सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
14.	श्री दीपक सिंह	वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
15.	सुश्री प्रिया सिंह	विशेष कार्याधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
16.	श्री ए0के0 सिंह	मुख्य अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
17.	श्री के0के0 गौतम	मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
18.	श्री शशिभूषण पाठक	डिप्टी कलेक्टर, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
19.	श्री अजीत कुमार	अधिशासी अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण।

सर्वप्रथम् उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड/आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ का औपचारिक स्वागत किया गया। तदुपरान्त बोर्ड बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। बोर्ड बैठक की विषय सूची में सम्मिलित विभिन्न विषयों/मदों पर निम्नवत् निर्णय लिया गयाः–

179/14	लखनऊ महायोजना 2031 (कन्वर्जन) प्रारूप के सम्बन्ध में।	लखनऊ महायोजना 2031 (कन्वर्जन) प्रारूप के सम्बन्ध में आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–1191/23–8–3099/278/2022 दिनांक 04.07.2023, 1694/आठ–3–2023 दिनांक 14.07.2023, 1808/आठ–3–2023 दिनांक 31.07.2023 एवं 2112/आठ–3–2023 दिनांक 29.08.2023 व शासकीय समिति के निर्देशों का अनुपालन कराते हुए लखनऊ महायोजना 2031 (संशोधित कन्वर्जन प्रारूप) की अंतिम स्वीकृति हेतु शासन

		को संदर्भित किये जाने हेतु उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को अधिकृत किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक समाप्त की गयी।

(पवन कुमार गंगवार)
सचिव,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

(डा0 इन्द्रमणि त्रिपाठी)
उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

<u>अनुमोदित</u>

(डा0 रोशन जैकब)
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण
एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल,
लखनऊ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण

सलाहकार–वी. के. सुप्रीम कन्सलटेन्टस प्रा0लि0